लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, बुधवार, 18 नवम्बर, 1970/27 कार्तिक, 1892 (शक)

No. 7, Wednesday, November 18, 1970/Kartika 27, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथी योजना पर पुनर्विचार करने की मांग	Demand by U. P. Government for reconsideration of Fourth Plan	1—12
183. राज्य व्यापार निगम द्वारा मंत्रालयों को आयातित कारों का आंवटन	Allotment of imported Cars to Ministries by STC	12—14
185. रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों को निर्यात करने के लिए रूस के साथ करार	Agreement with Russia for exporting Goods from Soviet assisted Projects ...	14—16
187. मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Madhya Pradesh	16—18
188. दिल्ली के होटलों में "कैबरे नृत्य"	Cabret Dances in Delhi Hotels	
अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUSTION		18—21
1 भाखड़ा जलाशय में पानी स्तर	Water Level in Bhakra Reservoir	21—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
182. हंगरी के साथ व्यापार में वृद्धि	Improvement of Trade with Hungary ...	25—26
184. भारत, बुल्गारिया तथा टुनीशिया के बीच त्रिपक्षीय संधि	Trilateral Pact between India, Bulgaria and Tunisia ...	26

*किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

***The sign + marked above the name of a Member sndicateins that the Question was actually asked on the floor of the House by him.**

विषय ता. प्र. संख्या S Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
186. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के दोषपूर्ण मीटर लगाये जाने के बारे में सर्वेक्षण	Survey re . Installation of Defective Electric Metres by Delhi Electric Supply Undertaking	26—27
189. नक्सलपंथी गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिये पुरस्कार की घोषणा	Announcement of Prize for giving Information about Naxalite Activities ...	27
190. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड,दुर्गापुर, के कर्मचारी संघ के एक नेता की हत्या	Murder of a Trade Union Leader of Hindustan Steel Ltd. Durgapur	27—28
191. बंगाल आतंककारी गतिविधियां दमन अधिनियम, 1932 का पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना	Enforcement of Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act of 1932 in West Bengal ...	28—29
192. चोरी हुए और बरामद किये गये हथियारों के बारे में किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted about stolen and Recovered Arms	29—30
193. माओ के विचारों के प्रचारार्थ और पुलिस के विरुद्ध घृणा फैलाने के लिये नक्सल वादियों द्वारा कक्षाएं लगाया जाना	Naxalites conducting classes to preach Mao's thoughts, and hatred against Police ...	3o—31
194. राजस्थान में गंगापुर में पाकिस्तानी तस्कर व्यपारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani smugglers in Ganganagar in Rajasthan	31—32
195. पजाब हरयाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग	Boundary Commission for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ...	32
196. कांगड़ा के गांव का विद्युतीकरण	Rural elecrification of Kangra ...	32—33
197. सरकारी क्षेत्र के ज़रिए वस्तु-विनिमय व्यापार का नियन्त्रण	Control of barter deals through public sector ...	33—34
198. दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्मों की तस्करी	Smuggling of Indian films into South Africa ...	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
199. प्रशासनिक सुधार आयोग के भारतीय प्रशासनिक सेवा संबंधी प्रतिवेदन के बारे में सचिवों की समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee of Secretaries relating to ARC Report on IAS	35
200. जापान को लोह अयस्क की सप्लाई	Iron Ore supplies to Japan ...	35
201. सरकारी उपक्रम का ताईवान से व्यापार	Public Sector Undertakings Trading with Taiwan	35—36
202. मनीपुर क्षेत्र में गडबड़ पैदा करने के लिए विद्रोही नागाओं की योजना	Rebel Nagas Plans to start trouble in Manipur area ...	36
203. पंजाब सरकार द्वारा अपने लाटरी टिकटों को विदेशों में बेचने के लिए अनुरोध	Punjab Government's request for sale of its Lottery tickets abroad ...	36
204. भारत अफगान व्यापार करार	Indo Afghan Trade Agreement	37—38
205. रुई निगम द्वारा उचित मूल्यों पर रुई की खरीद	Purchase of Cotton by Cotton Corporation at Fair Prices	38
206. महाराष्ट्र में कपास की एकाधिकार खरीद के लिए योजना	Scheme for Monopoly purchases of Kapas in Maharashtra ...	38—39
207. दिल्ली की एक फर्म द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए प्रलोभन देना	Allurement offered by a Delhi firm for Securing jobs in foreign countries ...	39
208. संकटग्रस्त सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of sick Textile Mills	39
209. तारापुर अणुशक्ति परियोजना में बिजली का उत्पादन	Production of Power from Tarapore Atomic Power Project	39—41
210. निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में राज्यों को केन्द्रीय सरकार के निर्देश	Central Directives to States re. completion of their Irrigation projects ...	41—42

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1201. तमिल नाडु में पृथ कतावादी प्रवृति को रोकने के लिए कार्य-वाही	Steps to check secessionist tendencies in Tamil Nadu ...	42
1201. उपक्रमों में मंत्रियों । भूतपूर्व मंत्रियों की नियुक्ति	Appointment of Ministers/Ex-Ministers in Undertakings ...	42
1203. राजस्थान में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस से जब्त किए गए दस्तावेज	Seizure of documents from a Pakistani spy arrested in Rajashtan	43
1204. राज्य व्यापार निगम के कार्यालयोंद्वारा हड़ताल	Strike by S.T.C. Offices	44
1205. दिल्ली में हत्या, लूट, डकैती और राहज़नी के मामले	Cases of murder, looting, dacoity and robbery in Delhi	44
1206. डा० बी०आर अम्बेडकर की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into the death of Dr. B. R. Ambedkar	44—45
1207. कार्मिक प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of ARC on Personnel Administration ...	45
1208. भारत पाक युद्ध के दौरान जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त की गई थी उन्हें ऋण प्रदान करना	Grant of Loans to persons whose property was confiscated during Indo Pak conflict	45—46
1209. पश्चिम बंगाल में विस्फोटकों के अवैध निर्माण को रोकने के लिए उपाय	Measures to check illegal manufacture of explosives in West Bengal	46
1210. सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग	Use of Hindi Language in Supreme Court	46—48
1211. दिल्ली नगर निगम का चुनाव	Elections to Delhi Municipal Corporation...	48
1212. झूठे अभ्यावेदनों के आधार पर आयात लाइसेंसों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. inquiry re.Import Licences on false representations	48
1213. भारत द्वारा फिलीपीन में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Joint Industrial Undertakings by India in Philippines ...	48—49

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1214. केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री मण्डलों के आकार की सीमा	Limit on size of Central and State Ministries	49—51
1215. केरल के संस्थानमें भारतीय लड़कियों को भिक्षुणियों का प्रशिक्षण दिया जाना	Training of Indian girls as Nuns by an Institute in Kerala	50
1216. ढली तथा गढ़ी हुई वस्तुओं के निर्यातकों के एक दल द्वारा विश्व का दौरा	World tour by team of castings and forgings exporters	50—52
1217. बाढ़ ग्रस्त नदियों द्वारा हुई क्षति	Damage caused by rivers in spate	52—53
1218. तमिल चलचित्रों पर श्रीलंका द्वारा प्रतिबन्ध	Ceylon ban on Tamil films	54
1219. पाठकों द्वारा सीधा चंदा भेज कर दक्षिण भारतीय पत्रिकाओं का श्रीलंका में आयात	Import of South Indian Journals into Ceylon by direct subscription by readers	54
1220. नई दिल्ली के कुटीर उद्योग एम्पोरियम के कार्य के घंटों में परिवर्तन	Change in hours of work of cottage Industries Emporium, New Delhi ...	54—55
1221. भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति	Persons arrested under Land Grab Movement	55—56
1222. बेरोजगार इंजीनियर	Jobless Engineers	56—57
1223. ढेकानाल में बाढ़ से सम्पत्ति और फसल को क्षति	Damage to property and crops due to floods in Dhenkanal	57—58
1224. भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान द्वारा समुद्रीय उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण	Survey by Indian Institute of Foreign Trade on Marine Products	58
1225. नियम एफ० आर० 56 (ख) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा	Definition of workman under the F. R. 56(b)	59
1226. टाटा बन्धुओं द्वारा अर्जेटाइना में सोडा ऐश संयत्र की स्थापना	Setting up of Soda Ash Plant in Argentina by Tatas ...	59—60

अता० प्र० संख्या/ U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1227.	पटसन के आंतरिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Internal Trade of Raw Jute	60
1228.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले	Pending cases in Supreme Court and High Courts ...	60
1229.	बाढ़ सहायता के लिए नियत धन राशि का दुरुपयोग	Misuse of funds earmarked for flood relief	60—61
1230.	केरल के मध्यावधि चुनाव के दौरान मारे गए व्यक्ति	Persons killed during Mid Term Elections in Kerala	61
1231.	दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने का निर्णय	Decision to revise Criminal Procedure Code	61—62
1232.	तम्बाकू पटसन और चाय व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tobacco, Jute and Tea trade	62
1233.	रूस के साथ माल डिब्बों का सौदा	Rail Wagon deal with Russia ...	62
1235.	मध्य प्रदेश तथा उडीसा में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून	Legislation to check forcible conversion of religion in Madhya Pradesh and Orissa	63
1236.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण	Transfer of High Court Judges	63—64
1237.	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने की कसौटी	Criteria for judging economically backward areas	64
1238.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति	Employment of retired judges of Supreme Court and High Courts	64
1239.	कपड़ा निगम द्वारा संकट ग्रस्त मिलों का पुनः चालू किया जाना	Reopening of sick mills by Textile Corporation	64—65
1240.	रबड़ का मूल्य	Price of Rubber	65
1241.	देश में आत्महत्या की घटनाओं का सर्वेक्षण	Survey of incidence of Suicides in India ...	65

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	Subject	पृष्ठ/Pages
1242. रुई का क्रय और विक्रय	Sale and purchase of cotton	65—66
1243. युगोस्लाविया से माल डिब्बों का सौदा	Wagon deal with Yugoslavia	66
1244. चाय निगम की स्थापना	Setting up of Tea Corporation	66—67
1245. बेरोजगार इंजीनियरों के लिये प्रशिक्षण योजना	Training scheme for unemployed Engineers	67—68
1246. दिल्ली में एक जवान लड़के को देवी की बलि चढ़ाया जाना	Young boy sacrificed to Goddess in Delhi	68
1247. विधान सभाओं में दल बदली रोकने के लिये की गई कार्यवाही	Steps to prevent defections in Legislatures	68—69
1248. चण्डीगढ़ फैसले के पुनरीक्षण की मांग	Demand for review of Chandigarh Award	69
1250. पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र औरगुजरात से बम संघटको की तस्करी	Smuggling of Bomb ingredients into West Bengal from Maharashra and Gujarat	69—70
1251. संसद सदस्यों के पत्रों का मंत्रियों द्वारा उत्तर	Replies by Ministers to letters of Members of Parliament	70
1252. राज्यपालों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Governors	70—71
1253. दिल्ली के नगर पार्षदों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. inquiry against Municipal Councillors of Delhi	71
1254. राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of National Volunteer Force Personnel	71—72
1255. राज्यपालों का सम्मेलन	Conference of Governors	72
1256. बिजली की दरों में वृद्धि करने के लिये राज्यों को निर्देश	Instructions to States for increasing rates of electricity	72
1257. पोलैण्ड के साथ नया व्यापारिक करार	Fresh Trade Agreement with Poland	72—73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

1258. नागाओं द्वारा मारोंग के निकट मारे गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी	C. R. P. personnel killed by Nagas near Marong	73
1259. पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई हानि	Cyclone damage in West Bengal	74
1260. जापान को निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाना	Exploring prospects for exports to Japan ...	74–75
1261. भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था द्वारा निर्यातकर्ताओं को दिए गए सुझाव	Suggestions to exporters by Indian Institute of Foreign Trades ...	75—79
1262. राष्ट्रपति राज्य लागू होने के बाद से पश्चिमी बंगाल में हत्याएं तथा डाके	Murders and decoities in West Bengal since imposition of President's Rule ...	79–80
1263. पश्चिमी बंगाल पुलिस संघ को पुनः मान्यता देना	Restoration of recognition to West Bengal Police Association	80
1264. बेलग्रेड में भारत, युगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य मंत्री स्तर पर त्रिपक्षीय सम्मेलन	Tripartite Ministerial Conference of India Yugoslavia and UAR at Belgrade ...	80—81
1265. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कार्यवाही के परिणामस्वरूप नक्सलवादियों की गिरफ्तारी	Arrest of Naxalites as a result of action by CRP ...	81
1266. पारपत्रों की अवधि सम्पात हो जाने पर भी पाकिस्तानी राष्ट्रियों का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रहना	Pakistan nationals living in Uttar Pradesh and Rajasthan after expiry of their passports	81–82
1267. पूर्व योरपीय साम्यवादी देशों के साथ भारत का व्यापार	India's trade with East European Communist Countries.	82
1268. साम्प्रदायिक दलों की पहचान के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement by ex-Deputy Prime Minister for appointing an independent Tribunal for naming Communal Parties ...	82—83

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1269. कुछ देशों द्वारा संरक्षणात्मक टैरिफ लगाया जाना	Imposition of Protective Tariff by certain countries	83
1270. उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की नदियों में बाढ	Floods in rivers of district Unnao of Uttar Pradesh	83
1271. विदेशों में खादी तथा हैंडलूम को लोकप्रिय बनाना तथा उसका प्रचार करना	Popularisation and Advertisement of Khadi and Handloom in Foreign Countries	83—85
1272. कनाडा द्वारा राना प्रतापसागर विद्युत रिएक्टर के इंधन हेतु भारी जल की सलाई करने में असमर्थता व्यक्त किया जाना	Inability expressed by Canada to supply heavy water to fuel Rana Pratapsagar Power Reactor	85
1273. फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Federation of Indian Export Organisation held in New Delhi	85—86
1274. निर्यात नीति संकल्प का क्रियान्वयन	Implementation of Export Policy Resolution	86—87
1275. निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार परामर्शदात्री परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Trade Advisory Council for stepping up exports	87—89
1276. कूच बिहार जिले के निस्तापस्थान पर पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का उल्लंघन और पूर्वी पाकिस्तानी पुलिस द्वारा हावड़ा जिले के एक घर से एक लड़की का अपहरण किया जाना	Trepassing by Pakistanis into Nistarap in Cooch Behar District and pidnapping of a gir l from her house in Howrah District by East Pakistan Police	89—90
1277. नक्सलवादियों से सम्बन्धित भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) नाम से मुखपत्र "लिबरेशन" में चारू मजूमदार के प्रकाशित समाचार	News item published in Liberation a CPI(ML) Organ attributed to Charu Mazumdar regarding Naxalites ...	90—91

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1278. पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य को पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय को स्थानान्तरित करना	Transfer of Archaeological Survey to Tourism and Civil Aviation Ministry ...	91—92
1279. तमिल नाडु में तूतीकोरिन में भारी जल संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Heavy Water Plant at Tuticorin in Tamil Nadu	92
1280. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्राप्त मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के अनुमानित प्रतिवेदन	Estimate Reports of various projects of Madhya Pradesh received by Central Water and PowerCommission ...	92—93
1281. आयात व्यापार में राज्य ऐजेन्सियों के भाग में वृद्धि	Increased share of State Agencies in Import Trade	93
1282. रुई की सप्लाई	Supply of cotton	94
1283. व्यास परियोजना की लागत में वृद्धि	Increase in cost of Beas Project	94—95
1284. मैसर्स मोडेला वूलन्स मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा आयातित कच्ची ऊन के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into import of Raw Wool by M/s Modella Woollen Mills (P) Ltd.	95
1285. अधिकारियों की नियुक्तियों तथा स्थानांतरण सम्बन्धी सिद्धान्त	Norms for Postings and Transfers of Officers	95—96
1286. प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में सचिव समिति का प्रतिवेदन	Report of Secretaries Committee on the Reports of the Administrative Reforms Commission ...	96
1287. वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि	Increase in Public Sector Outlay in Annual Plan	96—97
1288. भारत यूनान करार की अवधि बढ़ाना	Extension of Indo Greek Trade Agreement ...	97
1289. विदेशों में भारत के संयुक्त उपक्रम	Indian Joint Venture abroad ...	97—99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1290. इस्पात के उत्पादों का निर्यात करने के लिए चयनात्मक आधार पर इस्पात का आयात	Import of Steel on Selective basis for exporting Steel Products	99
1291. चौथी योजना में परिशिष्ट के माध्यम से परिवर्धन	Additions to Fourth Plan by way of an addendum ...	99—100
1292. भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों को मुआवजा	Compensation to Rulers of former Indian States	100
1293. संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood for Union Territories	100
1294. मैसूर में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में योजनायें	Rural Electrification Schemes in Mysore State ...	100—101
1295. पोंग बांध पुनर्वास समिति की बैठक	Meeting of Pong Dam Rehabilitation Committe ...	101
1296. पांग (व्यास) बाध विस्थापित पुनर्वास समिति की बैठक	Meeting of Pong (Beas) Dam Oustees Rehabilitrtion Committee ...	101—102
1297. बिहार में एक नए संगठन अवामी तंजाम की स्थापना	Setting up of Avami Tanjam a new organisation in Bihar ...	102
1298. राज्य के मुख्य मंत्रियों को दंगाग्रस्त क्षेत्रों में दंडकर लगाने सम्बन्धी सुझाव के बारे में भेजा गया परिपत्र	Circular to State Chief Ministers re. imposition of Punitive Tax on riot affected areas ...	102—103
1299. ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification	103
1300. प्रशासन सुधार आयोग के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करना	Implementation of recommendations contained in Fourteenth Report of ARC ...	103—104
1301. हिन्दी और अंग्रेज़ी के प्रकाशन	Printing of Government Publications both in Hindi and English ...	104
1302. दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि	Increase in representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Administration ...	104

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1303. राजस्थान आणविक बिजली घर के लिए भारी पानी	Heavy Water for Rajasthan Atomic Power Station	... 104—105
1304. उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी का खोला जाना	Opening of a Regional Research Laboratory by CSIR in U. P.	105
1305. दिल्ली पुलिस स्टेशनों में स्टेशन हाऊस अफसरों की नियुक्तियां	Posting of S. H. Q's, in Police Stations at Delhi	... 105—106
1306. असम की राजधानी का शिलांग से स्थानान्तरण	Proposal for Shifting of Capital of Assam from Shillong	106
1307. आयात लाइसेंसों के प्रतिबन्धों में ढील	Relaxation in Import Licensing restrictions	107
1308. रेशम का निर्यात	Export of silk	107
1309. लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात एककों को कच्चे माल का आंवटन	Allocation of raw material to exporting units in Small Scale Sector	... 107—109
1310. लोक प्रशासन संस्थान द्वारा योजना आयोग के कार्य-करण के बारे में की गई टिप्पणी	Working of Planning Commission commented upon by Institute of Public Administration	109
1311. श्री बलदेव सिंह की मृत्यु	Death of Shri Baldev Singh	109—110
1314. कूच बिहार के सदर तथा तूफान गंज सब डिविजनों में बाढ़ ग्रस्त लोग	People affected by floods in Sadar and Tufangunge Sub-Divisions in Cooch Behar	110—111
1315. इलाहाबाद में आनन्द भवन पर कब्जा करने का प्रयास	Bid to occupy Anand Bhawan in Allahabad	111
1316. महत्वपूर्ण औद्योगिक लक्ष्यों में कमी	Shortfalls in Key Industrial targets	111
1317. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों का स्तर	Status of Hill Districts of Uttar Pradesh	... 111—112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1318.	परियोजनाओं और उपकरणों के लिए निगम की स्थापना	Setting up of a Corporation for Projects and Equipments ...	112
1319.	त्रिपक्षीय करार को न मानने के लिए बंगाल मिल मालिक एसोसिएशन का निर्णय	Bangal Mill Owners' Association decision to disregard the Tripartite Agreement	113
1320.	युगोस्लाविया के साथ व्यापार	Trade with Yugoslavia	113
1321.	उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें	Rural Electrification Schemes in Orissa	114
1322.	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति की प्रगति पर निगाह रखने के लिए संसदीय समति की स्थापना	Setting up of a Parliamentary Committee to watch pace of complete of ARC's Orientation recommendations	115
1323.	केन्द्रीय सरकार द्वारा लाटरी। रैफल चलाने का प्रस्ताव	Proposal to Start Lottery/Raffle by Central Government	115—116
1324.	पटसन के निर्यात के बारे में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सर्वेक्षण दल की सिफारिशें	Recommendations of USAID Survey Team on Jute Exports	116
1325.	भारत में चन्द्रमा पर उतरने वाले संगणकों का निर्माण	Manufacture of Moon Computers in India	116
1326.	भारत साधु समाज का कार्य	Role of Bharat Sadhu Samaj	116—117
1327.	साम्प्रदायिक दंगों, विद्यार्थी आन्दोलनों तथा आगजनी से हुई हानि	Loss suffered due to Communal Riots, Students' Agitation and Arson ...	117
1328.	उत्तर प्रदेश में साई नदी उठाऊ सिंचाई योजना के अधीन सींचा गया कुल क्षेत्र	Total area irrigated in U. P. under Sai River Lift Scheme	118
1329.	भारतीय फिल्मों का निर्यात	Export of Indian Films ...	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1330.	उत्तर प्रदेश में अधिकृत नियंत्रकों द्वारा कारखानों का चलाया जाना	Mills run by Authorised Controllers in U.P.	119
1331.	रुई निगम द्वारा आयात की गई रुई	Cotton imported by Cotton Corporation ...	120
1332.	फरक्का बांध से जल की प्राप्ति के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध	West Bengal's request for release of water from Farakka Barrage ...	120
1333.	ढली और गढ़ी वस्तुओं के पश्चिमी देशों को निर्यात की संभावनाएं	Possibilities of exports of castings and forgings to Western Countries ...	120—121
1334.	बिहार के लिए वार्षिक योजना	Annual Plan for Bihar	121
1335.	कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा पुलिस के असिस्टेंट सब इन्सपैक्टरों की हत्या	Killing of Police A.S. Is. in Calcutta by Naxalities ...	121—122
1336.	तमिलनाडू के मंदिर पुजारियों द्वारा पृथक झंडे की मांग	Demand for a separate flag by temple priests in Tamil Nadu	122
1337.	राज्यों में पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण के बारे में राज्य सरकारों को दिए गए निदेश	Directions issued to State Government re. attack on Policemen in States ...	122—123
1338.	सांख्यकीय किस्म नियंत्रण और परिचालन अनुसंधान में स्नानकोत्तर डिप्लोमा के लिए उम्मीदवारों का दाखला	Admission of candidates for Post Graduate Diploma in Statistical Quality Control and Operational Research ...	123
1339.	पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order situation in West Bengal ...	123—124
1340.	कच्चे माल की कमी के कारण निर्यात पर विपरीत प्रभाव	Adverse effect on exports due to shortage of raw material ...	124—125
1341.	बाढ़ से विनाश को रोकने के लिए दामोदर घाटी परियोजना के लिए आठ बांधों का निर्माण	Construction of eight dams for Damodar Valley Project to prevent destruction from floods ...	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1342.	पश्चिमी बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firing in West Bengal	125—126
1343.	पश्चिमी बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firing in West Bengal	126
1344.	कांगसावती सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता	Irrigation potential of the Kangsabati IrrigationProject ...	126—127
1345.	समाज विरोधी तत्वों के बारे में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का वक्तव्य	Statement by Commissioner of Calcuttat Police re. anti social elements ...	127—128
1346.	कॉफी बागान मालिकों को ऋण देना	Loans to Coffee Planters	128
1347.	नदी तलों में गाद जमा हो जाने से सिंचाई तथा कृषि पर कुप्रभाव	Silting of River Beds affecting irrigation and Cultivation ...	128—129
1348.	बिजूर और हल्लाडी योजनाएं	Bijur and Halladi Schemes	129—130
1349.	भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और संयुक्त समाजवादी दल में हुए संघर्षों और हत्याओं के बारे में घोष आयोग का प्रतिवेदन	Ghosh Commission Report into Murders and Clashes between C. P. I. (M) and S S.P.	130
1350.	त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापित करना	Setting up of a Jute Mill in Tripura	131
1351.	त्रिपुरा के नक्सलवादी नेताओं द्वारा सीमा पार करना	Crossing of border by Tripura Naxalite Leaders ...	131
1352.	मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डकैती और अपहरण के मामले	Cases of dacoities and kidnapping in Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P.	131—132
1353.	सांविधिक अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन करने के लिए विधेयक	Bill to constitute statutory All India Handloom Board	132

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1354. आनन्द मार्ग की गतिविधियां तथा वित्तीय संसाधन	Activities and financial resources of Anand Marg	132—133
1355. पतरातू ताप बिजली घर के निर्माण में प्रगति	Progress in construction of Pathratu Thermal Power Station	133—134
1356. विभिन्न राज्यों में नक्सल-पंथियों को गिरफ्तार करना	Arrest of Naxalites in various States	134
1357. पतरातू तापीय बिजली घर के निर्माण में कथित हानि	Reported loss on construction of Thermal Pathartu Power Station ...	134—135
1359. उत्तर केरल के के सरगोड में नक्सलवादियों का गुप्त प्रशिक्षण शिविर	Clanestine Naxalite Training camp in Kasargod, North Kerala	135
1360. सिलीगुड़ी जेल से नक्सलपंथी नेताओं का भाग जाना	Escape of Naxalite leaders from Siliguri Jail	135—136
1361. नलकूपों को बिजली की कम सप्लाई	Short supply of Power to Tube wells ...	136
1362. परमाणु शक्ति द्वारा बिजली का उत्पादन	Generation of Electricity through Atomic Power Stations	136
1363. खेल कूद की वस्तुओं का निर्यात	Export of sports goods	136—138
1364. नक्सलवादी द्वारा पिता को फांसी पर लटकाना	Naxalite hanging Father to death	138—139
1365. गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इंजीनियर समिति का प्रतिवेदन	Report by Expert Committee of Engineers of Ganga River Commission ...	139
1366. निर्यात कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने हेतु व्यवस्था	Machinery forre eviewing export performance ...	139
1367. पश्चिमी बंगाल में नेशनल वालंटियर्स फोर्स को समाप्त करना	Abolition of West Bengal National Volunteer Force	139—140

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q, Nos.	Subject	पृष्ठ/Page
1368. गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद	Narmada Water dispute between Gujarat and Madhya Pradesh	140
1369. सिगरेट तथा देशी सिगरेटों के निर्माण में काम आने वाले आयातित कच्चे माल का मूल्य	Value of imports of Cigarettes and raw materials used in indigenous Cigarettes...	140
1371. राज्य व्यापार निगम द्वारा संचित रबड़ भण्डारों की खरीद	Purchase of accumulated rubber stocks by STC ...	141
1372. राजस्थान तथा काश्मीर में पाकिस्तान की जासूसी गति-विधियां	Pakistani espionage activities in Rajasthan and Kashmir	141
1373. निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of inputs in export products	141—142
1374. केरल राज्य के मयन्नूर जंगलों में पाए गए विस्फोटक तथा घातक हथियार	Explosives and lethal weapons found in Mayannur Jungles in Kerala state ...	142
1375. कानपुर में न्यू विक्टोरिया मिल्स का कार्य-करण	Functioning of new Victoria Mills in Kanpur ...	143
1376. पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियां	Excess by CRP in West Bengal	143
1377. सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए पानी की दरों में वृद्धि	Increase in water Rates to meet Finances of Irrigation Projects	144
1378. इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात में उदारता बरतना	Liberalisation of Import of Raw Materials for Engineering Industry ...	144—145
1379. आणविक ऊर्जा आयोग द्वारा वैज्ञानिक पूल योजना के प्रश्न पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ असहयोग	Non cooperation by Atomic Energy Commission with CSIR on Scientists Pool Scheme ...	145—146

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1380. गण्डक, राजस्थान तथा पश्चिमी कोसी नहरें	Gandak, Rajasthan and western Kosi Canals	146
1381. नेपाल के करनाली पनबिजली परियोजना का विकास	Development of Karnali Hydro Electric Project in Nepal ...	147
1382. बिहार में जूट के मूल्यों में गिरावट	Fall of jute prices in Bihar ...	147—148
1383. दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों के साथ व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade with Hard currency Areas ...	148—149
1384. व्यास सतलुज लिंक परियोजना को पूरा करने की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of period for completion of Beas Sutlej Link Project	149-150
1385. चीन के साथ व्यापार संबंध	Trade Relation with China	150
1386. बिहार में सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilities in Bihar	150—151
1387. बरौनी, पथराटु आदि में भवन निर्माण पर हुए व्यय में भारी अन्तर	Wide discrepancy in building costs of Barauni Pathratu etc. ...	151
1388. रबड़ निगम की स्थापना	Set ting up of a Rubber Corporation	151-152
1389. व्यास बांध परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पंजाब सरकार पर अतिरिक्त भार	Additional burden on Punjab Government due to increase in the cost of Beas Dam Project	152
1390. छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में नक्सलवादी उपद्रव	Naxalite menace in Chhatisgarh (Madhya Pradesh)	152
1391. राज्य सरकार कर्मचारी समन्वय समिति की मान्यता समाप्त किया जाना	De-Recognition of State Government Employees Coordination Committee ...	152-153
1392. नक्सलवादियों द्वारा दुर्गा देवी की मूर्ति बनाने वालों को धमकी	Threat by Naxalites to sculptors making images of the Goddess Durga ...	153
1393. ग्राम्य स्वैच्छिक बल के सदस्यों द्वारा की गई निर्मम हत्या	Wanton murder committeed by village Volunteer Force Personnel ...	153

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्रा० प्र० संख्या S. Q. Nos,		
1394. मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of pay Scales of Manipur Employees	154
1395. मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को स्थाई करना	Confirmation of Manipur Government Employees	154—155
1396. मनीपुर में सिंचाई कार्य	Irrigation works in Manipur	155—156
1397. सुक्ता बांध योजना (मध्य प्रदेश) के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of Sukta Dam Scheme (Madhya Pradesh)	156
1398. मध्य प्रदेश की सुक्ता सिंचाई परियोजना	Sukta Irrigation project of Madhya Pradesh	156—157
1399. मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की गति	Rate of economic growth in Madhya Pradesh	157
1400. दिल्ली में शुष्क पत्तन	Dry Port in Delhi ...	157—158
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
दिल्ली के स्कूल शिक्षकों द्वारा वेतनमानों में संशोधन करने की मांग	Demand by Delhi school teachers for revision of pay scales	158—163
श्री कँवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ...	158, 159—160
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan ...	158—159, 160 161—162
नागपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा श्री कृ० मा० कौशिक के साथ तथा कथित दुर्व्यवहार किए जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege re. alleged manhandling of Shri K. M. Kaushik by Police at Nagpur Railway Station ...	163—171
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ...	171—172
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re. Question of Privilege (Querry) ...	172
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ...	173
68वां प्रतिवेदन	Sixty eighth Report ...	173

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मालीगांव (आसाम) में रेलवे मजदूरों द्वारा रेलवे के मुख्य कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. demonstration by Railway workers infront of Railway Headquarters office at Maligaon, Assam	173—174
श्री नन्दा	Shri Nanda	173—174
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1970 पुरा:स्थापित किया गया	Foreign Exchange Regulation (Amendmen) Bill Introduced	174—175
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance ...	175—176
अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill ...	176—178
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee	
श्री मंगरू उइके	Shri M. G. Uikey	...176,177—178
श्री कृ० मा०कौशिक	Shri K. M. Koushik	178
देश में तोड़-फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Subversive and violent activities in the country	178—193
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	178—179
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	179—182
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	182—183
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	183—184
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	184—186
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	186
श्री वि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	186
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	186
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	187
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	188

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	192—193
चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Industrial Production in Fourth Plan ...	193—196
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	193—195
श्री मं० र० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	195—196

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

17 नवम्बर , 1970 । 26 कार्तिक, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
XX	पंक्ति 7 पर `श्री नरेन्द्र कुमार सातवे `के स्थान पर `श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे `पढ़िये ।
13	पंक्ति 15 , `श्री रावदेव सिंह `के स्थान पर `श्री राजदेव सिंह `पढ़िये ।
18	पंक्ति 9 , `श्री रा.क.सिंहला `के स्थान पर `श्री रा.कृ. सिंहला `पढ़िये ।
40	पंक्ति 11 `श्री कृ.पा.कौशिक ` के स्थान पर `श्री कृ.पा. कौशिक `पढ़िये ।
93	पंक्ति 7 , `श्री प्र.के.देव `के पश्चात् `श्री रा.रा.सिंह देव ` भी पढ़िये :
96	पंक्ति 31 , `5.00 `के स्थान पर `4.00 `पढ़िये : और पंक्ति `32 `को हटा दीजिए ।
98	पंक्ति 9 , `मंत्री (श्री दिनेश सिंह ) के स्थान पर ` मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी.आर.कृष्णा) ` पढ़िये ।
171	पंक्ति 18 तथा 19 में `59 `के स्थान पर `89 `पढ़िये ।
181	पंक्ति 1 तथा 2 में अंक `40 `के स्थान पर `41 `पढ़िये ।
20	पंक्ति 29, `मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी.आर.कृष्णा `के स्थान पर `मंत्री (श्री दिनेश सिंह)`पढ़िये ।

लोक–सभा
LOK-SABHA

बुध वार, 18 नवम्बर, 1970/27 कार्तिक, 1892 (शक)
Wednesday, November 18, 1970/Kartika 27, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Two Minutes past Eleven of the Clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Demand by U.P. Government for Reconsideration of Fourth Plan

181. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have demanded reconsideration of the Fourth Five Year Plan, keeping in view the backwardness of the State ;

(b) if so, the details of the proposals made by the State Government ; and

(c) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) The State Government has asked for additional Central assistance of Rs. 181 crores for specific programmes and special accommodation of Rs. 52.47 crores estimated to cover the short-fall in State's own resources.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

(c) The entire Central assistance for State Plans has already been distributed among States in accordance with the formula approved by the National Development Council. There is unallocated amount out of which additional Central assistance could be made available.

There is no scope for the provision of additional assistance to cover estimated shortfall in the States own resources. Special accommodation has been made available to only those States which have non-plan gaps in resources. As Uttar Pradesh does not have any such deficit, it is not eligible for special accommodation.

Statement

(Rs. in crores)

A. Additional Central Assistance

Programme	*Outlays*
1. Roads and Bridges.	52.00
2. State Irrigation Works (Major, Medium and Minor)	87.50
3. Flood Control and Drainage	11.00
4. Land Reclamation.	12.00
5. Development of Urban Areas	18.50
Total	181.00

These outlays will mainly be used in providing additional irrigation facilities, roads, bridges etc. to the backward areas of the State. Flood Control measures relate to the eastern districts. Land Reclamation will doubly benefit the landless labour by providing them with both land and employment. Schemes under urban development will not only provide additional employment opportunities but will also help in relieving the hardships of the poorer sections by making available more civic amenities.

B. Special accommodation to cover the estimated shortfall in State's resources as a result of following measures :

(Rs. in crores)

(1) Payment of interim relief to employees of the State Government	25.00
(2) Similar relief to non-teaching staff in the teaching institutions	6.00
(3) Estimated loss on account of introduction of prohibition in new districts and towns	2.30
(4) Additional costs of enforcement of prohibition	0.07
(5) Remission of land revenue on uneconomic holdings (6.25 acres and below)	15.00
(6) Estimated loss on account of abolition of profession tax	2.00
(7) Introduction of the system fo payment of salary to teachers in the private schools through the Government treasuries	2.10
Total	52.47

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, the number of my question is 181 and the hon. Minister has stated in her written answer that Uttar Pradesh has demanded Rs. 181 crores. I was particularly surprised over her remark that there was no such difference in the progress or condition of U.P. as might be taken special note of.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister, of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : It has not been stated so.

Shri Raghuvir Singh Shastri: I want to ask whether it is a fact that during the first three Five Year Plans only 3/8 per cent of the total investment in the Public Sector had been made in Uttar Pradesh by the Government of India, whereas the share of Uttar Pradesh should have been at least 17 percent on the basis of the population ratio? Is it also true that even in the Fourth Five Year Plan no measures have been adopted to do away with this injustice because the Central Government have allotted an amount of Rs. 3500 crores in the industrial sector during the Fourth Five Year Plan for all the States, out of which an amount of Rs. 126 crores only has been allotted for Uttar Pradesh which comes to mere 4 per cent? Should the citizens of Uttar Pradesh take it for granted that this injustice, partiality and discrimination have been done to them not only during the last eighteen years but they would continue to be done during the next five years and will the citizens of Uttar Pradesh be satisfied only with this that the Prime Minister comes from Uttar Pradesh?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : महोदय, यह सही नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को केवल 136 करोड़ रुपये ही दिये गए। दूसरी तरफ उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के रूप में 526 करोड़ रुपये मिले और इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, you kindly ask the hon. Prime Minister to understand the question and then answer.

Shri Raghuvir Singh Shastri : During the first three Five Year Plans 3.8 per cent and during the Fourth Five Year Plan only 4 per cent of the total amount was given to Uttar Pradesh. I want to know the percentage of the amount being given to Uttar Pradesh by the Central Government, so that it can be known that no partiality is being done to us.

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : यह सही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत है परन्तु योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता जनसंख्या के आधार पर वितरित नहीं की जाती है। यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता कम हो रही है। दूसरी तरफ यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना को देखें तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के प्रतिशतता बढ़ रहा है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, I need your help. I have asked the hon. Minister the percentage of the Central assistance to be given to Uttar Pradesh in Fourth Five Year Plan. Why does she not reply to it so that the policy of the Government can be known and the injustice done to Uttar Pradesh may be remedied?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : सब राज्यों में से उत्तर प्रदेश को जितना प्रतिशत मिला, वह इस प्रकार है : पहली योजना, 11.6; दूसरी योजना, 10.9; तीसरी योजना 13.4; 1966 से 1969 तक यह 14.9 प्रतिशत था। चौथी योजना में यह 14.6 प्रतिशत है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Mr. Speaker, Sir, my question has not yet been answered. I want to ask again whether it is a fact that the Central Government spent Rs.

377 crores for power in Other States upto 1968-69 while not a single paisa was spent in Uttar Pradesh ; if so, whether the Central Government would give any assistance to Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan for the implementation of power generation schemes in order to undo the injustice and discrimination done with it in the past ? Besides there is a proposal of installing an Atomic Energy station for generating power in Uttar Pradesh. Would the Government remove the discrimination done so far with Uttar Pradesh by sanctioning that proposal ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : राज्य को इस बात का निश्चय करना है कि उसे विद्युत योजनाओं पर कितनी राशी व्यय करनी है। जहां तक केन्द्र का प्रश्न है (**व्यवधान**) मैं आणविक शक्ति संयंत्र के बारे में कहने जा रही हूं।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Mr. Speaker, Sir, she is side-tracking.

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए; धैर्य रखिए।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : केन्द्र राज्यों को सामूहिक रूप में सहायता देता है और उसे भिन्न भिन्न शीर्षों में बांटने का काम राज्यों का है। उत्तर प्रदेश में जहां तक आणविक शक्ति संयंत्र की स्थापना का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ओर से उसके लिए मांग की गई है तथा वह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

डा० राम सुभग सिंह : यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुदान में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा है और उसे योजना आवंटन उसकी आवश्यकता और अधिकार के अनुसार नहीं मिल रहा है। यह भी सही है कि वहां पर सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया है। जिसमें से विशेष रूप से छोटी सिंचाई का भी बहुत थोड़ा काम उन क्षेत्रों में हो रहा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक रूप से अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है तथा सामान्य रूप से समस्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

विद्युत सम्बन्धी प्रश्न के बारे में एक शब्द कहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य (कृषि) को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ इस मामले पर विचार करने के लिए प्रतिनियुक्त करने का, और योजना आवंटन में वृद्धि करने और विशेष अनुदान भी देने का जो कि योजना के अन्तर्गत नहीं आती हो, कोई प्रस्ताव है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के बारे में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता में हम पूर्णतया हिस्सा बटाते हैं...

एक माननीय सदस्य : अन्य राज्य भी पिछड़े हुए हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अभी हम एक विशेष राज्य के बारे में विचार कर रहे हैं। यदि मैं सभी राज्य पर चर्चा करती हूं तो उसका यह मतलब होता है कि मैं इस विशेष प्रश्न की सीमा के बाहर जाती हूं।

माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुये हैं, क्योंकि केन्द्रीय

सहायता के वितरण का निश्चय करने का काम केन्द्रीय सरकार का नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद् इसका निर्णय करती है। वहां सब मुख्य मंत्रिगण होते हैं। इससे पहले कि ये मामले राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष आयें, इन पर सब प्रकार से अधिकारियों, योजना आयोग के संघ सरकार के सदस्यों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच विचार कर लिया जाता है। धीरे-धीरे ये सहायता के मामले अधिक से अधिक राज्यों के विवेक के अन्तर्गत आते रहते हैं और कम से कम संघ सरकार के विवेक के अन्तर्गत रहते हैं।

श्री कमल नयन बजाज : निर्णय कौन करता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राष्ट्रीय विकास परिषद् को निर्णय करना होता है...

श्री रंगा : आप उसकी अध्यक्षता करती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं उसकी अध्यक्षता तो करती हूं परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्यों के निर्णय को मैं रद्द नहीं कर सकती। यदि मुख्य मंत्रियों में सामान्य मतैक्य हो जाता है तो निश्चय ही मैं यह नहीं कह सकती कि अमुक राज्य को कम अथवा अधिक मिलना चाहिये। उन्होंने कुछ माप दंड निश्चित कर रखे हैं और उन माप-दण्डों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

डा० राम सुभग सिंह जी ने पूछा कि क्या हम योजना आयोग के सदस्यों से राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलने को कहेंगे ? यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। हाल ही में, मेरे विचार से, एक सदस्य श्री पीताम्बर पन्त दो महीने पूर्व इन मामलों पर, जिनमें सिंचाई तथा अन्य मामले भी शामिल हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिये उत्तर प्रदेश में गये थे। यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और इन मामलों पर अग्रेतर चर्चा की जा सकती है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, all the three Prime Ministers of the independent India came from Uttar Pradesh, is it the reason that Uttar Pradesh is being neglected ? I want to ask two concrete questions.

The Planning Commission decided that special assistance would be given during the five years of 4th Plan to the States of Andhra, Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa, Rajasthan and West Bengal because it was feared that these states would be facing losses.

Assistance was given according to it. Uttar Pradesh was not included because Uttar Pradesh was not a deficit state. But I would like to know as to how Tamil Nadu was included among the states decided upon by the Planning Commission ? According to these papers of Planning Commission, a special grant of Rs. 22 crores, 82 lakhs was given to Tamil Nadu. I have no objection to giving assistance to Tamil Nadu. If Tamil Nadu can be helped by altering the decision of the Planing Commission, then why not Uttar Pradesh ? My second question is that there was discrimination with the Uttar Pradesh in the matter of assistance for flood and drought. Uttar Pradesh is a big State. Flood and drought occur there. During 1969-70 Central Government provided a grant of Rs. 2.40 crores to Uttar

Pradesh, Rs, 13 crores to Tamil Nadu and Rs. 53 crores to Rajasthan. In view of this, I want to know the difficulties for which the decision of the Planning Commission could not be altered for giving more assistance to Uttar Pradesh ?

Shri Kamal Nayan Bajaj : Three Prime Ministers had been from there and that is the only objection.

Shrimati Indira Gandhi : Amount of assistance to be given is decided according to some rules. Ways & means advance, recoverably during the Plan period can be granted to the states at times of difficulty. The figures regarding floods and droughts are not with me at present. As stated earlier, I think, a team of officers recommends the amount of assistance after visiting and consulting the state Governments. Besides, we also provide assistance in advance in times of difficulties. Assistance is provided according to the recommendations of the team of officers which later on visits the states, as the announcement was made in Gujarat and also inUttar Pradesh...**(Interruptions)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : This amount for Uttar Pradesh is very meagre, what is the answer to it ?

Shrimati Indira Gandhi : These figures are not with me at present. I will let him know after consulting the papers.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the question of Central assistance is connected with the inequality of states, I would like to know from the Prime Minister the per capita capital invested and assistance provided to the states including that provided by financial institutions, L. I. C., Banks etc. Correspondence in this behalf is going on with the Planining Commission for the last four-five years. The question relating to inequality of states can be solved only when a statement regarding per capita central assistance to states is placed on the table of the House. Only then it can be judged whether injustice was done to the U. P., eastern U. P. and its hilly regions. Will the Prime Minifter give its reply ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से सम्बंध नहीं रखता ।

Shri Madhu Limaye : I am asking the same. Mr. Speaker, what is meant by the central assistance ? Is the money invested in states not central assistance ?

अध्यक्ष महोदय : कृप्या इस पर पृथक प्रश्न पूछें । यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है । यह प्रश्न उत्तर प्रदेश तथा इसकी मांगों से सम्बन्धित हैं । लेकिन आप सारे देश की बात कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : This is quite related to this question. If the Prime Minister is not in a position to give immediate reply, she may assure that a statement regarding par capita central assistance given to the States will be placed on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : आप पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं । यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : We were doing correspondence with the Planing Commission. Figures regarding per capita income and expenditure should come.

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है, मधु लिमिये जी । यह प्रश्न उत्तर प्रदेश द्वारा पुन-विचार की मांग से सम्बन्धित है । आप एक पृथक प्रश्न द्वारा यह सब पूछ सकते हैं लेकिन इसके द्वारा नहीं ।

श्री मधु लिमये : मैंने हर चीज़ को ठीक ढंग से रखने की कोशिश की थी ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, the bank deposits of U.P. amount to 8% of the total amount and only four percent in all was given to it, whereas cent per cent loans were given to Bengal and Madras. Fristly, I want to know the reasons for this discriminations against the U.P. ?

Second thing which I want to know is that no branches of loan giving institutions like Industrial Finance Corporation, Industrial Development Board, Agriculture Re-Finance Corporation are there in Uttar Pradesh.

The Minister for Irrigation, Dr. K.L. Rao, is sitting here. The reasons for discrimination against the U.P. can be judged from the statement given by him some three or four days ago, that Rs. 33 crores were given to Punjab and Rs. 2 crores to U.P. for drainage scheme. You can judge from it the tape of step mother y treatment being meted out to U.P. I would like to know whether they are reconsidering the Fourth Five Year Plan with a view to meet the additional demand of U.P. and thereby remove these evils ?

Mr. Speaker : Increase it for U.P. but do'nt decrease the same for Punjab.

Shrimati Indira Gandhi : Mr. Sperker, we are having limited resources. Increase in some states will naturally mean decrease In other states.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Then increase the share of U.P.

Shrimati Indira Gandhi : Just now, he quoted an instance relating to irrigation. This subject concerns the states. How it depends upon U.P. to add the projects in its plan and increase the state resources. You must have read in today's newspaper that state resources have decreased. It rests with the State Government to make allocations and to increase resources. Centre is helpless in this sphere. At the most we can give advice.

Shri Madhu Limaye : Whether she is step-mother or daughter—there is no reply.

Shrimati Indira Gandhi : So far as Financial Institutions are concerned, the figures are not with me at present.

Shri Madhu Limaye : She may collect the same.

Shrimati Indira Gandhi : They can be collected, but I think we cannot lay stress on the same. As stated earlier also, frequent talk about step-motherly treatment is not good for this House, but such situations do arise sometimes. This is thing of the past. According to the modern psychology meaning step mother is the same as that of mother ... *(Interruptions)*

Shri Atal Bihari Vajpayee : She has admitted the fact of being a step-mother.

Shri Rabi Ray : She has admitted... *(Interruptions)*

Shri Kamal Nayan Bajaj : Has the Prime Minister stated that mother's treatment should be like that of step mother or it should be like that of mother ?

Shrimati Indira Gandhi : It should be like that of mother. But I am daughter not mother ?

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, you must have listened to my question. Instead of laying special emphasis on protecting the step mother, it would have been better had the Prime Minister discussed the fact that U.P.s. deposits in the Banks amount to 8 per cent whereas it is being given only 4 per cent. What steps will she take for making available to U.P. maximum possible loans ?

Shrimati Indira Gandhi : 1 have already stated that the figures regarding Banks are not with me at present. Secondlly, it is not Central Government which decides as to how much loan should be given by the Banks. Each Bank has its own board. They receive and consider the proposals

Shri Hukam Chand Kachwai : But it is in your hands.

Shrimati Indira Gandi : It is not in our hands. You people no doubt say that. We decide all these things but it is actually done by their boards. We prepared a criteria for them which was very essential.

अध्यक्ष महोदय : लकप्पा जी, उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहें, मैसूर की बात न करें ।

श्री क० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश गयीं, तो उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि चन्द्रभानु गुप्त नामक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश पर राज्य कर रहा है और इनके कार्य-काल में सारा उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? ये आरोप सदन से बाहर तथा अन्दर, दोनों ओर से हैं । जब वहां गयीं तो इन्हें ज्ञापन पत्र भेंट किया गया । इन्होंने वक्तव्य दिया कि श्री चन्द्र-भानु गुप्त के लम्बे राज्यकाल में उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है । उधर जाने पर इन्हें पूरी स्थिति के बारे में जानकारी हुई । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री ने लोगों के कष्ट निवारण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं यह नहीं जानती कि क्या छपा । मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा वक्तव्य दिया हो । फिर भी जो कुछ मैंने कहा और पृथक रूप से भी कहा कि दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य पिछड़े राज्यों में ऐसी पक्की बुनियादें नहीं बनाई गयीं जिससे ये राज्य तथा क्षेत्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें । यही कुछ हुआ भी । हमें अब इस पक्की बुनियाद को बनाने के लिए एकाग्रचित होकर काम करना चाहिए । इसी कारण कुछ क्षेत्रों ने प्रगति की है जबकि यही कार्यक्रम सब के लिए लागू है ।

श्री स० मो० बनर्जी : अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 180 करोड़ रुपये की मांग की है और विशेषकर 100 करोड़ रुपये की मांग उ० प्र० के कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता तथा वेतन देने के लिए मांगा गया ताकि उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बरा-बर वेतन आदि मिलें । इस मांग में व्यवसाय कर जिसकी घोषणा अभी हाल में हुई है तथा जिसे... के पहले सप्ताह से लागू किया जाना है, को हटाने से हुई कमी को पूरा करना भी शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य मूल प्रश्न से बाहर जा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : अन्य सदस्यों ने तीन-तीन प्रश्न पूछे हैं लेकिन मैं केवल एक ही पूछ रहा हूं ।

श्री पीलु मोडी : प्रश्न संगत नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह संगत है। इसका उल्लेख विवरण में है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ ये कहते है इनके अनुसार संगत है लेकिन मुझ इसके संगत होने का निर्णय अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने प्रश्न को विवरण पर आधारित कर रहा हूं। उन्होंने राज्य सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता तथा वेतनमान बढ़ाने के लिए 102 करोड़ रुपये की मांग की है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य फिर वेनतमानों की बात कर रहे हैं जो इनका प्यारा विषय है।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका उल्लेख विवरण में है।

श्री पीलु मोडी : यदि वे अधिक मांग रहे हैं तो उन्हें कम मिलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : उनकी व्यवसाय कर समाप्त करने तथा बिना लाभ वाली जमीन को भूराजस्व से मुक्त करने की योजना भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को इन प्रश्नों को किसी और समय पूछने की अनुमति दे सकता हूं। अभी यह संगत नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका उल्लेख विवरण में है, जो इस प्रकार है :—

"निम्नलिखित उपायों के फलस्वरूप राज्य के साधनों में होने वाली कमी के लिए विशेष व्यवस्था :

राज्य सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम भत्ते की अदायगी..."

इस शीर्षक के अधीन कुल 52.47 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने दूसरे मद को छोड़ दिया है।

श्री हेम बरुआ : ऐसा प्रतीत होता है कि आपने विवरण पढ़ा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इसे बढ़ाकर 180 करोड़ रुपये करेगी। व्यवसाय कर भी ये समाप्त कर रहे हैं। जिसका विरोध सभी कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं की इनकी 180 करोड़ रुपये की मांग क्यों अस्वीकृत की गई है और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां अधिक कारखाने क्यों नहीं खोले जा रहे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से जोड़ने के लिए इन्होंने इसमें काफी परिश्रम किया है। मेरे विचार में इनके बीच कुछ तालमेल है, इस लिए माननीय मंत्री को चाहिए की उत्तर दें।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका उल्लेख विवरण में है।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी खड़ी हुई...

अध्यक्ष महोदय : मैंने विवरण पढ़ लिया है। उनके मुंह से निकला हर विवरण उसी ओर जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे इस पर आपत्ति है। इसका उल्लेख विवरण में है। कृपया इसे पढ़ें। मेरी हर बात का मज़ाक न उड़ाइये। यह अच्छा मजाक नहीं यह एक बहुत ही कड़ा मज़ाक है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। उनका प्रश्न संगत नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह संगत है। कृपया विवरण पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खेद है कि यह संगत है। मैं सदन त्यागना चाहूंगा। यह उत्तर प्रदेश के साथ सौतेली मां का व्यवहार है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है। विवरण में यह भाग भी शामिल है। कृपया विवरण पढ़ें। अन्तरिम भत्ते के प्रश्न का वहां उल्लेख है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस और उस मद के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की है। कर्मचारियों को अन्तरिम भत्ता देने का उल्लेख भी विवरण में है। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूं? क्या यह विवरण में नहीं है? यदि हैं तो मेरे प्रश्न में किस प्रकार की असंगति है?

अध्यक्ष महोदय : एक पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने इसे भी ले लिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में कहा गया है कि कुल राशि 52.47 करोड़ रुपये की है। लेकिन मांग 180 करोड़ रुपये की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इसे देना चाहती है या नहीं। यदि हर बात उत्तर में आ गई तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या लाभ? हमारे प्रश्न पूछने का लाभ क्या है यदि इनके साथ ऐसा व्यवहार होता हो? मुझे बहुत खेद है। मैं सदन त्यागता हूं। यह उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें कई बार ये इस प्रश्न को पूछते आए हैं और मैं भी कई बार अनुमति देता आया हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में नहीं है। कृपया इसे समझें। वे राज्य सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना चाहते हैं। कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं— राज्य सरकारी कर्मचारी तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी।

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय यह प्रश्न पूछते हैं और मैं हर समय इन्हें बताता हूं कि इन्होंने यह प्रश्न कई बार पूछ लिया है। कल भी इन्होंने दोपहर के बाद यह प्रश्न पूछा था जब इसके लिये समय भी नहीं था। इसी प्रश्न के बारे में यदि मंत्री महोदय ने एक विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया है तो अधिक पूछना उचित नहीं। यह संगत नहीं है। फिर ये हमेशा मुझे डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं। मुझे यह पसंद नहीं। मैं इसे सहन नहीं करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : आपको डराने-धमकाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं चलेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : औचित्य के प्रश्न के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि यह असंगत कैसे है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं। यह मेरा निर्णय है । यह संगत नहीं है। मैं इन्हें आखिरी चेतावनी देता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस 'आखिरी चेतावनी' को नहीं समझ सकता। क्या मैं प्रश्न पूछने का हकदार नहीं हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। वे चाहे सदन त्यागें चाहे यहीं रहें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं सदन त्याग रहा हूं। यह मेरे साथ अन्याय है, यह उत्तर प्रदेश के छः करोड़ लोगों के साथ अन्याय है, जिसकी प्रधान मंत्री तथा हर मंत्री उपेक्षा करते हैं। आप भी इसके भागीदार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह बाहर जायेंगे ?

श्री रणधीर सिंह : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इनका व्यवहार बहुत गुस्ताखाना रहा है । मैंने इन्हें कई बार चेतावनी दी है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने क्या कहा और किया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें चेतावनी देता हूं कि यदि ये ऐसा ही करते रहे तो मैं इसे सहन नहीं करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ देर से ऐसा ही करते आ रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने क्या कहा और किया ?

श्री स० कुण्डू : क्या आप तथा माननीय सदस्य के बीच यह वार्तालाप बंद भी होगा ?

श्री कमलनयन बजाज : आप इन्हें कई बार चेतावनी दे चुके हैं। ये उस पर कोई ध्यान नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री रंगा : इन्हें सदन का समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कितनी देर से आप इन्हें चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सदन के नेता आपकी सहायता के लिये नहीं आते। यह शर्म की बात है। वह केवल प्रधान मंत्री ही हैं। इन्हें सदन का नेता नहीं होना चाहिये।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मंत्रालयों को आयातित कारों का आवंटन

*183. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि भारत सरकार के मंत्रालयों को स्टाफकार के रूप में उपयोग के लिए अब भी आयातित कारें आवंटित की जा रही हैं ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व भारत सरकार के मंत्रालयों को आयातित कारों का उपयोग न करने के सम्बन्ध में निदेश जारी किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा अब भी मंत्रालयों को उक्त आवंटन किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक मंत्रालय/स्वतन्त्र विभाग को, मंत्री के प्रयोग के लिये, राज्य व्यापार निगम से खरीदी गई आयातित कार रखने की अनुमति है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच नहीं है कि स्वर्गीय नेहरू तथा लालबहादुर शास्त्री ने यह आदेश दिये थे कि सारी 'स्टाफ कारें' स्वदेशी होनी चाहियें और किसी भी आयात की गयी कार का उपयोग स्टाफ कार के रूप में नहीं होना चाहिये ? साथ-साथ हम यह भी जानते हैं कि मंत्रियों के उपयोग के लिए कुछ कोटा राज्य व्यापार निगम से भी निश्चित किया जाता है। जनता को आयात की गयी कारों की सुविधा नहीं मिलती क्योंकि आयात शुदाकारों के लिये साधारण: परमिट नहीं मिलते। राज्य व्यापार निगम को भी लाभ नहीं पहुंचता क्योंकि स्टाफ कारों की वे नीलामी नहीं कर सकते। अत: क्या यह सच नहीं हैं कि सत्तारूढ़ दल के नरेश कर दाताओं की कीमत पर इस ऐश्वर्य का उपभोग नहीं कर रहे जिसके फलस्वरूप पंडित नेहरू तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री के आदेशों का उलंघन हुआ है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं थे। भूतपूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक पत्र अवश्य था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मंत्रालय में अधिक कारें नहीं होनी चाहियें, विशेषकर आयात शुदा कारें, जिसके फलस्वरूप यह

निर्णय लिया गया कि हर मंत्रालय में एक ही कार होनी चाहिये। मंत्रालय कारों का क्रय आरक्षित दाम पर करते हैं, जो तीन नीलामी दामों का औसत होता है। शेष कारें जनता को नीलामी के लिये होती हैं और कई लोग नीलामी के समय आते हैं और खरीदते हैं। उसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री प्र० के० देव : ऐसी शिकायतें लगातार आती रहती हैं कि इन कारों का उपयोग घरेलू कामों के लिए किया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि इन कारों का उपयोग घरेलू कामों के लिए न किया जावे ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं समझता कि ये कारें निजी कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। यदि लाई जाती हैं तो इसका इन्दराज लाग बुक में किया जाता है जिसकी अदायगी मंत्रियों को करनी होती हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार को यह बात नहीं खटकती कि मंत्रियों अथवा उनके मंत्रालयों द्वारा इनपोश मोटरकारों का ऐसी दशा में चलाना जब हम उन्हें नहीं बनाते, हमारे राष्ट्रीय अपमान को विज्ञापित करना नहीं है ? क्या सरकार को यह बात भी नहीं खटकती कि इस प्रकार के अवांछनीय कृत राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान के लिए घातक है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह केवल विचारों की अभिव्यक्ति है। इनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं। राष्ट्रपति भवन को छोड़कर सरकार के पास मुश्किल से 30,40 कारे हैं।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : ये संख्या ही नहीं बल्कि आकार में भी बड़ी हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that there are air-conditioned cars in some Ministries ? If so, whether the Government will take some decision in this behalf and issue directions to the effect that Ministers and their Ministries will use indigenous cars and not imported ones ?

Second thing which I would like to know is that how many imported and air conditioned cars are there with the Government and how many cars were purchased last-year ?

Shri L. N. Mishra : No new cars are there. All are old which are sold to S.T.C. by the Embassies. Before 1964 these cars could be sold to any body but later on it was decided that these cars should be sold to S.T.C. only. In this way, airconditioner of a airconditioned car not be removed. In addition, prices of the air-conditioned and other cars are different.

So far as the matter of number and taking back these cars is concerned, I have nothing to say at present except that S.T.C. do not lose In this bargain. A number of these cars are given to tourist organisations and others which are mentioned in the statement.

Shri Kanwar Lal Gupta : He has not stated the number of cars with the Government and the number of those purchased last year ?

Shri L. N. Mishra : He has not perhaps listened that in really to Shri P.K. Deos' question I stated that some 30 or 40 cars are with the Government.

Shri M. A. Khan : Is it a fact that maintenance charges of the Indian made cars as for instance Ambassador and Fiat Cars, are greater than those of the imported cars ?

Secondly, imported cars should not be confined to the princes only, others should also be allowed the opportunity of using these cars.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि इस बात पर प्रतिबंध है कि हर मंत्रालय में एक आयात शुदा कार होनी चाहिये। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी उपक्रमों के लिए भी क्या ये प्रतिबंध है ? उनके मामले में भी क्या कोई प्रतिबंध हैं ? यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों के पास लगभग कितनी ऐसी आयात शुदा कारें हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं कि एक मंत्रालय के पास केवल एक ही कार होनी चाहिये। सरकारी उपक्रमों के पास मुश्किल से 15-20 कारें हैं। अनेक सरकारी उपक्रम एम्बेसेडर आदि कारों का उपयोग करते हैं आयात-शुदा का नहीं।

श्री बलराज मधोक : मैं इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं। क्या वे इस वक्तव्य पर टिके रहने के लिए तैयार हैं ? क्या आपको वक्तव्य से तसल्ली है ? वह गलत वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने कहा कि ये सरकार के निर्देश थे। यदि किसी के पास एक से अधिक कार हैं तो मुझे मालूम करना होगा ताकि सदन को सूचित कर सकूं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं कि केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली विदेशी कारों का शौक राज्यों तक भी चला गया है और कुछ राज्य सरकारों के मंत्री भी विदेशी कारों का उपयोग करने लग गये हैं। यदि हां तो क्या राज्यों के मंत्रियों पर भी विदेशी कारें उपयोग करने सम्बन्धी प्रतिबंध लगाया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : केवल मुख्य मंत्री ही विदेशी कारें रख सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : और मंत्रियों के पास भी हैं।

श्री ल० ना० मिश्र: मैं नहीं जानता कि इन्हें यह सूचना कहां से मिली। लेकिन राज्य व्यापार निगम के अनुसार केवल मुख्य मंत्री ही रख सकते हैं।

रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों को निर्यात करने के लिए रूस के साथ करार

*185. **श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ एक ऐसा करार किया जाने वाला है जिसके अन्तर्गत रूस भारत स्थित रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में निर्मित उत्पादों को आगामी पांच वर्षों में आयात करेगा;

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन उत्पादों का कुल मूल्य कितना होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) और (ग). 1971-75 के दौरान सोवियत संघ को भेजे जाने वाले उत्पादों के ब्यौरे और मूल्य के सम्बन्ध में, भारत सरकार और सोवियत संघ की सरकार के प्रतिनिधिमंडलों के बीच निकट भविष्य में, होने वाली व्यापार वार्ताओं में विचार विमर्श करके उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

Shri Rabi Ray: I would like to know from the hon. Minister the name of the Public Sector Undertakings and the amount so far invested in them by the U.S.S.R. and the quantity of exports made by these undertakings ?

Shri L. N. Mishra: I do not have at present the complete details regarding Public Sector investments but an agreement for investments of Rs. 525 or 530 crores with them was made last time and the amount is likely to be more for the next year.

Shri Rabi Ray: My second question is as to whether the hon. Minister has paid attention towards the recommendations of Committee on Public Undertakings regarding Bakaro Steel Plant, in Bokarso Steel-Plant, I think, the investment of the Soviet Union is the largest one. I would like to quote the recommendations of the Committee :

"The Committee are not happy to know from the Chairman of Bokaro Steel and the Secretary of Bokaro Steel that they were more or less compelled to accept the position because they were obliged to do so by the country giving foreign aid."

I would like to know whether the attention of the Government has been drawn towards the largest investment by Soviet Union in Bokaro Steel Plant and the criticism of the matter by the Committee on Public Undertakings. What remedial measures have been adopted by the Minister of the Government of India in this regard ?

Shri L. N. Mishra: Bakaro Steel Plant comes under the Ministry for Steel. It is a fact that Bokaro Steel Plant is lagging behind but the Minister for Steel is trying to improve the position. I had meeting yesterday, with the Managing Director and Chairman of the Plant, they have informed me, that the position is improving.

Shri Bal Raj Madhok: Is it a fact that the cost of Production of the Plants established with Russian collaboration is more as compared with others because of the old type of machines and non consumption of product material in India ? The Rails and structurals manufactured at Bhilai are not consumed in India and are purchased by Russia even below their cost price. Does it not affect the economy of the country ? In future, whether the Government, while entering into collaboration with Russia, will see to it, that it is done only in the interest of India and not in the interest of Russia only ?

Shri L. N. Mishra: In each trade agreement and pact with foreign country the interest of the nation is always kept in mind and Russia is no exception to that the hon. Member

should believe that the some practice is followed while making agreements with Russia. We always look to the maximum naturnal gains. Our export to Russia has increased and the import reduced proportionately under the same policy.

As regards Bhilai, I do'nt know whether we are selling its products below production cost. So far as I know we are setting our deffered payments basis in Rupees in order to have maximum in trade opportunities but we are not going in loss even so far as Russia is concerned.

श्री बलराज मधोक : उन्होंने गलत कहा है। हम रेल तथा स्ट्रक्चरल्स लागत मूल्य से भी कम पर रूस को दे रहे हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : यदि आपको पता नहीं है तो इसकी जांच पड़ताल कराइए और पता करिये। गलत बात मत कहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : वैदेशिक व्यापार मंत्री होने के नाते मुझे इतना पता है कि हमें गत तीन वर्षों के दौरान रूस के साथ किये गये किसी भी सौदे में घाटा नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : मंत्री महोदय ने कहा है कि इससे हमारा आयात 500 करोड़ रुपये से भी अधिक का होगा। आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या हैं और क्या इन वस्तुओं का देश में निर्माण नहीं किया जा सकता, क्या कुछ ऐसी वस्तुयें हैं जो हमारे देश में तैयार की जा सकती है परन्तु हम उनका आयात कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो ऐसी वस्तुओं का आयात करने के बजाय उन्हें स्वदेश में तैयार कराने के हेतु क्या सावधानी बरती गई है।

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे आयात में अधिकांशत: इंजीनियरी की वस्तुयें, मशीनें, संयत्र आदि हैं यह कहना कि इन्हें देश में तैयार किया जा सकता है और फिर भी हम इनका आयात कर रहे हैं गलत है। इस प्रकार का कोई भी सौदा करने से पहले व्यापार तथा विकास के महानिदेशक से स्वीकृति लेनी होती है। केवल तभी जब ये वस्तुए स्वदेश में उपलब्ध नहीं होती हम मशीने प्लान्टस तथा अन्य सामग्री विदेशो से खरीदते हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब स्वदेशी उत्पादन से आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। मैंने अगला प्रश्न करने के लिए कहा है ।

Development of Backward Areas in Madhya Pradesh

*187 **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh had submitted any proposal to the Planning Commission in 1967 for the development of backward areas by constructing bridges and roads in such areas ; and

(b) the amount of assistance asked for by the State Government for this purpose since then a-d the amount of financial assistance given to the State Government ?

The Minister of State (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir. As stated by the Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport in the last Session of Lok Sabha in reply to Unstarred Question No. 4421, in July 1967 the Government of Madhya Pradesh sent proposals to the Planning Commission for development of roads in the backward areas of eight districts of Madhya Pradesh.

(b) The State Government did not ask for any specific Central assistance outside the State Plan for these roads. These roads are local roads and the State Government are, therefore, primarily concerned with their development under their regular plan programme.

Shri Hukam Chand Kachwai : It was stated in the proposal submitted by Madhya Pradesh Government to Planning Commission in 1967 that the financial assistance received from the centre would be spent on the development of the backward eight districts. I would like to know whether the Government is considering the proposal ? Madhya Pradesh is a backward area. And having in view its backwardness how much amount has been sanctioned for the coming plans for development purposes ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : राष्ट्रीय राजपथों के लिए भारत सरकार उत्तरदायी है । चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास के लिए लगभग 866 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है । इसमें से, राज्यक्षेत्र में मध्यप्रदेश को 25.50 करोड़ रुपया मिला है । यह पूर्णतया राज्य सरकार का कार्य है कि वह यह देखें कि राज्य के अन्तर्गत भी सड़कें आती हैं राज्य की योजना के अनुसार उनका विकास हो रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : There are certain Highways in Madhya Pradesh and the responsibility for it rests with the Centre. Development of these highways has also been demanded. There are certain roads and the complete responsibility of their development etc. is with Centre and these roads are often blocked in rainy season. Construction of bridges is required over these roads. Having this position in view, whether any special provision of financial assistance would be made available for the purpose ?

Shrimati Nandini Satpathy: As I have stated, the amount required for the construction and development of the highways would certainly be made available by the Centre.

Shri Ranjit Singh: State Governments at times ask for Central assistance for their plans and at times Centre provides financial assistance to particular backward areas. Madhya Pradesh Government has prepared this plan specially for backward areas and the Central Government's refusal to accept it on the plea that this is not a plan of Central Government, and its responsibility rests with the State Government is not correct. I would like to know about the assistance Centre is going to provide for the development of backward areas and specially of Madhya Pradesh ? Is it not a fact that the Central Government provides such a help to certain areas like the help recently given to Uttar Pradesh, though it was given for a particular area and has been spent on another area ? I would like to know the name of the places to which such assistance has been provided by the Centre and whether the assistance would also be given for the backward areas in Uttar Pradesh ?

श्रीमती नन्दिनी शतपथी : यह प्रश्न मध्यप्रदेश की सड़कों के विषय में है पिछड़े क्षेत्रों के

विकास के बारे में नहीं। जहां तक सड़कों के विकास का सम्बन्ध है यह सच नहीं है कि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, विभिन्न राज्यों को योजना के अनुसार सहायता दी जाती है और मध्यप्रदेश को उसका भाग दे दिया गया है। परन्तु जब केन्द्रीय सहायता दी जाती है तो यह निश्चित नहीं किया जाता है कि यह अनुदान केवल सड़कों के लिए ही है। विभिन्न राज्यों को एक मुश्त राशि दे दी जाती है। यह कार्य राज्य सरकारों का है कि वे योजना बनाकर धनराशि व्यय करें और यह देखें कि पिछड़े क्षेत्रों का समुचित विकास किया जा रहा है।

श्री पे० वेंकटा सुब्बया : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें जैसे पंजाब सरकार राजमार्ग बनाने का कार्य आरम्भ कर रही है। यदि ऐसा है, तो क्या भारत सरकार ऐसे राज्यों को जो राजमार्ग बनाने का कार्य आरम्भ कर रहे हैं वित्तीय सहायता देगी ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : जहां तक राजमार्गों तथा अन्य सड़कों का सम्बन्ध है हम राजपथों का विकास कर रहे हैं। जहां पर ये साधन उपलब्ध हैं वहां हम दोहरी सड़कें बना देते हैं। यही हमारा कार्यक्रम है। राजपथों के लिए हम पूरी सहायता दे रहे हैं। राज्य की सड़कों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

Cabaret Dances in Delhi Hotels

***188 Shri Raj Deo Singh :**

Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state·

(a) whether Government are aware that in many hotels in Delhi nude women are made to perform dances in the name of Cabaret dances ;

(b) whether such performances have been banned in the hotels in Madras and Bombay by the State Governments concerned ;

(c) if so, whether Government propose to ban such nude dances in the hotels of Delhi as well ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State in the Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K.C. Pant) : (a) It has been reported that Cabaret shows, which might be regarded as objectionable, are held in certain hotels and restaurants in Delhi.

(b) It is reported that rules have been framed under Madras City Police Act to regulate such performances. In Bombay, hotels have agreed to adopt certain code of conduct for Cabaret performances.

(c) and (d) The Delhi Administration are examining whether such performances could be regulated.

Shri Raj Deo Singh : May I know from the hon. Minister the date since when Cabaret dances started in the country ?

Shri K.C. Pant Cabaret dance, in its modern sense, might have begun recently but I cannot say, what t was in ancient days ?

Shri Raj Deo Singh : Does the Government propose to ban this type of dance in the country as a whole ?

Shri K.C. Pant : Yes Sir, the Goverement propose to ban such performances in certain States. As I have said just now that in Madras rules regarding the matter exist even today and in Bombay, hotels and Restaurants have adopted a code of conduct for Cabaret performances. In certain states like Assam, Bihar, Haryana. Jammu and Kashmir, Nagaland, Punjab, Rajasthan. Meghalya, Union Territory, Dadar and Nagarhaveli, Himachal Pradesh, Pondicherry, Nepha, and Manipur etc. There are no Cabaret performances, therefore they do not require such rules.

श्री म० ला० सोंधी : राज्य मंत्री ने सदन में ठीक प्रकार से सूचना नहीं दी है क्योंकि मुझे ज्ञात है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस इसे बम्बई पुलिस अधिनियम के अनुरूप चलाना चाहती है। परन्तु एक मंत्री ने उपायुक्त को ऐसे अनुदेश दिये हैं कि बम्बई पुलिस अधिनियम को यहां पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वह मंत्री कौन है ?

श्री म० ला० सोंधी : विशेष रूप से राजदूत होटल में नग्न कैबरे प्रदर्शन होते हैं और वहां पर अक्सर लोग मदिरा पीकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। पुलिस को कोई कार्यवाही करने से ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों ने रोका है। इस क्षेत्र में व्यापक असंतोष है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है आप इस मामले की ओर ध्यान दें। संसद के निकट एक योगाश्रम हैं और वहां पर नग्न नृत्य होते हैं। मुझे मेक्सिकों की एक महिला से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि उसे विश्वायतन आश्रम के प्रबन्धक के द्वारा विष खिलाया गया था। मैं आप से यह आश्वासन चाहता हूं कि मामले को दबाया नहीं जाएगा। मेरे पास लिखित रूप में शिकायत है, कृपया आप इसे पढ़े :—

"I Gloria Torres, 30 years of age, certify and declare, being in the right use of my senses that I suspect my having received some poisonous substance while staying in Vishwayatan Ashram in Parliament Street. I furthere believe that the substance was arsenic combined with some kind of Chinese root. The substance was staining my hair blacker··· I suspect the manager's hand in giving the poison in a piece of morsel which gave me afterwards a vomitting sensation, I also suggest the investigation of the possible disappearance of one girl from Europe who, I believe was formerly staying at the Ashram."

इस पर ग्लोरिया टोरस के हस्ताक्षर हैं। कैबरे नृत्य की ओट में बहुत से विदेशी जासूस तथा ऐजेन्ट यहां कार्य कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्लोरिया टोरस से सम्बन्धित इस घटना विशेष की जांच करायी जायेगी, वह मेक्सिको की राष्ट्रिक हैं, उन्हें जहर दिया गया है। श्रीमन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें एक भोली-भाली विदेशी लड़की फंसी हुई है। राजदूत होटल के निर्माण के समय यह आश्वासन दिया गया था, परन्तु अब वहां पर योग तथा मनोरंजन के नाम में वहां क्या नहीं होता है। मेरे विचार से मेक्सिको दूतावास उसे देश से बाहर भेजने का प्रयत्न कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे एक नई समस्या की जाँच कराने के लिये कहा गया है। हर काम के लिए अध्यक्ष को कहा जाता है। प्रश्न दिल्ली के होटलों से सम्बन्धित है न कि योगाश्रमों से। यदि योगाश्रम के विषय में किसी प्रश्न का नोटिस दिया गया है तो उस पर भी सदन में चर्चा की जायेगी परन्तु इस प्रश्न के अन्दर यह विषय नहीं लिया जा सकता है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मुझे बिल्कुल भी यह पता नहीं कि उत्तर क्या देना है क्योंकि मुख्य प्रश्न में यह विषय नहीं आता है।

श्री म० ला० सोंधी : राजदूत होटल के बारे में बताइये और जिसे एक केन्द्रीय मंत्री संरक्षण दे रहे हैं। ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतया माननीय सदस्य रोष में हैं मेरी बात की ओर वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री तथा मैं दोनों में से कोई भी प्रश्न को नहीं समझ सके हैं।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न का पहला भाग पूर्णतया संगत है।

Shri Kanwar Lal Gupta : This is a serious problem, particularly for Delhi.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक राजदूत होटल का सम्बन्ध है, 1967, या 1968 में दिल्ली प्रशासन तथा होटल अधिकारियों के मध्य बातचीत हुई और कैबरे नृत्य बन्द कर दिया गया परन्तु बाद में...

श्री म० ला० सोंधी : होटल अधिकारियों ने मास्टर प्लान का उल्लघंन किया। मुझे मालूम है आपको सही तथ्यों का पता नहीं है। इस होटल में ठहरने वालों को पता है कि होटल के आस-पास के घरों में क्या हो रहा है उन लोगों में बहुत बड़ा असंतोष है क्योकि इस होटल में ठहरने वालों के द्वारा उनके एकान्तर जीवन में बाधा पड़ती है। यह समृद्ध वर्ग का एक सामाजिक रोग है जो हमारे देश में फैला हुआ है। एक नये वर्ग का जन्म हुआ है जो इसमें लगा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमन् मैं संसद का एक जागरूक सदस्य हूं, आपको मेरे लिए कुछ उदार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए उदार हूं। परन्तु आपने कुछ सदस्यों के बारे में कहा है कि वे एसी जगह जाकर कैबरे नृत्य देखते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं एक बात यह और कहना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने कुछ मंत्रियों को इससे सम्बद्ध बताकर उन पर लांछन लगाया है। मैं इस बात का खंडन करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : We should have some remedial measures to check this disease. This is spreading fast and corrupting our youth.

Shri Shashi Bhushan: The Hotel, which does not pay any subscription to these

people is vehemently opposed by them like this. This is not the way. What do they think of the House ?

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION.

भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर

अ० सू० प्र० संख्या 1. **श्री श्री चन्द गोयल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर अपनी सामान्य ऊंचाई तक बढ़ गया है ।

(ख) यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी है;

(ग) इस कमी से सिंचाई तथा विद्युत पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के सम्बन्ध में की गई कटौती को पूर्णतः बहाल कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसे बहाल करने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भाखडा जलाशय का जल स्तर 1680 फुट के सामान्य पूर्ण जलाशय स्तर के प्रति इस वर्ष अधिकतम 1627.22 फुट तक पहुंचा ।

(ख) इस वर्ष जो जल-संचय हुआ वह जलाशय की सामान्यपूर्ण क्षमता से लगभग 35% कम है ।

(ग) जून, 1971 को समाप्त होने वाली रिकतीकरण अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन और सिंचाई जल में लगभग 35% कमी होने की संभावना है ।

(घ) विद्युत की कमी को दिल्ली और सतपुड़ा ताप केन्द्रों से विद्युत प्राप्त करके और डीजल उत्पादन यूनिट लगाकर दूर करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

(ङ) जी,नहीं । पंजाब राज्य में इस समय लगभग 10% बिजली की कटौती की जा रही है ।

(च) भाखड़ा से बिजली के उत्पादन में कमी के अगली मानसून तक जारी रहने की संभावना है ।

श्री श्री चन्द गोयल : मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर गत वर्ष की अपेक्षा 53 फुट नीचे है और उसके परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए विद्युत

तथा पानी की 35 प्रतिशत कमी रहेगी। इसीलिए घरों तथा उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली बिजली में कटौती करनी पड़ी है। पंजाब और हरियाणा में बहुत से छोटे उद्योग हैं। यही उद्योग इस कटौती से अत्याधिक प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि यह कटौती औद्योगिक एककों पर भी लागू होती है। इनमें से कुछ एकक अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहें हैं और बहुत से श्रमिकों को काम से हटाया जा रहा है और आने वाले तीन या चार वर्षों में विद्युत की मांग दुगुनी हो जाने की संभावना है; इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह बिजली को बचाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? उदाहरणार्थ, क्या सरकार विवाहों तथा अन्य ऐसे समारोहों के अवसरों पर प्रदर्शन तथा सजावट आदि के लिए प्रयुक्त की जानेवाली बिजली पर कोई रोक आदि लगाने का विचार कर रही है? दूसरे, क्या सरकार दिल्ली और सतपुरा से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास कर रही है? हर बार यही उत्तर दिया जाता है कि हम तापीय विद्युत संयंत्र से कुछ बिजली प्राप्त करेंगे, इसीलिए मैं यह यह भी पूछना चाहता हूं कि सतपुरा, दिल्ली और बदरपुर के तापीय विद्युत संयत्रों की स्थिति क्या है; वे कब तक पूर्ण हो जायेंगे और कब उनसे बिजली मिलनी आरम्भ हो जायेगी?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): यह ठीक है कि पानी की कमी के कारण बिजली की कटौती करनी पड़ेंगीं, परन्तु अभी केवल पंजाब में 10 प्रतिशत के अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की गई हैं। यह कटौती भी केवल इसलिए की गई हैं कि इन जलाशयों का संचालन हमने सिंचाई के लिए किया है, और सिंचाई को ही हम अधिक से अधिक बिजली दे रहे हैं। अभी हमें विद्युत काफी मात्रा में उपलब्ध है परन्तु जब 10 दिसम्बर, से सिंचाई की मांग कम हो जायेगी, हम जलाशय के जल को बचायेंगे और इसीलिए विद्युत कम होगी, और निश्चय ही उसकी कमी हमारे समक्ष आयेगी। ऐसी संभावना है कि हमें प्रतिदिन 30-40 लाख यूनिट बिजली कम मिलेगी। परन्तु हमें आशा है कि दस लाख किलोवाट को छोड़कर, अन्य कमी पूरी कर लेंगे। इस कमी को पूरा करने के लिए हम एक ओर तो नंगल-उर्वरक कारखाने की खपत में कमी करेंगे और दूसरी ओर सतपुरा और दिल्ली से विद्युत का उत्पादन बढ़ा देंगे। इसी महीने की 26 तारीख को हमने सभी सम्बद्ध लोगो की एक बैठक बुलाई है जिसमें इसके सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार किया जायेगा और यह निर्णय किया जाएगा कि 10 दिसम्बर से आरम्भ होने वाले अगले छः महीनों के कठिन समय में बिजली की कमी को कम से कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि बिजली की लागत कम की जाए, इस प्रश्न पर भी हम उसी समय विचार करेंगे। निश्चय ही उस समय कटौती करनी पड़ेगी।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि यह पूरी कब होगी। हमने बहुत सी परियोजनाएं आरम्भ कर रखी हैं जो कि अब पूर्ण होनेवाली हैं। 1972 से 1973 तक बदरपुर और राणाप्रताप-सागर आदि पूर्ण हो जायेंगी। उत्तरी प्रदेश तथा उससे सम्बद्ध इलाके के लिए 10 दिसम्बर से आरंभ होने वाले 6 महीने ही सबसे कठिन समय के होंगे।

श्री श्री चन्द गोयल: श्रीमान जी, इसी कटौती को लागू करने के फलस्वरूप ही आटे की चक्कियां तक बंद कर दी गईं और चण्डीगढ़ में उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करने दिया गया। जब मैंने प्रशासन से इस सम्बन्ध में जांच की, तो मुझे मालूम हुआ कि चंडीगढ़ को

बिजली का पूरा कोटा नहीं दिया गया हैं। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत कोटा चंडीगढ़ के लिए मंजूर किया गया है, वह उसे दिया जाएगा ताकि औद्योगिक एकक सुचारू ढंग से कार्य कर सकें।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप भाखड़ा कम्पलैक्स पर दामोदर घाटी निगम के अनुरूप ही कुछ आकर्षक पर्यटक सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि अब भाखड़ा देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आने लगे हैं। मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था कि दामोदर घाटी निगम ने पर्यटकों के आकर्षण के लिए काफी सुविधायें जुटा रखी हैं। वहां चार रुपये प्रतिदिन पर एक अच्छा बंगला मिल जाता है। दो रुपये पचास पैसे में अच्छा खाना मिल जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप भी कोई इस प्रकार की सुविधायें जुटाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब भाखड़ा एक अच्छा पर्यटक आकर्षण बन गया है।

डा० कु० ल० राव : अभी तो चण्डीगढ़ में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी हम पूर्ण मांग के अनुसार ही बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि आटे की चक्कियां इससे किस प्रकार प्रभावित हुई हैं। परन्तु मैं 10 दिसम्बर के बाद यह बात नहीं कह सकूंगा। 10 दिसम्बर के बाद तो सभी प्रकार की बिजली की सप्लाई में कटौती की जायेगी। निस्संदेह चण्डीगढ़ को उसका उचित हिस्सा दिया जायेगा।

पर्यटक आकर्षणों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह ठीक है। भाखड़ा को अभी तक केवल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ही जाते हैं। मेरा विचार है कि इसे अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिये। मैं पर्यटन मंत्री से इस बात पर विचार करने के लिए प्रार्थना करूंगा।

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या यह सच है कि भाखड़ा जलाशय में बहुत अधिक रेत जम गई है और इसी के परिणामस्वरूप जलाशय की अधिक पानी जमा करने की क्षमता कम हो गई है जिससे कि बिजली तथा विद्युत के उत्पादन में भी कमी हुई है और यदि हां, तो आपको यह पहले पता क्यों नहीं चला कि इस प्रकार रेत जम जायेगी और रेत को न जमने देने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ? अब जलाशय की रेत को निकालने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि काफी पानी का संग्रह किया जा सके और हमें बिजली तथा विद्युत उचित मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

डा० कु० ल० राव : रेत जमने के कारण भाखड़ा के पानी में कोई कमी नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि इस वर्ष सतलुज नदी में पानी बहुत कम रहा है। रेत भावी सौ वर्षों में भी भाखड़ा जलाशय में एकत्रित नहीं होगी। जलाशय की आयु का अनुमान 350 वर्ष का है। अभी तक जिस गति से रेत आई है, उससे तो ऐसा लगता है कि अगले 100 वर्षों में भी भाखड़ा जलाशय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इस समस्या के प्रति पूर्णतया जागरूक है। इसीलिए हम तब तक एक नया बांध बना लेने पर विचार कर रहे हैं ताकि रेत समाप्त की जा सके और अधिक विद्युत पैदा की जा सके।

Shri Meetha Lal Meena : I would like to know from the hon. Minister as to how the lower water level, the cut which is being effected in irrigation water and power is going to affect various States and specially how much cut is likely to be made in irrigation water and power of Rajasthan ?

डा० कु० ल० राव : रबी फसल के लिए पानी की कुछ कमी होगी। यह कटौती तीनों ही राज्यों में दी जाने वाली सप्लाई की अनुपात के अनुसार ही की जायेगी।

Shri Meetha Lal Meena : How it is likely to affect the supply of electricity.

Shri Randhir Singh : There have been so many breakdowns in the electricity to Punjab and Haryana from Bhakra. The tube-wells and small industries have been badly affected by it. I would like to know from the hon. Minister as to what steps are being taken by the Government to avoid these breakdowns ?

The Bhakra water rates which are charged from the farmers are not only the highest in the country, but highest in the world. These are Rs. 4.50 per hour and in one hour one Bigha of land is irrigated. Thus Rs. 175 are charged for irrigating one acre of land. Probably farmer does not earn that much. I would like to know as to what is being done to revise these rates ? The areas of Fazilka and Abohar are likely to be transferred to Haryana. Bhakra water is being provided to these areas. The supply of water to these areas has been curtailed which has blocked their development. What steps are being taken to ensure that no cut in water supply is imposed and these areas continues to develope properly ?

डा० कु० ल० राव : समय-समय पर बिजली के बंद होने के बारे में तो मुझे पता है, परन्तु बिजली पूर्णत: बन्द रही हो, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह मुझे कोई इस प्रकार का विशेष उदाहरण दें, फिर मैं उसकी जांच करूंगा तथा हरियाणा बिजली बोर्ड को इसका कारण बताने का निर्देष दूंगा। हरियाणा की व्यवस्था में तो बिजली बन्द नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि माननीय सदस्य मुझे इस का कोई ब्यौरा देगें तो मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा।

पानी की स्थिति सुधारने का कार्य राज्य सरकार का है। भाखड़ा में एकत्रित किये गये पानी के लगभग 45.8 प्रतिशत भाग का आवंटन राज्य सरकार को कर दिया गया है और इस का विनियमन करना राज्य सरकार का कार्य है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, the issue of Bhakra Water level is directly related with Beas Project about which many questions were asked last year. Will the hon. Minister tell about the progress of the Beas Project ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यदि व्यास और सतलुज को किसी तरह जोड़ दिया जाता तो भाखड़ा में पानी की कमी न होती। मैं उनसे सहमत हूं। हम जितनी जल्दी यह परियोजना पूरी करेंगे, उतनी अधिक स्थिरता आयेगी और इस प्रकार की कमियां समाप्त हो जायेगी। मुझे आशा है कि यह परियोजना 1973 तक चालू हो जायेगी।

श्री स० कुण्डू : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि भारत के कई इलाकों में फालतू बिजली है और क्या वह औद्योगिक विकास मंत्री से इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि

वह बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कुछ उद्योगो का इन इलाकों में स्थानांतरण कर दें।

दूसरे, राष्ट्रीय ग्रिड व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : यदि हम सम्पूर्ण भारत को दृष्टिगत रखते हुये विचार करें तो भारत में विद्युत की कमी है वास्तव में यह और भी दुःख की बात है कि चौथी योजना के अन्त तक विद्युत की यह कमी लगभग 20 लाख किलोवाट हो जायेगी। वास्तविक बात यह है कि उस समय किसी भी राज्य में फालतू बिजली नहीं होगी। हां, कहीं-कहीं थोड़ी बहुत बिजली हो सकती है परन्तु उसे फालतू नहीं कहा जा सकता। सम्पूर्ण भारत को दृष्टिगत रखते हुये, मुझे भय है कि उत्तरी इलाके को 1974 के अन्त में बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अब भी वहां बिजली की कमी है।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रिड का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि आजकल हम अन्तर्राज्यीय लाइनों के लिए धन दे रहे हैं और हम विभिन्न राज्यों में सम्बन्ध को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय ग्रिड 1979 के अन्त तक पूर्ण रूप से आरम्भ हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हंगरी के साथ व्यापार में वृद्धि

*182. **श्री मथावन** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने भारत के साथ व्यापार में वृद्धि करने हेतु और आगे बातचीत करने का अनुरोध किया है : और

(ख) यदि हां, तो भारत किन-किन मदों का व्यापार बढ़ाने और साथ ही औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) भारत और हंगरी के बीच चालू दीर्घावधि व्यापार करार के समाप्त होने से पहले, जैसा कि परस्पर निर्णय किया गया, सितम्बर, 1970 में सरकारी स्तर पर बातचीत हुई और उसके पश्चात् अब निकट भविष्य में मेरे नेतृत्व में एक सरकारी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल बुडापेस्ट जाएगा। यह प्रतिनिधि-मण्डल 1971-75 की अवधि के लिए एक नये दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार को अन्तिम रूप देकर उसपर हस्ताक्षर करेगा और आगामी 5 वर्षों में पारस्परिक व्यापार के विकास की सम्भाव-नाओं पर चर्चा करेगा।

आगामी 5 वर्षों में, विशेषतः उपभोक्ता, अर्ध- निर्मित तथा निर्मित माल के निर्यात को

बढ़ाने का विचार है। नये क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग की सम्भावनाओं पर इस समय दोनों देश विचार कर रहे हैं।

भारत, बुल्गारिया तथा ट्युनेशिया के बीच त्रिपक्षीय संधि

*184. **श्री चेंगल राया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, बुल्गारिया तथा ट्युनेशिया के बीच परस्पर व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के लिये त्रिपक्षीय संधि पर हाल में हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संधि से भारत को क्या लाभ होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) करार में यह व्यवस्था है कि भारत में रखे गये बुल्गारिया के हिसाब में से अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में लगभग 1.5 करोड़ रु० की राशि बुल्गारिया द्वारा ट्यूनीशिया के हिसाब में अन्तरित कर दी जायेगी जिससे कि ट्यूनिशिया भारत से उतने ही मूल्य की चाय खरीद सके। बुल्गारिया ट्यूनिशिया से ट्रिप्पल सुपर फास्फेट खरीदेगा और भारत बुल्गारिया से इस अन्तरित राशि के बराबर मूल्य का यूरिया खरीदेगा।

(ग) भारत ट्यूनिशिया को लगभग 1.5 करोड़ रु० मूल्य की चाय का निर्यात कर सकेगा और रुपया भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत यूरिया का आयात कर सकेगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के दोषपूर्ण मीटर लगाए जाने के बारे में सर्वेक्षण

*186. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री जी० वेकटस्वामी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सर्वेक्षण से यह रहस्योदघाटन हुआ है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लगाए गए बिजली के मीटरों में से लगभग 50 प्रतिशत मीटर दोषपूर्ण हैं और इससे हुई हानि गलत योजना बनाने के कारण हुई है; और

(ख) क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिए और जनता की परेशानी दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) वर्ष 1969-70 और 1-4-70 से 30-9-70 तक की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से क्रमशः 4251 और 2148 मीटरों के संबंध में शिकायतें मिलीं। निरीक्षण के पश्चात् दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने क्रमशः 1016

और 537 दोषपूर्ण मीटर पाए। क्योंकि दोषपूर्ण मीटरों से संबंधित ऊपर बताए गए सारे मामले ज्यादा रकमों के बनाए गए बिलों के बारे में पाए गए थे, इसलिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हानि का प्रश्न नहीं उठता। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने पहले के तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर संबंधित उपभोक्ताओं के बिलों के समायोजन के लिए कार्यवाही कर दी है। मीटर उचित परीक्षण के पश्चात् उपभोक्ताओं के भवनों में लगाए जाते हैं। मीटरों के चालन में बाद में आई खराबियों को उपभोक्ता परीक्षण शुल्क देकर संस्थान के नोटिस में लाते हैं। मीटरों का तब उपभोक्ताओं के सामने परीक्षण किया जाता है और बिल की रकमों का समायोजन परीक्षण के परिणामों के अनुसार, जिस महीने शिकायत आती है उससे पहले के तीन महीनों में मीटर पर आए आंकड़ों के साथ कर दिया जाता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने मीटर परीक्षण विभाग का विस्तार करने के लिए पग उठा रहा है ताकि घरों में लगे मीटरों का तीन वर्षों के नियमित समयान्तराल पर परीक्षण कर लिया जाए।

Announcement of Prize for-giving Information about Naxalite Activities

*189. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the number of Naxalites is increasing day by day;

(b) if so, their number so far;

(c) Whether Government have announced any prize for the persons who give information about the activities of the Naxalites; and

(d) if so, the details thereof ?

The minister of State in the Ministry of Home Aflairs and Minister of State in the Departments of Electronics and Scientifc and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Government are aware of some increase in the number of Naxalites and other similar extremists especially in West Bengal where a number of anti-social elements have also joined those ranks.

(b) While Government are aware of the extent of Naxalite activities, it is not possible to give the number of Naxalites.

(c) & (d) According to information available, rewards ranging from Rs. 200 to Rs. 10,000 have been announced by some State Governments for information leading to the arrests of some absconding Naxalite leaders who are wanted in connection with specific cases.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, के कर्मचारी संघ के एक नेता की हत्या

*190. **श्री नम्बियार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 13 अगस्त, 1970 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कर्म-

चारियों की सहायता से कुछ उपद्रवियों ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, के कर्मचारी संघ के एक प्रमुख नेता श्री एन० बी० राय की नृशंस हत्या कर दी थी।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) से (घ) दुर्गापुर ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने 12 अगस्त, 1970 से दुर्गापुर औद्योगिक समूह में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल संगठित की। उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 तारीख के सवेरे माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी कार्पोरेशन के कुछ कार्यकर्ताओं पर जब वे काम पर जा रहे थे तो उन पर बमों से हमला किया गया। इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला करने वालों का पीछा किया, इस झगड़े के दौरान कहा जाता है कि तथा-कथित एक अभिक्रामक श्री ए० बी० राय को अनेक चोटें आईं। श्री राय को अस्पताल में दाखिल किया गया था जहां वे अपने घावों के कारण उसी दिन मर गये। एक आपराधिक मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 149 और 304 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसकी जांच की जा रही है। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। यह सही नहीं है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारी इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार से शामिल थे। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक टोली स्थानीय पुलिस के साथ दुर्घटना के घटने के बाद घटना स्थल पर पहुंची।

बंगाल आतंककारी गतिविधियाँ दमन अधिनियम, 1932 का पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना

*191. **श्री के० रमानी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गत मास बंगाल आतंककारी गतिविधियां दमन अधिनियम 1932 लागू कर दिया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सी० आई० टी० यू०, अखिल भारतीय किसान सभा, तथा पश्चिम बंगाल के अन्य लोकतन्त्रीय संगठनों द्वारा की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि दुःखी जनता के लोकतन्त्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस अधिनियम को लागू किया गया है और उन्होंने इस अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को वापस लेने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल आतंककारी गतिविधियां दमन अधिनियम, 1932 की धाराएं 1 तथा 2 और अध्याय II तथा III (और अधिनियम की अनुसूचि) 1932 से लागू है। जैसा कि अधिनियम की धारा 1 (2) में व्यवस्था है, अधिनियम के अध्याय 1 के परन्तुक 10 सितम्बर, 1970 से सारे पश्चिम बंगाल में लागू कर दिये गये हैं। जब उपलब्ध की गई शक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

1. लोक सुरक्षा अथवा शान्ति के प्रतिकूल गतिविधियों में संदिग्ध व्यक्तियों की पूछ-ताछ के लिए अधिक से अधिक 24 घंटे की अवधि के लिए नजरबन्दी।

2. ऐसे हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा के नियन्त्रण के लिए हथियारों के क्रय/विक्रय, सुपुर्दगी अथवा अन्य लेनदेन की रोक, नियमन।

3. किन्हीं हथियारों, गोल-बारूद, विस्फोटक पदार्थों, औजारों, उपकरणों इत्यादि को पकड़ा, जो किसी अनुसूचित अपराध करने के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं।

4. कानून व व्यवस्था के पुनः स्थापन और बनाए रखने में प्रशासन की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता।

5. किसी ऐसे संघ के प्रयोजन के लिए किसी स्थान के प्रयोग का निषेध, जो हिंसा और अभित्रास के कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है अथवा सहायता करता है।

6. यह सत्यापित करने के लिए किसी स्थान में प्रवेश करने तथा तलाशी लेने का प्राधिकार कि क्या निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन जारी किये गए किसी आदेश का उचित पालन किया जा रहा।

सरकार ने इस अधिनियम की आलोचना की कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी है। अधिनियम के परन्तुकों का उद्देश्य उस राज्य में केवल नक्सलपंथियों तथा दूसरे इसी प्रकार के उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने का है। राज्य में कानून व व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अधिनियम को इस समय वापिस लेने का कोई विचार नहीं है।

चोरी हुए और बरामद किये गये हथियारों के बारे में किया गया सर्वेक्षण

* 192 **श्री दण्डपाणि** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चोरी हुए हथियारों के बारे में विभिन्न राज्यों में केंद्रीय जांच ब्यूरो और गुप्तचर ब्यूरो द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था; और गत तीन वर्षों के दौरान बरामद किए गए हथियारों की संख्या क्या है;

(ख) यदि हो, तो जांच रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कर्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) हाल के महीनों में कुछ राज्यों में इस मामले का अध्ययन भारत सरकार के अधिकारियों के एक दल द्वारा सम्बन्धित राज्य के परामर्श से किये गये थे। इन अध्ययनों के प्रारम्भिक परिणामों की जांच की जा रही है।

(ख) इन प्रथम रिपोर्टों से पता लगता है कि सम्बन्धित क्षेत्रों में हथियारों व गोला-बारूद व्यापार में थोड़ी वृद्धि हुई है।

(ग) इन प्रारम्भिक अध्ययनों के आधार पर किए गये कुछ सामान्य निगमनों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने हथियारों और गोला-बारूद के अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए कड़े उपाय करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये गए हैं।

माओ के विचारों के प्रचारार्थ और पुलिस के विरुद्ध घृणा फैलाने के लिए नक्सलवादियों द्वारा कक्षाएं लगाया जाना

* 193. **श्री नि० र० लास्कर :**

श्री सामिनाथन :

श्री नारायणन : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में नक्सलवादियों द्वारा माओ के विचारों की शिक्षा के लिए कक्षाएं लगाई जाती हैं;

(ख) क्या सरकार गिरफ्तार किये गये नक्सलबादियों को कठोर काम देने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार नक्सलवादियों को अन्य राज्यों की जेलों में भेजने का विचार कर रही है। जिससे ये नक्सलवादी जेलों में अपनी गतिविधियां न चला सकें ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल की जेलों में रखे गये नक्सलवादियों द्वारा जेल में सिद्धांत-शिक्षा देने के प्रयत्नों की सूचना मिली है। राज्य सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कार्यवाही कर रही है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। जब तक वे स्वयं काम करने की इच्छा व्यक्त न करें किसी

भी मुकद्दमा चल रहे बंदी को भारी काम पर नहीं रखा जा सकता।

(ग) कानून के अनुसार मुकद्दमा चल रहे बंदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्यों की जेलों में तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक उसको उस राज्य में किसी अपराध के मामले में न मांगा गया हो। एक राज्य से दूसरे राज्य की जेलों में अपराधी बंदियों के ऐसे स्थानान्तरण को बंदियों के स्थानान्तरण अधिनियम 1950 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और प्रत्येक मामले पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।

राजस्थान में पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

*194. **श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के गंगानगर जिले की सीमाओं के पार से पाकिस्तान से-कौन-कौन सी वस्तुएं भारत में चोरी छिपे लाई जाती हैं;

(ख) क्या पिछले चार मास में 25 तस्कर व्यापारी पकड़े गये थे और 3 मारे गये थे हालांकि पुलिस कर्मचारी वहां बहुत कम संख्या में तैनात हैं;

(ग) क्या उनमें से अधिकतर तस्कर व्यापारी पाकिस्तानी हैं जो भारत में जासूसी के लिए पूरी तरह लैस होकर आते हैं और भारत में तस्करी सामान की बिक्री पर निर्वाह करते हैं तथा "सम्पर्क स्थापित" व्यक्तियों को पैसा देकर जानकारी प्राप्त करते हैं;

(घ) क्या कुछ ऐसे तस्कर जासूस पकड़े गये हैं जिनके पास पैन के आकार के चीनी पिस्तौल और तीन सौ गज की दूरी से चित्र ले सकने वाले शक्तिशाली कैमरे थे और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तानियों के तस्कर व्यापार और गुप्तचरी की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सोना, चांदी, घड़ियां, दाल चीनी, चरस, लौंग, बादाम, बहुमूल्य पत्थर, टेरीलीन कपड़ा तथा दरिया, खेस इत्यादि जैसी अन्य वस्तुएं।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि सीमा पर केवल पाकिस्तानी तस्कर ही सक्रिय है, तस्कर भारत तथा पाकिस्तान दोनों के हैं।

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कभी-कभी पाकिस्तानी आसूचना एजेंसियां भारत में जासूसी गतिविधियों के लिए तस्करों का उपयोग करती है।

(घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) सीमा सुरक्षा बल सीमा पर सतत निगरानी रखे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा लगाई जाने वाली गश्त को और कड़ा किया जा रहा है। राज्य सरकार के स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ पूरा सम्पर्क तथा समन्वय रखा जा रहा है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सीमा आयोग

*195. **श्री श्री चन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के मध्य विवादास्पद सीमाओं के मामले की जांच करने सम्बन्धी आयोग के निर्देश पद तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है।

(ग) यदि नहीं, तो योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने निर्देशपद तय करने के लिये तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक बुलाई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : आयोग के निर्देशपद तय नहीं किये गये हैं। आरम्भ में स्वीकृत निर्देशपद तैयार करने के लिये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श का एक प्रयत्न किया गया था। चूंकि इस प्रयत्न का कोई प्रभाव नहीं हुआ, अतः हमने मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श करने का निश्चय किया। हरियाणा के मुख्य मंत्री से विचार विमर्श कर लिया गया है; इसी प्रकार के विचार-विमर्श अन्य दो मुख्य-मंत्रियों के साथ करने का प्रस्ताव है।

Rural Electrification of Kangra

*196. **Shri Jagannath Rao Joshi**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state;

(a) the number of villages electrified in the Kangra District of Himachal Pradesh;

(b) whether electric meters have not so far been provided in the houses in the villages that were electrified during the last two years though the security amount for such meters had been realised from the people through the contractors a year ago;

(c) the number of houses among those, referred to in part (b) above, in which necessary fittings were got completed during the last three months, six months and during the last one year separately and in which electricity has not so far been provided;

(d) whether Government have received any memorandum in the matter; and

(e) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): 731 villages have been electrified in Kangra District of Himachal Pradesh upto 30th September, 1970;

(b) Himachal Pradesh authorities have reported that meters have been provided and electric connection given to all consumers who had completed the requisite formalities in villages which were electrified two years ago in Kangra District. Contractors are not authorised to collect security deposits on behalf of the Electricity Department.

(c) Does not arise in view of reply to part (b) above.

(d) & (e): Several representations are received by the Himachal Pradesh Government in respect of electric connections in Kangra District. Connections are given by the Himachal Pradesh Government strictly in order of receipt of applications subject to availability of funds and materials and completion of requisite formalities.

सरकारी क्षेत्र के जरिए वस्तु-विनिमय व्यापार का नियंत्रण

*197. **श्री शशि भूषण :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि अबसे वस्तु-विनिमय व्यापार केवल सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों को रेल के डिब्बे तथा इन्जन सप्लाई करने तथा विकासोन्मुख देशों की विकास सम्बन्धी आवस्थापना (इन्फास्ट्रक्टचर) में भाग लेने, जिनमें 'टर्न की' परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, के लिये सरकार ने राज्य व्यापार निगम के सहायक के रूप में परियोजना तथा उपकरण निगम की स्थापना की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है तथा इससे देश को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) कुछ समय पूर्व यह विनिश्चय किया गया था कि वस्तु विनियम सौदे केवल सरकारी क्षेत्र के व्यापार अभिकरणों के माध्यम से ही किये जाने चाहिएं और उन्हें ऐसी वस्तुओं का पता लगाने में पहल करनी चाहिये जिनके निर्यात वस्तु विनिमय सौदों के आधार पर बढ़ाये जाने चाहियें ताकि अतिरिक्त निर्यात हो सकें और उपार्जित विदेशी मुद्रा का उपयोग उन वस्तुओं का आयात करने के लिए किया जा सके जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।

(ग) तथा (घ) इंजीनियरी उत्पाद तथा परामर्शी सेवा निगम की स्थापना करने का विचार हैं जो राज्य व्यापार निगम के अनुषंगी के रूप में पूर्णतः उसके स्वामित्व में होगा। प्रस्तावित अनुषंगी कार्यालय बड़े उद्यमों तथा आद्योपान्त परियोजनाओं का विशेषज्ञ होगा और निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देगा :—

(1) रेलवे-व्यवस्था का सामान जिसमें रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि और अन्य सामान,

पटड़ियां तथा सिग्नल उपस्कर आदि शामिल हैं।

(2) पूर्ण औद्योगिक संयंत्र तथा परियोजनाएं।

(3) लोकोपयोगी सामान।

(4) मोटरगाड़ी उद्योग जैसे विशाल अन्तर्राष्ट्रीय निर्माता फर्मों के लिए ढलाई, गढ़ाई का सामान, संहसाधन उपस्कर।

इससे इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात करने और बड़े स्तर पर संयुक्त उद्यम तथा आद्योपान्त कार्य हाथ में लेने से देश को सहायता मिलेगी।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्मों की तस्करी

*198. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष ने 29 जुलाई, 1970 को बम्बई में यह कहा था कि भारतीय फिल्मों की विदेशों को होने वाली तस्करी से प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपये से अधिक का घाटा होता है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकतर भारतीय फिल्म की तस्करी लन्दन, मारीशस, डुबाई और हांगकांग होकर दक्षिण अफ्रीका को की गई तथा सम्पूर्ण दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्में दिखाई जाती है;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय ग्रामोफोन रिकार्ड तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को दक्षिण अफ्रीका को निर्यात करने की अनुमति है, भारतीय फिल्मों के दक्षिण अफ्रीका को निर्यात करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया जाना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) दक्षिण अफ्रीका तथा बाहर के देशों में भारतीय फिल्म के लुकछिप कर किए गए प्रदर्शनों तथा उनके कारण विदेशी मुद्रा की हुई हानि के बारे में कोई विश्वस्त जानकारी रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : विश्वस्त जानकारी तथा विशिष्ट स्रोतों के माध्यम से गुप्त सूचना एकत्रित करना, यात्रियों के असबाब पर निगरानी रखना तथा सड़कों, तटों तथा अन्य शंकित क्षेत्रों तथा समुद्री मार्ग पर गश्त लगाना आदि। जहां तक दक्षिणी अफ्रीका का सम्बन्ध है, ध्यानपूर्वक विचार करके यह विनिश्चिय किया गया है कि फिल्मों के निर्यात के सम्बन्ध में सामान्य नीति में परिवर्तन न किया जाये।

प्रशासनिक सुधार आयोग के भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में सचिवों की समिति की सिफारिशें

*199. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बनाई गयी सचिवों की समिति ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को रद्द कर दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को सर्वोद्देशीय सेवा के स्थान पर कार्यात्मक सेवा में परिवर्तित कर दिया जाय ;

(ख) क्या समिति ने सरकारी उपक्रमों तथा राज्यों में सचिवालय स्तर पर उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बनाई गयी सचिवों की समिति ने प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्मिक प्रशासन विषयक प्रतिवेदन में अखिल भारतीय सेवाओं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा भी सम्मिलित है, से सम्बन्धित सिफारिशों पर भी विचार किया है । यह विषय अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय किए जाने पर वह यथासमय संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

जापान को लौह-अयस्क की सप्लाई

*200. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने यह टिप्पणी की है कि भारत से लौह-अयस्क की सप्लाई पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन कारणों से यह धारणा बनाई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों का ताईवान से व्यापार

*201. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों को ताईवान के सरकारी उपक्रमों से व्यापार करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमति कब दी गई; और

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं जो ताईवान से व्यापार कर रहे हैं ?,

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) आमतौर पर सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच देश की व्यापारिक उद्यमों पर सामान्यत: लागू विधियां तथा नियमों के अन्तर्गत उनके अधिकार तथा दायित्वों के विषय में कोई भेद नहीं रखा जाता। जैसाकि सदन को ज्ञात ही है, ताईवान के साथ व्यापार पर कोई रोक नहीं है।

मनीपुर क्षेत्र में गड़बड़ पैदा करने के लिए विद्रोही नागाओं की योजना

*202. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ पैदा करने के लिये विद्रोही नागाओं की योजनाओं के विषय में सरकार को सचेत किया गया है ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार छुपे नागाओं की गतिविधियों और उनकी योजनाओं से परिचित है। अवैध तत्वों की गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा-उपाय किये जा रहे हैं तथा सतत निगरानी रखी जा रही है।

पंजाब सरकार द्वारा अपने लाटरी टिकटों को विदेशों में बेचने के लिए अनुरोध

*203. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपने लाटरी टिकटों के विदेशों में बेचे जाने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) मार्च 1970 में राज्य सरकार ने भारत के बाहर राज्य के लाटरी टिकटों को बेचने की आज्ञा मांगी थी किन्तु उनका प्रस्ताव मन्जूर नहीं किया गया।

भारत-अफगान व्यापार करार

*204. **श्री हेमराज :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 19 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के बीच वर्ष 1970-71 में दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के बारे में बातचीत समाप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) शाही अफगान सरकार के निमन्त्रण पर विदेशी व्यापार सचिव 13 से 14 नवम्बर, 1970 तक के लिए काबुल गये और अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री के साथ बातचीत की। उनकी बातचीत के फलस्वरूप दोनों देशों में 1970-71 (अगस्त-जुलाई) में व्यापार विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में 14 नवम्बर को पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

2. चूंकि विद्यमान व्यापार व्यवस्था 31 जुलाई, 1971 को समाप्त हो जायेगी, अत: निम्न-लिखित बातों पर सहमति प्रकट की गयी कि :

(1) दोनों देशों में व्यापार-विनिमय तब तक अर्थात् 31 जुलाई, 1971 तक, गत विधियों में, अर्थात् 1968-69 तथा 1969-70 में, लागू क्रियाविधियों द्वारा विनियमित होता रहेगा। इस क्रियाविधि के अन्तर्गत भारत द्वारा अफगानिस्तान से फलों, मेवों, हींग, जीरे और जड़ी बूटियों के आयातों को कतिपय विशिष्ट भारतीय माल के अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाता है। परन्तु अफगानिस्तान से ऊन तथा रुई के आयात और कतिपय प्रकार की मशीनों तथा मशीनी औजारों, मोटर-गाड़ियों, कम्प्रेशर्स, क्रेनों, भेषजों तथा औषधियों आदि के भारत से निर्यात मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के आधार पर अनुमत है।

(2) विद्यमान पद्धति में सुधारों पर, जिन पर भारत की ओर से जोर दिया जाता रहा है, दोनों पक्षों द्वारा 1 अगस्त, 1971 से शुरू होने वाली अवधि के लिए व्यापार व्यवस्था तैयार करते समय विचार किया जायेगा। इस बीच दोनों पक्ष यथाशीघ्र किसी परस्पर सुविधापूर्ण तारीख को अपेक्षित सुधारों के सम्बन्ध में सार्थक चर्चा करेंगे और व्यापार समुदायों को विद्यमान पद्धति के दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में उन्हें राजी करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जायेंगे ताकि भारतीय तथा अफगानी उत्पादों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को हानि न हो।

(3) अफगान सरकार अपने नियमों तथा विनियमों के ढांचे के अन्तर्गत उपयुक्त उपाय करेगी ताकि अफगान परिवहन प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने से सम्बन्धित क्रियाविधि के फलस्वरूप भारतीय आयातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(4) पारवहन क्रियाविधियों और भारतीय प्रति निर्यातों से सम्बन्धित क्रियाविधियों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और उन्हें दोनों देशों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए तथा भारत में अफगानी उत्पादों और अफगानिस्तान में भारतीय उत्पादों की समीचीन कीमतें बनाए रखने के लिए सरल तथा कारगर बनाया जाएगा।

(5) भारतीय आयातकों को अफगानिस्तान से किए जाने वाले उनके आयातों के मूल्य के 25 प्रतिशत तक भारत से गैर-परम्परागत मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा।

(6) दोनों सरकारे एक-दूसरे के देश से आयातित माल के अन्य देशों में दिशा-परिवर्तन को रोकने के लिए एक-दूसरे को सहयोग देंगी।

दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हो गए कि 1 अगस्त, 1971 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए नई व्यवस्था हो जाने पर अपने परस्पर व्यापार के विविधीकरण हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

रुई निगम द्वारा उचित मूल्यों पर रुई की खरीद

* 205. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई निगम ने अधिक लम्बे रेशे वाली रुई की खरीद "उचित मूल्यों" पर करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या रुई निगम की इस प्रकार की कार्यवाही का रुई व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा विरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जैसा कि विदेशी व्यापार मंत्री द्वारा 31.7.1970 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख किया गया है, रुई निगम उचित कीमतों पर लम्बे स्टेपल वाली किस्म की रुई खरीदेगा। निगम ने इस दिशा में अभी तक कोई विशिष्ट विनिश्चय नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में कपास की एकाधिकार खरीद के लिए योजन

*206. **श्री देवराज पाटिल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 12 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कपास की एकाधिकार खरीद सम्बन्धी योजना पर विचार किया है और राज्य सरकार के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या राज्य सरकार को चालू वर्ष में इस योजना को लागू करने की अनुमति दे दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) से (ग) : राज्य सरकार ने इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था। मामला विचाराधीन है।

Allurement Offered by a Delhi Firm for Securing Jobs in Foreign Countries

*207. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No.662 on the 28th August, 1970 and state:

(a) whether the interim and the final report regarding investigation in the case registered with the Parliament Street Police Station, New Delhi on the 4th June, 1970 against the partners of M/S. Foreign Travels and Employment Corporation, Connaught Place, New Delhi under the Indian Penal Code, has been received;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) The case is still under investigation. Some witnesses residing outside Delhi, are yet to be examined. It is also being verified whether the said Corporation actually had any contracts or associations in foreign countries for securing various types of employment as claimed by it.

संकटग्रस्त सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

*208. **श्री एस० एम० कृष्ण** :

श्री रा० कृष्ण बिड़ला :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता के योग्य संकटग्रस्त सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से लाभान्वित होने वाली सूती कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसमें कितना रुपया व्यय होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) कमजोर सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रश्न की ओर सरकार ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल इस समय समस्या का अध्ययन कर रहा है।

तारापुर अणुशक्ति परियोजना में बिजली का उत्पादन

*209. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर अणुशक्ति परियोजना में अब तक कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और उत्पादन कब आरम्भ हुआ था;

(ख) इस काल में उत्पादन का प्रतिमास ब्यौरा क्या है;

(ग) निश्चित लोड पर स्टेशन से कितनी बिजली पैदा होने की आशा थी; और

(घ) उत्पादन में तथा सम्बद्ध राज्यों को बिजली के वितरण में कमी पड़ने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 3 अक्तूबर, 1970, जिस दिन से तारापुर परमाणु बिजलीघर ने व्यावसायिक रूप से कार्य करना आरम्भ किया, से लेकर अक्तूबर 1970 के अन्त तक बिजलीघर में 2 अरब 14 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

(ख) से (घ) : वास्तविक तथा अनुमानित बिजली उत्पादन के ब्यौरे तथा उत्पादन में कमी होने के कारणों सहित एक विवरण सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

मास	उत्पादित बिजली (लाख यूनिटों में)	अनुमानित उत्पादन (लाख यूनिटों में)
3 अक्तूबर, 1969 से 31 अक्तूबर, 1969 तक	1,169.71	2,250
नवम्बर, 1969	1,661.28	2,250
दिसम्बर, 1969	1,514.87	2,250
जनवरी, 1970	1,744.07	2,250
फरवरी, 1970	1,652.43	2,250
मार्च, 1970	2,134.16	2,250
अप्रैल, 1970	2,206.91	2,250
मई, 1970	2,416.48	2,250
जून, 1970	1,543.13	2,250
जुलाई, 1970	1,310.38	1,200
अगस्त, 1970	1,275.39	1,200
सितम्बर, 1970	1,234.34	2,250
अक्तूबर, 1970	1,538.39	2,250
	21,399.54	27,150

टिप्पणी 1: बिजली घर से भेजे जाने वाली बिजली का 25,000 लाख यूनिट का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्षाकालीन ऋतु के अतिरिक्त बिजलीघर में लगभग 2,250 लाख यूनिट तथा वार्षिक अनुरक्षण समय के दौरान 1,200 लाख यूनिट बिजली का प्रति मास उत्पादन होना चाहिये था जो मानसून अवधि के दौरान होने वाले उत्पादन के अनुरूप है।

टिप्पणी 2: उत्पादन में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयना बांध की मरम्मत करने के लिए कोयना झील में पानी कम करना

(2) प्रारम्भिक स्तर पर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के स्विच बोर्डमें त्रुटियों के कारण बिजली की सप्लाई को सीमित रखना;

(3) गुजरात राज्य पद्धति द्वारा अपने भाग की बिजली को पूरी तरह से न खपा सकना;

(4) इस वर्ष मानसून के शीघ्र आगमन के कारण बिजली की मांग में कमी।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के सम्बन्ध में राज्यों को केन्द्रीय सरकार के निर्देश

*210. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्बद्ध राज्यों को निदेश दिया है कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में समाप्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां तो राज्यों में कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनके राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सभी परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चौथी योजना में सभी बृहत स्कीमों को पूर्ण करने पर जोर डाला गया है जिन पर अच्छी खासी प्रगति हो चुकी है, साथ-ही-साथ मध्यम स्कीमों को पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों में यह आग्रह किया है कि उन संतत स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिये, जो निर्माण की प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी है, उन्हें यथाशीघ्र पूर्ण करने की दृष्टि से, प्राथमिकता दी जाए। यह भी बतलाया गया है कि मध्यम स्कीमों को चौथी योजना में पूर्ण करने के उद्देश्य से इन स्कीमों के निर्माण कार्यक्रम को चरणबद्ध करने के लिए राज्यों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

(ख) एक विवरण उपाबन्ध के रूप में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4304/70]

(ग) बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों में सिंचाई सुविधाओं के विकास को दिखलाने वाला एक विवरण उपाबन्ध—दो के रूप में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4304/70**]

(घ) लगभग 2667 करोड़ रुपये जिसमें 1969-70 के अन्त तक उठाया गया लगभग 1415 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

तमिल नाडू में पृथकतावादी प्रवृति को रोकने के लिये कार्यवाही

1201. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 और 13 सितम्बर, 1970 को मद्रास में हुए राज्य स्वायत्त सम्मेलन में तमिलनाडू के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री के० ए० मथियालगन द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारत के वर्तमान संविधान की कमियों का उल्लेख किया था तथा उसके पुनर्मूल्यांकन और उसका पुनः प्रारूप बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उसी सम्मेलन में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता श्री ई० वी० रामास्वामी नायका ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि राज्यों को अधिक स्वयतत्ता प्रदान नहीं की गई तो इसके "गम्भीर परिणाम" होगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने तमिलनाडु के नेताओं की इस पृथकतावादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

उपक्रमों में मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों की नियुक्ति

1202. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रियों या भूतपूर्व मंत्रियों अथवा हारे हुए मंत्रियों को अर्ध-सरकारी संस्थाओं, सरकारी क्षेत्रों या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी करने से रोकने के लिए कोई विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन सभी मंत्रियों पर लागू होगा जो अब उन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान, इसके अतिरिक्त अब भी इस सम्बन्ध में अनुदेश है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री का पद सम्भालता है तो उसे किसी ऐसी संस्था अथवा उपक्रम की सेवा में नहीं होना चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस से जब्त किए गए दस्तावेज

1203. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा पार करते समय राजस्थान में हाल ही में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस का नाम क्या है तथा उसके तथाकथित सहअपराधियों के नाम क्या हैं;

(ख) उन से जब्त किए गए दस्तावेज और अन्य चीजें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या वह पाकिस्तानी जासूस नियमित रूप से वायरलेस कोड का उपयोग कर रहा था जिसे उसने अपने तथाकथित सहअपराधियों से खरीदा था;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार गिरफ्तार किए गए जासूसों (पाकिस्तानी तथा भारतीय) की कुल संख्या क्या है; और

(ङ) जासूसी को रोकने के लिए क्या कोई उपाय किये गए हैं; और यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) राजस्थान पुलिस द्वारा हाल ही में सीमा पर एक भारतीय को गिफ्तार किया गया था उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संदिग्ध जासूसी गतिविधियों के लिए दो अन्य भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। राजकीय रहस्य अनिनियम 1923 की धाराओं 3/9 के अधीन उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल हो रही है। अत: इस अवस्था में और ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों और अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कदीव, मिनिकाय व अमिन दीवि द्वीप समूह मणीपुर तथा पांडिचेरी के संघ राज्य प्रशासनो द्वारा ऐसी कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई है।

हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के संघ राज्य प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना का विवरण संलग्न है।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना अभी आनी है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जासूसी गतिविधियों को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31-10-70 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान संदिग्ध जासूसी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	
		भारतीय	पाकिस्तान
1.	हरियाणा	13	1
2.	उत्तर प्रदेश	5	–
3.	चंडीगढ़	4	2
4.	दिल्ली	15	3

राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों द्वारा हड़ताल

1204. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 में कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के फलस्वरूप भारत में विभिन्न शाखाओं में माल की निकासी न होने के कारण राज्य व्यापार निगम की कुल कितनी हानि हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Cases of Murder, Looting, Dacoity and Robbery in Delhi

1205. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of murders, looting, dacoities and robberies registered in Delhi during the last two years;

(b) the number of persons prosecuted and sentenced during the aforesaid period; and

(c) the number of cases out of them looked into by the C. B. I.?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The number of cases registered under these categories during the period 1. 11. 68. to 31. 10. 70 is as under ;—

Murders	217
Looting	394
Dacoities	20
Robberies	373

(b) The number of persons prosecuted and sentenced (convicted) during the period 1 11.68 to 31.10.70 is as under : —

Offence	Number of persons prosecuted (challaned)	Number of persons sentenced (convicted)
Murder	267	53
Looting	291	16
Dacoities	55	—
Robberies	231	16

(c) Two cases of murder were investigated under the Supervision of the Central Bureau of Investigation.

डा० बी आर० अम्बेडकर की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

1206. **श्री सूरज भान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेडकर की मृत्यु की परिस्थितियों पर विचार करने के लिये कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस द्वारा और कब;

(ग) क्या सरकार जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : जैसा कि 9 दिसम्बर, 1957 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 919 के उत्तर में बताया गया था, इस मामले की गुप्त जांच दिल्ली पुलिस के उप महा निरीक्षक द्वारा की गई थी तथा उनकी गुप्त रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा। जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निःसन्देह यह साबित हो गया था कि डा० अम्बेडकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी और यह कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे जिससे किसी कपट का सन्देह किया जा सके।

कार्मिक प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1207. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन्हें किस तारीख तक स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : चूंकि प्रशासन सुधार आयोग द्वारा कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में दी गई अधिकांश सिफारिशों का कार्मिक प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने से पूर्व इन पर सावधानी पूर्वक छानबीन तथा विचार किया जाय। अतः यह स्वाभाविक है कि इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने में कुछ और समय लगेगा। सिफारिशों की जांच तथा इन पर कार्यवाही की जा रही है। सिफारिशों पर सरकार के निर्णय जारी करने में कुछ महीने और लगने की सम्भावना है।

Grant of loans to persons whose Property was confiscated during Indo-Pak. Conflict

1208. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum signed by a number of members of Parliament for granting loans to those people whose property was confiscated in Pakistan during the Indo-Pak conflict in 1965 to enable them to revive their business;

(b) if so, the text or the main points of this memorandum; and

(c) the details of the steps so for taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) : Yes, Sir, some Hon'ble Members of Parliament have urged that Indian nationals whose assets were seized by the Government of Pakistan at the time of Indo-Pak conflict in September, 1965, should be given some financial assistance on ad-hoc basis so that they may be able to rehabilitate themselves in India.

(c) The matter is under active consideration of the Government.

पश्चिमी बंगाल में विस्फोटकों के अवैध निर्माण को रोकने के लिए उपाय

1209. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि सरकार पश्चिमी बंगाल में बड़े पैमाने पर बन रहे विस्फोटकों को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों को बिना लाइसेंस पोटाशियम क्लोरेट की बिक्री पर रोक लगा दे;

(ख) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के सुझाव से सहमत हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्री मान्। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने पोटाशियम क्लोरेट के लाने ले जाने को रोकने के कड़े उपाय करने के लिए सभी राज्य सरकारी तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Use of Hindi Language in Supreme Court

1210. **Shri Janeshwar Misra :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether an accused in a case was allowed to have his say in Hindi by the Supreme Court of India;

(b) whether the Supreme Court passed an order to constitute a bench of Hindi-knowing judges;

(c) whether the said order was later rescinded because of the protest made by the Attorny General of India; and

(d) the time by which English as the court language will be replaced ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (c) A statement giving the required information is annexed.

(d) Article 348 of the Constitution prescribes that until Parliament by law or otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in the English language. There is no proposal under consideration of Government at present to

replace the use of the English language in the proceedings of the Supreme Court. Article 348 (2) of the Constitution read with section 7 of the Official Languages Act (which was brought into force with effect from 7th March, 1970), provides that the Governor of a State may, with consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court.

Statement

It is not clear from the question as to which particular case it relates to. On the basis of the record readily available in the Supreme Court, it is found that permission was given to two persons to argue their matters in Hindi. The first case related to Kameshwar Prashad Sharma, Appellant in Criminal Appeal No. 2 of 1969, who stated in his application that he did not know any language except Hindi. His matter was finally heard by the Bench consisting of the Hon'ble the Chief Justice of India and the Hon'ble Mr. Justice V. Bhargava, both of whom knew Hindi. The second case related to Shri Raj Narain in respect of which the following extracts of the proceedings and the orders of the Supreme Court are reproduced :—

Proceedings of 27. 8. 1970 in Writ Petition No. 315 of 1970 filed by Mr. Raj Narain :

"Upon hearing the petitioner for a while, the Court adjourned the hearing of this petition till a fresh Bench is constituted to hear the same, This matter need not be shown in tomorrow's list and petitioner need not be produced in Court on 28.8 1970."

Proceedings of 23. 9. 1970 in Writ Petition No. 315 of 1970 :

"Mr. Raj Narain informed the Court that he has discharged M/S. Ramamurthy & Co. Advocats on record in this petition and thereafter, addressed the Court for five minutes. Thereafter, Mr. Singhvi addressed the Court for a couple of minutes. Hearing was over."

Order dated 10. 9. 1970 in the Writ Petition in which he was allowed to Intervene :

"Mr. Raj Narain yesterday insisted on arguing in Hindi. He was heard for sometime with a view to see whether we could follow him, simply because this is a habeas petition involving the liberty of the citizen. Because of the importance of the case, we heard him for sometime, but the Attorney-General Mr. Daphtary who is opposing him and some of the members of the Bench could not understand the arguments made Hindi yesterday. In these circumstances, it is futile to permit Mr. Raj Naran to continue his arguments in Hindi. He has a counsel Mr. D. P. Singh already in attendance and helping him. We suggested the following three alternatives :

(a) that he may argue in English; or

(b) he may allow his counsel to present his case; or

(c) he may give his written arguments in English.

The language of this Court is English (*See* Article 348 of the Constitution) If Mr. Raj Narain is not agreeable to these suggestions, and we understand, he

is not, the only alternative for us to cancel his intervention. We order accordingly."

दिल्ली नगर निगम का चुनाव

1211. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तावित चुनाव की तिथि को रद्द कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 11 के अधीन अनिवार्य शक्तियां निगम के आयुक्त में निहित है और दिल्ली नगर निगम द्वारा सुझायी गयी निर्वाचन की तिथि को केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

झूठे अभ्यावेदनों के आधार पर आयात लाइसेंसों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1212. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभी हाल ही में कई ऐसी फर्मों का पता लगाया है जिन्होंने झूठे अभ्यावेदनों और नकली फैक्टरियों के आधार पर आयात लाइसेंस प्राप्त किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें 22 लाख रु० मूल्य के आयात लाइसेंस गलत बयानी के आधार पर प्राप्त किये गये अभिकथित हैं । चूंकि अभी भी कुछ मामलों की जांच चल रही है, अतः इस समय उनके नाम अथवा ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा ।

भारत द्वारा फिलीपीन में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम की स्थापना

1213. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फिलीपीन में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपक्रमों का स्वरूप क्या है; और

(ग) संयुक्त उपक्रमों द्वारा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) सरकार ने मैं० किर्लोस्कर आयल एंजिन्स लि०, पूना को फिलीपीन में डीजल इंजिनों का निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना क्रियान्वित की जा रही है ।

केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री मण्डलों के आधार की सीमा

*1214. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में संघीय मन्त्रियों पर रुपये व्यय में 150 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो 1960-61 में केन्द्रीय मंत्रियों/उप मंत्रियों का उनके वेतनों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी व्यय का 1970-71 के व्यय के प्रति क्या अनुपात है;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण है;

(घ) क्या इस निरन्तर बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए सरकार का विचार मंत्रि-परिषदों के आकार की सीमा निश्चित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या निदेश हिदायतें दी गई हैं और यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि मंत्रि-परिषदों का आकार उस सीमा से न बढ़े ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग) 1960-61 वर्ष के दौरान मंत्रियों के वेतन व भत्तों इत्यादि पर हुई वास्तविक व्यय और 1970-71 वर्ष के लिए वेतन व भत्तों इत्यादि के बजट प्रावक्लनों का एक विवरण संलग्न है । वृद्धि मुख्य रूप से "यात्रा भत्ता" शीर्ष अधीन है । इस अवस्था में मंत्रियों की उपलब्धियों संबंधी व्यय की कोई ऐसी तुलना सम्भव नहीं है क्योंकि यह व्यय 1960-61 के खातों में अलग से दर्ज नहीं किया गया था ।

(घ) जी नहीं श्रीमान् ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निदेश नहीं दिया है । यह प्रश्न कि किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्या होना चाहिए एक ऐसा विषय है जो पूर्णतः सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

विवरण

	1960-61 में मंत्रि परिषद पर किया गया वास्तविक व्यय	1970-71 के लिए मत्रि परिषद के व्यय का बजट प्रावक्लन
मंत्री तथा उपमंत्रियों का वेतन	11,62,990	13,29,000
भत्ता, मानदेय, इत्यादि	91,275	99,000
यात्रा खर्च	9,58,009	14,40,000
रेलवे/रक्षा विभागों को भुगतान	—	1,60,000
अन्य खर्च	—	—
जोड़	22,12,274	30,28,000

Training of Indian Girls as Nuns by an Institute in Kerala

1215. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in Nirmala Bhavan built with foreign money in Kerala, Indian girls are trained as Nuns for being sent abroad and for their sale there;

(b) whether many institutions in India as well as the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha have protested against this act;

(c) if so, the reaction of Government in the matter;

(d) whether Government propose to ban this institution which encourages such immoral acts; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (e) The enquiry being made into the alleged sale of Kerala girls to work in convents etc. In Western Europe is in progress.

(b) Yes, Sir.

ढली तथा गढ़ी हुई वस्तुओं के निर्यातकों के एक दल द्वारा विश्व का दौरा

1216. **श्री केदार नाथ सिंह :**

श्री दे० अमात :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढली तथा गढ़ी हुई वस्तुओं के निर्यातकों के एक दल को इन चीजों के लिए नए बाजार की खोज करने के लिए विश्व के दौरे पर भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है; और

(ग) उक्त दल द्वारा किन विशिष्ट देशों का दौरा किया जाएगा जिनमें इन उत्पादों की बिक्री की अधिक सम्भावनायें हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) दल के सदस्यों के नाम विवरण में दिये गये हैं ।

उनको, संयुक्त राज्य अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों में ठहरने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक सदस्य को दिये जाने वाले भत्ते की अनुपूर्ति के लिए सरकार ने 312 अमरीकी डालर (प्रतिदिन 8 अमरीकी डालर की दर से 39 दिनों के लिए) मंजूर किये है। संयुक्त राज्य अमरीका में ठहरने के लिए सदस्यों का दैनिक भत्ता तथा यात्रा पर होने वाला व्यय संयुक्त राज्य अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) दल को निम्नोक्त देशों का दौरा करना है :

कीनिया, संयुक्त अरब गणराज्य, ईरान, लेबनान, स्वीटजरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, थाइलैंड तथा सिंगापुर ।

विवरण

1. श्री० ए० पी० एम० मस्करेनहास,
   बिक्री प्रबन्धक,
   ब्रेथवेट एण्ड कं० (आई) लि०,
   हाइड रोड,
   कलकत्ता-43

2. श्री एच० एच० सकियास,
   निदेशक,
   आर० एस० आयरन इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लि०,
   56-डी, फ्री स्कूल स्ट्रीट,
   कलकत्ता-16

3. श्री के० प्रोसाद,
   मैं० प्रोसाद एण्ड प्रसाद,
   4, गनेश चन्द्र एवेन्यू,
   कलकत्ता-13

4. श्री ए० के० बजोरिया,

उपाध्यक्ष,
सैन्ट्रल इंडिया मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कं०,
बिरलानगर,
ग्वालियर (म० प्र०)

5. श्री एस० जी० चक्रवर्ती,
फौंडरी टैक्नोलोजिस्ट,
प्रो० मैसर्स एन० जी० चक्रवर्ती एण्ड कं०,
कलकत्ता-29

Damage Caused by Rivers in Spate

1217. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Irrigation and power be Pleased to state :

(a) the state-wise names of those rivers in the country which were in spate due to excessive rains during the last two months;

(b) the extent of loss of life and property and damage to crops in each States as a result thereof; and

(c) the steps taken by Government to control floods at different places ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The following rivers were in spate in the various States during the months of September and October, 1970 :—

Assam :	Brahmaputra and its tributaries in upper reaches and Barak and its tributaries.
Bihar :	Ganga and Bagmati.
Gujrat :	Tapi, Narmada, Mindola, Purna, Viswamitri, Shedi, Wartak Bhogavo, Bhadar and Shetrunji.
Madhya Pradesh :	Narmada and Tapi.
Orissa :	Mahanadi, Kharasuan, Baitarni and Subarnarekha.
Tamil Nadu :	Pazhayar and Velliyar.
Uttar Pradesh :	Loni, Sai, Gomti and Ghagra.
West Bengal :	Kangsabati, Durbachetti. Kaliyaghye, Silabati, Kapileswari Baliaghye, Subarnarekha, Mundeswari, Damodar, Dwarkeshwar, Mayurakshi, Bhagirathi, Dwarka, Ajoy, Kunoor, Banka, Jalangi, Kara, Kuiya, Kapati, Bakreswar, Tista, Jaldhaka, Kaljani, Nonai, Gadhadhar, Raidok and Haribhanga.
Manipur :	Imphal, Iril, Kongba, Nambul, Thonbal and Wanjung.

(b) The figures of damage due to September and October 1970 floods in the States of Gujrat, Uttar Pradesh, West Bengal and Manipur are indicated in the attached statement. Since figures of damage for only these two months are not available for the States of Assam, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, figures of damage during the monsoon 1970 have been indicated in the statement in respect of these states. The Government of Tamil Nadu have not reported any damage so far.

(c) Flood Cotrol measures such as construction of embankments, raising and strengthening of existing embankments, construction of drainage channes, river training works, town protection works and reservoirs with storage for flood moderation, have been undertaken in the various States. Such measures are being continued,

Statement

Sl. No.	Name of State	Human lives lost.	Damage to Crops		Damage to Houses		Damage to public utilities in Rs. lakhs.	Total Damage in Rs. lakhs.
			Area in lakh ha.	Value in Rs. lakhs.	Nos.	Value in Rs. lakhs.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Damage due to floods in September and October 1970.					
1.	Gujrat	415	1o.3	1695.0	203658	980.9	4255.0	6930.9
2.	Uttar Pradesh	245	14.2	3567.8	534900	2034.9	360.1	5962.8
3.	West Bengal	79	8.3	5729.2	475727	1086.4	1483.7	8299.3
4.	Manipur	nil	neg.	8.9	100	1.2	4.7	13 9
			Damage due to floods during 1970.					
1.	Assam	37	2.0	860.3	57746	89.0	93.6	1042.9
2.	Bihar	2	4.0	1374.2	16399	30.9	1.8	1406.9
3.	Madhya Pradesh	45	0.4	N. A.	750	N. A.	2.3	2.3
4.	Orissa	8	3.2	249.1	13265	8.8	63.5	321.4

तमिल चलचित्रों पर श्रीलंका द्वारा प्रतिबन्ध

1218. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि श्रीलंका की सरकार उस देश में तमिल चलचित्रों के आयात पर प्रतिबन्ध न लगाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री से इस विषय पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

पाठकों द्वारा सीधा चन्दा भेजकर दक्षिण भारतीय पत्रिकाओं का श्रीलंका में आयात

1219. **श्री मथावन :**
श्री वंडपाणि :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेकिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल के प्रकाशकों ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका सरकार के श्रीलंका में एजेन्टों के माध्यम से दक्षिण भारतीय पत्रिकाओं के अधिक मात्रा में आयात करने की पद्धति के स्थान पर पाठकों द्वारा सीधा चन्दा भेजने की पद्धति अपनाने के निर्णय के सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार से बातचीत करे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर उस सरकार से कोई बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं। इस विषय पर तमिल के प्रकाशकों से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली के कुटीर उद्योग एम्पोरियम के कार्य के घण्टों में परिवर्तन

1220. **श्री लोजो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के कुटीर उद्योग एम्पोरियम के कार्य के घन्टों में सामान्य दुकानदारी के समय के विपरीत किन परिस्थितियों में परिवर्तन करना पड़ा था;

(ख) परिवर्तन के पश्चात इस वर्ष की बिक्री तथा गत वर्ष की इसी अवधि की बिक्री में क्या अन्तर हैं ; और

(ग) क्या इस बात पर विचार किया गया है कि 6 बजे सायं को एम्पोरियम के बन्द होने से कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी कुटीर उद्योग से सामान खरीदने से वंचित रह जाते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) (1) ग्राहक एम्पोरियम के बाहर प्रातः 10.00 बजे से ही प्रतीक्षा करते रहते थे ।

(2) बीच में दोपहर के भोजन के लिये छुट्टी होने के कारण एम्पोरियम 7.30 बजे सायकाल तक खुला रहता था जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जैसे खरीदारी और अपने परिवार की चिकित्सा आदि के लिए सुविधा नहीं होती थीं ।

(3) एम्पोरियम को 8 घन्टे प्रति दिन खुले रहना होता है और अब दोपहर के खाने की छुट्टी न होने के कारण एम्पोरियम के बन्द होने का समय 6.00 बजे सायंकाल रखना पड़ा है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस परिवर्तन के पश्चात इस वर्ष की बिक्री और गत वर्ष की तत्स्थानी अवधि की बिक्री के तुलनात्मक आंकड़ें दिये गये है ।

(ग) भाग (ख) में निर्दिष्ट तुलनात्मक विक्रय आंकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि 6.00 बजे सायंकाल एम्पोरियम बन्द होने के कारण कार्यालयों के कर्मचारी एम्पोरियम में सामान खरीदने से वंचित रह जाते हैं ।

विवरण

तुलनात्मक विक्रय आंकड़े

1970	रु०	1969	रु०
मई	11,33,121	मई	9,78,595
जून	9,91,173	जून	7,62,452
जुलाई	10,34,526	जुलाई	9,13,081
अगस्त	11,67,175	अगस्त	10,84,978
सितम्बर	11,37,050	सितम्बर	10,76,426

Persons Arrested under Land Grab Movement

1221. Shri Bhogendra Jha .
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Deorao Patil :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the total Number of persons arrested during the period from July, 1970 up till now in various States of the country in connection with the agitation for and occupation by poor peasants and agricultural labourers led by the C. P. I. Kisan Sabha and other organisations and how many of them are still in jails or undergoing prosecution ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of States Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) :

A Statement is attached.

Statement

States	Number of persons arrested	Under going prosecution	In Jail
Andhra Pradesh	6621	2847	—
Assam	526	*	—
Gujarat	1628	111	—
Haryana	410	381	—
Tamilnadu	12757	—	—
Mysore	1801	188	—
Punjab	3070	96	—
Rajasthan	1197	*	*
Meghalaya	—	—	—
Union Territories			
Andaman & Nicobar Islands.	—	—	—
Chandigarh	—	—	—
Delhi	45	—	—
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—
Goa, Daman & Diu	—	—	—
Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands	—	—	—
Manipur	—	—	—
N.E.F.A.	—	—	—
Pondicherry	80	*	—

* Information is being obtained.

Information is awaited from State Governments of Bihar, Orissa, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Uttar-Pradesh and West Bengal and Union Territory Administration of Himachal Pradesh and Tripura.

बेरोजगार इन्जीनियर

1222. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें मालूम है कि देश के रोजगार कार्यालयों के मौजूदा रजिस्टरों में लगभग एक लाख बेरोजगार इंजीनियरों के नाम अब भी दर्ज हैं;

(ख) क्या उनकी शिक्षा की अवधि में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जैसे कम वेतन वाले पद स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है; और

(ग) राष्ट्र की इस अमूल्य निधि के उपयोग के लिए एक जोरदार कार्य में चलाने के सम्बन्ध में कौन से प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान। नियोजन व प्रशिक्षण महानिदेशालय में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता लगता है कि 30 जून, 1970 को देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 60705 इंजीनियर थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मई, 1968 में इंजीनियरों के लिए रोजगार के अधिक अवसरों को पैदा करने के अनेकों उपाय शुरू किये। केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा इन उपायों को कार्यरूप दिया जा रहा है। इन उपायों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के ब्यौरे 31-7-70 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न सं० 823 का उत्तर देते हुए दे दिये गये थे।

ढेंकानाल में बाढ़ से सम्पत्ति और फसल की हानि

1223. **श्री सु०कु० तापड़िया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ भाग विशेषकर ढेंकानाल जिला बाढ़ से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक सम्पत्ति खड़ी फसलों आदि को हुई हानि का ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए सहायता देने की कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के ज़िले में जिनमें ढेंकानाल ज़िला भी सम्मिलित है इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : जी नहीं। बहरहाल राज्य सरकार ने लगभग 40,000 रुपये गृह निर्माण अनुदानों, 50,000 रुपये कृषकों को ऋणों के लिए और 4000 रुपये अहेतुक सहायता और सहायता सामग्री के लाने ले जाने वास्ते आवंटित किए है।

विवरण

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1970 में बाढ़ों के दौरान विभिन्न ज़िलों में जिनमें ढेकानाल ज़िला भी शामिल है, बाढ़ों के कारण निम्नलिखित हानियां हुई हैं :—

1.	प्रभावित क्षेत्र	3.8 लाख हेक्टेयर
2.	प्रभावित जनसंख्या	19.4 लाख
3.	**फसलों को हानि**	
	(क) क्षेत्र	3.2 लाख हेक्टेयर
	(ख) मूल्य	294.1 लाख रुपये
4.	**मकानों की क्षति**	
	(क) संख्या	13,265
	(ख) मूल्य	8.8 लाख रुपये
5.	मृत पशु (संख्या)	26
6.	जन हानि (संख्या)	8
7.	जनोपयोगी कार्यों की हानि	63.5
8.	फसलों, मकानों और जनोपयोगी कार्यों को हुई कुल हानि	321.4 लाख रुपये

ढंकानाल जिले में सूचित हानियां निम्नलिखित हैं—

1.	प्रभावित ग्रामों की संख्या	452
2.	प्रभावित जनसंख्या	3,26,312
3.	प्रभावित फसली क्षेत्र	8,000 हेक्टेयर
4.	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	277
5.	मृत पशुओं की संख्या	5
6.	जन हानि	कुछ नहीं
7.	जनोपयोगी कार्य	(क) सड़के-63
		(ख) ताल आदि-114
		(ग) स्कूल-21
		(ग) तटबंध आदि

भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा समुद्रीय उत्पादों के बारे में सर्वेक्षण

1224. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा दिए गए समुद्रीय उत्पादों सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो, प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) समुद्रीय उत्पादों के विषय में भारत की निर्यात क्षमता पर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का सर्वेक्षण प्रतिवेदन हाल में सरकार को प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

नियम एफ० आर० 56 (ख) के अन्तर्गत "कर्मकार" की परिभाषा

1225. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एफ० आर० 56 (ख) के अन्तर्गत "कर्मकार" शब्द के अर्थ और विषय क्षेत्र में मणिपुर सरकार द्वारा संचालित मनीपुर राज्य परिवहन जैसे परिवहन संस्थानों के गाड़ी चालक भी आते हैं।

(ख) क्या एफ० आर० 56 (ख) के अन्तर्गत 'कर्मकार" शब्द का विषय-क्षेत्र बहुत सीमित है; और

(ग) यदि हां, तो कथित नियम के अन्तर्गत कौन-कौन सी श्रेणी के कर्मकार आये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ख) : मूल नियम 56 की धारा (ख) में दी गई "कर्मकार" की परिभाषा निम्नांकित टिप्पणी में इस प्रकार हैं :—इस धारा में "कर्मकार" से तात्पर्य एक औद्योगिक अथवा वर्कवार्ज संस्थान में कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल शिल्पी से हैं जो वेतन की मासिक दर में नियुक्त किये गए हैं। एफ० आर० 56 (ख) उन कर्मकारों के लिए लागू होता है जो मूल नियमों से शासित होते हैं तथा "कर्मकार" का विषय क्षेत्र तथा इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति जो इस विषय के अन्तर्गत आते हैं, इस नियम में लक्षित किए गए हैं। सरकार के मोटर वाहनों के चालक (मणिपुर राज्य-परिवहन के चालकों समेत) "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते।

टाटा बन्धुओं द्वारा अर्जेन्टाइना में सोडा ऐश संयत्रों की स्थापना

1226. **श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश का निर्माण करने के लिए मैसर्स टाटा बन्धुओं द्वारा अर्जेन्टाइना में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्र को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) (क) और (ख) : 31 दिसम्बर, 1969 को अर्जेन्टीना की सरकार ने एक आदेश प्रख्यापित करके 200,000 टन सोडियम कार्बोनेट प्रति वर्ष तैयार करने वाले एक संयंत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें मांगना प्राधिकृत किया और 26 फरवरी, 1970 को विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की गई। मैसर्स टाटा केमिकल्स से प्राप्त एक आवेदन पत्र पर उस फर्म को टाटा सूडामेरिका लि० नामक एक समवाय बनाने की अनुमति दी गई, ताकि टैंडर का निर्ख तैयार करने के लिए प्रथम कार्यवाही के रूप में तकनीकी अनुसंधान आरम्भ किया जा सके। तत्पश्चात अगस्त में इस फर्म को अल्कलिस अर्जेन्टिनोस एस ए सी आई एफ नामक एक कम्पनी में भाग लेने की भी अनुमति दी गई क्योंकि ऐसा करना निर्ख प्रस्तुत करने के लिए अर्जेन्टीना के कानून के अनुसार अपेक्षित था। पता लगा है कि यह निर्ख नियत तारीख से पहले प्रस्तुत कर दिया गया और इस प्रस्ताव पर, अन्य प्रति-

योगी प्रस्तावों के साथ, अर्जेन्टीना सरकार द्वारा बनाए गए आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। अर्जेन्टीना सरकार का निश्चय प्रतिक्षित है।

पटसन के आन्तरिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण

1227. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कच्चे पटसन के आन्तरिक व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए एक अभिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित अर्थव्यवस्था कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। कच्चे पटसन के सम्पूर्ण आन्तरिक व्यापार को सरकारी क्षेत्र में लेने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले

1228. **श्री सरजु पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सिंह अथरवाल:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के प्रयत्नों के बावजूद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां श्रीमान्, तीन उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त।

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधिपति के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की एक समिति उच्च न्यायालयों में बकाया कार्य की समस्या की जांच कर रही है और समिति की रिपोर्ट के इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व मिलने की आशा है। विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटाने को सुनिश्चित करने के अग्रिम उपायों पर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

बाढ़ सहायता के लिए नियत धनराशि का दुरुपयोग

1229. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सहायता विभाग द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के परिणाम स्वरूप राजस्थान के अलवर जिले में 1969-70 के दौरान "बाढ़ सहायता" के लिए नियत सरकारी राशियों के संबंध में अनियमितताओं और दुरुपयोग के कई मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महालेखाकार, राजस्थान और सहायता विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षा दल के निरीक्षण के परिणाम स्वरूप ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आये हैं। उनका संबंध बिना आवेदन के सहायता प्रदान करना या प्रार्थित या सिफारिश की गई रकम से अधिक देना या दो बार रुपये देना, या देय आदेशों पर दुबारा रकम लिखना, वाउचरों में छल कपट करना, एक्सेक्यूटिव इंजीनियर, सिंचाई अफसर द्वारा अनधिकृत जीप खरीदना, इत्यादि है। ऐसी रकम थोड़ी बतांई जाती है।

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिला कलेक्टर अलवर को अपना मत प्रकट करने और अनियमितताओं को सुधारने के लिए भेजी है। राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने पर की जाएगी। अनधिकृत जीप खरीदने के लिए संबंधित एकसेक्यूटिव इंजिनियर को चार्ज शीट दी गई है।

केरल मध्यावधि चुनाव के दौरान मारे गये व्यक्ति

1230. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मध्यावधि चुनाव के दौरान कितने लोग मारे गए तथा कितने घायल हुए;

(ख) उस राज्य में चुनावों के समय कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की थी; और

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और वे किन-किन राजनैतिक दलों से सम्बन्धित थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दण्ड प्रक्रिया की संहिता का संशोधन करने का निर्णय

1231. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस उद्देश्य से आवश्यक विधेयक कब तक संसद में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिनियम के लिए एक व्यापक विधेयक संसद के चालू सत्र में पुरः स्थापित करने का विचार है।

तम्बाकू, पटसन और चाय व्यापार का राष्ट्रीयकरण

1232. **श्री बी० नरसिम्हा राव** :क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया कांग्रेस फोरम फोर सोशलिस्ट एक्शन के हाल ही में मद्रास में हुए विशेष सम्मेलन ने सरकार से तम्बाकू पटसन और चाय व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूस के साथ माल डिब्बों का सौदा

1233. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रूस के साथ माल डिब्बों के सौदे के बारे में फिर से बातचीत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या कोई अन्तिम समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (घ) यद्यपि, भारत से रेलवे माल डिब्बों के निर्यात में भारत सरकार तथा सोवियत संघ सरकार दोनों दिलचस्पी ले रही हैं लेकिन कीमतों केप्रश्न पर समझौता न हो पाने के कारण सोवियत क्रय संगठन, वी/ओ मशीनों-इम्पोर्ट तथा राज्य व्यापार निगम के बीच बातचीत में और कोई प्रगति नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून

1235. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरदस्ती परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाए हैं;

(ख) इस कानून के लागू होने के पश्चात इन राज्यों में कितने लोगों ने धर्म-परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र दिये और कितने मामलों में धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई;

(ग) उपरोक्त कानून के लागू होने से पूर्व प्रत्येक राज्य में धर्म-परिवर्तन की अनुमानित वार्षिक दर क्या थी; और

(घ) सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऐसे कानून न बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) उड़ीसा धार्मिक स्वतन्त्रय अधिनियम 1967 और मध्य प्रदेश धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम 1968 के प्रत्येक की एक प्रति तारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर में दिनांक 6 सिम्बर, 1968 को सदन के पटल पर रखी थी ।

(ख) मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कानूनों में धर्म परिवर्तन के आवेदन करने या उसकी स्वीकृति की आज्ञा देने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इन राज्यों में एक धर्म से दूसरे धर्म परिवर्तन करने के लिए सूचना देने या पंजीकरण करने का कानून नहीं है, अतः पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) धर्म परिवर्तन के लिए बल प्रयोग करने के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता के विद्यमान उपबन्धों से निपटा जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1236. **श्री स० कुण्डू** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित करते के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजनामन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संविधान के अनुच्छेद 222 (1) में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश के स्थानान्तरण की व्यवस्था है जहां ऐसा स्थानान्तरण आवश्यक समझा गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 1950 से 18 स्थानान्तरण हुये हैं।

(ख) दो।

(ग) सरकार की नीति है कि जब आवश्यक हो स्थानान्तरण किये जाएं।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने की कसौटी

1237. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों से भी अभ्यावेदन आमंत्रित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजनामन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का चयन करें। योजना आयोग ने विकास के उन सूचकों के बारे में सुझाव दिया था जिन्हें वे इस काम को करने में उपयोग में लाएं। अपनी राज्य योजना के अंग के रूप में भी राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। अतः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिये योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को अलग से आमन्त्रित करने का प्रश्न नहीं उठता।

Employment of Retired Judges of Supreme Court and High Courts

1238. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to effect changes in their present policy of giving employment to the retired judges of the High Courts and that of the Supreme Court and entrusting them offices of profit; and

(b) if so, the details of the changes proposed ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कपड़ा निगम द्वारा संकटग्रस्त मिलों का पुनः चालू किया जाना

1239. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा निगम ने कुछ संकटग्रस्त मिलों को पुनः चालू करने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1240. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) Whether the price of rubber has been increased from Rs. 415/- per quintal to Rs. 520/- per quintal; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) & (b) On the recommendations of the Tariff Commission, Government have fixed the price of raw rubber at Rs. 520/- per quintal RMA Grade I with effect from 12th September, 1970.

देश में आत्महत्या की घटनाओं का सर्वेक्षण

1241. **श्री देविन्दरसिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की घटनाओं का कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आत्महत्याओं के कारण का पता लगाने और उनको रोकने के उपायों का सुझाव देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक अनुसन्धान करने की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार का विचार यह कार्य आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसन्धान प्रभाग ने 1964 से अन्य बातों के साथ-साथ देश में सांख्यिकी विश्लेषणों के अलावा आत्महत्या की घटना उसके कारणों, प्रवृत्तियों इत्यादि के अध्ययन का एक वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया। यह कार्य नये रूप से स्थापित पुलिस अनुसन्धान व विकास ब्यूरो द्वारा चलाया जा रहा है।

(ग) से (ङ) इस वार्षिक पुनरीक्षण को ध्यान में रखकर इस समय अखिल भारतीय आधार पर पूरे पैमाने पर अनुसंधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

Sale and Pur chase of Cotton

1242. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the policy of Government in regard to the sale and purchase of cotton within the country;

(b) whether the cotton traders have strongly opposed this policy while the reaction of the producers is otherwise; and

(c) the programme chalked out by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) There are no restrictions on the sale and purchase of domestic cotton, except that in the case of mills certain stock limits have been prescribed.

(b) Government is not aware of any opposition from the traders not of any specific reaction of the producers .

(c) Does not arise.

यूगोस्लाविया से माल डिब्बों का सौदा

1243. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री एस० आर० दामानी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया को 10,000 माल डिब्बे बेचने के सौदे के मूल्य के अभी तक तय न होने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

(ख) क्या मूल्य निर्धारण न होने के कारण ही रूस को माल डिब्बे बेचने का सौदा पूरा न हो सका; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के स्थान पर किसी अन्य मंत्रालय/सरकारी दल को इस सौदे के बारे में बातचीत करने को कहा जाएगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं । राज्य व्यापार निगम ने यूगोस्लाविया से 3600 माल डिब्बों की सप्लाई के लिए एक संविदा करली है । इसके अलावा राज्य व्यापार निगम का विचार 10,000 माल डिब्बों की प्राप्ति के लिए यूगोस्लावियन रेलवे द्वारा आरम्भ की गई विश्वव्यापी निविदा पूछताछ में भी भाग लेने का है ।

(ख) सोवियत, क्रय सगठन वी० ओ० मशीनोइम्पोर्ट तथा राज्य व्यापार निगम (भारत) के बीच मूल्य के प्रश्न पर सहमति न होने के कारण अभी तक वाणिज्यिक संविदा नहीं हो सकी है ।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

चाय निगम की स्थापना करना

1244. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में चाय निगम की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निगम देश में चाय व्यापार में वृद्धि करेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं !

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) चाय

निगम की स्थापना तथा इसके योगदान से सम्बन्धित प्रस्थापना सक्रिय रूप से विचारधीन है

बेरोजगार इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण योजना

1245. **श्री रवि राय :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के बारे में पहले ही सहमति दे दी है?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपर्युक्त योजना को राज्य स्तर पर चालू करने के लिए राज्यों में परिचालित किया गया था यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय ने इन्जीनियरी उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए तथा नए उद्योग स्थापित करने के लिए योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से हाल ही में एक योजना तैयार की है ।

(ख) योजना के ब्यौरे विवरण में दिए जाते हैं ।

(ग) वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार यह योजना केन्द्रीय होगी और केन्द्रीय सरकार की ऐजेंसियों द्वारा चलाई जाएगी । इसे राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वियन में उनके सहयोग की मांग करते हुए परिचालित किया जा रहा है ।

विवरण

1. भारत सरकार लघुमान क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने तथा उनको अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिए इन्जीनियरों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना पर विचार कर रही है । इस उद्देश्य के लिए चौथी योजनावधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक करोड़ रुपये और अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए आवंटित किए गये हैं । यह केन्द्रीय योजना होगी और राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार की ऐजेंसियों द्वारा चलाई जाएगी ।

2. इस योजना के अन्तर्गत नये उद्योग स्थापित करने के लिए शिल्पी योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को तीन महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी । प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए होगा । यह कार्यक्रम मोटे तौर पर उनके लिए बनाया गया है जिन्हें अपनी प्रायोजनाओं के निर्माण के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता है । यह उनको विशिष्ट क्षेत्र में कुछ वर्तमान उद्योगों को पहले देखने का अवसर भी प्रदान

करेगा। प्रत्येक इंजीनियर उद्यमी की उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान स्वयं परियोजना की सम्भाव्यता की रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की जाएगी। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को आवास तथा भोजन या उसके बदले 250 रुपये माहवार उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. इस योजना के अन्तर्गत परिकाल्पित की गई आर्थिक सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेंगे। यह (सहायता) अनुपूरक होगी और स्टेट बैंक, राज्य वित्त निगम और अन्य विकासमान एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली साधारण वित्तीय सहायता को निस्सारण नहीं करेगी। सहायता वित्त संस्थाओं द्वारा साधारण दरों पर ऋण देने के 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए सहायतार्थ होगी।

4. यह आशा की जाती है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2000 इंजीनियर उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

दिल्ली से एक जवान लड़के को देवी की बलि चढ़ाया जाना

1246. **श्री रविराय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 अक्तूबर के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के गांधी-नगर में एक जवान लड़के को काली देवी की बलि चढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार से नर बलि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार देखा है। दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट मिली कि गांधी नगर-शाहदरा निवासी ने किसी समय सन् 1966 में जिला सहारनपुर के गांव कलावती में महाकाली को प्रसन्न करने के लिए अपने लड़के की बलि चढ़ाई है। यह भी बताया गया कि उसने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया और उसको उसके भाई तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। उसके विरुद्ध गांधी नगर पुलिस थाने में धारा 506 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/150 के अन्तर्गत भी उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/364/201 के अन्तर्गत सहारनपुर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया बताया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत जैसा कि ऊपर कहा गया है उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी पत्नी के भी बयान लिए गए। जांच पड़ताल के लिए उसे सहारनपुर की पुलिस के हवाले किया गया है।

जान बूझकर या ऐसी मनशा से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना कानून के अन्तर्गत अपराध है।

Steps to Prevent Defections in Legislatures

1247. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) the progress made in the direction of preventing defections in the Legislatures;

(b) whether Government have received certain suggestions in this regard; and

(c) if so, whether Government propose to arrive at a decision in this regard by convening a meeting of the leaders of all the parties ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) :(a) to(c) To give effect to the recommendations made by the Committee on Defection, draft Bills to amend the Constitution and the Government of Union Territories Act 1963 , have been prepared. Before introducing the Bills, it is proposed to discuss the legislative proposals with leaders of political parties.

चन्डीगढ़ फैसले के पुनरीक्षण की मांग

1248. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा तथा पंजाब दोनों ही राज्यों ने चण्डीगढ़ फैसले के पुनरीक्षण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में महाराष्ट्र और गुजरात से बम संघटकों की तस्करी

1250. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों से बड़ी मात्रा में बम संघटकों की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उन दूसरे राज्यों को जहां इनका निर्माण किया जाता है यह बताए कि इन संघटकों को गोला बारूद ही समझा जाय;

(ग) क्या इन संघटकों की चोरबाजारी के मामले में कुछ गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को ऐसी सूचना नहीं है।

(ख) बम बनाने के लिए प्रयोग होने वाले मुख्य अंश पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर

है, दोनों को हथियार अधिनियमों और विनियमों के अन्तर्गत गोला बारूद के मूल अंश माना जाता है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कहा गया है कि कारगर कदम उठाकर यह सुनिश्चित करें कि पोटेशियम क्लोरेट का बहिर्गमन न होने पाये।

Replies by Ministers to the Letters of Members of Parliament

1251. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether some of the letters written by some Members of Parliament are not replied to at all or replies there to are sent after inordinate delay by her and other Ministers;

(b) whether she is aware that replies to some of these letters are not sent by the Ministers under their signatures but they are signed by their Private Secretaries and in some cases even cyclostyled letters are sent in reply there to; and

(c) whether she has given any directions to the Ministers in this regard and if so the details thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) (b)The factual position in so far as it relates to the Prime Minister is that communications from Mem- bers of Parliament are attended to promptly and replies or acknowledgements sent as soon after the receipt of the communication as possible. The replies are as a rule, issued over my own signature. Interim acknowledgements are, however, sent over the signatures of a member of the personal staff or an officer of appropriate status. No cyclostyled replies are issued.

The position in so far as it relates to other Ministers is being ascertained. A statement will be laid on the table of the house in due course.

(c) The reply given on 26-6-1967 in response to Lok Sabha Unstarred Q. No. 3587 was brought to the notice of all members of the Council of Ministers.

राज्यपालों के विरुद्ध शिकायतें

1252. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालयों के गठन के बारे में राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध 1967 के आम चुनावों के पश्चात् सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) इसमें अन्तर्ग्रस्त राज्यों और राज्यपालों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्यपाल के विरुद्ध की गई शिकायतों का स्वरूप क्या है; प्रत्येक शिकायत किस तारीख को प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपालों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागो में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) जब राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ मंत्रालयों के बनाने के ढंग की आलोचना होने लगी तो संगत अवसरों पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता रहा और राज्यपालों के विवेकानुसार शक्तियों के प्रयोग से सम्बन्धित ऐसी आलोचना के बारे में कोई अन्य कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझी गई थी ।

(घ) 11 नवम्बर, 1970 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

दिल्ली के नगर पारषदों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

1253. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन नगर पारषदों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों को शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) प्रत्येक पार्षद के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं;

(ग) उन पार्षदों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की गई;

(घ) जांच का क्या परिणाम है; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) जिन मामलों में जांच कार्य पूरे नहीं हुए हैं उनमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और जांच कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरों को नगर पार्षद श्री राम प्रकाश गुप्त के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी । बताया गया था कि उन्होंने अनधिकृत निर्माण किया था और निगम के अधिकारियों की मूक आज्ञा से दिल्ली नगर निगम की भवन सामग्री, श्रमिक और ट्रक का प्रयोग किया था । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने इन आरोपों की जांच की है और नगर निगम को विचार के लिए एक रिपोर्ट भेजी है ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के कर्मचारियों की छंटनी

1254. **श्री ई० के० नायनार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के बैरकपुर तथा 24-परगना डिविजन से सम्बन्धित बहुत से कर्मचारियों की हाल में छटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों

में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Conference of Governors

1255. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the annual conference of Governors would be held in New Delhi on the 20th November, 1970; and

(b) if so, the subjects proposed to be discussed therein ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) and (b) Yes Sir. The Conference of Governors is held every year to discuss matters of general interest to the country. At the forth coming conference, the Governors are likely to discuss the political and administrative situation in the States as well as the economic situation in the country .

Instructions to States for Increasing Rates of Electricity

1256. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister **of Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Central Government had recently given instructions to the various State Governments to increase the rates of Electricity;

(b) if so, the details of the instructions or advice given to them in this connection; and

(c) the reaction of State Governments thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) The Central Government has been reviewing periodically the progress of various State Electricity Boards in improving their financial working to achieve the rates of return on capital base as contained in Re olution No. EL--II--3 (1)/64 dated 3rd March, 1965 issued by the Government of India . These rates of return are to be achieved by adoption of various measures like revision of tariffs, effecting economics and improving the efficiency of the Boards . The progress made in this regard including steps taken by the various State Electricity Boards to increase the tariffs and to effect economics was reviewed at rhe Conference of State Minister of Irrigation and Power held at Ootacamund on 24th and 25th September, 1970 .

पोलैंड के साथ नये व्यापारिक करार

1257. **श्री मयाबन** :
श्री दन्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पोलैण्ड के बीच व्यापार का एक नया करार हुआ है; और

(ख) यदि हां तो पहले करारों की अपेक्षा यह करार भारत के लिए कहां तक लाभदायक है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख) वर्ष 1971 के लिए व्यापार संलेख पर अक्तूबर 1970 में वारसा में हस्ताक्षर किये गये हैं। संलेख की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं। संलेख में आगामी वर्ष में अधिक विभागी व्यापार विनिमयों की व्यवस्था की गई है।

नागाओं द्वारा मारोंग के निकट मारे गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी

1258. **श्री मयाबन :**

श्री दन्डपाणि :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 22 सितम्बर, 1970 को मारोंग के निकट युद्ध विराम क्षेत्र में विद्रोही नागाओं ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के पांच कर्मचारियों को मार दिया और उनके हथियार तथा गोला-बारूद छीन ले गए;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन महीनों से पाकिस्तान द्वारा युद्ध जैसी कार्यवाहियां करने के कारण विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियों में वृद्धि हुई; और

(घ) यदि हां तो पाकिस्तान की सहायता से नागाओं की बढ़ती हुई कार्यवाहियों से उत्पन्न स्थिति की सामना करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 22 सितम्बर, 1970 की प्रातः मनीपुर के माओ क्षेत्र में मरम खुनोव के समीप कुछ अज्ञात नागा विद्रोहियों द्वारा 8 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के गश्ती दल पर घात लगाई गई थी। भारी गोलाबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के छः कर्मचारी मारे गए और पांच जख्मी हुए। कुछ हथियार व गोला-बारूद की भी क्षति हुई। एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल हो रही है। अपराधियों को पकड़ने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) छुपे हुए नागाओं, विशेषकर मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में नागाओं की गतिविधियों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है।

(घ) विद्रोही तत्वों की गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी गश्त तथा सतत निगरानी रखी जा रही है। छुपे नागाओं के पाकिस्तान को जाने तथा वापिस आने को रोकने के सभी सम्भव प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई हानि

1259 **श्री प्र० के० देव :**

श्री रवि राय :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में तूफान आया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति, खड़ी फसलों, पशु धन आदि को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तूफान पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि अक्तूबर, 1970 के अन्तिम सप्ताह के दौरान 24 परगना के तटीय क्षेत्रों में एक भारी चक्रवातीय तूफान आया जिससे बासीरहाट और डायमंड हारबर उप-मण्डलों के 10 ब्लाक प्रभावित हुए। अभी तक किए गए मूल्यांकन के अनुसार 2-1/2 लाख एकड़ भूमि में लगभग 40% फसलों को क्षति पहुंची है। 4 नौकाएं टूटकर डूब गईं। एक व्यक्ति मरा और 10,000 मकान गिर गए। बहरहाल, तटबन्धों और सिंचाई संरचनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंची। राज्य सरकार ने क्षति का मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं किया है।

राज्य सरकार ने आवश्यक राहतकारी उपाय हाथ में लिए हैं। अहेतुक सहायता के रूप मे 2256 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया है। गृह निर्माण अनुदान और राहतकारी सहायता के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकार की गई है।

जापान को निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाना

1260. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जापान को औद्योगिक वस्तुओं और विशेषकर श्रम प्रधान वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां तो क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) क्या ऐसी वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में जापान के साथ किसी समझौते पर बात-चीत की गई है या हस्ताक्षर किए गए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग) जी हां। उद्योग तथा औद्योगिकी में तीव्र विकास तथा बढ़ती हुई मजदूरी के कारण, जापान औद्योगिक उत्पादन के कुछ क्षेत्रों, जिनमें विशेषतः श्रम प्रधान वस्तुओं का क्षेत्र है, में कुशल श्रमिकों का अभाव अनुभव कर रहा है। कतिपय संघटकों तथा गौण असम्बलियों सम्बन्धी जापानी उद्योग

की आवश्यकता को पूरा करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारत तथा जापान के बीच पारस्परिक विनिमय के आधार पर व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के दलों द्वारा दोनों देशों के दौरे किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अध्ययन किए जा रहे है जो परस्पर प्रतिपूरक हैं। इस विषय पर सरकारों के स्तर पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तथापि जापान को भारत से होने वाले निर्यातों में, जिनमें औद्योगिक माल के निर्यात भी शामिल है, वृद्धि हुई है।

भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था द्वारा निर्यातकर्ताओं को दिये गये सुझाव

1261. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान ने उन प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जो निर्यातकर्ताओं द्वारा अपनी वस्तुओं के निर्यात के लिए अपनाई जाती हैं।

(ख) यदि हां, तो संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में निर्यातकर्ताओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले गतिरोध को समाप्त करने को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने इन सुझावों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश और उस पर सरकार के विनिश्चय दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश और उस पर सरकार के निर्णय।

सिफारिश संख्या	सिफारिश का स्वरूप	सरकार का निर्णय
(1)	(2)	(3)
1.	तिमाही के गत अन्तिम महीने में पोत-लदान रखने वाले निर्यातकों के लिए विभिन्न अंतिम तारीख निर्धारित करके आर० ई० पी० आवेदन पत्रों को अलग-अलग करके व्यवस्थित करना चाहिए	स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई।

1	2	3
2.	नियमित निर्यातकों को आयात लाइसेंस नकद राशि चार्टर्ड लेखापाल द्वारा प्रमाणित निर्यातों के विवरण की प्रारम्भिक जांच के बाद ही दी जा सकती है। लाइसेन्स तथा नकद सहायता मंजूर किए जाने के बाद ही व्यापक जांच की जानी चाहिए। मांगे गए मूल्य में और अन्तिम रूप से दिए गये मूल्य में यदि कोई अन्तर हो तो उसका संवंजन भावीहकदारियों पर किया जा सकताहै।	जहां तक पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की मंजूरी से सम्बन्धित आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है, परीक्षण आधार पर स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई।
3.	आयात व्यापार नियन्त्रण हस्तपुस्तिका की कंडिका 85 के अन्तर्गत इस्पात मदों के आयात तथा निर्यात के लिए जिस प्रकार गैर-इस्पात मदों के लाइसेन्स वैध है, उसी प्रकार आर० ई०पी० लाइसेन्स कुछ शर्तों के अधीन सीमा शुल्क के समय बिना किसी रुकावट के लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त वैध ए० यू० लाइसेंसों में दी गई मदों के आयात के लिए वैध बनाए जाने चाहिए	स्वीकार कर ली गई तथा लाइसेन्स धारी द्वारा प्राप्त वैध ए० यू० लाइसेंस के आधार पर स्वचालित आयात की व्यवस्था शुरू करके क्रियान्वित की गई।
4.	आवेदन पत्र के 'क' तथा 'ख' भागों को मिला देना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई और नियम तथा क्रियाविधि 1970 की हस्तपुस्तिका में एक संशोधित आवेदन पत्र देकर क्रियान्वित की गई।
5.	बैंक प्रमाणपत्रों के बीच 'मूल प्रति' तथा 'दूसरी प्रति' का विभेद समाप्त कर देना चाहिए, या शब्द 'मूल प्रति' छपा होना चाहिए या उसका भिन्न रंग होना चाहिए।	बैंक प्रमाणपत्रों के विभिन्न प्रतियों के दो रंगों को शुरू करने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह सहसूस किया गया कि छोटे निर्यातकों को अलग-अलग रंगो में फार्म को छपवाने में कठिनाई होगी। तथापि बैंक प्रमाण पत्र पर 'मूल प्रति' शब्द रबड़ स्टैंप से चिन्हित होगा।
6.	आवेदन पत्र में गत वर्ष के आयकर-सत्यापन प्रमाण पत्र का स्तम्भ भी होना चाहिए।	यह स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई।
7.	आवेदन-पत्र की फीस बैंक ड्राफ्ट द्वारा तथा	सैद्धांतिक रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया

1	2	3
	पूरे साल के लिए फीस एक मुश्त में स्वीकार की जावे ।	तथा इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके व्यापक क्रियाविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
8.	नकद सहायता की स्टाम्प-रसीद आवेदन पत्र पर छिद्रक प्रबन्ध द्वारा संग्लन की जानी चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई ।
9.	लाइसेंस प्राप्ति तथा नकद सहायता के लिए दावा करने हेतु निर्यात विवरण के लिए सामान्य फार्म होना चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई ।
10.	पोत परिवहन बिल तथा उस पर पोत परिवहन पृष्ठांकन के फार्म को मानकीकृत किया जाना चाहिए ।	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करके इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।
11.	निर्यात संवर्धन पंजीकरण प्रमाणपत्रों को संशोधित फार्मों पर पुनः जारी किया जाना चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई ।
12.	रैड बुक (भाग-2) में स्तम्भ 4 को सभी निर्यात मदों के संबंध में पूरा किया जाना चाहिए ।	यह सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर ली गई तथा यथासम्भव अधिक से अधिक निर्यात उत्पादों के मामले में स्तम्भ 4 को पूरा करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।
13.	मुख्य कार्यालयों तथा उनकी शाखाओं को अपने-अपने निर्यातों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र देने की अनुमति दी जानी चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई ।
14.	वित्त वर्ष की समाप्ति पर निधि की कमी के कारण नकद सहायता में देरी नहीं की जानी चाहिए ।	सैद्धांतिक रूप में मान ली गई ।
15.	सुस्थापित आयातकों के मामले में कटौती लगाने के लिए कमी की अवधि को आवेदक को भेजे गए कमी पूरक पत्र की तारीख से गिना जाना चाहिए न कि आवेदन-पत्र की तारीख से । देरी के प्रत्येक मास के लिए कटौती की दर में एक रूपता होनी चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई । विलम्बित/अपूर्ण आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में कटौती लगाने की सम्पूर्ण क्रियाविधि का नवीकरण कर दिया गया है ।

1	2	3
16.	अनुज्ञापन-अनुभागों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले जांच पत्रों (चैक-शीट) को संशोधित किया जाना चाहिए।	यह स्वीकार कर ली गई तथा क्रियान्वित की गई।
17.	कुछ प्रकार के मामलों में, पत्तन कार्यालयों को अग्रिम लाइसेंसों हेतु आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने के अधिकार दिए जाने चाहिएं।	स्वीकार नहीं की गई। अभी अग्रिम लाइसेंसों से संबंधित सभी आवेदन-पत्रों पर आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में एक समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा इस समिति में आर्थिक-कार्य विभाग, विदेशी व्यापार मंत्रालय, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) तथा अन्य संबंधित विभाग के प्रतिनिधि होते हैं, जो एक निश्चित समय पर अग्रिम लाइसेंसों के सभी पहलुओं, जिनमें तकनीकी तथा वित्तीय भी शामिल है, जांच करते हैं। यदि कार्य को विकेन्द्रीकृत कर दिया जाता हैं, तो उससे और अधिक विलम्ब होगा क्योंकि पत्तन लाइसेंसिंग आधिकारियों को, निर्यात के लिए उत्पादों के निर्माण हेतु आवश्यक समझे जाने वाली मदों के आयात, जो स्तम्भ 4 के अन्तर्गत नही आते हैं, की निकासी प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यालय के दफ्तर में निदेश हेतु भेजना आवश्यक होगा। तथापि अग्रिम लाइसेंसिंग आवेदन-पत्रों के निबटाने की गति में तेजी लाने के लिए उपाय किए गए हैं तथा अग्रिम लाइसेंस आवेदन-पत्रों के अंतिम निपटान की अवधि को काफी कम कर दिया गया है। इन आवेदन-पत्रों को अंतिम रूप देने में देरी होने का एक कारण यह है कि आवेदन-पत्रों का अधिकांश भाग किसी न किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण है या निर्धारित क्रियाविधि की कुछ आवश्यक आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई हैं।
18.	अतिरिक्त नकद सहायता को देने की क्रियाविधि को सरल बनाया जाना चाहिए।	सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर ली गई। सुझाव पर और आगे विचार किया जा रहा है।

1	2	3
19.	सार्वजनिक सूचनाएं (पब्लिक नोटिस) तथा अनुदेशों को सरल भाषा में जारी किया जाना चाहिए।	नोट कर ली गई।
20.	उन मामलों में जहां निर्यातकों ने अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं या आस्थगित भुगतान के आधार पर निर्यात कर दिए गए हैं, नकद सहायता देने के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किए जाएं।	सिफारिश स्वीकार करली गई। आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
21.	निर्यात संवर्धन अनुभागों की लेखा-परीक्षाओं की संख्या को कम किया जाए।	नोट कर ली गई।
22.	निर्यात सहायता देने के लिए एक ही अभिकरण होना चाहिए।	नोट कर ली गई।

राष्ट्रपति राज्य लागू होने के बाद से पश्चिमी बंगाल में हत्याएं तथा डाके

1262. **श्री समर गुह :**

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति राज्य लागू होने के बाद से हत्याओं तथा बम विस्फोट की घटनाएं जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो मारे गए आम व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, सिपाहियों की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ग) कितने बम विस्फोट हुए और पुलिस तथा हिंसात्मक तत्वों के बीच कितनी बार गोली बारी हुई।

(घ) क्या इन हिंसात्मक तत्वों में विभिन्न राजनैतिक दलों के राजनैतिक कार्यकर्ता तथा असामाजिक अपराधी तत्व शामिल हैं; और यदि हां, तो वे किन संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं;

(ङ) आग्नेय शस्त्रों और बम विस्फोटों तथा पुलिस द्वारा पकड़े गए घातक शस्त्रों की संख्या कितनी है और पुलिस की कार्यवाही के दौरान किन स्थानों में कर्फ्यू लागू किया गया;

(च) हिंसात्मक कार्यवाहियां करते समय गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और सम्बद्ध न्यायालय द्वारा दंडित किया गया; और

(छ) पश्चिमी बंगाल की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) से (च) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-4-1970 और 31-10-1970 के बीच राज्य में 341 हत्याएं की गई जिनमें से 172 हत्याएं राजनैतिक थीं। मारे गए पुलिस कर्मचारियों की संख्या 25 थी। पुलिम कर्मचारियों पर हमला करने की 526 घटनाएं हुईं। पुलिस ने 291 हथियार और 1738 गोला-बारूद के तत्व बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्तारियों की कुल संख्या 13,519 थी और 1825 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। अपराधों के लिए सजा दिए गए व्यक्तियों की संख्या 175 है। अधिक ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है।

(छ) राज्य सरकार विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है और केन्द्र सरकार द्वारा उसको अतिरिक्त पुलिस बल, उपकरण और आसूचना एकत्रीकरण समेत आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल पुलिस को पुनः मान्यता देना

1263. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल पुलिस संघ को जो कि वर्ष 1927 से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुलिस कर्मचारी संगठन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती रही थी; संयुक्त मोर्चा सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा विधानसभा के भंग होने के कुछ ही दिन पूर्व अमान्य करार दे दिया गया था;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल पुलिस संघ को पुनः मान्यता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेलग्रेड में भारत, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य मंत्री स्तर पर त्रिपक्षीय सम्मेलन

1264. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलग्रेड में भारत यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्री-स्तर पर त्रिपक्षीय सम्मेलन में एक घोषणा की गई थी जिसमें आर्थिक सहयोग तथा प्रशुल्कों में संशोधन करने के लिए व्यवस्था की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा की अन्य मुख्य बातें क्या है और इस सम्बन्ध में क्या व्यवहारिक कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) यूगोस्लाविया में सितम्बर, 1970 में हुई भारत, यूगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्रिस्तरीय त्रिपक्षीय सम्मेलन में "विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग हेतु व्यवस्थाओं से सम्बन्धित घोषणा" पारित की गई। इस घोषणा की एक प्रति विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4305/70] वाणिज्यिक सहयोग के, जिसमें विशेष टैरिफ व्यवहार शामिल है, अतिरिक्त घोषणा में औद्योगिक सहयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग, अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग, पर्यटन के विकास में सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सहयोग के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यवाही करने के लिए तीनों देशों के प्रतिनिधियों से मुक्त संयुक्त कार्यकारी दल गठित किए गये हैं। तीनों देशों के मंत्रियों से संबंधित एक समिति आनुषंगिक निकायों के कार्य का मार्ग दर्शन तथा निर्देशन करेगी और प्रगति की समीक्षा करेगी।

Arrest of Naxalites as a result of action by C. R. P.

1265. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Valmiki Choudhary:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of Naxalites arrested as a result of the action taken by the Cen tra Reserve Police during the last one year and the number of those killed in sudden clashes;

(b) the total number of officers and Jawans of the Central Reserve Police awarded prizes during the aforesaid period and the total amount distributed in the shape of prizes; and

(c) the details of the arms and ammunitions and other things recovered in the drive launched by the Central Reserve Police during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) Information is being obtained.

Pakistan National living in Uttar Pradesh and Rajasthan after expiry of their Passports.

1266. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Meetha Lal Meena :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such underground Pakistani citizens living in Uttar Pradesh and Rajasthan who had come to India on valid passports but had not gone back to Pakistan; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government to repartriate them ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) As on 30th September, 1970, their number was 815 in Uttar Pradesh and 187 in Rajasthan.

(b) Besides issuing look-out notices, vigorous efforts are being made to trace and deal with them according to law.

India's trade with East European Communist Countries

1267. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state:

(a) the volume of trade which took place between India and the East Europeon Communist countries during the last two years and its value in Indian currency.

(b) the names of those countries with which trade agreements exist at present and the estimated rupee value of trade likely to take place during the financial year 1970—71; and

(c) the names of sole Indian as well as foreign agents for the trade with the Eastern countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chaudhary Ram Sewak): (a) The total volume of trade exchanges (both ways) between India and East European countries have been of the order of Rs. 5757.54 million in 1968--69 and Rs. 5890.46 million in 1969--70.

(b) The names of the countries with which trade agreements exist at present are Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Rumania, U. S. S. R. and Yugoslavia. In the financial year 1970--71 trade turnover is expected to increase by about 10%.

(c) Except for items canalised for export or import through the S. T. C., M. M. T. C. and other state trading agencies, trade in other items is open to the business community in accordance with the rules and procedures currency in force.

Statement By Ex-Deputy Prime Minister for Appointing an Independent Tribunal for Naming Communal Parties.

1268. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Goverment has been drawn to the statement issued by the ex-Deputy Prime Minister of Indla, Shri Morarji Desai, in the Press on October 6, 1970 at Bikaner, for appointment of an independent tribunal by Government in order to find out which party in the country was communal and which party was not communal; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) & (b) No such statement has come to notice of the Government, but inquiries are being made to ascertain facts.

Imposition of Protective Tariff by certain countries.

1269. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a statement made by the President of the International Chamber of Commerce, published in the Statesman dated the 3rd October, 1970, that certain countries propose to impose 'Protective Tariff' which would lead to trade-war in rhe world;

(b) if so, Goverment's reaction thereto; and

(c) the efforts being made by Government in order to forestall the move ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chaudhary Ram Sewak) : (a) & (b) Yes, Sir.

Government is aware of the proposals of certain major industrialised countries to apply protective tariff and other restrictions on their import and is concerned over the repercussions which such measures will have on international trade.

(c) India is keeping in touch with developments in the matter and is following the international consultations aimed at reducing the threat of disruption to multilateral trade arrangements by the protectionist measures contemplated by the major industrialised countries in question.

Floods in Rivers of District Unnao, Uttar Pradesh

1270. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the rivers of District Unnao (Uttar Pradesh) were in spate due to excessive rains and it resulted in considerable loss of life and property.

(b) if so. the number of lives lost as a result there of ; and

(c) the measures being adopted by Government for the flood control.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri (Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) Yes, due to excessive rains the rivers were in spate and spilling took place flooding the areas. Drainage congestion also aggravated the situation resulting in considerable damage to property and crops. 22 persons are reported to have lost their lives.

(c) The State Government have under consideration proposals for construction of new drains, remodelling of existing drains and providing additional water ways under bridges on the Sai river.

Popularisation and Advertisement of Khadi and Handloom in Foreign Countries

1271. **Shri Valmiki Chaudhary :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) The efforts made by Government to popularise and advertise the Khadi and Handloom in order to create markets for them abroad.

(b) The names of the countries with which we have the Khadi trade at present, and

(c) The foreign exchange earned as a result of the Khadi trade during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Choudhary Ram Sewak): (a) Information relating to Khadi is being collected and will be laid on the table of the House.

As regards handloom goods a statement is enclosed.

(b) & (c) Information is being collected and will be laid on the table of the house.

Statement

So far as handloom goods are concerned, the following efforts have been made–

(a) **Advertisement abroad through Fashion Magazines, Newspapers etc.:** The Handloom Export Promotion Council gave extensive publicity by taking advertising space in laeding fashion magazines, Newspapers. etc., in West Germany, France, Italy. Nordic countries, South East Asia, U. S. A., etc.

(b) **Participation in Exhibitions abroad:** In order to fully avail of the duty-free concessions given by the EEC countries, the Handloom Export Promotion Council had participated in exclusive Textile Fairs held in West Germany and Belgium. The Council had also participated in the International Textiles Fair held in Belgrade in 1968, in order to popularise the immense varieties of handloom fabrics available for exports. It had also participated in Expo '70, Osaka, Japan, and the Indian Industries and Trade Fairs held in Singapore and Malaysia during 1970. By way of indirect participation, it had donated handloom silk and cotton fabrics for the Christmas International market Exhibitions held in Rome in 1968. It had also participated through the Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions, in exhibitions held in Sydney, Barcelona (Spain), Djakarta. etc,

(c) **Publications for use abroad:** The Handloom Export Promotion Council had brought out a Prestige Catalogue on Indian Silk and Cotton containing swatches of different varieties of handloom fabrics available for exports. This publications was distributed, through the Indian Missions abroad, to leading Importers of handloom fabrics etc. A folder entitled 'A Handloom Home' highlighting the suitability of handlooms for furnishings and household lines etc. was also brought out in English, Italian, French and German and was extensively distributed abroad.

(b) **Sponsoring of Delegations, Study Teams etc :** In order to study the market conditions abroad and develop contracts the Handloom Export Promotion Council had sponsored delegations to the following countries in the years shown against each :–

Country	Year
U. S. A.	1966
South East Asia, Australia and	1967

Country	Year
New Zealand	
E. C. M. Countries	1968
Spain, E. C. M. and Nordic Countries.	1970

कनाडा द्वारा राना प्रतापसागर विद्युत रिएक्टर के ईंधन हेतु भारी जल की सप्लाई करने में असमर्थता व्यक्त किया जाना

1272. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** (क) क्या कनाडा ने राजस्थान में कनाडा की सहायता से चल रहें राना प्रतापसागर विद्युत रिएक्टर के ईधन हेतु भारी जल की सप्लाई करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) क्या कनाडा ने राना प्रताप सागर रिएक्टर को अमरीकी स्त्रोतों से भारी जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो अमरीकी भारी जल किन शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) क्या ये शर्तें भारत सरकार को मान्य है?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (घ) कनाडा के साथ किए गये एक करार के अन्तर्गत राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के लिए आवश्यक भारी पानी, कनाडा ने सप्लाई करना है। यह भारी पानी दीर्घकालीन पट्टे पर प्राप्त होना है जिसे तत्काल खरीदा भी जा सकता है। इस करार के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, जिसका निर्माण कनाडा के भारी पानी के उत्पादन में बिलम्ब होने के कारण उपरोक्त करार पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, भारी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्तरिम प्रबन्ध करना आवश्यकता हो सकता है। कनाडा ने सुझाव दिया है कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट को चालू करने के लिए आवश्यक भारी पानी अन्तरिम प्रबन्ध के रूप में अमरीका द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

फ़ैडरेशन आफ इंडिया एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की दिल्ली में हुई बैठक

1273. **श्री दण्डपाणि :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1970 में फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या संवर्धन परिषद ने चालू वर्ष का निर्यात संतोषप्रद बताया है; और

(ग) इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) बैठक में उपस्थित सदस्यों ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के असन्तोष जनक निर्यात निष्पादन, पर विचार किया।

(ग) बैठक में निर्यात निष्पादन की समीक्षा की गई तथा वस्तुवार समस्याओं यथा प्रोत्साहन, कार्यचालन सम्बन्धी विलम्ब और जहाजरानी सम्बन्धी कठिनाइयों आदि पर चर्चा हुई। निर्यात संवर्धन परिषदों की संगठनात्मक समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

निर्यात नीति संकल्प का क्रियान्वयन

1274. **श्री जे० अहमद** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या निर्यात को नियमित तथा निरन्तर रूप से चालू करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) वैदेशिक व्यापार में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का पृथक-पृथक कितना भाग है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) निर्यात नीति संकल्प 30 जुलाई, 1970 को संसद-पटल पर रखा गया था और इसके कार्यान्वयन का प्रश्न इस समय निरन्तर सरकार के ध्यान में है और वे व्यापक आधार निम्नलिखित हैं जिनमें ऐसी कार्यवाही करने का विचार है अथवा ऐसी कार्यवाही की जा रही है;

1. निर्यात अभिमुख उत्पादन के विकास के लिए निर्यात संभाव्यता वाले उत्पादों का पता लगाने के लिए विभिन्न अध्ययन शुरू किये जा रहे हैं।

2. परम्परा गत निर्यातों के सम्बन्ध में, निर्यात निष्पादन में सुधार करने के लिए उत्पाद अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इंस्टेंट चाय, कालीन अस्तर वस्त्र आदि जैसे उत्पादों का विकास किया जा रहा हैं और उनके निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3. गिरियों के रूप में निर्यात के लिए साधित करने के लिए कच्चे नटों की सहज तथा पर्याप्त पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए काजू निगम की स्थापना की गई है।

4. कच्ची रुई के आयात और इसके उचित वितरण के प्रभावी आयोजन के लिए कई निगम स्थापित किये गये हैं।

5. व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना हो चुकी है और यह एकाकी निर्यातकों को सर्वांगीण सहायता प्रदान करेगा और सूक्ष्म स्तर पर व्यौरों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह विद्यमान निर्यात संवर्धन संगठनों, सरकारी विभागों, व्यापार मिशनों आदि से प्राप्य सहायता तथा सेवाओं को भलीभांति समन्वित तथा तीव्रगामी युक्ति से सुनियोजित का प्रयत्न और इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना होगा।

9. निर्यात नीति संकल्प में विहित निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्यात संबंधी

विभिन्न मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए अध्ययन दल की स्थापना की जा चुकी है और श्री चरत राम इसके अध्यक्ष है तथा उद्योग, सरकार तथा विशेषज्ञ संस्थाओं और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राज्य व्यापार निगम, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान आदि के सदस्य इसमें रखे गये हैं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम, खनिज व धातु व्यापार निगम को अधिक उत्तरदायित्व सौंप कर इस विदेशी व्यापार संस्थान क्षेत्र के योगदान को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है । राज्य व्यापार निगम सहायक संस्थान स्थापित की जा रही है जैसे परियोजना उपकरण निगम, व्यापार विकास प्राधिकरण रुई निगम, और प्रस्तावित समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण की स्थापना हो रही है।

निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार परामर्शदात्री परिषद द्वारा की गई सिफारिशें

1275. **श्री नि० र० लास्कर :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या 23 अक्तूबर, 1970 को, नई दिल्ली में व्यापार परामर्श-दात्री परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात संवर्धन परिषदों के विचार व्यापार परामर्शदात्री परिषद् की 22 अक्तूबर, को हुई बैठक के समक्ष रखे गये;

(ग) यदि हां, तो निर्यात में कमी होने के बारे में निर्यात संवर्धन परिषद का क्या विचार था; और

(घ) व्यापार परामर्शदात्री परिषद् ने किन विषयों पर चर्चा की;

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) 24 तथा 25 अक्तूबर, 1970 को व्यापार सलाहकार परिषद् की एक बैठक नई दिल्ली में हुई थी। निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। प्रतिनिधयों द्वारा व्यक्त किये गये अधिक महत्वपूर्ण विचारों का सारांश संलग्न विवरण 'क' दिया गया है।

(घ) व्यापार संबंधी मुख्य विषय जिन पर व्यापार सलाहकार परिषद् में चर्चा की गई थी, संलग्न विवरण 'ख' दिए गए हैं ।

विवरण 'क'

सूती वस्त्र :

1. उचित कीमत पर रुई की सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए।

2. उद्योग की संरचना लागत में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता है।

3. उद्योग के आधुनीकीकरण के अभाव को पूरा किया जाना चाहिए।

4. वर्तमान प्रतिपूर्ति योजना में सुधार होना चाहिए।

प्लास्टिक की कमी :

1. जो कच्ची सामग्री स्वदेश में उपलब्ध नहीं है, उसके आयात के लिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

2. पटसन उद्योग के लिए पोलिथिलीन के अस्तर वाले पटसन के बोरों के लिए निम्न-घनत्व वाली पोलिथिलीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3. मार्गीकृत कच्ची सामग्रियों के सम्बन्ध में, आयातों में विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता है।

चमड़ा :

1. चमड़े से बने माल पर उत्पाद-शुल्क कम कर दिया जाना चाहिए।

तम्बाकू :

1. तम्बाकू की खेती उन्हें श्रेणीबद्ध करने तथा उसका विपणन करने की सम्पूर्ण क्रियाविधि का पुनर्योजन किया जाना चाहिए।

2. हमारे एगमार्क, अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणीकरण के अनुरूप होने चाहिए।

3. तम्बाकू पर निर्यात शुल्क का पुनरीक्षण होना चाहिए।

इन्जीनियरी माल :

1. निर्यात एककों को इस्पात की सप्लाई में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सामान्य :

1. पत्तनों तथा औद्योगिक एककों में लम्बी तथा आकस्मिक हड़तालें तथा देश भर में औद्योगिक उत्पादन में अन्य प्रकार की अव्यवस्था से उत्पादन में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप निर्यातों में गिरावट आती है।

2. आन्तरिक बाजार में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए निर्माता निर्यातों के लिए अपने उत्पादन का कुछ अंश उपलब्ध कराने के इच्छुक नहीं हैं। उपभोक्ता माल की स्वदेश में अधिकाधिक मांग और कतिपय आवश्यक माल की कमी हमारे निर्यात संवर्धन प्रयत्नों में बाधक बन रही है।

3. अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक उत्पादन से भावों पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव कम होगा और इससे निर्यात के लिए उत्पादन का कुछ भाग उपलब्ध हो सकेगा।

4. 1969-70 में निर्यातों में हुई गिरावट हमारी निर्यात की परम्परागत मदों के सम्बन्ध में

थी परन्तु गैर-परम्परागत निर्यातों की स्थिति बेहतर रही। इनसे और अधिक बेहतर निष्पादन की आशा होती है, बशर्ते बाधाओं को तेज़ी से दूर कर दिया जाए।

5. केवल गैर-परम्परागत मदों के लिए ही नहीं अपितु परम्परागत मदों के निर्मित करने के लिए भी उल्लेखनीय प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

6. लघु तथा मध्यम उद्योगों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए अपेक्षित मदों का पता लगाने की आवश्यकता है।

7: बाजार आसूचना के वितरण के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विवरण 'ख'

व्यापार सलाहकार परिषद सदस्यों द्वारा 24 तथा 25 अक्तूबर, 1970 को हुई बैठक में जिन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे इनसे सम्बन्धित है :—

1. निर्यात नीति संकल्प पर अनुवर्ती कार्यवाही करना;
2. निर्यात क्षमता का पता लगाना;
3. निर्यात के लिए औद्योगिक उत्पादन का विस्तार करना;
4. लघु उद्योगों के निर्यात प्रयासों में सरकारी क्षेत्र का भाग;
5. निर्यात प्रयास में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के भाग;
6. निर्यात अभिमुख उद्योगों के लिए इस्पात की पर्याप्त व्यवस्था;
7. पटसन, काफी, चाय, तथा अभ्रक के निर्यातों में सम्बन्धित समस्याएं;
8. निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा निर्यात योग्य अधिशेष बनाना;
9. आयात लाइसेंस देने से सम्बन्धित समस्याएं;
10. छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आयात लाइसेंस देने के नये आधार की आवश्यकता;
11. स्वदेशी रुई के उत्पादन में वृद्धि करना;
12. भाड़ा दरों में वृद्धि तथा अन्य पोत-परिवहन सम्बन्धी समस्याएं;
13. निर्यातों के गुण नियन्त्रण तथा पोत-लदानपूर्व निरीक्षण;
14. सलाहकार परिषद् की एक स्थाई समिति की स्थापना।

कूच बिहार जिले के विस्तार स्थान पर पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का उल्लंघन और पूर्वी पाकिस्तानी पुलिस द्वारा हावड़ा जिले के एक घर से एक लड़की का अपहरण किया जाना

1276. **श्री नि० र० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन् :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं पर फिर से युद्ध जैसी कार्यवाहियां शुरू कर दी है।

(ख) यदि हां, तो क्या 7 नवम्बर, 1970 को 60 हथियारबन्द पाकिस्तानी भारतीय सीमा में कूच बिहार जिले के विस्तार स्थान में घुस आए थे और उन्होंने 4000 रुपये की सम्पत्ति लूट ली थी और तीन भारतीयों को मार डाला था;

(ग) क्या फिर 15 अक्तूबर, 1970 को पूर्वी पाकिस्तान पुलिस ने एक भारतीय लड़की का हावड़ा जिला में उसके घर से अपहरण किया था; और

(घ) यदि हां, तो इन दोनों अवसरों पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय सीमा पर पाकिस्तानियों की गतिविधियों के कुछेक मामले कभी-कभी ध्यान में आते हैं ऐसी गतिविधियों को युद्ध जैसी कोटि में रखना कठिन हैं।

(ख) जिला कूच-बिहार में पुलिस थाना मकालिगंज के अन्तर्गत विस्तार गांव में एक भारतीय नागरिक के घर में लगभग 60 अनजान अपराधियों द्वारा 4 अक्तूबर 1970 (न कि 7 अक्तूबर 1970) की मध्य रात्रि में डाका डाला गया। अपराधी बन्दूकों से लैस थे और अपराध करने के दौरान उन्होंने बन्दूकों से 4 राउन्ड फायर किए जिससे तीन व्यक्तियों को चोटे आईं। वे लगभग 2600 रुपयों की नकदी और जेवरात भी ले गए।

(ग) दिनांक 9 अक्तूबर, 1970 को ज़िला हावड़ा पुलिस थाना बत्रा निवासी एक भारतीय बालिका का अपहरण किया गया था।

(घ) उपरोक्त (ख) के संबंध में उपयुक्त कूच-बिहार द्वारा पाकिस्तानी उपायुक्त को एक विरोध पत्र भेजा गया जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

उपरोक्त (ग) के सम्बन्ध में सीमा सुरक्षा बल को बालिका के अपहरण के बारे में सूचना मिलने पर पाकिस्तानी बी० ओ० पी० खनजा से सम्पर्क स्थापित किया और लड़की को वापस लाने का प्रबन्ध किया। लड़की को पश्चिम बंगाल पुलिस को 13 अक्तूबर को सौंप दिया गया।

सीमा सुरक्षा बल भारत-पाक सीमा पर लगातार सतर्कता रख रहा है। सीमा क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की गस्त और तेज कर दी गई है।

नक्सलवादियों से सम्बन्धित भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) नाम से मुखपत्र 'लिबरेशन' में, चारू मजूमदार के प्रकाशित समाचार

1277. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (मार्क्सवादी लेनिन वादी) के एक मुखपत्र 'लिबरेशन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि

चारू मजूमदार ने कहा है कि नक्सलपंथियों को यदि उनमें कोई त्रुटियां हैं तो ठीक करना चाहिए और खुली गतिविधियों से घृणा करनी चाहिए तथा राजनैतिक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त क्षेत्र (लिबरेटिड जोन्स) बनाने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसका अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने का इस राष्ट्र विरोधी और खतरनाक समाचार को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) "लिबरेशन" के अगस्त अंक में समाहित रीतिगत नक्सलपंथी प्रबोधन में जिसमें अन्य बातों के साथ साम्यवादी दल (एम० एल०) द्वारा उठाई गई कुछ हानि के विषय में गलतियां सुधार कर कुशलता लाने की आवश्यकता पर जोर, नक्सलवादियों की सफलता का दावा, नक्सलवादी उद्देश्य के लिए मजदूरों, छात्रों और युवकों के साथ-साथ कृषकों को मिलाना इत्यादि शामिल है ।

(ग) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नक्सलवादियों और अन्य समान उग्रवादियों की विधिविहीन गतिविधियों से निपटने के लिए निरोधात्मादक तथा दण्डात्मक सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं ।

पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य को पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय को स्थानान्तरित करना

1278. **श्री देविन्द्र सिंह गार्चा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या उन्होंने पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के इस सुझाव पर कि पुरातत्वीय सर्वेक्षण का कार्य पर्यटन मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया जाये, पर विचार किया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थानान्तरण का सुझाव देना किन कारणों हेतू दिया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) यह सुझाव दिया गया है कि स्मारकों के समन्वेषण और उन्हें खोदकर निकालने से संबन्धित कार्य शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय में रहे, स्मारकों का संरक्षण और उन्हें बनाये रखने का कार्य पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय में हस्तान्तरित कर दिया जाय । इस सुझाव का समर्थन करने वाला मुख्य तर्क यह है कि चूंकि स्मारक भारत में पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण के विषय हैं, उनके रख-रखाव और उनके पास-पड़ोस में सुविधाओं के विकास

की जिम्मेदारी उस मंत्रालय पर होनी चाहिए जो कि मुख्य रूप से पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है।

उक्त सुझाव पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

तामिल नाडु में तूतीकोरिन में भारी जलसंयन्त्र की स्थापना

1279. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री जी० बेंकटस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार तामिल नाडु में तूतीकोरिन में 70 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले भारी जल संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या उसे किसी और पार्टी के सहयोग से स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा;

(ग) यह कब तक कार्य रूप में लायी जा सकेगी; और

(घ) क्या इसे अन्त में तूतीकोरिन में प्रस्तावित उर्वरक कारखाने के साथ मिलाने का भी कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां लगभग 65 टन प्रति वर्ष की क्षमता का दूसरा भारी पानी संयत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस संयंत्र को स्थापित करने के स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख), (ग) तथा (घ) यह विषय अभी विचाराधीन है तथा अभीतक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

Estimate Reports of Various Projects of Madhya Pradesh Received by Central Water and Power Commission

1280. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central water and Power Commission has received the project and estimate reports of the Halali Project, Rangaon High Level Canal Project, Hasdeo Project (irrigation through the canals on left and right sides), upper Bine Ganga Canal (Sivani district) and the Ban Sagar Project from the Government of Madhya Pradesh;

(b) whether the Commission has given approval and necessary technical facilities to these projects;

(c) if so, whether the project work has been started and, if not, the reasons therefore; and

(d) the estimated expenditure on these projects?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Work on the Hasdeo Right Bank Canal Scheme, which was approved by the Planning Commission in June, 1967, was started in 1968.

Project reports on Rungwan Canal Scheme, Upper Wainganga and Bansagar Projects have been received by the Central Water and Power Commission.

Reports in regard to the Halali (modified) and Hasdeo Left Bank Canal Projects have not so far been received from the State Government.

The Rangwan Scheme is being examined by the Central Water and Power Commission.

The Upper Wainganga Project is in the Godavari basin for which a Tribunal has been constituted.

The Governments of Uttar Pradesh and Bihar have represented that the Bansagar Project of Madhya Pradesh involves inter-State aspects. Studies are being made by the Central Water and Power Commission to evolve a proposal which would be acceptable to the three States.

(d)	Name of Project.	Estimated cost
1	Hasdeo Right Bank Canal.	Rs. 497.21 lakhs
2.	Rangwan Canal Scheme.	Rs. 198.03 lakhs
3.	Upper Wainganga.	Rs. 1602.20 lakhs
4.	Bansagar Project.	Rs. 12600.00 lakhs

आयात व्यापार में राज्य एजेन्सियों के भाग में वृद्धि

1281. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के आयात व्यापार में राज्य एजेंसियों के भाग को 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) जिन वस्तुओं का आयात राज्य नियंत्रण के आधीन लाया जाना है, उनके क्या नाम हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) यह सरकार की वाणिज्यिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि व्यापक राष्ट्रीय हित में देश के आयात व्यापार में राज्य अभिकरणों के भाग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। आशा है कि शीघ्र ही हमारे लगभग 80 प्रतिशत आयात सरकारी खाते में अथवा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से किये जायेगे।

(ग) स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। तथापि कोई विनिश्चय लिए जाने से पूर्व आयात नीति में परिवर्तनों को बताना सम्भव नहीं है।

रुई की सप्लाई

1282. **रामावतार शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रुई की अत्यधिक मांग है और यदि हां तो देश में रुई की सप्लाई में कितनी कमी है;

(ख) देश में रुई की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या किसी पी० एल० 480 करार पर हस्ताक्षर किए जाने का विचार है;

(ग) रुई की सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी वर्ष में रुई की कितनी गांठें आयात करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अधिकतम कार्य करने की स्थिति में सूती वस्त्र उद्योग की एक वर्ष में रुई की 70 लाख गांठों के खपत करने की क्षमता है जबकि 1969-70 के रुई वर्ष के दौरान वास्तविक खपत 64 लाख गांठों के लगभग थी। रुई की सप्लाई में कितनी कमी रहेगी यह रुई की फसल के परिमाण पर निर्भर करता है जिसके बारे में 62 लाख गांठों का अन्ततम अनुमान है।

(ख) जी हां।

(ग) आयात के लिए अब तक अनुमत रुई के लदान को त्वरित करने तथा आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष मात्रा के शीघ्र लदान के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) स्पष्ट रूप से इसका निर्देश 1 सितम्बर, 1971 से आरम्भ होने वाले रुई वर्ष से है जिसके लिए आयात कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

व्यास परियोजना की लागत में वृद्धि

1283. **श्री श्री चन्द गोयल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास परियोजना की लागत मूलतः निर्धारित लागत से बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित वृद्धि कितनी है;

(ग) वृद्धि के क्या कारण है;

(घ) क्या लागत में वृद्धि का मुख्य कारण व्यास परियोजना में बिलम्ब होना है;

(ङ) क्या परियोजना के समय पर पूरा होने में विलम्ब होने के कारण पानी की हानि हुई है और पानी पाकिस्तान चला गया है; और

(च) इस पानी को काम में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 96.67 करोड़ रुपये और 75.34 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों में, ब्यास सतलज लिंक परियोजना और पोंग पर ब्यास बांध के लिए क्रमश: अनुमानित बढ़ोत्तरी लगभग 83 करोड़ रुपये और 88 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना के अभिकल्प तथा व्याप्ति में परिवर्तन, श्रम तथा सामग्री की कीमत में बढ़ोत्तरी, अर्जन करने के लिए भूमि के क्षेत्र में और दिये जाने वाले मुआवजे की दर में बढ़ोत्तरी और रुपये के अवमूल्यन के कारण यह बढ़ोत्तरी हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां, परन्तु केवल मानसून ऋतु के दौरान।

(च) ब्यास पर पोंग बांध का, जहां पर लगभग सारा जल संचित होता है, निर्माण अच्छी रफ्तार से हो रहा है और जून, 1973 तक पूर्ण होना संभावित है।

मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा आयातित कच्ची ऊन के सम्बन्ध में जांच

1284. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री 12 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2418 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स (प्रा०) लि० द्वारा आयातित कच्ची ऊन के सम्बन्ध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि अनुभाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरों अपनी जांच पूरी करने में और कितना समय लेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मामले की अभी भी जांच की जा रही है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच शीघ्र ही पूरी होने की आशा है।

अधिकारियों की नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी सिद्धांत

1285. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जैसे सर्व श्री एल० पी० सिंह, श्री एच० सी० सरीन, श्री के० बी० लाल और अन्य अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर और कितने वर्षों तक बने रहेंगे; और

(ख) नियुक्तियों के मामले में क्या सरकार किन्हीं सिद्धान्तों को अपनाती है और किसी

विशेष पद पर एक अधिकारी को कितनी अवधि तक रहना चाहिये; और यदि हां, तो वे सिद्धांत क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) भारत सरकार में सचिव पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारी इन पदों पर पांच वर्ष की अवधि तक कार्य कर सकते हैं बशर्ते कि उस अवधि में वह अधिकारी सेवा निवृत न हो। इस अवधि के बाद भी किसी अधिकारी को एक ही पद पर रखा जा सकता है, अगर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक समझा जाय।

सर्वश्री एल० पी० सिंह तथा एच० सी० सरीन ने सचिव के पदों पर गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में क्रमशः पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि तक कार्य किया है। कोई अन्य भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी सचिव के पद पर उसी मन्त्रालय/विभाग में लगातार पांच वर्ष से कार्य नहीं कर रहा है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में सचिव समिति का प्रतिवेदन

1286. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई सचिव समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिये हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लेने से पूर्व विशेषकर यदि वे विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हो तो उनकी जांच के लिए सचिवों की समितियां यथारीति नियुक्त की जाती है। सार्वजनिक हित में इन समितियों की कार्यवाही प्रकट करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सरकार के आन्तरिक विचार विमर्श के लिए होती है। आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अन्ततः संसद् में समय-समय पर रखे जाते हैं। सरकार के निर्णयों से समाविष्ट एक अन्तिम विवरण सदन के सभा पटल पर 31 जुलाई, 1970 को रखा था।

वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि

1287. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या आगामी वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त राशि को किन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा; और

(ग) यह अतिरिक्त परिव्यय किन योजनाओं पर खर्च किया जाएगा;

प्रधान-मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) 1971-72 की वार्षिक योजना अभी तैयार की जा रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन विचार विमर्शों के पूर्ण हो जाने के पश्चात् योजना के आकार के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा। इसके तैयार हो जाने पर आवश्यक ब्यौरों का एक प्रलेख सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत-यूनान करार की अवधि बढ़ाना

I288. **श्री सामिनाथन :**
श्री नारायणन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूनान के बीच एक व्यापार करार पर 14 जुलाई, 1958 को हस्ताक्षर किये गये थे और तब से इसकी अवधि प्रति वर्ष बढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस करार को स्थायी रूप देने की बजाय इसकी अवधि प्रतिवर्ष क्यों बढ़ाई जा रही है; और

(ग) क्या भारत ने यूनान की सरकार से 1958 के करार का पुनरीक्षण करने और पांच या छः वर्षों के लिए एक नया व्यापार करार करने के लिए अनुरोध किया है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत और यूनान के बीच व्यापार समझौते पर 14 फरवरी, 1958 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे और तब से समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है। समझौता 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली आगामी अवधि के लिए 6 अक्तूबर, 1970 को अन्तिम बार नवीकृत किया गया था।

(ख) मूल समझौते के अनुच्छेद 7 में यह उपबन्ध है कि समझौते का नवीकरण केवल हर वर्ष हो सकता है।

(ग) वर्तमान समझौते में संशोधन करने का प्रश्न दोनों सरकारों के विचाराधीन है।

विदेशों में भारत के संयुक्त उपक्रम

1279. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सम्मुख विदेशों में संयुक्त उपक्रमों को चालू करने, बढ़ावा देने और प्रचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें लागू करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) सामान्य शेयर पूंजी में अपने अन्श के रूप में स्वदेशी मशीनरी एवं उपस्कर तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करके विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहितकरने की नीति पहले से ही विद्यमान है। मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है।

उद्योगपतियों से प्राप्त प्रस्थापनाओं के शीघ्र निपटान हेतु उनपर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने के लिए एक अन्तः मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। भावी भागीदारों को प्रदान करने हेतु विदेशों में पूंजी निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए संबंधित मंत्रालयों में अमला बढ़ाया गया है। विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावास/उच्चायोग भी जानकारी प्राप्त करने तथा विदेशी सहयोगियों की स्थिति की जांच करने में सहायता करते हैं।

विवरण

संयुक्त विदेशी औद्योगिक उद्यमों में भारतीय साझेदारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त।

1. सामान्यतः भारतीय पार्टियों को अल्पांश के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय पार्टियों को विदेशों में अधिकांश अधिकृत पूंजी के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिये, लेकिन यदि विदेशी पार्टियां तथा विदेशी सरकार भारत के अधिकांश आधार पर भाग लेने को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार विदेशों में स्थानिक पार्टियों के साथ सहयोग के पक्ष में है; जहां कहीं भी व्यवहारिक हो स्थानिक विकास बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा स्थानीय सरकारों के साथ भी सहयोग के पक्ष में है।

2. केवल विदेश में कम्पनी की स्थापना करने के लिए प्रारम्भिक व्यय के लिए आवश्यक अल्प राशियों के अलावा अन्य नकद राशि बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. भारतीय साझेदारी, नये उद्यमों के लिये प्रेक्षित देशी मशीनें, उपस्कर, तकनीकी जानकारी आदि देने के रूप में होनी चाहिये। संरचना संबंधी सामग्री, इस्पात मदों, निर्माण सामग्री, संघटकों आदि के मूल्य को पूंजी में शामिल करने की अनुमति नहीं है। परंतु यदि मशीनों आदि का मूल्य उपयुक्त स्तर पर आवश्यक पूंजी को पूरा करने में कम पड़ जाता है और केवल पूंजीगत माल के निर्यात से भारतीय अंशपूंजी का जो स्तर स्थापित होगा उससे अधिक ऊंचे स्तर पर भारतीय पूंजी अंश को रखना आवश्यक है तो ढांचों इस्पात की मदों तथा निर्माण सामग्री (किन्तु संघटक नहीं) को उस हद तक शामिल करने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने पर कोई रुकावट नहीं होगी, जिस हद तक कि उस विशेष परियोजना के लिए भारतीय पूंजी को पूरा करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है।

4. भारतीय निवेश के बदले निर्यातित मशीनें भारतीय मेक की होनी चाहिये। किसी भी पुरानी अथवा नवीकृत मशीन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. इक्विटी पूंजी के बदले निर्यातों पर सामान्य आयात प्रतिपूर्ति दी जायेगी जैसे कि पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को प्राप्त है ।

6. भारतीय इक्विटी के बदले निर्यातित मशीन, तथा उपस्कर पर नकद सहायता, यदि अन्यथा अनुमेय हो, दी जायेगी तथापि इसकी अधिकतम सीमा जहाज पर कीमत का 10 प्रतिशत होगी ।

7. भारतीय उद्योगपतियों को जहां तक व्यवहारिक हो, उद्योगपति प्रायोजना के लिए प्रस्थापना रखनी चाहिये क्योंकि इससे विदेशी निवेशकर्त्ताओं के उत्तरदायित्व कम हो जाएंगे ।

8. भारतीय पार्टियों को यथासंभव विदेशी पार्टियों के साथ करारों में यह व्यवस्था करनी चाहिये कि निवेश के देश के राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जायेंगी ।

इस्पात के उत्पादों का निर्यात करने के लिए चयनात्मक आधार पर इस्पात का आयात

1290. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेद्वी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की पर्याप्त मात्रा वाले उत्पादों का निर्यात करने के लिए चयनात्मक आधार पर इस्पात के आयात व्यापार की मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि निश्चित निर्यात आदेशों पर निर्यात हेतु वस्तुओं के उत्पादन के लिए इन्जीनियरी माल के निर्माताओं को उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के नरम इस्पात के आयात करने की अनुमति दी जाए । यह विनिश्चय पब्लिक नोटिस सं० 140 आई० टी०सी० (पी०एन०) 170 दिनांक 11-9-70 में घोषित किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना में परिशिष्ट के माध्यम से परिवर्तन

1291. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी योजना के परिशिष्ट में कुछ परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कौन से परिवर्तन किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) और (ख). इस समय चौथी योजना का कोई परिशिष्ट तैयार नहीं किया जा रहा है।

भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों को मुआवजा

1292. **श्रीमती सुशीला रोहतगी:**
श्री वी० नरसिम्हा राव:
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रिवी-पर्स पाने वाले भूतपूर्व नरेशों को मुआवजा देने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) भूतपूर्व नरेशों की बदलती हुई परिस्थितियों में उनके आवश्यक व्यवस्थापन के लिए सरकार ने पहले ही अन्तःकालीन भुगतान करने के अपने आशय की घोषणा की है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

संघ-राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना

1293. **श्री० जी० वाई० कृष्णन्:**
श्री एम० मेघचन्द्र:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) चार

(ख) हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार की गई है। दिल्ली से सम्बन्धित मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की है।

मैसूर में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में योजनाएं

1294. **श्री जी० वाई० कृष्णन्**: क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित कितनी योजनाएं स्वीकारार्थ और अनुमोदनार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजी गई हैं; और

(ख) उन योजनाओं पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : मैसूर राज्य बिजली बोर्ड ने सात ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, जिनकी अनुमानित लागत 28.778 लाख रुपये है, ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्वीकृति के लिये भेजी थी। इनमें से निगम ने अब तक चार स्कीमों की स्वीकृति दी है जिनकी अनुमानित लागत 207.01 लाख रुपये है।

पोंग बांध पुनर्वास समिति की बैठक

1295. **श्री हेम राज** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार की पोंग बांध पुनर्वास समिति की, जिसका अभी हाल ही में पुनर्गठन हुआ है, कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) बैठकों में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा क्या-क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इनकी कार्यवाही सारांश की प्रतियां सभी पटल पर रखी जाएंगी ;

(घ) क्या इस समिति ने पोंग बांध विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) उन 660 विस्थापित परिवारों में से कितने परिवारों को कौपर बांध में पानी भरने के लिए अब तक राजस्थान में पुनर्वासित किया जा चुका है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री (सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अध्यक्ष, व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा ब्यास पुनर्वास समिति के 10 जून, 1970 को पुनर्गठित करने के पश्चात् इस समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

(ङ) नहीं।

(च) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सितम्बर, 1970 के दौरान 660 विस्थापितों में से जिनकी जमीन तथा अन्य सम्पति अर्जित की जा चुकी हैं, 90 पोंग बांध विस्थापितों को भूमि अलाट कर दी गई है।

पोंग व्यास बांध विस्थापित पुनर्वास समिति की बैठक

1296. **श्री हेम राज** : क्या क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में पोंग (ब्यास) बांध विस्थापित पुनर्वास समिति की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर विचार किया गया और उसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई;

(ग) उन पोंग बांध विस्थापितों के परिवारों की संख्या क्या है जिन्हें सितम्बर तथा अक्तूबर, 1970 में राजस्थान में पुनर्वासित किया गया ; और

(घ) उन विस्थापित परिवारों (जिन्हें पहले राजस्थान में जमीन आवंटित की गई थी तथा जिन्हें पुनर्वासित किया गया था) की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके नाम आवंटित भूमि रद्द कर दी गई है और जिनको निरसन नोटिस जारी कर दिए गए हैं और प्रत्येक आवंटन के रद्द होने के कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री) (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) जी, हां। पोंग बांध के विस्थापितों के लिए पुनर्वास सलाहकार समिति की एक बैठक 5 अक्तूबर, 1970 को शिमला में हुई थी।

(ख) एक विवरण (परिशिष्ट-एक) सभापटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4306/70]

(ग) सितम्बर, 1790 के दौरान पोंग बांध के 90 विस्थापित परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना नहर के क्षेत्र में भूमि अलाट की गई थी और इनमें में 81 परिवारों ने अलाट की गई भूमि का कब्ज़ा लिया। शेष 9 परिवारों ने कब्ज़ा नहीं लिया।

(घ) 1966-67 के दौरान हिमाचल प्रदेश के 203 पोंग बांध विस्थापितों और तलवाडों टाउनशिप के 13 विस्थापितों को राजस्थान परियोजना के क्षेत्र में भूमि अलाट की गई। उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान के अनुसार, अलाट की गई भूमि के अवैध हस्तांतण कारण 159 अलाटियों के संबंध में तथा उन अनलांटियों के सम्बन्ध में जो न तो भूमि में, जैसा कि आपेक्षित था, स्वयं ही खेती कर रहे थे और न ही चक्क की आबदियों में रहते थे, अलाटमेंट को रद्द करने के नोटिस दिए गए। उन परिवारों के नाम जिनकी अलाटमेंट रद्द कर दी गई है और प्रत्येक अलाटमेंट के रद्द करने के कारणों के संघबं में जानकारी प्राप्त की जा रही है और पृथक रूप से प्रस्तुत कर दी जाएगी।

Setting Up of Avami Tanjam a New Organisation in Bihar

1297. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a new organisation Avami Tanjam had been set up in Bihar for the safeguard of the interests of Muslims; and

(b) if so, the reaction of Government to the setting up of this organisation ?

The DeputyMinister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a)& (b) Facts are being ascertained.

राज्य के मुख्य मंत्रियों को दंगाग्रस्त क्षेत्रों में दंडकर लगाने सम्बन्धी सुझाव के बारे में भेजा गया परिपत्र

1298. **श्री मीठालाल मीना :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य के मुख्य मंत्रियों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें उन्होंने हाल में हुये साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित क्षेत्रों में सामूहिक दंड कर लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है? और

(ग) क्या महाराष्ट्र संघ ने ऐसा कर लगाए जाने का विरोध किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क); मई, 1970 में महाराष्ट्र के दंगों के बाद प्रधान मंत्री की कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में इस बात पर सामान्य सहमति थी कि साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त क्षेत्रों में दण्डात्मक कर लगाने से सम्बन्धित विद्यमान कानूनी उपबन्धों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाय। सभी मुख्य मंत्रियों को भेजे गये प्रधान मंत्री के दिनांक 27 मई, 1970 के पत्र में, जिसमें उन्होंने उक्त बैठक में लिए गए निर्णय सूचित किये थे, इस बात का उल्लेख किया गया था।

(ख) तथा (ग). असम, बिहार, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने सुझाव पर सहमति प्रकट की है। आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा मध्य प्रदेश की सरकारें अभी मामले पर विचार कर रही हैं। राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, पंजाब तथा गुजरात सरकारों से उत्तर अभी आने हैं।

Rural Electrification

1299. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it was decided to raise the numberof electrified villages up to 1,00,000 up to the Gandhi Birthday Centenary celebrations, i. e. 2nd October, 1970; and

(b) if so, the number of villages electrified upto the 2nd October 1970 and the reasons for non-achievement of the target of rural electrification ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(a) About 98500 villages have been electrified in the country up to 2nd October, 1970 out of these 27220 were electrifed 31 after March, 1970. Consideringt hat no special allocations were made for this programme, the prevailing constraint of financial resources and shortage of essential raw materials, the progress towards achieving the targets commendable.

Implementation of Recommendations contained in Fourteenth Report of A. R. C.

1300. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 425 on the 14th August. 1970 regarding the implementation of the recommendations contained in the Fourteenth Report of the A. R. C. and state the progress made by the Central Government and the State Governments in regard to the implementation of the 14th Report of the Administrative Reforms Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): The views and reactions of the State Governments on the recommendations contained in this report are awaited.

Printing of Government Publications both in Hindi and English.

1301. Shri Molahu Prashad: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1656 on the 15th May, 1970 regarding printing of Gazette and other publications in both Hindi and English and state:

(a) the names of the Central Government Publications being published simultaneously in Hindi and English;

(b) whether a copy each of the said publications will be laid on the Table of the House; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Minisitry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) The information is not available in the Ministry of Home Affairs. Its collection from the various Ministries and departments of the Government of India and their attached and subordinate offices spread all over the country will involve considerable time and labour which will not be commensurate with the result to be achieved.

(b) The publications which are required to be laid on the table of either House of Parliament are already being submitted accordingly by the concerned Ministries and Departments.

(c) Does not arise.

Increase in Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Administration

1302. Shri Molahu Prashad: Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1353 on the 1st May, 1970 regarding increase in representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Delhi Administration and state:

(a) whether the required information has since been collected. and

(b) If so. the details there of?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) & (b): Yes. Sir. A statement giving the required information is appended. **(Placed in Library. See. No. L. T. 4307/70)**

राजस्थान आणविक बिजली घर के लिए भारी पानी

1303. **श्रीमती सुचेता कृपालानी:** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा स्थित राजस्थान आणविक विद्युत परियोजना के लिए भारी पानी किन शर्तों पर प्राप्त किया जायेगा ;

(ख) यह किस देश से प्राप्त किया जाएगा ;

(ग) जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है इससे देश की स्वाधीनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) देश में भारी पानी की व्यवस्था न कर सकने के क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के लिए भारी पानी सप्लाई करने के लिए कनाडा के साथ सरकार ने एक करार किया हुआ है। इस करार के अन्तर्गत भारी पानी दीर्घकालीन पट्टे पर प्राप्त होगा अथवा खरीदा भी जा सकेगा।

(ग) इस करार के अन्तर्गत, सिवाय उन शर्तों के, सुरक्षा की कोई विशेष शर्तें नहीं है, जो राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, जिसका निर्माण कनाडा की सहायता से किया जा रहा है, पर लागू होती है तथापि, कनाडा में भारी पानी के उत्पादन में विलम्ब होने के कारण, उपरोक्त करार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के किसी दूसरे स्रोत से भारी पानी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है तथा इससे सम्बन्धित शर्तों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) देश में भारी पानी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। नये संयंत्र की स्थापना में विलम्ब होने के कारण देशी जानकारी का विकसित न होना है।

Opening of a Regional Research Laboratory By C. S. I. R. in U. P.

1304. Shri Janeshwar Misra : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum for the opening of a Regional Research Laboratory by the C. S. I. R. in U. P. and

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) A proposal for setting up a Regional Research Laboratory in a central place to cater to the development needs of Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan has been received by the C. S. I. R.

(b) The proposal states that the establishment of such a Laboratory can help in systematic investigation of raw materials, minerals etc. of the region and their evaluation beneficiation.

The proposal was considered by the Board of Scientific and Industrial Research at its meeting held on 30th September, 1970. The Board decided that a small **Ad-hoc** Group under the Chairmanship of the Vice-President, C. S. I. R. and consisting of two or three members of the working Group constituted to formulate the Fourth Plan proposals of the C. S. I. R. and the D. G. S. I. R. may be appointed to consider the proposal. Action is being taken accordingly.

दिल्ली पुलिस स्टेशनों में स्टेशन हाऊस अफसरों की नियुक्तियां

1305. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे स्टेशन हाऊस अफसरों की संख्या क्या है जिनको स्टेशन हाउस अफसर नियुक्त किये जाने से पहले किसी पुलिस स्टेशन में जांच करने का पांच वर्ष से कम अवधि का अनुभव हो; और

(ख) फील्ड वर्क की जांच सम्बन्धी पर्याप्त अनुभव वाले उन शिक्षित पुलिस अधिकारियों की संख्या क्या है जिनकी नियुक्ति अपराध विभाग, खुफिया जांच विभाग, भ्रष्टाचार निवारण विभाग तथा ऐसे ही अन्य विभागों में की गई है ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आठ। फिर भी हाऊस आफीसरों के चयन के लिए केवल इन्सपेक्टर श्रेणी के अधिकारी जो उपयुक्त पाये जाते हैं उनके सर्विस रिकार्ड की पूर्ण रूप से छान-बीन करके उनको हाऊस आफीसर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

(ख) 97

असम की राजधानी का शिलांग से स्थानान्तरण

1306. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम सरकार से राज्य की राजधानी शिलांग से आसाम की ब्रह्म-पुत्र घाटी में किसी अन्य स्थान पर ले जाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

गृह-मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) शिलांग इस समय असम और मेघालय की भी राजधानी है। कुछ समय पहले असम सरकार ने इस आधार पर कि शिलांग नगरपालिका के तीन वार्डो के जो मेघालय में सम्मिलित नहीं किए गए थे, विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं है एक अन्य प्रशासनिक सम्मिश्रण विकसित करने की इच्छा व्यक्त की थी और इस नई प्रायोजना के लिए केन्द्र से आर्थिक सहायता मांगी थी। मेघालय के लिए राज्य के दर्जे की मांग को सिद्धांत रूप से स्वीकार करने के सरकार के निर्णय से इस इच्छा को बल मिला है। 10 नवम्बर, 1970 को सदन में इस निर्णय की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री ने नई राजधानी बनाने में सहायता के लिए असम की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के सरकार के इरादे का संकेत दिया था।

आयात लाइसेंसों के प्रतिबन्धों में ढील

1307. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के योग्य बनाने हेतु सरकार ने आयात लाइसेंसों के प्रतिबन्धों में ढील देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन मदों के आयात प्रतिबन्धों पर ढील दी जायेगी; और

(ग) क्या सम्बन्धित औद्योगिक यूनिटों को सभी देशों से प्रत्यक्ष आयात की अनुमति दी जायेगी अथवा सरकारी क्षेत्र निगम के द्वारा आयात किया जाएगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पर आधारित नीति का अनुसरण किया जाता है, इन उद्योगों का उत्पादन देश के कुल औद्योगिक उत्पादन के तीन चौथाई भाग के बराबर है। जो उद्योग प्राथमिकता प्राप्त नहीं हैं उनके आयात लाइसेंस आवृत्ति-आधार पर दिए जाते हैं।

पृथक-पृथक मदों के लिए आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और आवश्यक होने पर आयातों पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी जाती है।

हाल ही में वास्तविक उपभोक्ताओं तथा इंजीनियरी माल का उत्पादन करने वालों के लिए निर्यात उत्पादन हेतु कतिपय इस्पात मदों की आयात नीति को उदार बनाया गया है।

आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और इस प्रयोजन के लिए राज्य अभिकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा।

रेशम का निर्यात

1408. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा विदेशों को रेशम का निर्यात किया जाता है;

(ख) प्रत्येक राज्य के उन सार्थों के क्या नाम हैं जो रेशम निर्यात करते हैं और वे किन-किन देशों को निर्यात करते हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां, रेशमी वस्त्र, तैयार वस्तुओं तथा परिधानों के रूप में।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रेशम के वस्त्रों के प्रमुख देशवार निर्णय दर्शाए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1308/70**] भारतीय रेशम के सैकड़ों निर्यातकों की सूची तैयार करने में अत्यधिक श्रम लगेगा जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ के कदाचित ही अनुरूप होगा।

लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात एककों को कच्चे माल का आवंटन

1309. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात एककों को सीधे कच्चे माल का आवंटन करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा उसके कारण क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यात एककों को सीधे ही कच्चे माल का आवंटन करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित आयातित कच्चा माल तथा पुर्जे प्राप्त कर सकते हैं। अब इस नीति को और अधिक उदार बना दिया गया है और आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रक्रियाएं सरल बना दी गई हैं। निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल तथा पुर्जों की लगातार पूर्ति करने पर अधिक बल दिया गया है। ऐसे पंजीकृत निर्माता निर्यातक, जिनके पास अनेक निर्यात आदेश हैं, के लाभ के लिए एक 'अग्रदाय' आयात लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई है ताकि निर्यात आदेशों की क्रियान्विति के लिए अपेक्षित आयाति माल समय पर प्राप्त किया जा सके। विशेष निर्यात आदेश के लिए अग्रिम लाइसेंस देने की सुविधा भी उपलब्ध है।

(2) पंजीकृत निर्यातों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आने वाले ऐसे निर्यात एककों को, चाहे वे प्राथमिकता-प्राप्त अथवा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में हों, जो अपने उत्पादन के 10 प्र० श० अथवा उससे अधिक भाग का निर्यात करते हैं, उनके वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस में उनकी पसन्द के स्रोत से आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस सुविधा से, लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को, अपने आवश्यक माल का अपेक्षाकृत सस्ते स्रोतों से आयात करने में, सहायता मिली है।

(3) निर्यात उत्पादन के लिए, आवश्यक प्राइम लोहे तथा इस्पात जैसे स्वदेशी कच्चे माल के लिए भी प्राथमिकता दी जाती है।

(4) निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर स्वदेशी कच्चा माल सीधे ही उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि इंजीनियरी उद्योग के लिए लोहा तथा इस्पात और प्लास्टिक उद्योग के लिए कुछ कच्चा माल।

(5) जो एकक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे सीधे ही आयातों की व्यवस्था कर सकें, वे पण्य निर्यात सदनों तथा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों, जैसे कि राज्य व्यापार निगम। खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अपने अर्जित आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस अन्तरित करके उनसे माल प्राप्त कर सकते हैं। उनके वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस भी इन निर्यात सदनों तथा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं। ये उपाय, लघु उद्योग क्षेत्र के सभी निर्यातकों की सहायता के लिए बनाए गए हैं।

लोक प्रशासन संस्थान द्वारा योजना कार्यकरण के बारे में की गई टिप्पणी

1310. **श्री रामसिंह अयरवाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय लोक शासक संस्थान के इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि पुनर्गठित योजना आयोग सभी स्तरों पर व्यावसायिक तथा क्रियाशील संगठन सिद्ध नहीं हुआ है तथा यह राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष उसे चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में एक राष्ट्रीय निर्णय करा सकने के लिए कोई विशिष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में भी असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की "पुनर्गठित योजना आयोग" नामक अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

Death of Shri Baldev Singh

1311. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7479 on the 24th April, 1970 and state :

(a) whether the information asked for in the above question regarding the death of Shri Baldev Singh has since been collected;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay and the time proposed to be taken for its collection and placing it on the Table of the House, and

(d) whether Government propose to enquire about the fact that on the day Shri Baldev Singh died the voltage was too low to cause a death of a person and the flour mill was being run that day by Diesel and not by power ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research. (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) Himachal Pradesh Government have reported as under :

The Eleetricity Department has its own arrangements for recording faults in the electricity system at any place in the area of the power station. It is however, not the Electricity Deparment as such but the Officer in-charge of the Area of power supply who usually receives information about faults in the electrical system there. The consumer is

also supposed to report the fault to the local electricity officials on duty (Such as Lineman) who record the fault and attend to the same.

In the present case the Sub-Divisional Magistrate. Dehra-Gopipur who conducted a judicial enquiry also made necessary verifications from the S. D. O. Electricity of the area during the course of enquiry and found that there was no fault in the electricity system on the fateful day on which Shri Baldev Singh died.

In view of the adequate existing arrangements, there was no point for making such investigations through electrical experts with regard to the recording of fault in the electric system in the area by the Goverment of Himachal Pradesh.

It is clearly indicated in the report of the inquiry by the Sub-Divisional Magistrate that no fault was ever recorded at the local power station and that the electric system was in order on the date of death of Shri Baldev Singh.

According to the inquiring Magistrate, it was **Prima** facie established that the death of Shri Baldev Singh took place in the mill of Shri Milkhi Ram on account of his having been caught in the face belting of the shaft and against hard substances of the machine and also touched by electricity. On the basis of the circumstantial evidence, the Deputy Commissioner, Kangra had directed further probing investigation under section 287 and 304—A IPC and followed by under section 201 IPC.

In pursuance of the findings of the Magistrate, a case under Section 304--A/287/201 IPC was registered on 8.5.70 at the local Police Station. Two suspects namely S/Shri Milkhi Ram of Dhameta (Mill Owner) and Devraj of village Tibber, District Gurdaspur were arrested by the Police during investigation and bailed out by the Court. The Superintendent of Police, Kangra has alredy been asked to get the investigation of the case finalised and to put up the challan in the court.

(c) Question does not arise.

(d) The Government of Himachal Pradesh have reported that on the day of Shri Baldev Singh died, the voltage was normal and the Mill was not being run by diesel.

कूच-बिहार के सदर तथा तूफान गंज सबडिवीजनों में बाढ़ द्वारा ग्रस्त लोग

1314. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर/अक्तूबर, 1970 में कूच-बिहार के सदर तथा तूफान गंज सब-डिवीजनों में भारी वर्षा और बाढ़ से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए; और

(ख) केन्द्र ने राज्य सरकार को इस बारे में कितनी वित्तीय सहायता दी और सरकार ने इन बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कूच बिहार जिले में सितम्बर, 1970 में बाढ़ों के परिणाम-स्वरूप 1,87,325 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। क्षति का उप-प्रमंडल वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कूच बिहार जिले में बाढ़ों द्वारा प्रभावित लोगों के लिए गृह निर्माण अनुदान के रूप में 80,000 रुपये और आकस्मिकता सहायता के लिए 30,000 रुपये स्वीकार किए हैं। इसके अतिरिक्त धोतियां, साड़ियां, तरपाले और दुग्ध चूर्ण बांटे गए।

एक केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल राज्य का दौरा किया है और वहां बाढ़ों द्वारा हुई क्षतियों का मौके पर मूल्यांकन किया है। उनके सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने हाल ही की बाढ़ों के संबंध में व्यय की विभिन्न मदों के लिए 19.85 करोड़ रुपये की सीमा स्वीकार की है। बाढ़ सहायता पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए घन की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 3 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। स्वीकृत सीमाओं के अन्तर्गत और सहायता व्यय प्रगति की रोशनी में दी जाएगी।

इलाहाबाद में आनन्द भवन पर कब्जा करने का प्रयास

1315. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में नेहरू परिवार के पैतृक घर आनन्द भवन पर कब्जा करने के निष्फल प्रयास के बारे में 30 सितम्बर, 1970 को कुछ गिरफ्तारियां की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

महत्वपूर्ण औद्योगिक लक्ष्यों में कमी

1316. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा मंत्रालयों में औद्योगिक लक्ष्यों में गम्भीर कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ था, जिनसे कि चौथी योजना को खतरा हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्तमान औद्योगिक स्थिति पर समीक्षा करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने अर्थ मंत्रालयों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है ताकि मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। ये विचार-विमर्श शीघ्र होंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों का स्तर

1317. **श्री सीता राम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में अल्मोड़ा में हुए कुमाओं मोर्चे द्वारा प्रायोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए मेघालय के समान क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मोर्चा द्वारा की गई ऐसी कोई मांग सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन किया है और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। पर्वतीय जिलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की चतुर्थ योजना में लगभग 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

परियोजनाओं और उपकरणों के लिए निगम की स्थापना

1318. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परियोजना तथा उपकरण निगम स्थापित करने का निश्चय किया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम के लिए किन उद्देश्यों और कृत्यों की परिकल्पना की गई है; और

(ग) क्या उक्त निगम सरकारी क्षेत्र में होगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। इंजीनियरी उत्पाद तथा परामर्शी सेवा निगम की स्थापना करने का विचार है जो राज्य व्यापार निगम के अनुषंगी के रूप में पूर्णतः उसके स्वामित्व में होगा।

(ख) प्रस्तावित अनुषंगी कार्यालय बड़े उद्यमों तथा आद्योपांत परियोजनाओं का विशेषज्ञ होगा और निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देगा :—

(1) रेलवे-व्यवस्था का सामान जिसमें रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि और अन्य सामान, पटड़ियां तथा सिग्नल उपस्कर आदि शामिल है।

(2) पूर्ण औद्योगिक संयंत्र तथा परियोजनाएं।

(3) लोकोपयोगी सामान।

(4) मोटरगाड़ी उद्योग जैसे विशाल अन्तर्राष्ट्रीय निर्माता फर्मों के लिए ढलाई, गढ़ाई का सामान, सहसाधन उपस्कर।

(ग) जी हां।

त्रिपक्षीय करार को न मानने के लिए बंगाल मिल मालिक एसोसियेशन का निर्णय

1319. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगाल मिल मालिक एसोसियेशन के कथित निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें श्रमिकों की 39 दिवसीय हड़ताल के पश्चात् जो त्रिपक्षीय करार किया गया था उसे भविष्य के लिए प्रभावशाली नहीं मानने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा मिल मालिकों की इस चुनौती का सामना करने और त्रिपक्षीय करार को पूर्णतया क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) ऐसा पता चला है कि बंगाल मिल मालिक एसोसियेशन ने अपनी सदस्य मिलों को त्रिपक्षीय करार की शर्तों की क्रियान्विति के मामले में यथावत स्थिति बनाए रखने की सलाह दी है, अर्थात् 20.00 रु० मासिक की अन्तरिम वृद्धि तथा साथ ही वर्तमान मंहगाई भत्ता, जो श्रमिकों को दिया जा रहा है, जारी रखा जाये, चाहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो अथवा गिरावट।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

युगोस्लाविया के साथ व्यापार

1320. **श्री दे० अमात** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में युगोस्लाविया को कितना निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और चालू वर्ष में युगोस्लाविया को किए जाने वाले निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) क्या युगोस्लाविया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1968 और 1969 में यूगोस्लाविया को कुल निर्यात क्रमश: 16.14 करोड़ रु० तथा 30.46 करोड़ रु० के हुए। जनवरी-जून, 1970 के दौरान 16.87 करोड़ रु० के निर्यात हो चुके हैं और इस वर्ष के अन्त तक 25 करोड़ रु० से भी अधिक के निर्यात होने की आशा है।

(ख) विभिन्न उपायों द्वारा देशीय व्यापार के स्तर में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये उपाय हैं, युगोस्लाविया में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय तथा विशेषीकृत मेलों में भाग लेना, भारतीय व्यापारियों द्वारा युगोस्लाविया के बार बार दौरे, दोनों देशों के वाणिज्य मण्डलों के माध्यम से व्यापारिक स्तर पर संपर्क को प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक आंकड़ो का विनिश्चय तथा व्यापारी वर्ग को उचित मार्गदर्शन।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकर ण योजनाएं

1321. **श्री दे० ग्रमात** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में उड़ीसा राज्य ग्रधिकांश राज्यों से पिछड़ा हुग्रा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ग्रब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, उन गांवों की ग्राबादी उड़ीसा की ग्रामीण जनसंख्या के कितने प्रतिशत है ग्रौर ग्रन्य राज्यों तथा समूचे देश के तुलनात्मक ग्रांकड़े क्या हैं; ग्रौर

(ग) वर्ष 1970-71 के लिए उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाग्रों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा योजनाग्रों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 180 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्रौर 180 लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के उर्जन के लिए 1970-71 वर्ष में राज्य योजना परिव्यय के ग्रंतर्गत 76 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके ग्रतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 5 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए, 491 ग्रामों ग्रौर 9485 सिंचाई पंप सेटों के विद्युतीकरण के वास्ते, 199.13 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से निगम द्वारा 1970-71 के दौरान 78.023 लाख रुपये दिए जाएंगे।

विवरण

राज्य/संघीय क्षेत्र	30-6-70 को विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	30-6-70 को विद्युतीकृत ग्रामों की ग्रामीण जनसंख्या का/प्रतिशतांश/ग्रनुमानित
ग्रान्ध्र प्रदेश	7,346	48.7
ग्रसम	580	5.8
बिहार	7,509	23.9
गुजरात	3,477	39.2
हरियाणा	3,525	64.8
जम्मू व काश्मीर	771	24.9
केरल	1,166	82.9
मध्य प्रदेश	4 904	16.5
महाराष्ट्र	10,323	46.7
मैसूर	6,642	40.3
नागालैंड	50	11.4
उड़ीसा	988	7.1
पंजाब	5,581	63.1
राजस्थान	2,515	18.5
तमिल नाडु	9,531	75.8
उत्तर प्रदेश	16,035	28.5
पश्चिम बंगाल	2,734	16.1
कुल राज्य	83,677	35.1
संघीय प्रदेश	4,633	31.7
कुल (ग्रखिल भारतीय)	88.310	35.0

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति की प्रगति पर निगाह रखने के लिए संसदीय समिति की स्थापना

1322. **श्री मंगलाथुमाडम:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने कुछ संसद सदस्यों के इस सुझाव को, कि प्रशासनिक सुधार आयोग सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति की प्रगति पर निगाह रखने के लिये एक संसदीय समिति स्थापित की जाये, अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की समिति को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) : सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर किये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक सर्व-दलीय संसदीय समिति का गठन किया जाय, जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था।

चूंकि आयोग की सिफारिशों पर किये गये निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण उच्चतम स्तर पर किया जाता है और इन निर्णयों से सम्बन्धित विवरण और उनका कार्यान्वयन सदन के पटल पर रखे जाते हैं, अत: संसद को कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करने के लिए अवसर दिया जाता है कि किये गये निर्णयों को क्या बिना विलम्ब कार्य रूप दिया गया है। इन परीस्थितियों में इस प्रयोजन के लिए किसी पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार द्वारा लाटरी, रैफल चलाने का प्रस्ताव

1223. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लाटरी, रैफल को चलाने का कोई विचार है जैसा कि राज्यों द्वारा किया गया है ; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक छात्रावासों को खोलने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये इस तरह की लाटरी का सुझाव केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा दिया गया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) जी हां श्रीमान्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी समिति ने सुझाव दिया

है कि धर्मार्थ अस्पतालों की सहायता के लिए तथा ग्राम्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दो लाटरियां चलाई जायें।

पटसन के निर्यात के बारे में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सर्वेक्षण दल की सफारिशें

1324. **श्री क० हाल्दर :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सर्वेक्षण दल ने जिसने भारत के पटसन निर्यात की समस्याओं का अध्यन किया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सिफारिशें इस समय विचाराधीन है।

भारत में चन्द्रमा पर उतरने वाले संगणकों का निर्माण

1325. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री नि० र० लास्कर :
श्री जी वेंकटस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चन्द्रमा पर मानव को उतारने में जो संगणक काम में लाया गया था उस संगणक के भारत में निर्माण किये जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस समय नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत साधु समाज का कार्य

1326. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत साधु समाज ने इसकी स्थापना से अब तक लोगों की सहायता करने में क्या भूमिका अदा की ;

(ख) क्या सरकार इस समाज को कोई अनुदान देती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता देती है तथा धन के उचित उपयोग को देखने के लिए सरकारी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Loss Suffered Due To Communal Riots, Students Agitations and Arson

1327. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the amount of loss suffered State-wise during this year due to communal riots, student agitations and the devastating cases of arson ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : A statement containing the information so far received from State Governments is attached.

Information from the remaining State Governments/Uniion Territory Administrations is being collected.

Statement

State/Union Territory	Damage (in rupees) caused to property from 1. 1. 70 to 31. 10. 70 due to		
	Communal riots	Students agitations	Other cases of arson
Andhra Pradesh	1,19,830	87,050	40,300
Mysore	30,236	2,60,440	2,91,903
Punjab	—	2,300	1.150
Haryana	—	—	23,52,371
Manipur	—	18,550	—
Jammu & Kashmir, Meghalaya, Goa Daman & Diu, Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands, Andman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry, Chandigarh	Nil	Nil	Nil

Total Area Irrigated in U. P. Under Sai River Lift Irrigation Scheme

1328. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the total area which was proposed to be irrigated in Uttar Pradesh under the Sai River Lift Irrigation Scheme during the year 1969-70 ;

(b) the area out of it actually irrigated during the said period;

(c) whether the Government received any demand last year for introducing the Lift Irrigation Scheme between Aghora and Khanpur along river Sai; and

(d if so, whether Government propose to accede to the above demand by starting the Lift Irrigation Scheme in the said area with a view to bringing under irrigation a large tract of unirrigated land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sbri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) The Government of Uttar Pradesh have indicated that a potential of 5600 acres was created by lift irrigation schemes in the river Sai during 1969-70 and that 2370 acres were actually irrigated

(c) The State Government have stated that such representations were received by them

(d) the Government of Uttar Pradesh have indicated that they have no such proposal under consideration at present as there is no possibility of further tapping the source.

Export of Indian Films

1329. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names of countries in which Indian films are popular as also the names of those countries in which Indian films were exported during 1969-70 together with the names of the films so exported ; and

(b) the names of the countries from which requisitions have been received for Indian films for the year 1970-71 together with the names of the films requisitioned by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) A statement showing the value of the export of films to different countries is attached. Statistics are maintained in terms of value of exports and not the titles of the films. As it would be evident, Indian films are proving increasingly popular in U. K. Oman/Qatar, Singapore, Trinidad, Thailand, Mauritius, Lebanon, Iran, Hong Kong, Ceylon, Bahrein. Islands etc,

(b) The requisitions are received by the exporters direct who are licenced freely. Advance information is not available.

Statement Showing the Country Wise Exports of Cinematograph Films During 1969-70

Qty in, 000 Metres
Value in Rs., 000

Description	1969-70	
	Qty.	Val.
1. Aden/S. Yemen P. Rep.	153	250
2. Afghanistan	184	403
3. Bahrein Is.	422	1033

	Description	Qty.	Val.
4.	Burma	16	145
5.	Ceylon	654	2893
6.	Fiji Island	190	967
7.	France	17	61
8.	Hongkong	227	1253
9.	Indonesia	300	818
10.	Iran	276	1568
11.	Kenya	421	2667
12.	Labanon	455	1122
13.	Malaysia	33	161
14.	Mauritius	412	1536
15.	Nigeria	192	485
16.	Qtr. Trl. Oman/Qatar	943	3267
17.	Singapore	603	2850
18.	Sudan	87	369
19.	Thailand	281	1429
20.	Trinidad	263	1557
21.	U. A. R.	66	230
22.	U. K.	946	10746
23.	U. S. A.	203	898
24.	U. S. S. R.	70	416
25.	Vietnam (South) Republic	9	13
26.	Japan	12	44
27.	Others	1653	6275
	Total :	9088	43456

Mills Run by Authorised Controller in U.P

1330. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of mills run by the authorised controllers in Uttar Pradesh; and

(b) the amount of investment made by the Central Government and the State Government in each of the aforesaid mills separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) The name of the mills—The Muir Mills Co. Ltd., Kanpur, and The New Victoria Mill Co. Ltd. Kanpur.

(b) The Central Government and the Government of U.P. have advanced, through their respective Textile Corporations, the following loans to the aforesaid mills :—

	Muir Mill Co. Ltd.	New Victoria Mill Co. Ltd.
Central Government	Rs. 10.20 lakhs	Rs. 5.10 lakhs
State Government	Rs. 15.43 lakhs	Rs. 23.00 lakhs

रूई निगम द्वारा आयात की गयी रुई

1331. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूई निगम ने अपनी स्थापना से अब तक कितनी रुई का आयात कियां है ;

(ख) किन देशों तथा प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में निगम ने रुई का आयात किया ; और

(ग) इस प्रकार आयात की गई रुई को विभिन्न एजेंसियों में किस रूप में वितरित किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अभी तक बिलकुल नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

फरक्का बांध से जल की प्राप्ति के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध

1332. **श्री जि ० मो० विश्वास :**
श्री क० हाल्दर :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल ने वर्ष के सूखे महीनों में पत्तन संबंधी कार्यों में सुविधा के लिये फरक्का बांध से 40,000 क्यूसेक पानी की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ और उस पर अध्ययन हो रहा है ।

ढ़ली और गढ़ी वस्तुओं के पश्चिमी देशों को निर्यात की संभावनायें

1333. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में पश्चिमी देशों में औद्योगिक इंजीनियरिंग फर्मों के उच्चस्तरीय दलों: ने इंटरमीजियेट्स ढली और गढ़ी वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के पश्चिमी देशों को निर्यात की संभावना के बारे में उनके अध्ययन का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या ऐसी वस्तुओं के लिये जिनकी विदेशी बाजार में मांग है देश में किसी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और ऐसी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री(चौधरी राम सेवक) : (क) फ्रांस के प्रमुख कार निर्माता मैसर्स रेनाल्ट का एक तीन सदस्यीय दल हाल ही में लगभग दो सप्ताह की भारत यात्रा पर आया हैं। उन्होंने अनेक निर्माता-एककों का दौरा किया और कई मदों में, जिनमें ढलाई तथा गढ़ाई का सामान शामिल है, दिलचस्पी व्यक्त की, बशर्ते उनके गुण तथा कीमतें सन्तोषजनक हों।

(ख) तथा (ग) : बातचीत अभी चल रही है और क्षमता की प्राप्यता आदि के बारे में ब्यौरे बताना अभी संभव नहीं है।

बिहार के लिये वार्षिक योजना

1334. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बिहार राज्य की वर्ष 1971-72 की वार्षिक योजना पर योजना आयोग तथा बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप जो वार्षिक योजना बनाई गई उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अपने योजना प्रारूप के अनुसार विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितना धन नियत किये जाने की मांग की और कितना धन नियत किये जाने पर सहमति प्रकट की गई ; और

(घ) उक्त वार्षिक योजना में औद्योगिक तथा कृषि विकास की किस दर की परिकल्पना की गई हैं ?

प्रधानमंत्री अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा पुलिस के असिस्टेन्ट सब इन्सपैक्टर की हत्या

1335. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 21 अक्तूम्बर, 1970 को नक्सलवादियों द्वारा पुलिस के दो सब इन्सपेक्टरों की हत्या की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने और पश्चिम बंगास में सुरक्षा कार्य कर रहे पुलिस तथा सैनिक कर्मचारियों की नकसलवादी आक्रमणों से स्वयं की सुरक्षा करने के लिये हथियार दिये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) पश्चिमी बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा-कितने सुरक्षा कर्मचारी मारे गये ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 21 अक्तूबर 1970 को

हावड़ा और नादिया में नक्सलपंथियों द्वारा पुलिस के दो सहायक निरीक्षकों की हत्या कर दी गई थी। कलकत्ता में उस दिन ऐसी कोई हत्या नहीं हुई थी।

(ख) राज्य सरकार ने कर्मचारियों की उन ऐजंसियों पर आक्रमण का मुकाबला करने के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध को उचित रूप से सशक्त करने के कदम उठाये हैं, जिन्हें राज्य में कानून व व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व दिया गया हैं। सभी स्तरों पर संचालनों के उत्तम समन्वयन के लिए सतर्कता व्यवस्था को भी सुचारु बनाया जा रहा है।

(ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

तमिलनाडु के मंदिर-पुजारियों द्वारा पृथक झंडे की मांगें

1336. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तामिलनाडु के मंदिर पुजारियों ने अपने लिए एक पृथक झंडे की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई मांग नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण के बारे में राज्य सरकारों को दिए गये निदेश

1337. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को यह निदेश दिये हैं कि पुलिस कर्मचारियों पर किये गये आक्रमण को सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के समान समझा जाय;

(ख) क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पहिले ही इस सम्बन्ध में यह अधिकार दिए हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपद्रवियों के विरुद्ध पहिले ही कठोर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं।

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष निदेश जारी नहीं किये गए हैं कि पुलिस पर किये गए आक्रमणों से कैसे निपटा जाय। फिर भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि हिंसा को उत्पन्न करने वाली

सभी स्थितियों के साथ सख्ती से निपटा जाय। पुलिस पर आक्रमण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 के अन्तर्गत अपराध है अथवा नहीं, यह बात विशिष्ट मामलों के तथ्यों पर निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे घृणित अपराध करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही कर रही है।

सांख्यकीय किस्म नियंत्रण और परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए उम्मीदवारों का दाखिला

1338. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए उम्मीदवारों के दाखिले के लिए प्रति वर्ष विज्ञापन देता है;

(ख) क्या इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत उम्मीदवारों को केवल 'सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान' में डिप्लोमा का प्रमाणपत्र ही दिया जाता है और 'सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण और परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' नही दिया जाता;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि संस्थान के अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि 1969-70 के प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को केवल 'सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' का प्रमाण-पत्र दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) सफल होने वाले उम्मीदवारों को "सांख्यिकीय गुण-नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान" नामक प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

(ग) और (घ) इस नोट में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को बतला दिया गया है। उक्त मामले में संस्थान का विचार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला के शासीनिकाय और संस्थान की परिषद् से परामर्श करने का है।

पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति

1339. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्रीमती सुचेता कृपलानी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है;

(ख) अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर 1970 में, अलग-अलग, कितने व्यक्तियों की हत्याएं की गईं ;

(ग) क्या हत्याओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है तथा इससे जनता का मनोबल गिर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थानीय जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (घ) : राज्य सरकार विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय कर रही है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल संयत्र और आसूचना एकत्रीकरण समेत आवश्यक सहायता दी जा रही है। हालांकि अराजकता की अन्य घटनाओं में कमी हुई है जिसका नक्सलवादियों और ऐसे समान उग्रवादियों से संबंध नहीं है। फिर भी उन उग्रवादियों की गतिविधियां लगातार चिन्ता का विषय बनी हुई है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

कच्चे माल की कमी के कारण निर्यात पर विपरीत प्रभाव

1340. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे माल की कमी, असंतोषजनक नौवहन सेवाओं, पत्तन तथा समुद्री माल भाड़े सम्बन्धी अत्यधिक व्यय माल की निकासी में विलम्ब तथा सेवाओं तत्पर-हीनता के कारण देश में निर्यात योग्य माल के अपर्याप्त उत्पादन के फलस्वरूप भारत के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच अथवा सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस प्रकार की समस्याएं निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में उठती ही रहती है, अतः विदेशी व्यापार मंत्रालय निर्यात संवर्धन के समग्र क्षेत्र की सतत निगरानी रखने का प्रयत्न करता है और आवश्यक होने पर उपचारात्मक उपाय करने की कोशिश करता है।

(ग) जहां तक कच्चे माल की कमी का सम्बन्ध है, इस्पात के अतिरिक्त आयातों की व्यवस्था के लिए उपाय किये जा चुके हैं। जहां तक जहाजरानी सम्बन्धी कठिनाइयों का सम्बन्ध है, सरकार जहाज से माल भेजने वालों और जहाजरानीहितों के बीच प्रभावी परामर्श व्यवस्था स्थापित करने के निमित्त शिपर्स परिषदें बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और उचित भाड़ा दरें प्राप्त

करने और भारतीय व्यापारिक जहाजों की संख्या बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

बाढ़ से विनाश को रोकने के लिए दामोदर घाटी परियोजना के लिए आठ बांधों का निर्माण

1341. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञों ने बाढ़ से मृत्यु तथा विनाश को सदा के लिए रोकने हेतु दामोदर घाटी परियोजना के लिए मूलत: आठ बांधों के निर्माण की रूपरेखा तैयार की थी, परन्तु भारतीय अधिकारी उससे सहमत नहीं हुए और केवल चार बांधों का ही निर्माण किया गया जो कि बिल्कुल निश्चप्रभावी सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी कार्पोरेशन परियोजना एक ओर तो नदियों और नहरों को नया जीवन देने और दूसरी ओर फालतू पानी का समुद्र में सुगमतापूर्वक निकास कर सकने में सफल हो सके, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी के एकीकृत विकास के लिए विदेशी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए प्रारम्भिक ज्ञापन में आठ संचय जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित था। प्रस्ताव की वित्तीय और तकनीकी पक्षों पर विचार करने के पश्चात् चार संचय जलाशयों के निर्माण के लिए फैसला किया गया था जो कि गत 100 वर्षों के दौरान रिकार्ड की गई सभी बाढ़ों को समा सकने के लिए पर्याप्त होंगे। बाढ़ों के कारण निचली दामोदर घाटी में होने वाली क्षति, पूर्व परिकल्पित संचय से कम उपलब्ध संचय का परिणाम नहीं कही जा सकती किन्तु यह मुख्यत: निचली घाटी में जल-निकास अवरोध के कारण हैं। निचली घाटी की कुछ जगहों में नदी नाली के तलकर्षण और तटबंधों के निर्माण का प्रस्ताव परीक्षाधीन है।

पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाना

1342. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने से आज तक पुलिस ने लोगों पर कितनी बार गोली चलाई है;

(ख) पुलिस द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ग) इस अवधि में पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाहियों ने कितनी बार गोली चलाई।

(घ) उन व्यक्तियों के नाम तथा अन्य विवरण देने वाली एक सूची दी जाए, जो पुलिस की गोली से मारे गये हैं; और

(ङ) क्या पुलिस की गोली से मारे गये व्यक्तियों के परिवारों के लिए मुआवजे की मंजूरी दी गई है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) (ख), (घ) और (ङ.) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तथा 10-11-70 के दौरान केन्द्रीय सरकार रिजर्व पुलिस कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल में 37 बार गोली चलानी पड़ी।

पश्चिमी बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

1343. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल में पुलिस ने कई बार बिना किसी उत्तेजना के गोली चलाई है;

(ख) क्या सरकार जनवरी से सितम्बर, 1970 के बीच पुलिस के कार्यों के बारे में न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृहकार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सरकार को प्राप्त प्रत्येक शिकायत की जांच-पड़ताल की जाती है तथा जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अतः ऐसे व्यापक विषय की अदालत जांच कराना आवश्यक नहीं जैसा कि प्रश्न में सुझाव दिया गया है।

कांगसावती सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता

1344. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में कांगसावती सिंचाई परियोजना की अन्ततः सिंचाई की क्षमता कितनी होगी ;

(ख) इस परियोजना को सरकार की स्वीकृति कब प्राप्त हुई तथा इस पर निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था ;

(ग) इस समूची परियोजना की लागत का मूल तथा संशोधित अनुमान कितना है, अब तक इस पर कितना व्यय हुआ है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ;

(घ) इस निर्माण कार्य में कहां तक प्रगति हुई है और क्या धन की कमी इसकी प्रगति में बाधक बन रही है ; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो निश्चित अवधि में इस निर्माण कार्य के पूरा होने में क्या रुकावट पड़ रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 9.5 लाख एकड़ ।

(ख) राज्य सरकार ने 1956-1957 में कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू किए थे । योजना आयोग ने 1961 में इस स्कीम को स्वीकार किया था ।

(ग) मूल रूप से अनुमानत लागत 25.26 करोड़ रूपये थी । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सशोधित लागत लगभग 46 करोड़ रुपये है । परियोजना को चतुर्थ योजना के अन्त तक काफी हद तक पूरा करने का कार्यक्रम है । अगस्त, 1971 के अन्त तक लगभग 31 करोड़ रुपए व्यय हुए ।

(घ) तथा (ड.) कंसवती बांध तथा नहर प्रणाली का एक भाग पूर्ण हो चुका है और वे चालू हैं । कुमारी बांध और नहर प्रणाली के शेष कार्य का निर्माण हो रहा है । यदि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी योजना में निर्धारित सीमा के भीतर अधिक धनराशि आवंटित करे तो परियोजना कार्यों में तेजी लाई जा सकती है ।

समाज विरोधी तत्वों के बारे में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का वक्तव्य

1345. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1अक्तूबर, 1970 के कलकत्ता के पूलिस कमिश्नर के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने यह कहा बताया जाता है कि इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम० एल०) का शक्तिशाली अंग समाज-विरोधी तत्व हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि पुलिस कमिश्नर के वक्तव्य का सारांश 2 अक्तूबर, 1070 के "स्टेट्समैन" के कलकत्ता संस्करण में "उपप्र·धियों" की निष्ठा में उल्लेखनीय परिवर्तन-"मार्क्ड शिफ्ट इन एलीजिएन्स आफ रोडीज "शीर्षक" प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य का पूर्ण पाठ क्या हैं ?

गृहकार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क)से (ग) सरकार को पश्चिमी बंगाल, विशेषकर कलकत्ता

में हाल की अत्यधिक अराजकता में समाज-विरोधी तत्वों के कार्यों की जानकारी है । राज्य सरकार से पूर्ण तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

काफी बागान मालिकों को ऋण देना

1346. **श्री लोबो पभू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 26 अगस्त, 1970 के तरांकित प्रश्न संख्या 4112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बागान मालिकों के ऋण के लिए आवेदन-पत्रों को मंजूर करने में औसतन कितना समय लगता है और सबसे पुराना अनिर्णीत आवेदन-पत्र किस तिथि का है ;

(ख) क्या उपलब्ध ऋणों के बारे में विज्ञापन दिया गया था और ऋण प्राप्त करने में बागान मालिकों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ;

(ग) कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) गत वर्ष कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) आवेदन-पत्रों को मंजूर करने में लगने वाला समय प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदक बंधक रखी जाने वाली संपत्ति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में कितना समय लेता है । जिन मामलों में संपति का स्वामित्व स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं आती उनके लिए ऋण मंजूर करने में दो मास से कम समय लगता है । सबसे पुराना अनिर्णीत आवेदनपत्र दिनांक 26-9-1967 का है। यह आवेदन पत्र कतिपय दस्तावेजों के अभाव के कारण अनर्णीत पड़ा है।

(ख) हम ऋणों के बारे में, क्षेत्र में कार्य करने वाले बोर्ड के विस्तार अधिकारी के माध्यम से, विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत बागान मालिक संघों के मार्फत और अंग्रेजी, कन्नड़, तामिल तथा मलयालम भाषाओं में प्रकाशित होने वाली काफी बोर्ड की पत्रिका 'इंडियन काफी' के माध्यम से प्रचार किया जाता है । ऋण प्राप्त करने में बागान मालिकों के सामने आने वाली कठिनाइयां ये हैं : (1) संपति के स्वामित्व को सिद्ध करने वाले दस्तावेजोंकी अलभ्यता (2) भारी ऋण तथा (3) संपत्ति बंधक रखने के विषय में बैंध क्षमता का अभाव ।

(ग) काफी बोर्ड ने बड़ी संख्या में बागान मालिकों को ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु पार्गोपाय पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(घ) 47.70 लाख रुपये ।

नदी-तलों में गांद जमा हो जाने से सिंचाई तथा कृषि पर कुप्रभाव

1347 **श्री लोबो प्रभु :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री दक्षिण भारत की नदियों में गांद जमा हो जाने के बारे में सर्वेक्षण से संबंधित 19 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों में गाद जमा हो जाने के परिणामस्वरूप सिंचाई तथा कृषि को होने वाली हानि के संदर्भ में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का कहां तक उत्तरदायित्व है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों को बताये बिना सामान्य मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय को ऐसी नदियों के नाम तथा उनकी संख्या का पता है जो मानसून के पश्चात सूख जाती हैं तथा उनकी संख्या तथा नाम पता है जो अभी हाल तक बहती थी तथा अब सूख गई हैं तथा क्या ऐसी कोई कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा सकता है कि जिससे ये पुनः बहने लगें जैसा कि कूम्ब नदी के बारे में किया गया हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) कार्य-विषय के वर्तमान सवैधानिक वितरण के अन्तर्गत सिंचाई तथा सम्बन्धित विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। अतः विभिन्न नदियों में गाद जमा होने की मात्रा तथा उनके प्रवाह इत्यादि में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सामयिक सर्वेक्षण किए जाने होते है। साथ ही आवश्यक प्रतिकारात्मक कार्यवाही भी उन्ही के द्वारा आरम्भ की जानी होगी। जहां पर आवश्यक होगा, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

14 नवम्बर, 1970 को हुई केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में, जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, ऐसे सर्वेक्षणों और प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ग) मानसून के पश्चात सूख जाने वाली नदियों अथवा उन नदियों के सम्बन्ध में जानकारी जो ज्वारीय प्रभाव से अनियंत्रित हो जाती है, भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

विजूर और हल्लाडी योजनायें

1348. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजूर योजना में संशोधन करने का प्रश्न क्यों उठा और क्या इसे उनके मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) उक्त योजना हेतु इस वर्ष सिर्फ एक लाख रुपये का प्रावधान करने के क्या कारण हैं ;

(ग) हल्लाडी योजना का पन्द्रह वर्षों तक कार्यान्वियन न करने के क्या कारण हैं और अब उसे क्यों संशोधित किया जा रहा है और मूल योजना में क्या मुख्य कमियां थी, जिनकी वजह से उसका संशोधन अपेक्षित है ;

(घ) इस आरोप का क्या उत्तर है कि विवादग्रस्त पूर्वी नदियों के लिये ही संशोधनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब कर रही है ; और

(ड.) विजूर योजना को पूरा करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और

संशोधित हल्लाडी योजना के उनके मंत्रालय की मंजूरी के लिए कब तक प्रस्तुत होने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). मैसूर सरकार ने जून 1960 में विजूर जलाशय के लिए 50.4 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम भेजी थी। इसकी जांच करके दिसम्बर, 1960 में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गयीं । अभी तक राज्य सरकार से इन टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं आया है और न ही संशोधित रिपोर्ट आई है ।

अभी तक हलादी परियोजना की कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ख) और (घ). भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) मैसूर सरकार से पता चला है कि भूतपूर्व मद्रास सरकार हलादी के ऊपर एक सिंचाई परियोजना का विचार कर रही थी और राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव को शामिल कर दिया गया हुआ बताया जाता है परन्तु बाद में इसे छोड़ दिया गया।

राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात, मैसूर सरकार ने कुछ प्रारंभिक अनुसंधान करके दसनकत्ते सरिता के ऊपर एक जलाशय के लिए स्कीम का प्रारूप बनाया। परन्तु बाद में उन्होंने दसनकत्ते सरिता पर ऊंचा बांध न बनाने के लिए तथा मुख्य वरही सरिता के पानी का समुपयोजन करने के लिए इन प्रस्तावों में संशोधन करना आवश्यक समझा । वे अब वरही सरिता के ऊपर एक वीयर के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारतीय साम्यदादी दल (मार्क्सवादी और संयुक्त समाजवादी) दल में हुए संघर्षों और हत्याओं के बारे में घोष आयोग का प्रतिवेदन

1349 **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीपुर कोयला खान समूह में साम्यवादी (मार्क्सवादी) और संयुक्त समाजवादी दल में हुए संघर्षों और हत्याओं के बारे में बर्दवान के मण्डलीय आयुक्त श्री आर० कोल के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रतिवेदन में आसनसोल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तालुकदर की कर्तव्य-पालन में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण कड़ी आलोचना की गई है ;

(घ) यदि हां तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) घोष आयोग के निष्कर्ष क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ). जांच अधिकारी की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है और उस पर लिए गए निर्णयों को सभापटल पर रख दिया जायगा ।

त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापित करना

1350. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में पटसन मिल स्थापित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : त्रिपुरा में एक पटसन मिल की स्थापना की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

त्रिपुरा के नक्सलवादी नेताओं द्वारा सीमा पार करना

1351. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कुछ नक्सलवादी नेता उन मिज़ो विद्रोहियों से नियमित सम्पर्क बनाने के लिए सीमा पार करके पाकिस्तान चले गये हैं जिनको पाकिस्तान ने गुरिल्ला युद्ध तथा तोड़-फोड़ के लिए प्रशिक्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन नक्सलवादियों ने किन परिस्थितियों में सीमाएं पार की हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डकैती और अपहरण के मामले

1352. **श्री दे० वी० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल, यमुना और माही नदियों के बीहड़ों में छिपने के स्थानों से डाकुओं ने एक अन्तर्राज्यीय आतंक फैला रखा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डकैती और अपहरण की कितनी घटनाएं हुई और उन घटनाओं में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों की हत्या की गई कितने व्यक्तियों को घायल किया गया, कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया और कितने व्यक्तियों को उन्हें छोड़ने के बदले धन पाने के लिए बन्दी रखा गया;

(ग) डाकू आंतक की राष्ट्रीय समस्या के समाधान में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान कितने डाकू गिरोहों का सफाया किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों में डकैती के आंतक से निपटने के लिए उपाय करना संबन्धित राज्य

सरकार का कार्य है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तर दायित्व उन्हीं का है। भारत सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में व्याप्त है और जो इस आंतक से निरन्तर प्रभावित है। यह मामला भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचाराधीन है और इस आंतक का सामना करने के लिए कुछ समायोजित उपाय किए गए हैं और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में राज्य पुलिस बल के उपकरणों को आधुनिक बनाना, हथियार देना, वायरलैस उपकरण इत्यादि समेत केन्द्र द्वारा सहायता देना शामिल है। चम्बल घाटी क्षेत्र में योजनाबद्ध सड़क संचार विकास करने पर केन्द्रीय सरकार ध्यान दे रही है।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

सांविधिक अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन करने के लिए विधेयक

1353. **श्री एस० के० संबंधन** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधिक अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन करने वाला विधेयक तैयार है;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित बोर्ड के सम्बन्ध में अभी तक विधेयक को पुरःस्थापित करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि राज्य सरकारों को चौथी योजना अवधि में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता के परिवर्तित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को सौंपे जाने वाले कार्यों तथा उसकी संगठनात्मक रचना आदि पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है।

Activities and Financial Resources of Anand Marg

1354. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have made an enquiry into the activities and financial resources of Anand Marg; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government there to ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Government keep a close watch on the activities of the Anand Marg.

(b) Government consider the organisation to be of a political nature but instructions

issued by the Government in this behalf have been challenged in a writ petition in the Supreme Court and are subjudice. As was stated in answer to part (c) of the Lok Sabha Starred Question No. 834 dated August 29, 1969, according to information received from State Governments, the known sources of income of the Anand Marg are voluntary subscriptions from members, donations from members and sympathisers, grants from the central office and funds collected by way of entertainment programmes and film shows.

Progress in construction of Pathratu Thermal Power Station.

1355. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri T. Ram :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether he is aware that although the work on the Pathratu Thermal Power Station has been going on for the last eight years, yet, so far, only half of the work has been completed;

(b) if so, the reasons for delay in its construction;

(c) whether the equipment supplied by the Soviet Russia is lying idle and rusting and, if so, who is responsible therefor;

(d) the period specified by Government for the completion of the power station, the number of years that have elapsed so far and the further time likely to be taken in its completion; and

(e) the estimated outlay of the project spent so far and the further amount likely to be spent thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The first stage of the Pathratu Thermal Power Station envisages the installation of four thermal units of 50 MW each and two units of 100 MW each. The construction of the first stage of the Pathratu Thermal Power Station was begun in 1962. Four units of 50 MW each have already been commissioned; the remaining two units of 100 MW each are expected to be commissioned in 1971.

(b) The main reasons for the delay are delays in the execution of work by the contractors on account of frequent labour troubles and delays in the delivery of missing and short-landed equipment by suppliers.

(c) No, Sir. The equipment for the remaining two units is under erection.

(d) The information is given below :

Target date	Date of commissioning
1st Unit : July 1965	October 1966
2nd Unit : Nov. 1965	June 1967
3rd Unit : March 1966	Nov. 1968
4th Unit : July 1966	October 1969
5th Unit : Feb. 1967	March 1971 (anticipated)
6th Unit : Aug. 1967	September 1971 (anticipated)

(e) The expenditure anticipated upto the end of March 1970 was Rs. 48.89 crores. The balance of Rs. 3.82 crores against the estimated cost of Rs. 52.71 crores of the project is to be incurred for the completion of the project.

Arrest of Naxalites in Various States

1356. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Deorao Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Naxalites arrested in various States of the country as on the 15th October, 1970;

(b) the State-wise details thereof;

(c) the action taken by Govetnment to check their activities; and

(d) the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) : Information is being collected from the State Governments.

(c) & (d). State Governments are taking firm action under the law to counter the activities of the Naxalites and allied extremist groups. The Central Government has been maintaining close touch with the State Governments and providing all reasonable assistance to them including additional armed police reinforcements, wireless and other equipment and pooling of intelligence. The activities of the Naxalites and allied extremist groups have been kept under check except that there has been some increase recently in such activities in West Bengal and Bihar.

पतरातू तापीय बिजली घर के निर्माण में कथित हानि

1357. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'पतरातू विद्युत परियोजना' (बिहार) गवर्नमेंट के सम्बन्ध में दिल्ली के एक अंग्रेजी मासिक पत्र 'लेबर वर्ल्ड' में 'ए सिच्वेशन दैट काल्ज फार अर्जेन्ट गवर्नमेंट इंक्वायरी' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित कथित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सरकार को लाखों रुपयों की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है;

(ग) तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (घ) : लेबर। वर्ल्ड' के अक्तूबर के अंक में यह कहा गया है कि बिहार में पतरातू ताप-विद्युत केंद्र के प्रचालन में

देरी का कारण निर्माण तथा प्रतिष्ठापन में विलम्ब था जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को भारी नुकसान पहुंचा। इस पत्रिका में यह कहा गया है कि इस मामले की विशेषकर ठेके में दी गई शर्तों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में, जांच की जाए। राज्य सरकार ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड की कार्य-विधि में क्षतियों और कमियों के कारणों की जांच करने के लिए 20 अक्तूबर, 1970 को जांच अधिनियम के आयोग के अधीन एक जांच आयोग स्थापित किया है। चूंकि यह आयोग विभिन्न आरोपों की जांच करेगा, इस समय किसी पृथक जांच की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर केरल के कंसरगोड़ में नक्सलवादियों का गुप्त प्रशिक्षण शिविर

1359. **श्री रा० की० अमीन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचारपत्रों द्वारा हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तरी केरल के कंसरगोड़ में नक्सलवादियों का गुप्त प्रशिक्षण शिविर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या स्थानीय अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस बारे में 11-8-1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार देखा है।

(ख) तथा (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सीलीगुड़ी जेल से नक्सलपंथी नेताओं का भाग जाना

1360. **श्री रा० की० अमीन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अक्तुबर, 1970 को सीलीगुड़ी जेल से चारू मजूमदार और कई अन्य नक्सलपंथी उच्च नेता भाग गए थे;

(ख) क्या नक्सलपंथी नेताओं के भाग जाने की परिस्थितियां और कारणों की सरकार द्वारा जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) क्या अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्। चारू मजूमदार को अभी गिरफ्तार किया जाना है तथा 4 अक्तूबर को सिलीगुड़ी जेल से किसी दूसरे व्यक्ति के भाग जाने का कोई समाचार नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Short supply of Power to Tube Wells

1361. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the demand of tubewells has reached upto 5 lakhs yearly in the country as and whole but Government could supply power to only 2 lakh tubewells due to lack of power and equipment; and

(b) if so the time by which this hindrance is expected to be removed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) While the number of applications for energisation of wells has been recently assessed at about 5 lakhs per year, the number of wells energised during 1969-70 was about 2.5 lakhs. The full demand has not been met mainly because of constraint of financial resources and also because of prevailing shortage of essential raw materials.

(b) The Government of India have set up the Rural Electrification Corporation for providing funds in addition to State Plan allocations for rural electrification schemes. Steps have also been taken to ensure as far as possible the availability of essential raw materials either indigenously or by imports. It is not possible to indicate a specific period during which all constraints on the acceleration of rural electrification programmaes would be removed.

Generation of Electricity Through Atomic Power Stations

1362. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the **Prime Minister** be pleased to state.

(a) whether India would not be able to produce through Atomic Power Stations even 50 percent of the electricity to be generated in the Fifth Fine Year Plan; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir, Nuclear power would form only about 6 percent of the total installed capacity by 1980 on the completion of projects indicated in the Profile for the decade 1970-80 for Atomic Energy.

(b) The Atomic Energy Commission has worked out a strategy which aims at sustained growth of power based on nuclear energy on a self-reliant basis. Our pace of development is related to the overall growth of industrial capability in this country.

खेल-कूद की वस्तुओं का निर्यात

1363. **श्री केदार नाथ सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में खेल-कूद की कुल कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया और पूर्व वर्ष की तुलना में समग्र रूप से और देशवार इसका क्या अनुपात है; और

(ख) भारतीय खेल-कूद के सामान के कौन संभावित खरीदार हैं और वर्ष 1970-71 तथा

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए इनके निर्यात का कुल कितना लक्ष्य नियत किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान खेल-कूद के सामान के निर्यात इस प्रकार थे :—

1968-69	1.20 करोड़ रुपये
1969-70	1.36 करोड़ रुपये

एक विवरण संलग्न है जिसमें उपरोक्त दो वर्षों के दौरान खेलकूद के सामान के देशवार निर्यात दिये गए हैं।

(ख) भारतीय खेल-कूद के सामान के और महत्वपूर्ण खरीदार ये हैं :

ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम जर्मनी, हालैण्ड तथा इटली

निर्यात हेतु 1970-71 के लिए सभी देशों के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य 2 करोड़ रुपये के हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

	करोड़ रुपये
1969-70	1.50
1970-71	2.00
1971-72	2.25
1972-73	2.50
1973-74	3.00
योग	11.25

विवरण

क्रमांक	देश का नाम	1968-69	1969-71
1.	आस्ट्रेलिया	9.58	8.67
2.	चैकोस्लोवाकिया	0.58	—
3.	श्रीलंका	3.61	2.25
4.	कनाडा	1.41	2.00
5.	फ्रांस	1.21	1.30
6.	घाना	1.41	1.99
7.	ग्याना	1.15	0.86
8.	हालैण्ड	2.68	0.79
9.	इराक	0.95	0.53

क्रमांक	देश का नाम	1968-69	1969-71
10.	इजराइल	1.40	3.75
11.	इटली	1.63	2.72
12.	जमाइका	1.02	0.85
13.	केन्या	6.42	6.35
14.	हाँगकाँग	0.57	1.31
15.	कुवैत	1.56	1.71
16.	मलाया तथा सिंगापुर	17.27	16.40
17.	न्यूजीलैंड	1.51	1.42
18.	नाइजीरिया	6.25	4.10
19.	जाम्बिया तथा मलावी	2.22	2.35
20.	सूडान	2.57	2.76
21.	स्वीडन	0.70	0.99
22.	थाईलैंड	3.96	3.48
23.	तंजानिया	2.20	1.56
24.	ट्रिनिडाड	3.59	3.62
25.	संयुक्त अरब गणराज्य	0.26	0.31
26.	ब्रिटेन	23.86	28.05
27.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2.49	5.22
28.	पश्चिम जर्मनी	3.39	7.87
29.	यूगोस्लाविया	1.93	0.80
30.	अन्य	10.45	14.97
	योग	119.97	135.63

नक्सलवादी द्वारा पिता को फांसी पर लटकाना

1364. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4410 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नक्सलवादी द्वारा पिता को फांसी पर लटकाये जाने के सम्बन्ध में इस बीच तथ्यों का पता लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में

राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . 5 अगस्त, 1970 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित एक नक्सलवादी के अपने पिता को फांसी देने से संबंधित समाचार की पुष्टि करने हेतु सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इंजीनियर समिति का प्रतिवेदन

1365. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 5 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इन्जीनियर समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). समिति ने इस क्षेत्र का जून, 1970 में निरीक्षण किया है और प्रारम्भिक विचार-विमर्श भी किये हैं। समिति ने निर्णय किया है कि उच्चतम बाढ़ों के दौरान तथा मानसून के बाद की ऋतु के दौरान इकनदी निरीक्षण करके माडल प्रयोग किये जाएं। माडल प्रयोगों के परिणामों के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् समिति की रिपोर्ट मिलेगी।

निर्यात कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने हेतु व्यवस्था

1366. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री 12 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात सम्बन्धी कार्य के नियमित रूप से पुनर्विलोकन करते हेतु कोई व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

पश्चिमी बंगाल में नेशनल वालंटियर्स फोर्स को समाप्त करना

1367. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के नेशनल वालंटियर फोर्स को समाप्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Narmada Water Dispute between Gujrat and Madhya Pradesh

1368. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the steps proposed to be taken by Government to resolve the Narmada water dispute between Gujarat and Madhya Pradesh and to complete the necessary formalities for the early commencement of the Narmada Hydro-electric Schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad): The Narmada Water Disputes Tribunal was constituted on 6th October, 1969 to resolve the Narmada Water Disputes between Gujrat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. The proceeding of the Tribunal are in progress.

Value of Imports of Cigaretes and Raw Materials used in Indigenous Cigarettes

1369. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the annual value of cigarettes which are being imported from foreign countries and the details and anual value of the imported material used in the production of indigenous cigarettes;

(b) whether a memorandumhas been submitted to Government for setting up a Commission with regard to cigarettes; and

(c) if so, the reaction of Government there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Statement

1. Value of Cigarettes

Year	Rupees
1967-68	2,32,956
1968-69	1,09,134
1969-70	3,25,942

2. Value of Imports of Materials used in Production of Cigarettes

	Cigarettes paper in bulk rolls	Un-manufactured tobacco (FCV Quality)
Year	Rupees	Rupees
1967-68	2,47,844	65,83.612
1968-69	1,63,482	30,77,378
1969-70	73,197	81,409

राज्य व्यापार निगम द्वारा संचित रबड़ भंडारों की खरीद

1371. **श्री जनार्दन :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित बढे हुए मूल्य पर टायर निर्माताओं द्वारा रबड़ को खरीदने के परिणाम स्वरूप उत्पादकों के पास रबड़ के विशाल भंडार संचित हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या बिना बिके भंड़ारों को राज्य सरकार व्यापार निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक): (क) कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के फलस्वरूप उत्पादकों के प्राकृतिक रबड़ के भंडारों में वृद्धि हो गई और इसका कारण यह था कि निर्माताओं ने कम माल खरीदा था।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमतों पर कच्चा रबड़ पहले से ही खरीदना प्रारम्भ कर दिया है।

राजस्थान तथा काश्मीर में पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियां

1372. **श्री न० कु० सांधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान तथा काश्मीर में पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियों में वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है जहां कि पाकिस्तानी जासूस भारतीय सीमावर्ती नागरिकों के सहयोग तथा सांठ गांठ से अपनी गतिविधियां चलाते बताये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में गत तीन महीनों के दौरान जासूसी करने के कितने मामले पकड़े गये तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा ऐजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ग) गत तीन महीनों में अगस्त से अक्टूबर, 1970 तक राजस्थान में पता लगाये गये मामलों की संख्या 6 है। इन 6 मामलो में अब तक 4 पाकिस्तानी और 5 भारतीय राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये हैं। जम्मू व कश्मीर के बारे में सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि

1373. **श्री न० कु० सांधी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किये जाने वाले माल के लिए आवश्यक कच्चे माल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि चिन्ताजनक बन गई है और यदि इस प्रवृति को तत्काल न रोका गया तो विदेशों में बिक्री किए जाने वाले माल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) औद्योगिक कच्चे माल और उत्पादन में काम आने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) मूल्यों की इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों को प्रतिस्पर्द्धा स्तर पर रखा जा सके ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . जी हां। 14 अक्तूबर, 1969 तथा 3 अक्तूबर, 1970 के बीच औद्योगिक कच्चे माल के थोक कीमतों के सूचकांक (1961-62=100) 181.1 से 195.1 तक अर्थात लगभग 8% बढ़े जबकि मध्यवर्ती उत्पादों के सम्बन्ध में 156.5 से 175.5 तक अर्थात 12% की वृद्धि हुई।

(ग) निर्यात होने वाले माल के उत्पादन में अपेक्षित कच्चे माल तथा अन्य निविष्ट साधनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा यदि आवश्यक हो तो घरेलू उत्पादन की कमी को आयातों द्वारा पूरा करने का सरकार प्रयत्न कर रही है।

केरल राज्य के मयन्नूर जंगलों में पाये गये विस्फोटक तथा घातक हथियार

1374. **श्री न० कु० सांधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल के मयन्नूर जंगलों में बड़ी मात्रा में विस्फोटक तथा घातक हथियारों का भण्डार पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो बरामद की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है तथा क्या उनके स्त्रोत का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई; और

(घ) क्या मयन्नूर में हथियारों के पाये जाने से लोगों में आतंक छा गया है तथा अपनी जान व सम्पत्ति का भय उत्पन्न हो गया था विशेष रूप से क्योंकि उक्त घटना उसी जिले के मन्नरकाड स्थान के एक भूस्वामी की निर्मम हत्या के पश्चात् घटी थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : केरल सरकार ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख). उन चार व्यक्तियों के इकरार करने के परिणामस्वरूप, जिन्हें मन्नारघाट तालुक में एक जमीदार की हत्या से सम्बन्धित अपराध संख्या 63/70 के बारे में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने मयन्नूर क्षेत्र में 17 बम, विस्फोटक पदार्थ, जैसे फ्यूजिज इत्यादि, तलवारें, छड़िया तथा कुछ अन्य हथियार बरामद किये।

(ग) उपरोक्त अपराध के सम्बन्ध में अब तक 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

कानपुर में न्यू विक्टोरिया मिल्स का कार्य करण

1375. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कुल कितने कर्मचारी अभी तक बेरोजगार हैं; और

(ग) उनको वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . मिल में उत्पादन आरम्भ हो गया है। तथापि यह मिल आंशिक रूप से कार्य कर रही है और उसमें 1231 कर्मचारी, जिसमें 59 लिपिक हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके बंद होने के समय उपस्थिति-रजिस्टर में 258 लिपिकों सहित 4801 कर्मचारी थे। मिल के कार्यचालन को क्रमश: बढ़ाने तथा उपस्थिति रजिस्टर के 50% कर्मचारियों को काम पर लगाने का विचार है।

पश्चिमो बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियां

1376. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विभिन्न समाचार पत्रों में वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न राजनीतिक संगठनों तथा संसद सदस्यों ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है;

(ग) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दुर्व्यवहार के विरुद्ध लगाए गए इन आरोपों की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तथाकथित ज्यादतियां की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के कुछ समाचारपत्रों में और संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सरकार को सम्बोधित कुछ पत्रों में दी गई है।

(ग) (घ). जी नहीं, श्रीमान। आरोपों की जांच-पड़ताल की गई है और पाया गया है कि ये यदि पूर्णतया झूठी नहीं है तो भी या तो निराधार है या बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं। ऐसे आरोपों के अनेक मामलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बिल्कुल अन्तर्ग्रस्त नहीं थी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए रखा गया है और वह पश्चिम बंगाल सरकार के आदेशों पर कार्य करती है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए पानी की दरों में वृद्धि

1377. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री जनेश्वर मिश्र :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 24 सितम्बर, 1970 को ऊटी में वक्तव्य दिया था कि सिंचाई परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु और "कम से कम संचालन व्यय के भुगतान के लिए" देश में पानी की दरों में वृद्धि की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के निर्णय से गरीब किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . जिन सिंचाई प्रणालियों पर सरकार ने बहुत पूंजी लगानी होती है, केवल उनकी कमान के क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधायें दी जाती हैं। यह उचित है कि लाभ उठाने वाले लोग यथासंभव इन सुविधाओं के लिए पैसे दें और शेष समाज पर भार न डाले। जबकि कृषि उपज के मूल्य बढ़ गये हैं और किसान लोग सिंचित भूमि से पहले से अधिक लाभ कमा रहे हैं, जल की दरों में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है, इस दौरान अनुरक्षण और चालन सम्बन्धी लागतें बहुत बढ़ती जा रही है।

इसके अलावा हाल ही के वर्षों में, विभिन्न कारणों से, आयोजित विकास के लिए राज्यों के संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं। अतः जल की दरों को बढ़ाकर योजना के लिए पर्याप्त साधनों के एकत्रण की आवश्यकता को बहुत महत्त्व मिल गया। क्षेत्रीय अन्तर्राज्यीय बैठकों में तथा अखिल भारतीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों के साथ कई अवसरों पर इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया है। अतिरिक्त संसाधनों को इकट्ठा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा पहले से स्वीकृत नीतियों के अनुसरण में, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जल की दरें सामयिक ढंग से करें ताकि अनुरक्षण और चालन का व्यय तथा $2\frac{1}{2}\%$ की दर पर ब्याज निकल आए और यह कि संक्रमण अवधि के लिए व्यवस्था करके आवर्द्धित दरों का एकत्रण किया जाए।

इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात में उदारता बरतना

1378. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरिंग उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु कच्चे माल के आयात में उदारता बरतने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और क्या अपेक्षित कच्चे

माल के आयात के लिए किन्हीं विदेशी फर्मों/विदेशों के साथ इस बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). अवमूल्यन के पश्चात् अधिकांश इन्जीनियरी उद्योगों को प्राथमिकता भारी उद्योगों, जो देश के उत्पादन का 3/4 भाग तैयार करते हैं, की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आयात के लिए उदार नीति अपनाई जाती है। लोहे तथा इस्पात की अनेक मदों और लौह मिश्रित धातुओं के सम्बन्ध में आयात नीति से 1-4-70 को उदार बना दिया गया था। स्थिति की पुनः समीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि विशाल तथा लघु पैमाने के क्षेत्रों के वास्तविक प्रयोजनाओं और निर्यात उत्पादन के लिए इन्जीनियरी का अर्ध-रचित माल तैयार करने वालों के लिए लोहे तथा इस्पात की कतिपय मदों के अतिरिक्त आयात की अनुमति दी जाये।

कच्चे माल के आयात के लिए वित्त-व्यवस्था भारत की निर्यात आयातों से और समय-समय पर उपलब्ध विभिन्न विदेशी ऋणों में से की जाती है, और 'उजारीकृत' नीति, जिसके प्रति निर्देश किया गया है, के अंतर्गत आयातों की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में किसी विदेशी फर्म या देश के साथ कोई विशिष्ट करार नहीं किया गया है।

आणविक ऊर्जा आयोग द्वारा वैज्ञानिक पूल योजना के प्रश्न पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ असहयोग

1379. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 सितम्बर, 1970 को "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इन्जीनियरों और डाक्टरों की व्यवस्था करने के लिए आणविक ऊर्जा आयोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की "वैज्ञानिक पूल" योजना के मामले में सहयोग नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) यह कहना ठीक नहीं हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की "वैज्ञानिक पूल" योजना के मामले में सहयोग नहीं दे रहा है। "वैज्ञानिक पूल" के दो वैज्ञानिक इस समय भी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में काम कर रहे हैं। "वैज्ञानिक पूल" से अस्थाई रूप में वैज्ञानिकों को उपरोक्त केन्द्र से सम्बद्ध करना आम तौर पर परमाणु ऊर्जा आयोग की दीर्घकालीन वचनबद्धता के अन्तर्गत सन्तोषप्रद सिद्ध नहीं हुआ। तथापि जब कभी परमाणु ऊर्जा आयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों के लिए विज्ञापन देकर भर्ती करता है तथा वैज्ञानिक मूल के वैज्ञा-

निक उनके लिए आवेदन करते हैं, तो उन पदों के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें सामान्य रूप से नियुक्त किया जाता है।

गण्डक, राजस्थान तथा पश्चिमी कोसी नहरें

1380. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री पश्चिमी कोसी नहर, गण्डक नहर तथा राजस्थान नहरों में खुदाई कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में 5 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की गण्डक, राजस्थान तथा पश्चिमी कोसी नहरों के कार्य को शीघ्र पूरा करने सम्बन्धी राज्य सरकारों का अनुरोध पूरा कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने को कहा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पश्चिमी कोसी नहर के लिए नेपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अथवा वैकल्पिक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . कई राज्य सरकारें अपनी योजना सीमाओं से बाहर अपनी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन के लिए प्रार्थना करती रही हैं। इस प्रकार की सहायता के लिए व्यवस्था करना सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि उपलब्ध सारी केन्द्रीय सहायता किसी विशेष स्कीम अथवा विकास शीर्ष के साथ न जोड़कर ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को पहले ही वितरित कर दी गई है। अतः किसी विशिष्ट परियोजना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक योजना के कुल परिव्यय में उपयुक्त समायोजना करके करनी होगी।

(घ) और (ङ) . राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्यतः केवल अल्पकालीन और कुछ मध्यम कालीन आवश्यकताओं के लिए ही ऋण देते हैं। वे राज्य सरकारों के उधार लेने सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी सहायता कर हैं परन्तु वे उनते सिंचाई परियोजनाओं के लिए सीधा धन की व्यवस्था नहीं करते जिनके लिए बहुत लम्बी अवधि के ऋण अपेक्षित होते हैं।

पश्चिमी कोसी नहर के प्रथम 22 मीलों के रेखांकन के सम्बन्ध में नेपाल सरकार की स्वीकृति अभी प्रतिक्षित हैं और इसे जल्दी से स्वीकार कराने में सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार पश्चिमी कोसी नहर की कमान के कुछ क्षेत्रों की नलकूपों के माध्यम से सिंचाई करने के लिए एक पाइलाट परियोजना के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

नेपाल के करनाली पन बिजली परियोजना का विकास

1381. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री नेपालमें बहु-उद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के बारे में 5 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न 1490 के उत्तर के संदर्भ में क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में करनाली पनबिजली परियोजना के विकास के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या बागमती, कमला और कोसी की एक शाखा के जलप्रपातों के निकट एक पनबिजली बहुप्रयोजनीय परियोजना बनाने का प्रस्ताव इस बीच प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नेपाल में करनाली जल-विद्युत परियोजना के विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ग) और (घ). बागमती, कमला और नेपाल में कोसी की एक शाखा के प्रपातों के निकट जल-विद्युत/बहुद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में जूट के मूल्यों में गिरावट

1382. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री 2 सितम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5108 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जूट के मूल्यों में वर्ष 1968-69 में 99.13 रुपये से 191 84 रुपये तक से घट कर वर्ष 1969-70 में 72 रुपये 34 पैसे से 155 रुपये 40 पैसे प्रति क्विन्टल तक हो जाने के क्या कारण हैं तथा इसके फलस्वरूप वर्तमान वर्ष में जूट की खेती पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) संगत वर्षों में पश्चिमी बंगाल में जूट का मूल्य तथा उत्पादन कितना था और उस राज्य में राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना-कितना जूट खरीदा तथा इस अन्तर के क्या कारण थे; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों की पहली नियुक्ति से सम्बन्धित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1969-70 में मूल्य में गिरावट उस वर्ष अधिक फसल होने के फलस्वरूप आई थी। उपलब्ध प्रतिवेदनों के अनुसार बिहार में इस वर्ष फसल पिछले वर्ष से कुछ अधिक होने की सम्भावना है।

(ख) एक विवरण संगग्न है।

(ग) केवल एक अधिकारी अर्थात् श्री ए० के० सेन, उप विपणन प्रबंधक (ग्रेड II), जो एक निजी पटसन मिल के भूतपूर्व कर्मचारी हैं, कलकत्ते निगम के शाखा कार्यालय में कार्य कर रहे हैं।

विवरण

	1968-69	1969-70
पश्चिम बंगाल में नार्दन जूट	115.21 रुपये से	92.34 रुपये
(प्रतिनिधि किस्म) की कीमत	198.26 रुपये प्रतिक्विंटल से 182.19 रुपये प्रति क्विंटल	
पश्चिम बंगाल में पटसन (तथा पेस्टा)		
का उत्पादन राज्य व्यापार निगम द्वारा	15.44 लाख गांठें	37.36 लाख गाँठें
पश्चिम बंगाल में पटसन की खरीद	नगण्य	36,863 गांठें

पश्चिम बंगाल व बिहार में मूल्य में असमानता मुख्यत: किस्म में विभिन्नता के कारण है और यह आम बात है।

दुर्लभ मुद्रा, क्षेत्रों के साथ व्यापार संतुलन

1383. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डालर और स्टर्लिंग वाले देशों तथा रुपयों में भुगतान वाले देशों के साथ व्यापार संतुलन कितना है; और

(ख) डालर और स्टर्लिंग वाले देशों से आयात की जाने वाली वे कौन सी विशिष्ट वस्तुएं हैं जिनका उन देशों से आयात किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है जिनके साथ हमारा रुपये के आधार पर व्यापार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रुपये में भुगतान वाले देशों तथा अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार शेष को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) एक ओर तो डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्र से तथा दूसरी ओर रुपये में भुगतान वाले क्षेत्र से आयात की जा सकने वाली विशिष्ट मदों का विस्तृत विवरण, भारत सरकार के वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-सकलन विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित 'भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े, ग्रन्थ 2 आयात' से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आयात की गई प्रत्येक मद की तथा मूल्यस्रोतवार दिये जाते हैं।

विवरण

भारत का विदेशी व्यापार

	रुपये में भुगतान वाले देशों से व्यापार	अन्य देशों के साथ व्यापार जिनमें डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्र शामिल हैं	कुल व्यापार
		(करोड़ रुपये)	
1967-68			
आयात	222.6	1785.0	2007.6
निर्यात	228.4	970.3	1198.7
व्यापार शेष (+)	5.8	(—) 814.7	(—) 808.9
1968-69			
आयात	310.1	1598.5	1908.6
निर्यात	277.6	1080.3	1357.9
व्यापार शेष (—)	32.5	(—) 518.2	550.7
1969-70			
आयात	282.0	1285.5	1567.5
निर्यात	314.5	1098.7	1413.2
व्यापार शेष (+)	32.5	(—) 186.8	(—) 154.3

वर्ष 1969-70 के आंकड़े अनन्तिम हैं

Extension of Period for Completion of Beas Sutlej Link project

1384. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the period for the completion of Beas Sutlej Link Project has been extended by one year;

(b) if so, the amount of likely loss to the nation as a result thereof and the names of the persons responsible therefor;

(c) whether Government propose to inquire into the reasons for the delay in the implementation of the said project and the difficulties that stood in its way which lead to the extension of the period;

(d) whether Government have thought of way and means where by increase in the cost of the Beas Sutlej Link Project could be avoided and the project is completed within the scheduled time; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) . Only the benefit of about 300 MW power generation will be postponed by one year. No individual is responsible for the delay which is due to non-availability of foreign exchange till June, 1966 when Loan Agreement was signed with the International Development Association insufficient budgetary allotments due to financial constraint and unexpected poor state of rock encountered in Sundernagar Sutlej Tunnel between Pung and Harabagh. The Beas Construction Board examines the various aspects relating to the cost and schedule of completion of the project from time to time. Advice of the Beas Board of Consultants on various technical matters is also obtained at regular intervals.

Trade Relation with China

1385. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether several countries of the West like West Germany and Canada have improved their relations with the People's China with a view to promote their exports to China after exploring good market in China for their goods; and

(b) whether Government have formulated any scheme to bring about improvement in the trade relations between India and China and whether Government have taken any initiative in this regard and, if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Canada has recently established diplomatic relations with the People's Republic of China. But she has had good trade with China so far even without diplomatic relations. Although Federal Republic of Germany does not have diplomatic relations with China, it is still the largest European trading partner of China today.

(b) As has often been stated in the Parliament, the Government of India would welcome an overall improvement of relations with People's Republic of China but this will have to await a similar desire on the part of China and vacation of Indian territories illegally occupied by them.

Irrigation Facilities in Bihar

1386. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state;

(a) whether the People of Bihar and some social workers had drawn the attention of the Union Minister of State for Irrigation and Power in respect of the plan of Government for Gaya District in Bihar whereunder several Districts, particularly of South Bihar will be provided with irrigational facilities;

(b) whether he had given assurance to take action in this matter;

(c) whether any action has since been taken to implement them; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) Yes Sir.

(b) to (d). The State Government have been requested to accelerate systematic investigations to draw up a realistic master plan for South Bihar and carry out further geological investigations needed to finalise the tunnel alignment in the proposed Tilaiya diversion scheme. All possible assistance in this regard is being given by the Central Water & Power Commission, where a small cell is also proposed to be set up to give special attention to the problems of South Bihar.

बरौनी, पथराटु आदि में भवन निर्माण पर हुए व्यय में भारी अन्तर

1387. **श्री देवेन सेन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 24 सितम्बर, 1970 के 'सर्च लाइट' (पटना का अंग्रेजी दैनिक) में, "बरौनी पथराटु आदि की निर्माण लागत में भारी अन्तर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सनसनी पूर्ण समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आज तक वास्तविक लागत व्यय में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) सरकार का उन व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने मूलतः अनुमानित व्यय से बहुत अधिक व्यय किया ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 24 सितम्बर, 1970 के 'सर्चलाइट' में छपे एक समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि बरौनी ताप विद्युत केन्द्र पर हुए काम की अपेक्षा पथराटु ताप विद्युत केन्द्र के प्रतिष्ठापन पर बहुत अधिक व्यय हुआ है और बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने कोई औचित्य बताए बिना पथराटु ताप विद्युत केन्द्र के पूंजीगत परिव्यय को तदनुसार बढ़ा दिया है जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है और परिणाम स्वरूप विद्युत खर्च के लिए उस स्तर टेरिफ से उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पथराटु परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 52.71 करोंड़ रुपये है जो 48.3 करोड़ रुपये की मूल अनुमानित लागत से 4.4 करोड़ रुपये अधिक है। वृद्धि का मुख्य कारण अवमूल्यन से आयातित उपस्कर के मूल्य में वृद्धि और परियोजना निर्माण में हुई देरियों के निर्माणलागत में हुई वृद्धि है।

(ङ) बिहार सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अधीन 20 अक्तूबर, 1970 को एक जांच आयोग स्थापित किया है जो हानियों और बिहार राज्य बिजली बोर्ड की कार्य शीलता की त्रुटियों के कारणों की जांच करेगा। यह आयोग इस स्थिति में होगा कि वह वह पथराटू परियोजना की क्रियान्विति के असंख्य लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच करे।

रबड़ निगम की स्थापना

1388. **श्री अविचन :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ निगम की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निगम की स्थापना में देर होने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . रबड़ निगम की स्थापना का प्रस्ताव संघ सरकार के पास नहीं है ।

व्यास बांध परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पंजाब सरकार पर अतिरिक्त भार

1389. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बांध परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पंजाब सरकार को 28 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास बांध परियोजना के स्वीकृत संशोधित प्राक्कलन के अनुसार पंजाब के भाग में बढ़ोत्तरी लगभग 22 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में नक्सली उपद्रव

1390. **श्री दे० वी० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, न केवल पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश में, अपितु मध्य प्रदेश में विशेषतः छतीसगढ़ क्षेत्र में बढ़ रहे नक्सली उपद्रवों की ओर भी दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही करने में असफल रही है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) और (ख) . तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

राज्य सरकार कर्मचारी समन्वय समिति को मान्यता समाप्त किया जाना

1391. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार कर्मचारी समन्वय समिति की मान्यता समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) मान्यता समाप्त करने का कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उसके फलस्वरूप कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1967 में जो मान्यता अस्थायी रूप से अगले आदेश होने तक दी गयी थी, उसे वापिस ले लिया गया है ।

(ख) समिति की ओर से उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल कर दी गई है तथा मामला न्यायाधीन है।

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या का पता नहीं है जो समन्वय समिति से सम्बद्ध संघों और संस्थाओं के सदस्य है।

(घ) समन्वय समिति से सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों की अनेकों संघों व संस्थाओं की ओर से यह समन्वय संस्था है। चूंकि सम्बद्ध संस्थाओं तथा संघों की मान्यता वापिस नहीं की गयी है, अतः समन्वय समिति की मान्यता समाप्त करने के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

Threat by Naxalites to Sculptors for Making Images of the Goddess Durga

1392. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that sculptors of Kumartoli had been forbidden by the Naxalites of Calcutta to make the images of the Goddess Durga and were asked to make the images of Mao instead and they were threatened that the images of Durga would be destroyed by bomb explosions if their instructions were not complied with;

(b) whether the Police protection was provided to them;

(c) the actual effect of this threat on the Durga Puja celebrations this year; and

(d) the reaction of Government to this type of threatenings?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d) . Facts are being ascertained from the State Government.

ग्राम्य स्वैच्छिक बल के सदस्यों द्वारा की गई निर्मम हत्या

1393. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्राम्य स्वैच्छिक बल के सदस्यों ने 7 अक्तूबर, 1970 को मनीपुर के कामलाथाबी गांव में एक निर्मम हत्या की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्राम्य स्वैच्छिक बल के सदस्यों द्वारा मारे गये व्यक्ति के परिवार को कोई मुआवजा देने का है; और

(ग) मनीपुर सरकार ने इस प्रकार से की जाने वाली निर्मम हत्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). बताया जाता है कि कमलाथाबी के समीप लिवाचांगनिंग के ग्राम्य स्वैच्छिक बल के एक सदस्य के द्वारा बस के एक चालक को गोली मार दी गई। आक्रमणकारी गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जांच-पड़ताल हो रही है। पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज कर लिया गया है और विधि अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) इस अवस्था में जब कि मामले की छान-बीन हो रही है मृतक व्यक्ति के आश्रितों को कोई राहत देने का प्रस्ताव नहीं है।

मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण

1394. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर सरकार के कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण को सितम्बर, 1970 में बिना भूतलक्षी प्रभाव दिये अनुमोदित कर दिया है;

(ख) क्या सम्बद्ध कर्मचारियों तथा मनीपुर सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों तथा एसोशियेशनों के समन्वय निकाय ने यह मांग की है कि उक्त पुनरीक्षण को पहली अप्रैल, 1964 से लागू किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मणीपुर सरकार ने सूचित किया है कि आल मणीपुर पंचायत सैक्रेट्रीज एसोशिएशन ने इस प्रकार का अनुरोध किया है।

(ग) उक्त पदों के वेतन-मानों को पूर्व प्रभाव से संशोधित करने के लिए मणीपुर सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया था किन्तु इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं समझा गया।

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को स्थाई करना

1395. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के कितने कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में अपने पदों पर स्थाई किया गया अथवा अपनी सेवाओं में अर्द्धस्थाई घोषित किया था;

(ख) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कुछ क्लर्कों को जो बीस वर्ष अथवा इसके भी अधिक समय से अपनी सेवा में अस्थाई थे, स्थाई बनाया गया है;

(ग) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के उन कार्यभारी कर्मचारियों को भी स्थाई किया जाएगा जो लगभग 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). मणिपुर सरकार ने बताया है कि 1-11-1970 तक 10656 कर्मचारियों को उनके पदों में स्थाई किया गया है और दूसरे 5735 कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्द्ध-स्थाई घोषित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के केवल तीन लिपिकों को जो 20 वर्ष से अधिक सेवा में हैं, अब तक स्थाई नहीं किया गया है। मामला वहां की सरकार के विचाराधीन है।

कार्यभारी कर्मचारियों के बारे में मणिपुर सरकार ने बताया है कि तदर्थ समिति जो सभी प्रभागों के ऐसे कर्मचारियों की सेवा पंजियों की छान-बीन कर रही है, जब यह कार्य पूरा कर लेगी तो ये कर्मचारी भी स्थाई हो जायेंगे। सरकार इन कर्मचारियों की सेवा पंजियों की छानबीन को अन्तिम रूप देने हेतु सभी प्रयत्न कर रही है।

मनीपुर में सिंचाई कार्य

1396. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में वर्ष 1970-71 के लिए इस समय वास्तविक सिंचाई कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यों के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है;

(ग) मनीपुर के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना में सिंचाई पर कितना खर्च होने का अनुमान है तथा इस योजना अवधि में क्या कार्य आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सिंचाई कार्य योजना स्थानीय ग्रामीण संगठनों तथा सिंचाई उपायों से सम्बद्ध अन्य निकायों के परामर्श से बनाई गई थी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):(क) इस समय मणिपुर में कोई वृहत अथवा मध्यम परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है। मणिपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि 12 लघु सिंचाई कार्य हाथ में लिए गए हैं जो खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इनकी एक सूची संलग्न है।

(ख) 6.4 लाख रुपये।

(ग) कुल लगभग 33 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 27.87 लाख रुपये, वृहत परियोजनाओं के अनुसंधानों के लिए 10 लाख रुपये।

(घ) मणिपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि विकास और कृषि विभागों द्वारा भेजे गए एक

विभिन्न प्रस्तावों और जनता से प्राप्त सुझावों में से स्कीमों को उचित जांच के पश्चात चुना जाता है।

विवरण

1) लाउसनट निकास स्कीम भाग-I, II, तथा III
2) साना इच्छिल थिंगल भाग-I, II तथा III
3) इटोक लघु सिंचाई स्कीम
4) सजाएखोंग लघु सिंचाई स्कीम
5) कोटवा भिंगल लघु सिंचाई स्कीम
6) लामफेलपट में लिफ्ट सिंचाई स्कीम
7) पाववीटेक कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के क्षेत्र के चारों ओर रिंग बाँध
8) मंत्री पुखोरी में लिफ्ट सिंचाई स्कीम
9) चाल्लो ये व्यपवर्तन वीयर
10) घाटी क्षेत्र में स्कीमें

इरेंथाम तुरेल में मुरौवी थिंगल पर; उचनौव खोंग तेराखोंग सांगवी पर; थिनग्गी के समीप खुजेरोक पर पिक अप वीयर; प्रयुक्त पोषण योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई; जिरिवाम में बोरियो-खल पर सिंचाई नाली के लिए पिक-अप वीयर; वोरोबेकरा पर सिंचाई नाली के लिए वीयर; लामजाओखोंग निकास स्कीम।

11) मणिपुर में लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अनुसंधान तथा सर्वेक्षण।
12) वितरण कार्य।

Project Report of Sukta Dam Scheme (Madhya Pradesh)

1397. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state;

(a) whether the Project report relating to the Sukta Dam Scheme Madhya Pradesh has since been received by the Central Government; and

(b). if so, the details thereof and the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). The State Government had in 1968 proposed a Sukta Project at a cost of Rs. 6.32 crores. However, in October, 1969, they intimated that this scheme is being recast by them to form a medium scheme. This recast scheme has not so far been received from the State Government.

Sukta Irrigation Project of Madhya Pradesh

1398. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the Sukta Irrigation Project in East Nimar District of Madhya Pradesh;

(b) the progress made so far in the construction of the project;

(c) the number of persons likely to be unemployed due to the said project;

(d) the plan of the Government to rehabilitate those porsons;

(e) the acreage of land likely to be irrigated under the said Project; and

(f) the acreage of land likely to come under the said project at the site of the dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The State Government had in 1968 proposed the Sukta Project at a cost of Rs. 6.32 crores. However, in October, they intimated that this Scheme is being recast by them to form a medium scheme. Their recast scheme has not so far been received from the State Government.

(b) to (f). Do not arise ?

Rate of Economic Growth in Madhya Pradesh

1399. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the rate of economic growth proposed to be achieved in Madhya Pradesh;

(b) the steps being taken to augment the rate of economic growth in Madhya Pradesh during the Fourth Plan; and

(c) the existing rate of economic growth in Madhya Pradesh ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Plannig (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (c) . The State Statistical Department of Madhya Pradesh attempted an estimate of the income and rate of economic growth of the State. On an expert examination of its assumptions, methodology and the quality of its data it was concluded that it is not technically feasible to work out the State wise rate of economic growth as it depends upon a variety of factors including investment by private individuals and institutions the magnitude of which for individual States cannot be estimated. Attention is also invited to the reply given to part (i) of the Unstarred Question No. 9439 on May 13, 1970.

(b) Attention is invited to reply given to part (b) & (c) to Lok Sabha Unstarred Question No. 3308 answered on 19.8.1970.

Dry Port in Delhi

1400. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government are thinking of building up a dry port in Delhi in view of the expansion of trade in Delhi;

(b) whether the Delhi Administration has recommended to the Government of India to build up a dry port in Delhi; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) to (c) . The Inter-Ministerial Working Group (on which the Delhi Administration was

also represented) appointed by the Ministry of Foreign Trade on the question of setting up of a Dry port at Delhi, submitted its report in May, 1970. Apart from the feasibility and viability of the Dry Port, the financial implications are also required to be carefully examined. The report is being examined expeditiously by the Government.

———

अध्यक्ष महोदय : श्री कँवर लाल गुप्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाएंगे।

श्री नाथपाई (राजापुर) : आल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन ने अन्तरिम राहत के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री के निवास पर धरना दे रखा है । क्या रेलवे मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे ?

श्री स० कुन्दू (बालासौर): आल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन के कई नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री के निवास-गृह पर धरना दे रखा है। कम आय वाले कर्मचारियों को केवल 15 रुपये अन्तरिम राहत के रूप में दिए गए हैं जबकि अधिक आय पाने वाले कर्मचारियों को अधिक अन्तरिम राहत दी गई है। क्या आप वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सब मामले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद उठाएं जायें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : गोहाटी के निकट माली गांव में किसी को पीटा गया है। क्या आप मंत्री महोदय को इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

कुछ माननीय मंत्री उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होने तक प्रतीक्षा करें।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली के स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन कराने की मांग

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I call the attention of the Minister of Education and Youth Services to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"Demand by Delhi School teachers for revision of Pay Scales"

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : As the House is aware, the Government of India took a decision in May, 1970, to revise the scales of pay of teachers in Delhi. These revised scales of pay were given effect to from 27.5.1970.

Though the revised pay-scales are a definite improvement on the pay-scales obtaining previously, they seem to have failed to satisfy the Primary school teachers in Delhi. There-

fore the Primary school teachers have been agitating for the past few weeks demanding the revision of their pay-scales Several teachers, organizations have also staged demonstrations in this connection. Some teachers' organisations in Delhi have also submitted memoranda to the Ministry of Education & Youth Services regarding their demands.

As far as the revision of the pay-scales of the teachers is concerned, it has been represented that the scale of pay of Primary school teachers is very low as compared to that sanctioned to Secondary school teachers, particularly the Headmasters and Principals. It is further pointed out that the advantages, which have been given to the Principals and Headmasters of Delhi schools regarding the revision of pay-scales, have not been given proportionately to the teachers of Primary schools.

It is, therefore, demanded that the pay of the Primary school teachers should be further revised.

The question of further revision of the pay-scales of Primary school teachers of Delhi is receiving the active consideration of the Government.

Shri Kanwar Lal Gupta : In the statement the hon. Minister mentioned that there is discontentment amongst the primary teachers. But it is not true. Delhi teachers have written to him regarding their demands. Their first demand is about the discrimination meted out to teachers regarding increase in their pay scales. The pay scales of p incipals have been increased by 65 percent while the pay scales of primary teachers, P.G.T. and T.G.T. have been increased by six, six and a half and 15 percent respectively. This is against the socialistic pattern of our society. Primary teachers want that their pay scales should be Rs. 150. Education Commission has also recommended that minimum pay scale of a teacher should not be less than Rs. 150. Petition Committee of the Rajya Sabha has also made recommendation that there should not be much difference between the pay scales of Principals and teachers. In a report the Committee said :

"In view of the ideal, the Committee recommended that the Government should find out ways and means to remove the grievances of Delhi school teachers arising from the disparity of the pay scales,by increasing the maximum of their pay-scales."

This report was submitted on May, 1969. But nothing has been done by the Government in this regard. Consequently there is discontentment amongst the teachers. The hon. member says that teachers create leaders. But how a discontented and financially broken teacher can do all this ? I would request to the hon. Minister that he should give serious consideration to this.

Their second demand is that there should be point to point fixation as the teachers who are enjoying the maximum of their scales are not benefited by the revision of pay scales. Delhi Administration has given assurance that he will bear the additional expenditure if the pay of the teachers is fixed on point to point basis. Petition Committee has a'so put up such proposals. But the hon. Minister did not make any reference to that in his statement.

The revision of pay scales of the teachers of Himachal Pardesh were given effect to from April, 1966 whereas the pay scales of Delhi teachers were given effect to from 27th May, 1970. This discrimination is politically motivated. Now the Delhi teachers are demanding that their pay scales should also be given effect to from April, 1966.

With the present revision of pay scales, a Principal will reach at his maximum after ten years, where as P.G.T, T.G.T and primary teachers will reach at his maximum after 12,19 and 24 years respectively. Their fourth demand is that there should be a uniform span.

Delhi Administration Bill regarding the security of service of teachers teaching in Private schools has been passed unanimously by the Metro politan Council. But it has not been introduced in the Parliament. Their last demand is that the Bill may be introduced in the Parliament. Yesterday teachers met Dr. Rao and he assured them that Government would increase the pay scales of primary teachers Here in a statement, the hon Minister says that—that question is under active consideration Does he want that Primary teachers must adopt violent methods ? Therefore, I want that the hon. Minister should not compell them to resort io agitation and do something for them.

Shri Bhakt Darshan : A decision is going to be taken in this matter in the near future. The hon. Members has made a reference to the Petition Committee. No doubt, the report was made in May, 1969 and the Ministry considered the report in consultation with Delhi Administration and the Home Ministry. Every possible step was taken and will be taken. The hon. Minster has asked why the pay scales of teachers in Himachal Pardesh, were given effect to from April, 1966 and in Delhi from 27th May, 1970 ? This is a proper question but he should not put. When Kangra district was included in Himachal Pradesh, which was previously in Punjab, and when the teachers of Kangra came to Himachal Pradesh, there was difference betwen the new scales and the scales which they were getting previously. Therefore, to remove the disparity new solution was made. At the time of finalising the case of Himachal Pradesh, there was no proposal from the Delhi Administration for the revision of pay scales of Delhi teachers.

श्री कँवरलाल गुप्त : मैं माननीय मंत्री को चुनौती देता हूं। मैं दिल्ली प्रशासन द्वारा लिखे गए पत्र का उद्धरण दे सकता हूं। माननीय मंत्री कृपया रिकार्ड देखे।

Shri Bhakt Darshan : There was no proposal from the Delhi Admistration. But the Education Ministry considered it proper that pay scales of Delhi teachers and teachers of other Union territories, Central School Association and Tibbetian schools should be revised. This proposal was accepted by Cabinet and the Finance Ministry and new scales were implemented. Education Bill was drafted in 1964 and sent to Joint Select Committee, which made amendments. But by the time Parliament was dissolved and that Bill lapsed. This Bill was reconsidered and sent to Metropolitan Council which passed it in July, 1970 unanimously and it was sent to the Home Ministry. As soon as it is back from the Home Ministry, it will be revised in the Law Ministry and efforts will be made to introduce it before the end of this session.

Shri Kanwar Lal Gupta : I put five questions but all of them were not replied to by the Minister. The Hon. Minister should give point to point reply.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The pay of the principals have been increased by Rs. 275 whereas the pay of the teachers have been increased by Rs. 7 only. May I know whether it is proper to create such disparity between both the pay scales. If it is proper, he may clarify it and if it is not, he should give assurance that the matter will be considered keeping in view the reports submitted by Rajya Sabha.

Dr. Sen had given assurance that no discrimination will be made while revising the

pay scales of teachers of Himacha Pradesh and Delhi and the date of implementation will be the same. May I know whether Government would do so while reconsidering the case.

Shri Bhakt Darshan : We are trying to remove the disparity be ween the pay scales of Principals and teachers. The Finance Ministry is being consulted and decision will be declared in few days. So for as the equality of pay scales is considered, the pay scales of Himachal Pradesh were given effect to from April, 1966 so as to facilitate those teachers who came from Kangra district. Therefore, every proper step has been taken.

Shri Sashi Bhushan (Khargone) : Delhi Administration has absorbed some teachers of corporation who were only matriculates and M. A. pass d teachers were ignored. Ten to fifteen tousands of teachers have staged demonstration against Delhi Administration in support of their demand for their absorption in Delhi Administration. But their demands were not acceded to by the Delhi Administration and they are on hunger strike now. I want that decision should be taken immediately. There should not be any disparity between the pay scales. Therefore, to avoid any agitation teachers Union may also be consul ted before taking any decision. Discontentment among the teachers can be removed only by fixing prior date of implementation of pay scales for Delhi Administration.

Shri Kanwar Lal Gupta should have said something about the teachers who have gone on hunger strike against the Delhi Administration. But he did not say anything in this regard. The Government should negotiate with the representatives of the teachers. I want to know whether the Government is prepare to negotiate with them and recognise their organisation.

Shri Bhakt Darshan : As for as the primary teachers under the Delhi Municipal Corporation is concerned there cannot be two opinions that with transferring the Primary schools to the Delhi Administration the chances of their promotion have become less. The hunger strike of Shri Pankaj and Shri Simhal is aimed at drawing the attention of the Administration towards their case and urging them to find out a solution of this problem. Had they continued under the Municipal Corporation, the chances of their promotion would have been more than what they are now...**(Interruption)**. Therefore their major demand is that some seats should be reserved for them. On receiving their deputation, I wrote a letter to the Lt. Governor requesting him to consider the case. Now I am glad to see that the Administration has liberalised some of its rules. But the teachers did not get satisfied with this when Dr. Rao returned from Paris, He also wrote a letter to Shri Malhotra urging him to consider their case and reserve some seats for them. But the Chief Executive Councillor and the Director of Education in their letters stated that they have consulted the Law Ministry under the Administration and the Ministry is of the view that such an action would amount to discrimination. The candidates must be appointed from the employment exchange, otherwise it will amount to ultra vires. Therefore, now, they have referred the Case to the Home Ministry. The Home Ministry has not so far given any indication as to what should be done in this regard.

As far as the hunger strike launched by Shri Pankaj and Shri Simhal is concerned, when those teachers met me, I made an earnest appeal to them to end the strike since this case is under the consideration of the Central Government and it is before the Parliament. Again I would take this opportunity to make an appeal to them to end the hunger strike and there by pave the way for an amiable and early settlement of the problem.

So far as the problem of negotiating with the teachers organisations is concerned, I Should assure Shri Shashi Bhushan that we have given due respect to the fealings of thc teachers. But I may be pardoned to say that not only in Delhi, but in almost all places there exist parallel organisations. At least four or five deputations of the teachers have been received by the Minister of Education. We have assured them that we would do everything possible for them within the frame work of the rules.

So far as the question of Himachal Pradesh is concerned, I would like to submit once again that the question of Himachal Pradesh should not be mixed up with that of Delhi. We have implemented the same pay scale in both the places, but to give it retrospective effect is impossible for us...**(Interreuption)**

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I would like to ask three questions. At first, the educational institutions in Delhi are under three bodies. Some of them are under the Municipal Corporation and some of them are under the Metropolitan Council and again some are under the Central Government. The Major demand of the teachers is that the educational services should be brought under one body. What is the reaction of the Government towards this demand ?

Secondly, may I know whether there are such teachers in Delhi whose services have not been confirmed even after their having been in service from 10 to 15 years ?

Thirdly, may I know when the Government will introduce the Bill which contains important matters regarding the services and protection of the teachers sent by the Metropolitan Council, in the Parliament for discussion.

Shri Bhakt Darshan : It is a fact that the whole administrative matters are carried on by three institutions. So long as this arrangement continues some kind of trouble will always occure. The co-ordination of these three is a problem of a complica ed nature. It is the Parliament that has to do anything in this respect. In view of the present circumstances, it is better to let it remain as it is

As far as the second point raised by Shri Shastri regarding the non-confirmation of the teachers having 10 tc 15 years service is concerrted, it is a new information I would bring it to the notice of the Delhi Administration and ask them to contemplate the ways so that their case may be confirmed.

The third point was regarding the Delhi Education Bill I have already replied to the question raised by Shri Kanwar Lal Gupta that the Metropolitan Council has sent us the Bill after passing on July, 1970 we have sent it to the Home Ministry for necessary consideration. We are trying to introduce the Bill before the end of this session so that necessary protection can be provided to the teachers.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सरकार ने अध्यापकों को जो आश्वासन दिये हैं, वे पूरी तरह से निभाए नहीं गए हैं । डा० त्रिगुण सेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अन्य संघ राज्य क्षेत्र के अध्यापकों को जो वेतन दिया जाता है दिल्ली के अध्यापकों को भी वही वेतन दिया जायेगा परन्तु नए वेतन मान के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को केवल 3 या 4 रुपए अधिक मिलते हैं । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अध्यापकों को कुछ राहत पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकते ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा वे अध्यापकों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा वे अध्यापकों को आवास सुविधायें प्रदान कर सकते हैं। उनके मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यापक आते हैं। उनकी पदोन्नति के रास्ते खोले जाने चाहिए जो अब बन्द हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन में यह आश्वासन दें कि नए वेतन मान में 200 से 400 रुपए तक की वृद्धि की जाएगी जैसे कि प्राथमिक अध्यापकों ने मांग की है अन्यथा, हमारे नौकरशाह यह चाहते हैं कि अध्यापक और प्रधान अध्यापक के बीच वह सम्बन्ध कायम रहे जो सरकारी दफ्तरों में सचिव और चपरासियों के बीच होता है। जरूर मैं चाहता हूं कि चपरासी की प्रतिष्ठा बढ़ें। मगर सरकार अध्यापकों को चपरासी के स्तर में रखना चाहती है यह सरकार के लिए लज्जा की बात है।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक डा० सेन द्वारा दिए गए आश्वासनों का संबंध है मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि केवल यही आश्वासन दिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र के सभी अध्यापकों के वेतनमान समान होंगे। उस आश्वासन का पालन किया गया है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में अध्यापकों का वेतनमान पूर्णत: एक समान है। केवल वेतनमान को पहले से लागू करने की मांग से सरकार सहमत नहीं हुई है।

जहां तक अध्यापकों को सुविधाएं प्रदान करने की बात का संबंध है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें इस विषय पर पूर्णत: विचार करना चाहिए। हम इस मामले को अन्य विभागों तथा दिल्ली प्रशासन के साथ उठायेंगे। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि उन्होंने यह मांग की है कि प्राथमिक अध्यापकों का वेतन मान 200 रु० से 400 रु० तथा बढ़ा दिया जाना चाहिए। शिक्षा आयोग तक ने यह सिफारिश की थी कि मूल वेतन 150 रुपए कर दिया जाए। दिल्ली प्रशासन ने भी यह सिफारिश की है कि मूल वेतन 135 रुपए के बजाए 150 रुपए कर दिया जाए। हमने इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया और आशा है कि शीघ्र ही इस मामले पर एक निर्णय किया जाएगा।

27 मई, 1970 को नागपुर रेलवेस्टेशन पर पुलिस द्वारा श्री कृ० मा० कौशिक के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

Re. Alleged Manhandling of Shri K. M. Koushik by Police at Nagpur Railway Station
QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कृ० मा० कौशिक द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करेंगे मुझे गृह-मंत्रालय से सूचना मिली है कि पुलिस महानिरीक्षक को आदेश जारी किया गया है कि वे संबद्ध पुलिस अधिकारी को अपनी करनी पर खेद प्रकट करने के लिए कहें। अतः मेरे विचार से हम कुछ दिन और प्रतीक्षा कर सकते हैं। अन्यथा मैं इस प्रस्ताव को अनुमति दूंगा।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा): मुझे ध्यान कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बुलेटिन में जो लिखा गया है वह सत्य से कोसों दूर है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय को जो सूचना दे दी गई है उसमें श्री पद्मनाभन का नाम बताया गया है। मगर दूसरे पुलिस अधिकारी के जिन्होंने मुझे 'बदमाश' कहा था, नाम का उल्लेख तक नहीं है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : में जानना चाहूंगा कि उस पुलिस अधिकारी का क्या नाम है।

श्री कृ० मा० कौशिक : मैं उन्हें पहचान सका हूं उन लोगों ने जानबूझकर कोशिश की ताकि मैं उन्हें न पहचान पाऊं। वास्तव में घटना इस प्रकार है। 27 मई, 1970 को मैं नागपुर में था समाचार में मैंने पढ़ा कि राष्ट्रपति नागपुर होके दिल्ली जा रहे हैं। अतः मैं 13.55 म० प० को रेलवे स्टेशन चला। जब मैं प्रथम श्रेणी के आरक्षण हॉल मैं पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों को लोगों को पीछे धकेलते और कइयों को मारते देखा। पूछने पर पता चला कि वे केवल विधायकों तथा संसद सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति देते हैं। मगर इनके अलावा नगर कांग्रेस अध्यक्ष जैसे लोगों को भी पुलिस अधिकारियों ने अनुमति दी मैंने इस भेदभावपूर्ण बर्ताव का विरोध किया। तब पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप मेरे प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ कर पीछे धकेल दिया। एक पुलिस सिपाही मुझे घसीट कर ले गया। जब मैं पोर्टिको तक पहुंचा, तो दो पुलिस अधिकारी मेरे पास आ गए और एक ने कहा 'बदमाश तुम इस प्रकार के बर्ताव के लायक हो।" मैंने वहां कोई अवांछनीय स्थिति पैदा करना नहीं चाहा। उन लोगों ने मुझे एक घंटे तक बंद रखा। जब मुक्त कर दिया गया तो मैंने पूछा कि मेरा अपराध क्या है। वे स्पष्ट रूप से मुझे समझा नहीं सके कि मैंने क्या अपराध किया है।

अंत में जब इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय को असत्य भरी सूचना दी कि कौशिक ने अन्य नौ व्यक्तियों सहित पुलिस अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन किया। यह असत्य सूचना वे केवल यह दिखाने के लिए दे रहे हैं कि मेरी नजरबंदी वैध थी। अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार से सूचना मिलने पर विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में यह मामला उठाने की अनुमति दी है। अब मैं यह सदन के निर्णय पर छोड़ देता हूं।.....(**व्यवधान**)

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह सदन का अपमान है। उस व्यक्ति को सदन के सम्मुख लाया जाना चाहिए। आप वारंट जारी कीजिए। उन्हें तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमें इस से गहरा दुख हुआ है.....(**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The House is shocked to hear the statement of Shri Koushik .But we would like to know what action the Home Minister has taken in this regardif it can happen to an M. P., what will be the condition of the ordinary citizen is of anybody's guess. Therefore I would like to know what information has been collected by the Home Minister and what action could be taken on that .

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वास्तव में यह किसी विशेष राजनैतिक दल से संबंधित मामला नहीं है हम भी चाहते हैं कि प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा ऊंची बनी रहे। अगर किसी माननीय सदस्य के साथ अप्रतिष्ठा कारक व्यवहार किया जाता है, तो हम सबको उस से गहरा दुख होता है। जब यह मामला पहले उठा, तो आप ने हम से कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर सम्बद्ध पुलिस अधिकारी को माफी मांगने के लिए कहा जाए...**(व्यवधान)** हमने तुरन्त वैसा ही किया। हमें महाराष्ट्र सरकार से सूचना मिली जो कि आप की सेवा में भेज दी गई है, जिसमें यह कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने महानिरीक्षक को कहा है कि वे सम्बद्ध पुलिस अधिकारी को माफी मांगने के लिए कहें।

श्रीमान्, श्री कौशिक ने अभी कहा कि कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल थे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अगर आप चाहते हैं कि हम राज्य सरकार को लिखें कि दूसरे पुलिस अधिकारी को भी माफी मांगने के लिए कहा जाय, तो...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं...**(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अब दूसरा तरीका यह है कि आप यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। हम आपके निर्णय पर छोड देते हैं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मुख्य प्रश्न यह है कि केवल माफी मांगना काफी है या नहीं। मेरा सुझाव यह है कि उन्हें सदन के 'बार' के सम्मुख लाया जाना चाहिए।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं श्री दांडेकर के मत से पूर्णतः सहमत हूं कि यह इतना बडा अपराध है कि केवल माफी मांगना काफी नहीं है अतः आप यह कहें कि दोनों अपराधियों को सदन के 'बार' के सम्मुख लाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति को कुछ और स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे सरकार की ओर से जो तत्सम्बन्धी विवरण मिला, मैंने वह श्री कौशिक को दे दिया। उन्होंने कहा कि वे उससे सन्तुष्ट नहीं है और चाहते है कि पुलिस अधिकारी उस तरीके से माफी मांगे जैसे वे कहें। अतः मैंने गृहमंत्री को लिखा। गृह मंत्रालय से प्राप्त हुए पत्र में कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक को कहा है कि श्री पद्मनाभन को संसद सदस्य श्री कौशिक से 27 मई की घटना के सिलसिले में माफी मांगने के लिए कहा जाए।

जवाब मिलने के बाद मैंने सचिवालय द्वारा श्री कौशिक को सूचित किया कि उनका विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। यह माननीय सदस्य की इच्छा के अनुरूप है। अध्यक्ष के नाते मुझे इस से गहरा धक्का लगा है। यह बुरी बात है। मैं इस तरह की बातें नहीं होने दूंगा... **(व्यवधान)**

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : संसद के वे माननीय सदस्य हैं उन्हें गरदन से क्यों पकड़ा गया ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संसद सदस्यों को पुलिस द्वारा मारा भी गया है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I may be permitted to move a motion .

श्री रणधीर सिंह : हम यहां जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करनां चाहिए ।

Mr. Speaker : Police has not changed inspite of so many changes having taken place in the world .

श्री रणधीर सिंह : वह बदल नहीं रही है, परन्तु हमें उनको यह सिखाना है। श्री कौशिक जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित होना बहुत दुख की बात है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।... (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनें । मैंने पहले ही अनुमति दे दी है। यह कार्य सूची में भी है।

श्री रणधीर सिंह : उस अधिकारी को इस सदन के 'बार' में बुलाया जाना चाहिए महोदय यह मेरा प्रस्ताव है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) ; There is no need for a motion . Whole matter can be referred to the Privileges Committee .

Shri Rabi Ray (Puri) : Shri Randhir Singh has moved the motion .

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : उस अधिकारी को इस सदन के "बार" में बुलाया जाना चाहिए। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारे सामने सारी स्थिति स्पष्ट

होनी चाहिए। एक अधिकारी, जिसका नाम मालूम नहीं है के विरुद्ध उन का आरोप है। (अन्तर्बाधाएं)

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : नाम मालूम है। उसने माफी मांगी है।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मैं आपको बताता हूं। प्रथम श्रेणी आरक्षण कक्ष में दो पुलिस अधिकारी थे। जब मेरा कालर पकड कर उसने मुझे धकेला तो मैंने निकट के एक व्यक्ति से उस सज्जन का नाम पूछा। उस व्यक्ति ने उस का नाम पद्मनाभन बताया।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में दूसरे व्यक्ति का नाम श्री चौबे बताया गया है। इस प्रकार श्री चौबे तथा श्री पद्मनाभन दो अधिकारी थे।

इस विषय में सदन जो भी करना चाहे मुझे इससे आपत्ति नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Are we going to punish the police officers before hearing them ? (**Interruptions**)

श्री नाथ पाई : हम उन्हें यहां बुलाना चाहते हैं।

श्री रणधीर सिंह : क्या आपको श्री कौशिक पर विश्वास नहीं है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : This matter may be refe red to Privileges Committee. We believe the non member but police officers should also be provided an opportunity.

श्री नाथ पाई : मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। हमने केवल यह कहा है कि सारा मामला बहुत स्पष्ट है। मैं स्वंय भी इस प्रकार की स्थिति से गुजरा हूं। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि दोनों को सजा दी जाती है। हमने तो केवल दोनों अधिकारियों को यहां बुलाने का प्रस्ताव किया है कि वे यहां आकर उन पर लगाये गए दोष का उत्तर दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir I submit that calling of the two officers before Privileges Committee would be much better (**Interruptions**). I am painting out a practical difficulty. Who will crossexamine there ? (**Interruption**)

श्री नाथ पाई : नियमों के अनुसार अध्यक्ष महोदय उनसे प्रश्न पूछेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक बहुत गम्भीर मामला है। गृह मंत्रालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों ने यह अपराध किया था। अतः इस सम्बन्ध में

किसी जाँच का प्रश्न नहीं है। मेरा विनम्र सुझाव यह है कि दोनों पुलिस अधिकारियों को अपने किये का फल मिलना ही चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) इस सदन में किया गया विचार विमर्श विशेषाधिकार समिति से बढ़कर है। हमने गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के विचार भी सुन लिये हैं। अतः उन्हें सदन के "बार" में बुलाया ही जाना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई न केवल इस सदन के लिए अपितु राज्यों की विधान सभाओं के लिए भी एक आदर्श होगी। राज्य सरकार एवं पुलिस अधिकारियों ने भिन्न विवरण दिया है। तथापि माननीय सदस्य के वृतान्त विवरण पर हम विश्वास करते हैं।

अतः मैं इस बात से सहमत हूं कि यह विषय विशेषाधिकार समिति को निर्देशित कर दिया जाये और उसका प्रतिवेदन मिलने पर यह सभा कोई कार्यवाही करे।

Shri S. M. Banerjee : When the police officers have expressed regret that makes it quite clear that they have agreed that the offence was committed. I feel that in order to creat precedent you may agree to our motion and order to summon them here. We are not concerned with Shri Kaushik, it is the concern of the whole House.

Shri Shri Rabi Ray : I support the motion. During his talks with the Police Officer Shri Koushik asked him that why he is not allowing all the people to have a look at our President. As a result of that the Police Officer got angry with Shri Koushik. That is why I request you for taking immediate action on the motion and Shri Chaube and Shri Padmanabham must be summoned to answer the charge before the House.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I treat this manhandling of a member of our Parliament a disgrace to the whole House. Why did the Government of Maharashtra not suspend both the Officers. The information to the effect of the suspension of those officers should be given to the House within 24 hours.

Shri Sarjoo Pandey (Ghajipur) : In my opinion it is not right to summon those Officers before the House. The Government should act according to the Rules of Procedure but they must not summon them before the House.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Such sort of thing happens to each and every hon. member of this House but most of them do not bring such matters before the House. These Officers must be summoned before the House. We shall cross-examine them and the whole country will know it...(**Interruption**) I support the motion.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Mr. Speaker. Sir, I want to request you about two, three things before I move my motion. Firstly, this indicent took in May and it was not brought to the notice of the Government then. Secondly, you might have sent it to the Committee of Privileges. But you did not send it, though Shri Koushik agree to forgive

those officers but there must not be any opposition in referring this matter to the Committee of Privileges.

Not withstanding it is not sufficient to ask the officers for expressing regret. Please refer this matter to the Commitee of Privileges. After receiving the report the House may punish them. (Interruption) My motion reads:

> 'That the question of privilege arising out of the alleged manhanding and removal of Shri K. M. Koushik. M. P., by police at the Nagpur Railway Station on the 27th May, 1970 be referrred to the Committee of Previleges'

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है "हम निम्नलिखित सदस्य प्रस्ताव करते हैं..." मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि श्री चौबे तथा श्री पद्मनाभन को, जिन्होंने इस सभा के सदस्य श्री कृ० मा० कौशिक पर आक्रमण किया, सभा के समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उससे यह कुछ भिन्न है। फिर भी मैं पहले श्री वाजपेयी तथा उसके पश्चात् श्री नाथपाई का प्रस्ताव मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि 22 मई, 1970 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा श्री कृ० मा० कौशिक संसद सदस्य के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार किये जाने तथा उन्हें हटाये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

इस पर मतदान हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हमने कुछ समयपूर्व जो प्रथा स्थापित की थी उसके अनुसार मध्याह्न भोजन के समय कोई मतदान नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**) कल आप लोग ही कहेंगे कि मध्याह्न भोजन के समय मतदान हुआ।

संसद्-कार्य, पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : मध्याह्न भोजन के पश्चात् ही, मतदान होने देना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : महोदय आपके द्वारा मतदान के लिए आदेश दे दिया गया है। अत: जब मतदान प्रक्रिया जारी है तो उसमें बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड) : यह विषय समस्त सदन से सम्बन्ध रखता है। इस प्रश्न पर सदन में मत-विभाजन नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय इसका निर्णय करें ताकि यह सदन का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय हो सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I shall accept whatever the decision is taken by this House.

अध्यक्ष महोदय : हमें उन्हें बुलाना चाहिए अथवा समिति की अल्पावधी बैठक करनी चाहिए

उन्हें अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। उसके पश्चात् हम देख सकते हैं। मैं सदन की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): यह कोई दलगत प्रश्न नहीं हैं। मैं माननीन सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The motion was, by leave, withdrwan

अध्यक्ष महोदय : यह श्री नाथपाई का प्रस्ताव है ...

श्री रणधीरसिंह (रोहतक): इस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपको नामों के बारे में निश्चित रूप से मालूम है?

श्री नाथ पाई : कृपया प्रस्ताव को पूरा पढ़िए। आपने तो इसे बीच में ही रोक दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं पढ़ सकते हैं।

श्री नाथपाई : मैंने इसमें शब्द 'प्रत्यक्षतः' प्रयोग किया है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस चिन्ता में साथ हूं कि इस सदन को धैर्य नहीं खोना चाहिए।

मैं अपना प्रस्ताव पढ़ता हूं।

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि महाराष्ट्र राज्य के पुलिस उपायुक्त, श्री पद्मनाभन, और पुलिस उप-निरीक्षक, श्री चौबे को इस सभा के सदस्य श्री के० एम० कौशिक पर 27 मई, 1970 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने आक्रमण कर और उन्हें गाली देकर जो विशेषाधिकार भंग तथा इस सभा का अवमान किया है, उसके आरोप का उत्तर देने के लिए इस सभा के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाये।"

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न में यह बात नहीं है। परन्तु यह तो जानबूझ कर अध्यक्ष महोदय को गलत सूचना सदन के समक्ष रखे जाने के लिए दीगई है। उसके बारे में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इससे तो मामला उलझ जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि 10-15 दिन और लगें तो कोई बात नहीं। यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता तो इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी ज्ञात होती और सदन के समक्ष निश्चित सिफारिशें रखी जाती। चूंकि सदन की यह भावना है, इसलिए इस भावना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री नाथपाई : तो क्या प्रस्ताव लाया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैं यही जानना चाहता हूं कि किस तारीख तक इसे लाया जाय।

डा० रामसुभग सिंह : अगले सप्ताह तक लाया जाये ।

श्री नाथपाई : 30 नवम्बर को लाया जाये ।

श्री रणधीरसिंह: 30 नवम्बर ठीक नहीं है । पहली दिसम्बर को लाया जाये ।

श्री अध्यक्ष महोदय : पहली दिसम्बर को अवकाश है । तो क्या आप यह बतायेंगे कि जब वे यहां आयेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी ?

श्री नाथपाई : नियम 227 के अन्तर्गत आप को इसके बारे में निर्णय करना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री नाथपाई का प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि महाराष्ट्र राज्य के पुलिस उपायुक्त, श्री पद्मनाभन और पुलिस उप-निरीक्षक, श्री चौबे को इस सभा के सदस्य श्री के० एम० कौशिक पर 27 मई, 1970 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने आक्रमण कर और उन्हें गाली देकर जो विशेषाधिकार भंग तथा इस सभा का अवमान किया है, उसके आरोप का उत्तर देने के लिए गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1970 को 12-00 बजे इस सभा के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम

गृह कार्य मन्त्रालय में और, इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति, जो दिनांक 6 जुलाई, 1970 के दिल्ली के राज पत्र में अधिसूचना संख्या 11 एल० आर० ओ० (आर) 1970 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4299/70**]

(2) अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के तथा उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4300/70**]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18(क)की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अमलनेर (महाराष्ट्र) के प्रबन्ध के बारे में एस० ओ० 2969, जो दिनांक 2 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) रायसाहेब रेखचन्द गोपालदास मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) के प्रबन्ध के बारे में एस० ओ० 3116, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर के प्रबन्ध के बारे में एस० ओ० 3495, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4301/70**]

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा उक्त अधिनियमन के क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4302/70**]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)

RE. QUESTION OF PRIVILEGE (QUERRY)

Shri Shiva Chandra Jha : I have submitted a notice to you under Rule 225 yesterday ...(**Interruption**) I have submitted a motion of Privilege against All-India Radio.

Mr. Speaker : I shall look into it. At present it is not lying with me.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

68वां प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 98वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

माली गाँव (आसाम) में रेलवे मजदूरों द्वारा रेलवे के मुख्य कार्यालय के सामने प्रदर्शन किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMFNT RE. DEMONSTRATION BY RAILWAY WORKESS IN FRONT OF RAILWAY HEADQUARTERS OFFICE AT MALIGAUN, ASSAM

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के प्रधान कार्यालय, मालीगांव में महाप्रबन्धक के कार्यालय के बाहर 12-11-70 को रेल कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रदर्शन और इस सम्बन्ध में कुछ रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मैं एक बयान दे रहा हूं।

इस आन्दोलन का सम्बन्ध रेल कर्मचारियों को दिये गये बाढ़ और उत्सव अग्रिम को किस्तों में की जाने वाली वसूली से है। यह वसूली नवम्बर के वेतन-बिल से शुरू होनी है जिसका भुगतान दिसम्बर, 1970 में किया जाना है।

इन अग्रिम रकमों को एक साथ वसूली के विरोध में इसी महीने की 10 तारीख को एक प्रदर्शन किया गया था। उस समय पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी ने कर्मचारियों को समझाया कि सामान्य कार्य प्रणाली के अनुसार इन अग्रिम रकमों की वसूली स्थगित करना संभव नहीं है।

यहां प्राप्त सूचना के अनुसार इसी महीने की 12 तारीख को लगभग 600 व्यक्तियों ने प्रधान कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। 12-11-70 को दिन में लगभग 1 बजकर 30 मिनट पर, जब पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उपमुख्य कार्मिक अधिकारी प्रधान कार्यालय के इन्जीनियरिंग ब्लाक से पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के संरक्षण में जा रहे थे, तब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जिसके कारण उनमें से कुछ लोगों को चोट आयी। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया जिसके कारण 6 व्यक्ति जख्मी हो गए। प्रधान कार्यालय की इमारत के कुछ शीशे टूट गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव के कारण पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर और कुछ सिपाही घायल हो गए। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट भी घटना-स्थल पर मौजूद थे। लाठी चार्ज से 6 व्यक्तियों को चोट आयी। उन सभी को इलाज के लिए माली-

गांव के रेलवे अस्तपताल में भेज दिया गया। मरहम पट्टी के बाद उनमें से दो को छुट्टी दे दी गयी और बाकी चार को अस्पताल में इलाज के लिए रोक लिया गया। तीन का मामूली चोट के संबंध में और चौथे का हड्डी टूटने के सम्बन्ध में इलाज किया जा रहा है।

स्थानीय पुलिस ने दो दिन के प्रदर्शन में कुल 16 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इनमें 11 रेल कर्मचारी थे और 5 बाहरी व्यक्ति थे, जिनमें एक अध्यापक और 2 विद्यार्थी भी शामिल थे। मालूम हुआ है कि इन सभी को जमानत पर छोड़ा जा चुका है। किसी रेल कर्मचारी को मुअत्तिल नहीं किया गया है।

सामान्य स्थिति लाने के उद्देश्य से स्थिति का अध्ययन करने के लिए रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को गुवाहाटी भेजा जा रहा है।

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक
FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): I oppose this Bill at the introduction stage. According to this Bill the documents will remain in the hands of the enforcement officer. In case any case is going on in the Court of Law, the documents will remain in the hands of the officer until the court gives its verdict. The Bill was introduced in order to raise the duration and now the Amendment is sought to be moved. The maintainence of the document involves a certain amount of expenditure and this has to be met from the consolidated fund of India. Therefore it requires the President's assent. Since it did not get the President's assent, it can not be introduced. This is my constitutional objection.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से इस में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है। माननीय सदस्य जो भी पूछते हैं उन सबका मैं जवाब नहीं दे सकता। उद्देश्य और कारणों संबंधी वक्तव्य की प्रथम कण्डिका में उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है जिस में अध्यादेश जारी किया जाना पडा। वक्तव्य में बताई गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही अध्यादेश जारी किया गया जब कि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था।

Shri Shiva Chandra Jha : The Minister did not clear my doubts: Since it did not get the President's assent, it cannot be introduced. The Government can get it today itself and introduce it after that.

अध्यक्ष महोदय : इस की छानबीन की गई थी और मालूम हो गया कि इसमें खर्चा नहीं होता है। मेरे विचार से आप आपत्ति नहीं कर सकते।

प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियम, अधिनियमन, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विदेशी मुद्रा विनियमन संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) OR DINANCE

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) में अपेक्षित हैं एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दिए हुए हैं, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4303]

अध्यक्ष महोदय : अब सदन को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करते हैं और 3 बजे म० प० को पुनः समवेत होंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past fifteen of the Clock.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwary in the chair.]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक निवेदन है। हमारे पडोसी देश में भयंकर तूफान के कारण 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई हैं। जो बचे हैं वे अब हैजा तथा अन्य बीमारीयों से पीडित है। सरकार ने 5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। ...(**व्यवधान**)

Mr. Chairman. : Please do not stand up and talk like this.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें अपने पडोसियों के प्रति कुछ और सहानुभूति दिखानी चाहिए।

साम्राज्यवादियों ने हमें अलग किया था वरना हम एक हैं। सरकार को कुछ***

Mr. Chairman : What you say will not go on record.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, विश्व के सभी देश राहत कार्य कर रहे हैं ... (**व्यवधान**)***

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have a question of privilege. I am told that the matter is referred to the All India Radio. That is a distorted form. This comes under Rule 225.

Mr. Chairman : You have raised it before noon and you were told that this matter is under the consideration of the Speaker, Therefore please do not raise that issue here again. Now whatever you may say, will not go on record.

Shri Shiva Chandra Jha : ***.

Mr. Chairman : Nothing goes on record. There are most important subjects to be discussed now and you are not allowing it. I have already told you that the matter is under the consideration of the Speaker. Please sit down.

Shri Shiva Chandra Jha : ***

Mr. Chairman : I wo'nt allow anything to go on record like this.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक—जारी

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

Shri M. G. Uikey (Mandla) : I am deeply grieved to see that the Government has come forward with an amendment of the Bill, when in 1950 this legislation was implemented, the Adivasis got a certain amount of privileges, but in 1952 when I was elected as a Member, I found that in my area Barar...

Shri Shiva Chandra Jha : I rise on a point of order. Rule 225 states that "The speaker, if he gives consent under Rule 223 and holds that the matter proposed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered, upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of Privilege, make a short statement relevent there to :"

Mr. Chairman : You please refer to Rule 224. It states :

"Not more than one question shall be raised at the same sitting." One question has been raised in the House already and therefore you cannot raise it again. There is no point of order.

*** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not recorded.

Shti Shiva Chandra Jha : ***

Shri Jageshwar Yadav : ***

Mr. Chairman : Whatever you say without my permission will not go on record.

Shri Shiva Chandra Jha : ***

Shri Jageshwar Yadav : ***

Mr. Chairman : The hon. Members are here to do constructive works. Let them allow the proceeding to go smoth.

Shri Jageshwar Yadav : ***

Shri M. G. Uikey : In Barar and C.P. areas, the declaration regarding Adivasys was made with some restrictions, with the result that a out 15 lakhs of Adivasys are deleted from the list. Then in accordance with the recommendations of the Backward Classes Commission, about 5 lakhs people out of the 15 lakhs are again declared Adivasys.

As far as this Bill is concerned, it has been under consideration since 1966. During this period the Government consulted various leaders of the Adivasys regarding the inclusion of various castes in Adivasys. The state Governments submitted several memoranda. After that a Joint Select Committee was set up. So many memorandas were recieved by the Committee and various leaders of the Adivasys and Harijans gave statements before the Committee. After many consultations and proper examinations, this Bill was drafted. But the Government now seeks to make 203 amendments. The Census Commissioner has written that the list of the tribals should not be prepared on regional basis. I regret to say that those castes who have been deleted from the list by the Joint Select Committee have been included in the list by the Government.

In the Constituent Assembly we had our representative in Shri Jaipal Singh who was an Adivasy converted in to Christianity, pleaded that those converted Adivasys also should be included in the list. Yesterday the Minister said that several Adivasys have accepted Hindu religion. I would submit that they do not want any relation. In the Census of 1951 the figure of the followers of Tribal religion are given. In 1901 it was 13090, in 1911, it was 15532, and in 1921 it was 13229. Again in 1931, 1941 and 1951 the figures are 10945, 22597 and 5.6 lakhs respectively. According to the Adivasys, their traditional customs are their religion. Even if any Adivasy was considered as Hindu, he was not baptised by the Pundits. But those who accepted Christianity, were baptised by the priests. Now-a-days conversion amongst the Adivasys is taking place on a large scale. They have got representation in Assemblies and other organisation more than what they are entitled to since the Christian Priests are forwarding help, almost all students among the Adivasys are accepting Christianity. Our constitution prevents any body from exploiting the Adivasees Culturally, socially and in other aspects. We did not like to do away with our age old habits and tradition. We went in forests and lived there with the only intention to preserve our traditional beliefs. But now when we became independent, we are being treated like this. The Backward Classes Commission in its report says. "In a population of mostly two crores of tribals. the Christian tribals are only four lakhs, and yet they are allowed to be the leaders of these two crores of tribals,"

*** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

*** Not recorded.

My second pointis that the Adivasy labourers working in the tea Plantations in Assam have been excluded from the list. They are the people coming from Madhya Pradesh, Orissa and Bihar in search of jobs to make both their ends meet. In the amendment moved by the Government even for more advanced people are included in the list, but these helpless people are excluded.

The Minister made a reference to some of the points regarding the marriage. Our Harijans girl can be enticed by any body when the menfolk are going out to distant mountain areas for work. Any influential person can make her contest the election. Not only this, they can ultimately claim share of our lands by influencing our girls or widows. Therefore the Government should accept this Clause as it is.

Another thing is that the Backward Commission i.e. Dhebar Commission and the Lokur Commission had suggested that the nomads and the denotified tribes Communities are not tribes. But it is a matter of regret that the Government has given the memorandum in which these communities are merged in the tribes. Apart from these, the advanced castes are also included in the list of Adivasis. How far it is reasonable ? We had gone to hilly areas and settled there in order to preserve our separate identity. If we are forced to do away with the religion of our forefathers, I would say that, we will no more like to receive the scholarships or whatever aid is given to us. We would rather give up every thing than doing away with our religion. With these words I support the Bill as emerged from the Joint Select Committee,a nd strongly oppose the amendment moved by the Government.

श्री कृ०मा० कौशिक (चांदा): कल मंत्री महोदय ने दो मार्गदर्शन सिद्धांतों के बारे में बताया है । राज्य सरकारों की सिफारिशें और संयुक्त समिति की प्रतिवेदन सूची में आदिवासियों का शामिल किया जाना या हटा दिया जाना इन सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए था । महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की सरकारें राजगोंड़ जातियों को सूची से निकाले जाने के पक्ष में नहीं हैं अतः जहां तक मार्ग दर्शक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, वह इस प्रकार हटाए जाने के पक्ष में नहीं हैं ।

सभापति महोदय : कृपया अगली बार अपना भाषण जारी रखे ।

देश में तोड़-फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING SUBVERSIVE AND VIOLENT ACTIVITIES IN THE COUNTRY

श्री जं मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग): श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। आज देश में नक्सलवादियों का खतरा बढ़ रहा है। वास्तव में यह नक्सलपंथियों की समस्या करीब चार वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में शरू हुई थी । तब से लेकर अब तक यह देश के विभिन्न प्रदेशों में व्याप्त हो गई है। ये नक्सलवादी साम्यवादी चीन के अध्यक्ष माओ से प्रेरणा पाकर हिंसापूर्ण कार्य कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल में अराजकतावादी तत्व भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के समय सबसे अधिक फैल गए। इनकी गतिविधियों को रोकने में वह सरकार पूर्णतः असफल हुई। वास्तव में इस आन्दोलन को भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रोत्साहन दे दिया। पुलिस नागरिकों की रक्षा के लिए नहीं आई। अन्त में मुख्यमंत्री को आगे आकर अपनी सरकार को

असभ्य एवं जंगली कहना पड़ा और उन्होंने यह मान लिया कि बंगाल में कानून और व्यवस्था बहुत अधिक बिगड़ चुकी है। नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकी। आज स्थिति यह है कि विद्यार्थी माओ के सिद्धांतों की ओर आकृष्ट होकर स्कूलों, विश्वविद्यालयों में आग लगा रहे हैं। देश के महान नेताओं के चित्र एवं उनकी पुस्तकों की होली जलाई जा रही है। राष्ट्रपिता के चित्र और उनकी पुस्तकें जला दी गई हैं। आज पश्चिम बंगाल अव्यवस्था का प्रतीक है। उद्योगों को नष्ट किया जा रहा है और व्यापारी वहां से जान लेकर भाग रहे है। कलकत्ता के लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। सब कहीं हिंसा का वातावरण बना हुआ है।

यह आंदोलन केवल पश्चिम बंगाल में ही सीमित नहीं रहा। केरल आन्ध्र प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों में भी यह आंदोलन उग्र रूप से चल रहा है। केरल में नक्सलपंथियों द्वारा चार-पांच बेगुनाह व्यक्तियों की नृशंस हत्या की गई है। वैसी घटनायें देश भर में हो रही हैं। इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार मौन साधे बैठी है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

नक्सलपन्थी खतरे का सही कारण क्या है? यह साम्यवादी चीन द्वारा जो कि हमारे पडोसी हैं, देश की जनता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का परिणाम है। साम्यवादी चीन का लक्ष्य सभी पड़ोसी राष्ट्रों को अपने प्रभाव क्षत्र के अन्दर लाने का है। चीन का साम्यवाद एक प्रकार का नया साम्राज्यवाद है। यह पड़ोसी राष्ट्रों के लिए खतरे की बात है। दक्षिण एशिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जो चीन के प्रभाव से मुक्त हो वे भारत में भी अराजकता और हिंसा का वातावरण पैदा कर देश की स्वतन्त्रता को खतरे में डालना चाहते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे यहां के अपने एजेन्टों के द्वारा जो अन्यथा नक्सलपन्थी कहे जाते हैं, असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है।

साथ ही साथ, केन्द्रीय सरकार की नीति जोकि साम्यवादीयों से प्रेरित है, से भी इस आंदोलन को प्रेरणा मिली है। सरकार को अगर आवश्यक हो, तो इस दल पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल तथा अन्य प्रदेशों में कानून और व्यवस्था कायम कर जनता की जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परन्तु यह सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। अगर वे समय रहते कोई उचित कार्यवाही नहीं करते हैं, तो सम्पूर्ण देश साम्यवादियों के चंगुल में फंस जाएगा।

श्री हो० ना मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : पश्चिम बंगाल के संबंध में मौके पर और बे-मौके पर जो भी बातें कही जाती हैं मैं उन में से अधिकांश बातों की परवाह नहीं करता। किस गति में हवा चलेगी, इसका निर्णय केवल इतिहास करेगा। अतः मैं इन आक्रोशों की परवाह नहीं करूंगा और श्री प्रकाशवीर शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति के मूलभूत पहलुओं पर विचार करें। इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि वातावरण में हिंसा है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके मूलभूत कारणों का पता लगायें और उनका उपचार करें। अतः हमारा तमाम प्रयत्न इस दिशा में होना चाहिए। अन्यथा नक्सलपंथी कहकर छाती पीटने से कोई लाभ नही होगा। हम सब जानते हैं कि जनता में असन्तोष की तीव्र भावनायें व्याप्त हैं। वह एक निश्चित दिशा में पहुंच

चुकी है । जो लोग सत्ता में हैं अगर वे इस असन्तोष में अन्तर्निहित मूलभूत तथ्यों को पहचानकर उसको सुलझाने में असमर्थ रह जाते हैं तो उन्हें इतिहास के मंच से हटा दिया जाएगा ।

प्रस्ताव में तोड़-फोड़ या हिंसात्मक गतिविधियों के सम्बन्ध में कहा गया है । इस सिलसिले में छात्रों का नाम खास तौर पर बताया गया है आजकल विश्व के सभी देशों में छात्रों में एक प्रकार का असन्तोष व्याप्त है। इस सदन में छात्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार का आक्रोश अनुचित मालूम होता है । वस्तुतः आज के ये छात्र और नौजवान आगे विश्व का नेतृत्व करेंगे और इसीलिए हमें इस ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए कि उनके मन को आंदोलित करने वाला तथ्य क्या है। देश के नौजवानों में आज एक प्रकार की असहायता की भावना पैदा हो गई है । अपने अस्तित्व की समस्या को उन्हें सशंकित नेत्रों से देखना पड़ रहा है । उन्हें बेरोजगारी की भयानक समस्या का सामना करना पड़ रहा है । अपने अस्तित्व को बनाये रखने, अपने दिल की अभिलाषाओं को पूरा करने, अपने रंगीले सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास साधन नहीं है । उन्होंने देखा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं समस्या को छूने में असमर्थ रही हैं । परिणाम यह होता है कि वे सामूहिक रूप से हिंसात्मक गतिविधियों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। यह कोई राजनैतिक संघर्ष नहीं है । आप यह कह कर कि सारे साम्यवादियों को यहां से खदेड़ दिया जाना चाहिए समस्या को सुलझा नहीं सकते ।

केवल यह कहने से कि सब प्रकार की हिंसायें व्याप्त हैं, आप समस्या को सुलझा नहीं सकते। गांधी जी का नाम यहां घसीट के लाया गया, राष्ट्रपिता ने कायरता की अपेक्षा हिंसा को उचित माना है । हिंसा जीवन का एक अंग है । अगर हमें जीवन की कई समस्याओं को सुलझाना है, तो हम केवल यह न कहें कि हम हिंसा के कट्टर विरोधी हैं ।

यहां संविधान की तोड़-फोड़ के बारे में कहा गया । क्या लोकतंत्र के पैगम्बर श्री एब्राहम लिंकन ने यह नहीं कहा था कि अगर जनता चाहती है, तो संविधान में परिवर्तन करने का उनका मूलाभूत अधिकार है ? आप चाहते हैं कि क्रांति बिना शोर मचाये शांतिपूर्ण तरीकों से आये । यह एक दूसरी बात है। हम सब चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन से जहां तक हो सके। हिंसा को दूर करें । आज किसी भी राजनैतिक दल का भी आदर्श से कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर यह हालत रहेगी तो जनता हमारा ध्यान आदर्श की ओर मजबूरन मोड़ देगी ।

आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? आप हमारे युवावर्ग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझा रहे हैं ? कोई भी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश नहीं करता है ।

श्री रंगा : आज चारो ओर हिंसा है । इस सभा में भी अनुशासन हीनता है ।

श्री ही० ना० मुखर्जी : प्रो० रंगा को मानव के जीवन की आवश्यक बातों के बारे में विचार करना चाहिए । यह बात ऐसी है जो आज के युवकों को चिन्तित करती है । समय-समय पर उत्पन्न होने वाली तुच्छ राजनैतिक समस्याओं को लेना और किसी की बात को लेकर अपने को तुष्ट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमे बाद में प्रायश्चित करना पड़ता है । आज चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है ।

सरकार इसे रोक नहीं सकती है । राजनीतिज्ञ असफल हो गए हैं । श्री इमाम पुलिस तथा सेना को अधिक शक्ति प्रदान करने के बारे में सुझाव देंगे ।

पश्चिमी बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है उसे यदि सफलतापूर्वक रोका नहीं गया तो कल परसों देश के अन्य भागों में भी ऐसा हो सकता है। सरकार इसे रोक नहीं सकती है। संभवतः हममें से बहुत से लोगों को इस रक्तपात के दृश्य से धक्का पहुंचता होगा । शायद हमारे रहन-सहन के लिए यही तरीका है। परन्तु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया की समस्यायें उतनी सरलता पूर्वक हल हो जाएंगी। जिस तरीके से हमें उन्हें हल करना चाहिए ।

जब ऐसी बात विभिन्न प्रदेशों और इतिहास की विभिन्न अवधियों में घटित होती है तो एक अलौकिक बात चारों तरफ हो जाती है जिस पर सरकार को नियन्त्रण करना है। मुझे स्व० जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक "दी डिस्कवरी आफ इंडिया" के शब्द याद आते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसेलोग हैं जिनके लिए कारागार गिर नहीं गए थे और रूसी क्रान्ति, फ्रांस की क्रान्ति तथा चीन की क्रान्ति आदि की तरह

श्री लोबो प्रभु (उदीयी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम सब को संविधान को मानना है। संविधान में कानून के नियम की व्यवस्था है । डा० हीरेन मुखर्जी हिंसा के सिद्धान्त का उपदेश दे रहें हैं जो संविधान के खिलाफ है । यदि ये शब्द किसी युवक तक पहुंचे तो स्थिति खराब हो सकती है। अतः मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह चाहे जितना इस संकल्प का विरोध करें परन्तु सभा के सदस्य के रूप में उनको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री लोबो प्रभु, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ही० ना० मुखर्जी : आपने ठीक ही कहा है कि श्री लोबो प्रभु का कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। देश के नेताओं को जिस मूल समस्या का त्याग करना है, जिसके बारे में मैं कह रहा था, उसे मिटाने के विचार से उन्होंने ऐसा कह दिया है । यदि वह संविधान के बारे में प्रश्न उठाते हैं तो मैंने अब्राहम लिंकन का पहले ही उल्लेख दिया है जिसने सदा लोगों के मूल के बारे में कहा है। यदि वे संविधान बदलना चाहते हैं तो निश्चय ही बदलेंगे। (**व्यवधान**) मैं यह अवश्य कहूंगा कि ये विश्व के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । हमारे देश में भी परिवर्तन की हवा बह रही है । जब मैं लोगों को समान मानवता की पुकार के लिए अफ्रीकी एशियाई देशों को संघर्ष रत देखता हूं और जब मैं अपने देश में इस नई अलौकिक घटना को घटते देखता हूं तो मुझे इसे सिद्ध करना होता है। आज हमारी आत्मा में जो अपराध है क्या उसकी जानकारी हमें नहीं है ? हम कहां जा रहे हैं ? (**व्यवधान**) हम हिंसात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं ।

किसी भी सिद्धान्तहीन व्यक्ति को यह बात नहीं जंचेगी । परन्तु सरकार को सैद्धान्तिक रूप से समस्या का हल करना है। यदि सरकार पश्चिम बंगाल में सैनिक शासन अथवा असैनिक शासन कुछ भी लागू करेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। शायद सरकार दूसरे प्रकार की तानाशाही लाना चाहती है जिसे कुछ लोग चाहते हैं, जो तानाशाही सेनापतियों के शासन की हैं। वे लोग

संसद रूपी दुकान को बंद करना चाहते हैं। जिसे मैं हिंसा कह रहा हूं वह सैद्धान्तिक और ऐतिहासिक समझ पर आधारित हैं।

मैं अपने मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री से कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जीवन की आधारभूत पूर्व कल्पना के बारे में सोचें। कृपया यह न भूल जायें कि यदि हिंसा पर उचित ढंग से नियन्त्रण नहीं किया गया तो अहमदाबाद, भिवण्डी एवं अन्य स्थानों पर जैसे नृशंस रूप से फूट पड़ी थी वैसे फूट पड़ेगी। यदि कहीं पर बस जला दी जाती है तो लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि इस सबके पीछे राजनीति कार्य कर रही, भ्रष्टाचार व्याप्त है, नैतिकता कहीं नहीं रही है। इसीलिए हमारे युवक विद्रोह कर रहे हैं।

सरकार को इस मामले के मूल में जाना होगा। मैं देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि केवल कानून तथा व्यवस्था की बातों से समस्या पर नियन्त्रण नहीं होगा। हमें उस समस्या का हल करना होगा जो विश्व की समस्या बन सकती है।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Shri Prakash Vir Shastri has not only served this House but the whole country by bringing this motion regarding the violent and subversive activities in the country. To-day there are violent and subversive activities going on throughout our country. These activities pose a grave threat to the integrity and sovereignity of our country, these activities have jepardised our unity.

We have to understand the definition of "subversion". India is a Republic and freedom of speech is given to every citizen in a Republic. But 'subversion' destroys the unity of the country, violates the Constitution. To-day there are organised elements in the country which are doing sabotage with the inspiration of foreign powers. During 1962 the forces of China did not find subversion in Bengal and consequently had to return. At that time the nationalist forces were sound. To-day foreign powers are trying to weaken nationalistic forces in Bengal. The activities which are happening in Bengal to-day is subversion. It is quite right to say that there is frustration and discontentment among the youth. But to say that our youth is in revolt due to this frustration is wrong. It is right to say that our economic policies are wrong but this is our responsibility to change those wrong policies. The main cause of these problems in Bengal is the deteriorating nationalistic forces. There is an ideology behind the saboteurs. It may be right or wrong but an ideology is working there. There are not only the agents of China but also of Pakistan and whatever is happening in Bengal is taking place with the inspiration of Chinese and Pakistan agents.

Anti social elements have joined hands with them but all such clements have been given political respectability. It is very unfortunate. There should de no settlement with goondas and fifth columnists. Such elements should be shcrued with iron hand.

It is unfortunate that due to wrong policies of our Government, the fifth columnists are appearing on our National scene. Muslim League, which is acting in the interests of Pakistan is flourishing. Pakistan wants two nation theory to be kept alive in India and that is why she wants Muslim League should flourish in India. But it is a matter of great regret that our Prime Minister does not regard Muslim League a communal body. Pakistan wants to keep the two nation theory alive. She does not want that an Indian Muslim should join the national stream of India. Because if he becomes a part of India, the two nation theory will be badly hitted and it will endanger even the existenee of Pakistan.

Mr. Chairman, Sir, I belong to West Pakistan and also speak the same language. If two-nation theory comes to end there will not be any difference between Amritsar and Lahore. The vested interests of Pakistan are active in India in the name of Muslim League. Our Government is playing double standards. On the one hand, it talks of national unity and on the other it gives shelter to fifth columnists. I do not hold the Youngmen of Bengal responsible for subversion, but it is the Prime Minister who is encouraging it by her statements.

It is a serious problem. Today a people go to Government with their demands and wish that Government should accept them in constitutional and democratic way. But our Government does not understand the language of democracy. When the same demand is put through violent means such as burning of buses and railway stations, it is promptly acceeded to by the Government. I charge this Goverament of dutting premium on violence.

Shri H. N. Mukerjee has got his own ideology. He believes in armed revolution and violence. But those who believe in non-violence and pose themselves as followers of Gandhiji even they are encouraging the violent activities. So long as you go on encouraging violence, so long as you go on putting a premium on violence, violence is going to increase, whatever you may say. It is therefore requested that we should try to find out the main causes of violence and subversion. In this connection, I would like to suggest that firstly we should create such atmoshpere in this country so that subversive elements may not be able to grow. To achieve this object we will have to develop the sense of respect for rule of of law. Secondly, we should develop a strong patriotic spirit. There are several other countries in the world whose economic and social position is worst than that of ours but the Communist subversion has not succeeded there, It is because of their high patriotic sense. But some of my brothers always talk of communalism. I would like to make it clear to them that nationality is not an Indian concept, but it is an International concept In India also, we want the same concept of nationality which is in Germany, Japan and England. In case there is a strong patriotism and high sense of nationality then no man in this country can act as an agent of China or Pakistan.

At the same time it is also necessary to have the law of treason. In each country of the world, there is a Law of treason in which traitor has been defined. But it has not been defined in our statute-book. It should be added in our statute-book and thus whosoever comes under the purview of traitor he should be punished without mercy. But in our country those who admire Mao and Ayub they are regarded as patriot and those who talk of Indianisation in India, they are put under presenition. Our Government cannot differentiate between patriot and traitor. How such a Government can defend the country ? How it can check the subversive activities.

All the forces in the country which have faith in democracy and constitution should join hands to check subversive activities. There may be various political parties but there can not be different opinions and standards about nationality, nationalism or love for nation. No quarter should be given to treason and anti-national forces. It is high time when the Government and this House should realise it. Thanking you.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Chairman, Sir, it is a matter of pleasure that my friend has talked of Nationalism Democracy and Ganchiji but actually he and his party does not believe in either of them. They are the supporters of big industrialists and Capitalists. Although, they talk of democracy, they believe in bascist methods. But the democr-

tic forces in the Country have compelled them to change their course of action. It is a pleasure that now they have started talking of democracy.

As regards the increasing atmosphere of violence I would like to tell my friends who represent Satyug that in Kaliyug there are less battles and violence. Today, the world is more afraid of wars, The ancient people were unable to recognise non-violence. Today entire human community is afraid of violence and it is being opposed every where. But now the people have started recognising the people who in the garb of nationalism actually safeguard the interests of big capitalists and princes.

Recently I had been to Calcutta. In Calcutta even the life of Shri Jyotirmoy Basu is not safe. We believe in non-violence and incase Shri Basu is attached by some Naxalites in my presence, I may save him at the cost of my own life. Incase any proposal is put before this House for Compulsory Insurance of C.P. (M)workers, I will support it. But I must say that it is the Communist Party (Marxists) who is responsible for creating the present atmosphere of violence in the West Bengal during its short rule of one year. I am of the view that all the progressive force should join hands to check subversive activities and fight violence at political level. This problem can neither be solved by hanging somebody nor by alleging somebody as the agent of Pakistan or China. Those who talk of nationalism they are the greatest foreign agents. How Shiv Sena is getting crores of rupees ? Those who call others the fifth columnists, are themselves great fifth columnists. It will not be of any use to put allegations on each other. If all the progressive forces are united in Bengal, this problem can easily be solved.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान जी, मैं श्री शशि भूषण द्वारा अन्त में कही गई इसी बात से अपना वक्तव्य आरम्भ करता हूं कि नक्सलवादी, साम्यवादी मार्क्सवादी दल के कार्यकर्त्ताओं को ढूंढ ढूंढ़ कर मार रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जब से मार्क्सवादी साम्यवादी दल के प्रभुत्व वाला संयुक्त मोर्चा सत्तारुढ़ हुआ था, तभी से अनेक प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। परन्तु मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अब वहाँ पूरी तरह से पुलिस का आंतक छाया हुआ है। वहां आये दिन पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है, परन्तु गोली की घटनाओं की किसी प्रकार की जांच न कराने का आदेश लागू है। मेरी इन सभी बातों की पुष्टि वहाँ से छापने वाले काँग्रेस गुट के ही एक पत्र "न्यूएज" से दी जाती है। वास्तविकता तो यह है कि इस सरकार ने ब्रिटिश अत्याचारियों को भी मात कर दिया है। मैंने इसी संबंध में प्रधानमंत्री महोदया को एक पत्र लिखा था मेरे पत्र के उत्तर में उन्होंने मुझे लिखा है कि उन्हें पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं की जांच न कराये जाने के, राज्य सरकार के निर्णय के बारे में समाचार-पत्रों में बताई गई जानकारी से अधिक और कुछ भी मालूम नहीं। परन्तु वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जो निर्णय किया, उसके बारे में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया था। अब ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री महोदया का एक मात्र कार्य विघटन करना ही रह गया है ताकि वह पश्चिम बंगाल में सत्ता हथिया कर, वहां अपने ही दल की सरकार को सत्तारुढ करा सकें।

आपको स्मरण होगा कि जब 1967 में पहली बार सयुंक्त मोर्चा सत्तारूढ हुआ था। तो श्रीमती गांधी और श्री चव्हाण ने चीन से सम्बध कई जाली दस्तावेज दिखाकर श्री अजयमुकर्जी की

सरकार को सत्ता संभालने के अयोग्य घोषित करने का असफल प्रयास किया था। यही नहीं, इसी तरह वह दो ही दिनों में लगभग 2500 साम्यवादियों को गोली का निशाना बनाना चाहते थे और चाहते थे कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दें। इन्होंने तो लालबाजार में बम भी रख दिया था और कलकत्ता में कांग्रेस के समाचार पत्रों ने यह भी समाचार दे दिया था कि यह बम चीन का बनाया हुआ था और इसे साम्यवादी मार्क्सवादी दल ने वहां रखा था।

हम अभी तक पी० डी० एफ० के अत्याचारों को, जिनमें कालिजों की दीवारें खून से रंग दी गई और जिसमें केन्द्र तथा विदेशी और भारतीय पूजींपतियों का हाथ था, अभी तक नहीं भूले हैं।

केन्द्र ने वहां साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय झगड़े पैदा किए। बंगालियों और सरदारों से झगड़े करवाए। यह समाजवादी केन्द्रीय सरकार और उसके साथी बड़े बड़े पूजींपति इस देश में विघटन के बीज बो रहे हैं। हमारे पास इस बात की निश्चित सूचना है कि उसमें पश्चिमी बंगाल और आसाम के भागों को मिलाकर पूर्वी क्षत्र में एक समान केन्द्रीय गुप्तचर पुलिस की स्थापना की है।

सरकार की सारी पोल परामर्शदात्री समिति की कल की बैठक में स्पष्ट हो गई। केन्द्रीय सरकार नहीं चाहती कि संयुक्त मोर्चा सरकार की तरह की सरकार फिर से पश्चिम बंगाल में आ जाए। वह चाहती है कि कांग्रेस ही फिर से शासन करे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का दूसरा उद्देश्य वहां आतंक फैलाना तथा इसका अत्यधिक प्रचार प्रचार करना है ताकि मध्यावधि चुनाव न होने दिये जांय क्योंकि वह जानती हैं कि उनके दल को वहां आसानी से हटा दिया जाएगा।

उनका तीसरा उद्देश्य इस काले कानून के लिए रास्ता स्पष्ट करना है। सरकार असीम शक्तियां लेती जा रही है और निस्सन्देह यह शक्तियां उन लोगों के विरुद्ध प्रयोग में लाई जांएंगी जो उनकी गद्दी के लिए खतरा बने हुए हैं।

चौथी बात यह है कि वे इस कानून से हमारे साथियों को कैद करके, चुनाव द्वारा अपना मार्ग स्पष्ट करना चाहतीं हैं किन्तु ऐसा नहीं होने वाला हैं। अन्ततः इसका उद्देश्य मार्क्सवादी दल के कार्यकर्ताओं को कत्ल करके दल को समाप्त करना है।

इस समय पूरा राज्य केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के नेतृत्व में छटे हुए पक्के अपराधियों, भड़काने वाले एजेंटों तथा बेरोजगारों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। आप लोगों ने धन देकर सैंकड़ों पुलिस के आदमियों को कत्ल करने के काम पर लगा रखा है।

केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण बेकार नहीं बैठा है। वह भी सरकार का पूरा साथ दे रहा है जादुगुडा के जंगलों में अमरीकी मशीनगनें मिली थी। मैंने श्री पन्त को इस बारे में लिखा था किन्तु वह बस यही उत्तर देते हैं कि मामले की जांच हो रही हैं। सरकार इन नक्सलवादियों से मिली हुई हैं और पुलिस इनके साथ मिली हुई है। बिना पुलिस की जानकारी के लाखों रुपये का विस्फोटक पदार्थ कलकत्ता में नहीं आ सकता। सरकार उन्हें हथियार, विस्फोटक, मार्गदर्शन और यहां तक कि उन्हें

सुरक्षा दे रही है । ये नक्सलवादी जो आदमी का कत्ल कर देते हैं किन्तु उसकी घड़ी आदि को हाथ नहीं लगाते, इन्हें पैसा कहां से मिलता है । इन्हें सरकार और उसके मित्र पूजीपति ही धन देते हैं ।

पुलिस इन नक्सलवादियों की सुरक्षा करती है पुलिस हवालातों में अमानवीय यातनांए दी गई हैं और कई लड़कों की हत्या की गई है । मंत्री महोदय सभा को यह बताएं कि समीर भट्टाचार्य की शयमकपुर स्टेशन में हुई मृत्यु के बारे क्या रिपोर्ट मिली है । उसे पीट-पीट कर मार दिया गया है ।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : आरम्भ में मैं अपने मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री को देश में शांति और व्यवस्था के इतने महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए बधाई देता हूं ।

मैंने श्री ज्योतिमय बसु के विचारों को ध्यान से सुना हैं किन्तु मैं यह कह सकता हूं जब से पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल सत्तारूढ़ हुआ है तब ही से वहां सारा संकट उत्पन्न हुआ, और उस समय से ही पश्चिम बंगाल में स्थिति बिगड़नी शुरू हुई और निरंतर रूप से बिगड़ती जा रही है ।

कलकत्ता देश का एक बहुत महत्वपूर्ण पत्तन है साथ ही देश के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है जहां लाखों लोगों को किसी न किसी प्रकार का रोजगार मिला हुआ है । गत दो वर्षों से वहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है । औद्योगीकरण ठप्प हो गया है उत्पादन बन्द हो गया है । और किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है । इन बातों का कुप्रभाव जनसाधारण, मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों पर पड़ रहा है । सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में उदारता बरतती रही हैं जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयत्न किया है । पश्चिम बंगाल में रोज हत्याएं होती हैं । जो लोग अराजकता फैला रहे हैं सरकार को उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो देश को बहुत हानि होगी । पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ।

Shri B. P. Mandal : No doubt the country faced economic problems. But it should be remembered that we could not solve any problem by resorting to violence.

The Naxalite activities had also raised their ugly head in Bihar since the present Government came to power whenever a Government become weak and morale of the magistracy and the police was not high, such activities flourished, when a Government wanted to stick to power at any cost then such a situation developed. In west Bengal also under the United Front rule Naxalite activities became wide spread all of a sudden. All of us should join hands at national level in tackling the problem of lawless in the country.

Shri Sheo Narayan (Basti) : I demand that Military Rule be imposed in West Bengal that people could get peace. Similar conditions are prevailing in Jammu & Kashmir.

मेरा गृह कार्य मंत्री से इसीलिए यह कहना है कि गुण्डागर्दी को हमेशा के लिए समाप्त किया जाये जिससे देश में फिर से शांति स्थापित हो ।

इन शब्दों के साथ श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : प्रोफेसर मधोक के भाषण से मुझे बहुत हैरानी हुई है। ऐसा लगता है कि वे भारत के इतिहास से अनभिज्ञ हैं। अन्यथा उन्हें मालूम होता कि अपने नेताओं के कारण ही भारत को हमेशा कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं।

विदेशी शासक देश में क्यों आया ? हमारे पुराने क्षत्रिय नेता बहुत बहादुर थे परन्तु उनकी बहादुरी केवल आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई तक ही सीमित थी। वह आपस में लड़ते रहे और यहां विदेशी शासन हो गया। भारत में मुसलमानी शासन की असफलता का भी यही कारण था। यही बात मराठा शासन के पतन का कारण थी। इतिहास के ज्ञान के बिना राजनीति का ज्ञान नहीं हो सकता। अत: उनकी राजनीति गलत है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि इस राष्ट्र को यदि कोई कठिनाई हुई तो वह अपने नेताओं के कारण से होगी। श्री ज्योतिर्मय बसु के इतिहास के अज्ञान को हम समझ सकते हैं। हिन्सात्मक क्रांति के सम्बन्ध में प्रत्येक देश का इतिहास इस संबंध में स्पष्ट है कि उसके परिणाम क्या रहे। क्या फ्रांसीसी क्रांति और क्या रूसी क्रांति सबके परिणाम एक ही रहे। क्रांतिकारियों द्वारा पहले क्रांतिकारियों को मारा गया क्योंकि उन्हें पहले दुश्मन समझा जाता है। स्टालिन ने ट्राटस्की को मरवाया और उसके मरने के पश्चात स्वंय उसकी दुर्गति हुई और यही क्रम आगे जारी है।

बंगाल में भी आज यही हो रहा है। क्रांतिकारी आज क्रांतिकारी को समाप्त कर रहा है।

कहा जाता है कि इस देश में आज जंगल के कानून लागू हैं। हमें इस पर अचम्भा नहीं होना चाहिए। हमें यदि इतिहास का ज्ञान हो तो ही हमारी समझ में आ सकता है कि आज जो भारत में हो रहा है वह सब पूर्णतया तर्कसंगत है और हम लोगों की प्रतिभा के अनकूल है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और इलैक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पिछले कई महीनों से यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रहा है और इस पर तथा इससे सम्बन्धित अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने के सदन को कई अवसर प्राप्त हुए हैं।

विभिन्न सदस्यों द्वारा मांगी सूचना न केवल प्रश्नों के उत्तर में बल्कि देश की कानून तथा शांति स्थिति, विशेषतया पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चर्चा के दौरान इस सदन को प्राप्त हो चुकी है, इस में फिर से जाने की मुझे आवश्यकता नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने भाषण में इस बात की ओर निर्देश किया है कि पश्चिम बंगाल में आंतक का राज्य है परन्तु उनके शेष सारे भाषण में एक ही बात थी कि पश्चिम बंगाल में मार्क्स-वादियों के विरुद्ध आंतक का राज्य है। अपने दल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया परन्तु वास्तविक बात जो उनके दल से अपेक्षित है वह यह है कि वे यह घोषणा करें कि वे हिन्सा के जीवन के रूप से तिलांजली देते हैं। इससे सारा विषय समाप्त होजाएगा। (**अंतर्बाधाएं**) मैं समझता हूं कि सदन की इससे संतुष्टि हो जाएगी परन्तु वह ऐसा नहीं करते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे नेता कामरेड राममूर्ति ने इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट किया था और बताया था कि इस विषय पर हमारे दल के विचार सुस्पष्ट हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हिंसा को तिलांजली की ये बातें नहीं कहते परन्तु इस प्रकार से बात कहते हैं कि जहां उन्हें लाभ होगा वे इसका उपभोग करेंगे। (अन्तर्बाधाएं)

उनके भाषण के बारे में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे उकसाया है और मैंने कुछ बातें कहीं । यदि ये मुझे निर्विघ्न होकर बोलने दें तो अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

प्रोफेसर मुकर्जी ने अपने भाषण में हिंसा के कारणों की चर्चा की है । प्रोफेसर मुकर्जी का भाषण समूचे विश्व की समस्याओं को लेकर था और मेरी समझ में नहीं आता कि श्री लोबो प्रभु ने उसके बारे में क्यों आपत्ति की। मैं प्रोफेसर मुकर्जी की इस बात से सहमत हूं कि युवक वर्ग हिंसा की ओर जल्दी आकर्षित होता है, प्रशासन को कानून तथा व्यवस्था सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनैतिक तथा शैक्षाणिक क्षेत्रों में हम कुछ कार्यवाही कर सकते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के मन को बदलना होता है । यदि हम ऐसा न करें तो केवल समस्याओं को पूरी तरह से नहीं समझ पायेंगे। लोगों के मन को बदलते समय हम कानून तथा व्यवस्था कायम रखने की बात को नहीं भूल सकते। लेकिन इसके लिए समय लगता है। यह जिम्मेवारी आज की सरकार की है, यही कारण है कि सरकार को हिंसा दूर करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं क्योंकि इसका औरों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। प्रजातंत्र में प्रत्येक विचार तथा हर भावना का सामना करना पड़ता है । हिंसा के कारण कभी-कभी स्थिति काफी असाधारण हो जाती है, इसलिए कई बार असाधारण कदम भी उठाने पड़ते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के मामले में उठाने पड़े हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने प्रस्ताव में देश की कुछ राजनैतिक गतिविधियों का विदेशी शक्तियों से गठजोड़, सीमित क्षेत्रों में हिंसा की गतिविधियों तथा राजनैतिक उद्देश्यों के आंदोलनों से पैदा हिंसा की चर्चा की है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा समाज काफी पुराना है और समाज में तनाव आ गया है। ये तनाव किसी परिवर्तन के दौरान और अधिक बढ़ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी हिंसा भी हो जाती है, इन तनावों को अच्छी तरह समझने से ही हिंसा पर कुछ रोक लगायी जा जा सकती है। हम परिवर्तन लाने के लिए महान प्रयास कर रहें हैं।

हिंसा का एक दूसरा पहलु भी है जिसे साम्प्रदायिक हिंसा भी कहते हैं । मेरे मित्र श्री मधोक इस प्रकार की हिंसा की निंदा नहीं करते जबकि ये अन्य प्रकार की हिंसा की निंदा करते रहते हैं।

श्री बलराज मधोक : मैंने हर प्रकार की हिंसा की निंदा की है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे खुशी है कि ये इस प्रकार की हिंसा की निंदा भी करते है। उन्होंने भारत में मुस्लिम लीग के अभ्युदल की निंदा की है । क्या मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछ सकता हूं कि यदि देश के मुस्लिम एक पृथक अस्तित्व नहीं मांगते तो उन्हें देश के राजनैतिक जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यदि वे तथा उनका दल किसी सम्प्रदाय की निंदा करता रहे तो क्या उनके मन में अपनी सुरक्षा की बात नहीं बैठेगी ? क्या हमेशा ऐसा नहीं होगा ?

श्री बलराज मधोक : इसी प्रकार की दलीलों से विभाजन से पूर्व मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था। आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए कि मुस्लिम ही नहीं और भी सम्प्रदाय यहां हैं। मुस्लिमों को ही क्यों ऐसा सोचना चाहिए कि वे औरों से भिन्न हैं। मेरे दिल में मुस्लिमों के प्रति कोई भेदभाव नहीं। वे आपके अथवा मेरे दल में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग की यहां ज़रूरत क्या है ? इस प्रकार के नारों का सहारा न लीजिए। इस तरह आप देश में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विभाजन के बाद भी ये फिर विभाजन को दोहराना चाहते हैं।

मैं भी इसी कारण चिन्तित हूं। ये ऐसा नहीं महसूस करते कि यदि ये एक सम्प्रदाय को दूर करते हैं...

श्री बलराज मधोक : मैं मुस्लिम लीग की निंदा करता हूं, सम्प्रदाय की नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब ये मुस्लिम लीग को दूर करते हैं तो क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने अपना सिर फिर क्यों उठाया है ?

श्री बलराज मधोक : आपके तथा आपकी नीतियों के कारण।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस प्रश्न में कुछ गहरा जाना चाहता हूं।

श्री अटल बिहरी वाजपेयी : आप मुस्लिम लीग की क्यों सुरक्षा कर रहें हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं मुस्लिम लीग की सुरक्षा नहीं कर रहा। आप गौर से सुनें। यदि आप रात और दिन किसी सम्प्रदाय पर हमला करते रहें तो उसके मन में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। जब आप ऐसा करना बंद करेंगे तो मुस्लिमों के हित स्वंय ही सुरक्षित हो जायेंगे।

श्री बलराज मधोक : आजादी के पहले भी यही दलील दी गयी और उसके परिणाम भी हमने देख लिये अब आप इस दलील को दोहरा रहे हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : बंगाल की स्थिति के कारण यह वाद-विवाद शुरू किया गया। यदि हम वहीं तक सीमित रहें तो ऐसा विवाद नहीं खड़ा होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक ज़रूरी बात थी जिस पर चर्चा करना ज़रूरी था। आचार्य जी नक्सलवादी आन्दोलन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जितना मैं जानता हूं, इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। नक्सलवादी आंदोलन का जन्म सन् 1967 में नक्सलबाड़ी गांव में हुआ। सी०पी० (एम) में विभाजन के बाद से इसका जन्म मार्च, 69 में सी० पी० (एम० एल) के नाम से हुआ।

श्री० प० गोपालन : इसे सब जानते हैं। दोहराने की ज़रूरत नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आपको याद दिलाना अच्छा होगा।

श्री शिवनारायण (बस्ती): पश्चिम बंगाल के गवर्नर को आप कब तक हटाने जा रहे हैं ?** ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : सदन यह भी जानता है कि हिंसा के कई अभियोगों को तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने वापिस ले लिया था।

श्री शिवनारायण : मैं उसे वापिस लेता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इन अभियोगों के वापिस लिये जाने से हिंसा के लिये दंडित कई लोग रिहा हुए जिन्होंने नक्सलवादी आन्दोलन की एक गुप्त संस्था की रचना की तथा इसके लिये शस्त्र और बारूद इकट्ठा किया। संक्षेप में, यही पृष्ठ भूमि है।

मेरे माननीय मित्र मंडल ने इस बात की चर्चा की है कि बिहार में नक्सलवादी गतिविधियां नज़र आयी हैं। अन्य प्रदेशों में भी ये गतिविधियां नज़र आयी हैं। सदन को जानना चाहिये कि नक्सलवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस कदम उठाये गए हैं। कई राज्यों में इस पर नियंत्रण है। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति चिन्ताजनक है।

पश्चिम बंगाल में अप्रैल से नक्सलवादी अराजकता बढ़ गयी है। अब तो शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों आदि में भी नक्सलवादी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि मैंने सदन को कहा, 37 पुलिस के लोग मारे गये तथा 400 ज़ख्मी हुए।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने उनके द्वारा उठाये गये एक प्रश्न की जांच करने के बारे में लिखा है। उन्होंने इस पर आपत्ति की।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कहा कि यह झूठ है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हर व्यक्ति अपनी भाषा का उपयोग करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उस भाषा का उपयोग नहीं किया।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हर पुलिस फायरिंग के बाद जांच नहीं की जाती। यदि फायरिंग ज़रूरत से ज्यादा हुई हो तो उसी सूरत में की जाती है। मुझे आशा है कि ये स्वयं इस बात पर विचार करेंगे कि इन्होंने कितनी कड़ी भाषा का उपयोग किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु: प्रधान मंत्री ने कहा हैं कि "मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं", लेकिन सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। आप सदन को क्या बताने जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : राज्य सरकारें स्थिति से पूरी तरह से परिचित हैं और नक्सलवादियों

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair

की हिंसक तथा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही कर रही हैं। बिना लाईसेंस के शस्त्रों तथा बारूद को बरामद करने की कार्यवाही भी काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। बंगाल में लगभग 4400 नक्सलवादी गिरफ्तार किये जा चुके हैं। चारू मूजमदार सरीखे नेताओं को उद्-घोषित अपराधी करार दिया गया है। कानू सान्याल, श्री पटनायक, अपाला सुरी आदि-आदि केन्द्रीय समिति के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के अन्य भागों में कई नक्सलवादी नेताओं को पुलिस फायरिंग में मारा गया है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भी इस बारे में सम्पर्क बना रखा है तथा उन्हें नक्सल-वादियों का दमन करने के लिए उचित सुविधाएं भी प्रदान कर रही है।

जहां तक नक्सलवादियों का बाहरी शक्तियों से गठजोड़ का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : उनका नाम लीजिये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी विदेशी शक्ति की प्रभु सत्ता स्वीकार करने की निन्दा इस सदन में कई बार की जा चुकी है। नक्सलवादियों की कुछ गतिविधियां हमारे प्रजातंत्र के लिये न केवल नई हैं बल्कि घातक भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इससे सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लेती।

श्री पीलु मोडी : एक गलत दलील।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत . यह कुछ ऐसी बात है जिसे हमें समझना है।

श्री पीलु मोडी : सारी दुनिया समझती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आपको सारी दुनियां वहां से गोल दिखाई देती है जहां आप बैठे हैं। समस्याओं के समाधान के लिये आपको सामाजिक आर्थिक पहलू समझने पड़ते हैं। कानून, व्यवस्था तथा विकास सब जरूरी हैं।

श्री बलराज मधोक : आप बढ़ते चलिये, हम आपका समर्थन करते हैं। यदि विकास न हो तो दोष किसका ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हम समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी : आप इन 23 वर्षों से क्या करते आ रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हम आपका साथ देते रहे समस्या की जटिलता की जानकारी होने का अर्थ यह नहीं कि कानून और व्यवस्था की दिशा में हमने कड़ी कार्यवाही नहीं की। हिंसा का दमन करने के संकल्प को हमने बार-बार प्रकट किया है। सरकार यह जानती है कि सामाजिक-आर्थिक तथा बड़े-बड़े राजनैतिक प्रश्न रात-भर में नहीं सुलझाये जा सकते हैं।

श्री पीलु मोडी : ठीक है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह मानना उचित नहीं होगा कि सारी समस्याओं का आधार सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक है ।

श्री जी० भा० कृपालानी : आपके राज्यपाल उस समस्या को हल कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : समस्याओं को राजनैतिक दृष्टि से सुलझाने के लिये सरकार यथासम्भव प्रयत्न करती आ रही है, जिसका प्रमाण मणीपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का स्तर देने सम्बन्धी घोषणा है । इन क्षेत्रों के लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया ।

श्री बलराज मधोक : आपको दिल्ली के लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं का समाधान भी करना है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : दिल्ली के लोगों की राजनैतिक आकाक्षाएं हमारे ध्यान में है । हमने उन्हें लाखों की नहीं बल्कि 50 करोड़ लोगों की प्रतिनिधी सरकार दे रखी है ।

भूमि सुधार, आदिवासी क्षेत्रों का विकास नगरीय विकास, योजनाएं आदि-आदि ऐसे कदम हैं जिनके द्वारा हम विकास के कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं । संक्षेप में, राजनैतिक तथा विकास प्रयत्नों में लोगों के सक्रिय योग से ही प्रजातंत्र मजबूत होगा । सभी राजनैतिक दलों को मिलकर हिंसा की राजनीति का मुकाबला करना है ।

कानून तथा व्यवस्था कायम रखने की दिशा में हमने जो भी कदम उठाए हैं, वे इस बात के प्रतीक हैं कि हमने हिंसा का दमन किया है मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग तथा नियोजित विकास द्वारा हम अपनी समृद्ध परम्परा तथा प्रजातंत्र को कायम रखने का काम हमारे सामर्थ्य से बाहर नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, I am grateful to the Members who supported this motion of mine.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Point of order sir. According to order paper; half an hour discussion was to be taken. I want to know whethere this discussion will be taken up ?

Mr. Chairman : That will also be taken up but let it be finished.

Shri Prakash Vir Shastri : Two members belonging to Right and Left Communist parties have also criticised the increasing rate of incidents of violence in the country. The seriousness of the problem can be judged from the fact that I moved this notice on 17.12.68 which came up for discussion on 16.5.69. This discussion is being ended today on 18.11.70. The problem is taking serious turn when the Government is neglecting the same. I also understand that weaknesses in the speach of Shri K. C. Pant are due to fact that theycan not use a strong language for the parties shouldering this Govt. today.

According to the Govt. 37 policeman were killed and 400 policemen injured. You can assess the seriousness of the problem from it. The number of political murders Commi-

tteed in West Bengal was exceeded 1300. The police was attacked 211 times. The seriousness of the problem in other states can be judged from the position in this state. The position in Bihar is also deteriorating. During the last ten months, there are 76 armed attacks injuring policemen in Bihar. There were also political murders. In Andhra Pradesh too, there were 33 political murders. The Chief Minister of Jammu and Kashmir instead of banning such tendencies is encouraging the same. I would like to warn you about the future of Jammu and Kashmir if the present state of affairs of the state do not cease.

I think the total number of armed attacks in diffe-ent parts of the country tell October is 2000.

My resolution pertains to the political parties with extra territorial loyalities creating disorder in the country with the help of foreign countries.

Here trucks carrying armaments are attacked. The police is attacked almost every day. I was in the hope that the Minister would make a strongworded statement in the House reflecting the firm determination of the Government to put down violence with an iron hand. But the statement was lacking in that firm determination. He cannot take any decision against the parties who are supporting the Government.

Shri Balraj Madhok said something about the Muslim League and not about the Muslim Community. It is theMuslim League which is responsible for the partition of the country. They want to poison the whole atmosphere of the country. The Prime Minister has given a good character cirtificate to the Muslim League faction in Kerala. But the All India General Secretry of the Muslim League says that the Programmes, policies and the objectives of the Kerala Muslim League are the same as of this All India Organisation. Then why the Government is joining hands with the Muslim League. They want to keep their existence in the country by making common cause with these Communal parties. To-day the borders of India are exposed to danger. Arms are being smuggled in to India from East Pakistan. This helps to subvert the very democratic set up that prevails in this country.

Therefore I would give four suggestions, in order to tackle the problems confronting the country today. My first suggestion is that the Government should ban those political parties which have no faith in democracy and which are indulged in subversive and violent activities. Secondly, the Government should not take the question of recalling the west Bengal Governor as a prestige issue. He should immediately be recalled from West Bengal. Thirdly, the Government should detect the sources of foreign money coming into this country through back door and prevent it by all means. Finally, all the anarchist elements infiltrated in the West Bengal Police during the regime of the erstwhile United Front ar d under the patronage of Shri Jyoti Basu, the then Home Minister, should be purged out aud the administrative machinery should be purified.

With these words, I support my motion.

चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन*

INDUSTRIAL PRODUCTION IN FOURTH PLAN. **

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : यह बडी चिंता की बात है कि हमारा औद्योगिक

* आधे घंटे की चर्चा

**Half an hour discussion.

उत्पादन मांगों के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है। कई मामलों में उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है। इस चर्चा के द्वारा मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं और इसको बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। योजना आयोग ने उत्पादन में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा था। गत वर्ष उत्पादन में 7.2 प्रतिशत वृद्धि हुई और उसके पहले वर्ष छह प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि इसीलिए हो पाई क्योंकि बेकार पडी हुई क्षमता का ठीक से उपयोग किया गया था। अब भी बहुत अधिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता अत: सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं। क्या ऐसा कच्चे माल की कमी के कारण हुआ अथवा फालतू पुर्जों की कमी के कारण हुआ था या अन्य किसी कारण से हुआ था ? इस बेकार पडी हुई क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

गत वर्ष मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस वर्ष उत्पादन निर्धारित 9 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ेगा। परन्तु दुख की बात है कि इस वर्ष उत्पादन सात प्रतिशत से भी कम होगया है।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद अपने एक अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान स्थिति मैं औद्योगिक उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० गाडगिल का भी मत यह है कि उत्पादन वृद्धि की दर में कमी पड़ने से उत्पादन कम हो रहा है। विश्व बैंक के एक दल ने भी कहा था कि औद्योगिक विनियोजन कम है।

इस स्थिति का पहला कारण यह है कि सरकार ने गत दो वर्षो मैं औद्योगिक क्षेत्र में कई रोकें लगाई जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। सबसे पहली बात यह है कि लाइसेंस देने की नीति कई अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है। सरकार ने निर्णय किया कि एक करोड़ रुपये तक की पूंजीवाले उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मगर इस से भी कोई लाभ नहीं हुआ पहले विविधीकरण की अनुमति दी गई थी मगर अब उस पर रोक लगाई गई है। पहले विकास की स्वतंत्रता दी गई थी, मगर अब उस पर भी नियंत्रण लगाया गया है। निर्यात व्यापार के लिए बहुत सी शर्तो का पालन करना पडता है। एकाधिकार आयोग ने कम्पनियों के आपसी संबंध जैसे नियंत्रणों का कड़ा विरोध किया था। ये सारी चीजें औद्योगिक विकास के मार्ग में बाधायें है।

सरकार ने ऋण को ईक्विटी शेयर में बदलने का निर्णय किया। मगर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार के उद्योगों पर यह लागू किया जाएगा। या कितने प्रतिशत उद्योगों पर लागू किया जाएगा उद्यमियों की स्थिति त्रिशंकु की है। लाइसेस देने के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला 1500 आवेदन पत्र अनिर्णीत रहे थे। यह संभवत: हजारों की संख्या में होंगे। ट्रैक्टर के निर्माण के लिये भी लाईसेंस नहीं दिए गये हैं जिसके लिए सरकारी क्षेत्र से एक और गैर सरकारी क्षेत्र से तीन या चार आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। हम 200 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का आयात करते हैं। उर्वरकों के उत्पादन के लिए कई आवेदन पत्र विचाराधीन रहे हैं। लाइसेंस की नीति इन सारे उद्योगों के निर्माण में बाधा बनकर खडी है। स्कूटर, रसायन तथा अन्य बहुत सी चीजों के निर्माण की क्षमता का हमने

अब तक उपयोग नहीं किया है । हम ये सारी चीजें अब भी अधिक मूल्य देकर विदेशों से आयात कर रहे हैं । हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा पड़ी है । गत वर्षों में हुई कमी को पूरा करने के लिए अब उत्पादन में 16 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि करनी चाहिए । अन्यथा इसका रोजगार पर बुरा प्रभाव पडेगा और युवा पीढ़ी में असंतोष बढ़ जाएगा । अतः यह परम आवश्यक हैं कि उत्पादन बढाया जाए । अनावश्यक रोकों को हटा दिया जाना चाहिए ।

1961-62 में हमारा औद्योगिक विकास 11 प्रतिशत था । क्योंकि सरकार ने उस समय उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिया था । जापान तथा अन्य देशों में औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास हुआ है हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए । हमारे पास कच्चा माल हैं, मगर एकमात्र बाधा हर चीज पर नियंत्रण लगाने की सरकार की नीति है ।

मैं केवल सरकार और अधिकारियों को ही दोषी नहीं मानता अपितु संसद सदस्यों को भी इस मामले में दोषी मानता हूं । उनकी अनावश्यक आलोचना के कारण मंत्री और अधिकारी कुछ करने से हिचकते हैं । अतः इस प्रकार की अनावश्यक आलोचना नहीं की जानी चाहिए । इसके साथ ही साथ सरकार को औद्योगिक विकास के मार्ग में पड़ी हुई बाधाओं को दूर करना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे बतायें कि सरकार इस दिशा मे क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Two years have already passed since the fourth plan started. May I know what was the target of production fixed for both the private and public sectors. Today the private capital has embarked upon bargaining with the Government. Is it not a fact that the private monopolists want that the exemption limit of licence be raised from Rs. one crore to Rs, 5 crores ? Is it not also a fact that with this end inview the monopolists exert pressure on Planning Commission and the Commission has written to the Government ?

How can the industrial production be increased ? On the whole the industrial production is in the hands of 75 monopoly houses. I want that these monopoly houses be nationalised. Is the Government thinking in this direction, and if so, when they will nationalise these business houses ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : श्री दामानी ने कहा हैं कि देश में औद्योगिक विकास में बाधा पड़ गई है और इस संबंध में जो भी कानून बनाए गए हैं । वे सब उद्योगों के लिए हानिकारक साबित हुए हैं । जब हम औद्योगिक विकास पर विचार करते हैं तभी हमें अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकास पर ध्यान देना होता हैं । विकास के सूचकांक में विशेषज्ञों ने नवीनतम आंकड़े शामिल नहीं किये । श्री दामानी अच्छी तरह जानते हैं कि 1960 में कपड़ा उद्योग के लिए अधिक भारयोग निश्चित किया गया था । वही भार योग आज भी कपड़ा उद्योग को दिया जाता है और जब वह उद्योग गरीब राज्य में है, तो औद्योगिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा...(**व्यवधान**) कई कारणों से कपड़ा उद्योग के विकास में बाधा पड़ गई है और इसका प्रभाव तमाम औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा है ।

हमने छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के विकास में ध्यान लगाया है । एकाधिकार को रोकना और अधिकाधिक लोगों को उद्योगिक क्षेत्र में लाना हमारी नीति है अतः छोटे तथा मध्यम

स्तर के उद्योगों के लिए जो कार्य किए, उनको सूचकांक तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है।

हम जानते हैं कि अल्प कालीन उत्पादन की दर कम हो गई है। हमने पहले ही कहा है कि 1966-67 में उत्पादन दर के आंकड़े अत्यधिक कम थे। 1966 में उत्पादन में 0 8 प्रतिशत वृद्धि हुई, 1967 में 0.7, 1968 में 6.4 और 1969 में 7.1 वृद्धि हुई। 1970 के पहले पांच महीनों में उत्पादन की दर में कमी हुई है। मगर 1969 में इसी अवधि में 5 से $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। जैसा मैंने पहले कहा छोटे उद्योगों संबंधी आंकड़े इस सूचनांक में शामिल नहीं किए गए हैं।

श्री दामानी की एक मुख्य दलील यह थी कि सरकार ने उद्योगोंपर कई रोकें लगाई हैं। मैं इस सिलसिले में कुछ आंकड़े प्रस्तुतः करूंगा। एकाधिकार अधिनियम के पास किए जाने के बाद मार्च से जून तक जो 606 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उनमें पह पता लगाने के लिए कि सरकार की नीति से औद्योगिक विकास में कहां तक बाधा हुई है। 504 प्रार्थनापत्रों की छानबीन की गई। छोटे या बड़े उद्योगों के विकास में कोई बाधा कहीं भी दिखाई नहीं दी। 504 प्रार्थना पत्रों में 318 एक करोड़ रुपए से कम पूंजीवाले उद्योगों के लिए थे एक करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की पूंजीवाले उद्योगों के लिए 107 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 5 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीवाले उद्योगों के लिए 79 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। 79 प्रार्थनापत्रों में 19 बड़े उद्योग घरों के थे।

उन्होंने विविधीकरण और विकास के बारे में कहा। विविधीकरण के सम्बन्ध में, वर्तमान क्षमता से 25 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है। ट्रेक्टर के संबंध में, जो भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उन पर विचार किया गया। लगभग 12 प्रार्थनापत्रों के आधार पर लाइसेंस दिए गए। ट्रैक्टरों की मांगों का मूल्यांकन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उनकी सिफारिशों के अधिकार पर प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाता है।

उद्योगों में 1969 के बाद उत्पादन में कमी पड़ गई। इसका एक मुख्य कारण है कच्चे माल की कमी मुख्य रूप से इस्पात की कमी हुई। इसके लिए हमने कई कदम उठाए। इस्पात के आयात की भी अनुमति दी गई। कई अन्य कदम भी उठाए गए। मेरे विचार से इस के परिणाम स्वरूप देश में औद्योगिक उत्पादन में प्रगति होगी और सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में पर्याप्त विविधीकरण की अनुमति दी गई है अतः श्री दामानी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे देश में औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 19 नवम्बर 1970/28 कार्तिक 1892 (शक) ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 19, 1970/Kartika 28, 1892 (Saka)

मुद्रक : भारत मुद्रणालय, शाहदरा, दिल्ली-32